



सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम), नई दिल्ली

Cement Corporation of India Limited

(A Govt. of India Enterprise), New Delhi



55^{वीं} वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

55th Annual Report 2018-19





55th

Annual Report

2018-19



Contents	Page No.
Board of Directors	03
Chairman's Speech	07
Director's Report	09
Secretarial Audit Report	31
Report on Corporate Governance	34
Management Discussion & Analysis	41
Auditor's Report and Management's Replies	44
Annual Accounts 2018-19	55
Cash Flow Statement	57
C&AG's Comments	90
Our Employees — Our Greatest Assets	92
Salient Features of our Units	94

Cement Corporation of India Limited
(A Govt. of India Enterprise)
New Delhi

REGISTERED OFFICE

Cement Corporation of India Ltd.
Core 5, Scope Complex
7, Lodhi Road, New Delhi-110003
CIN No. U74899DL1965GOI004322

AUDIT COMMITTEE

Shri Mahender Gupta (Chairman)
Shri A.M. Manichan (Member)
Shri B.V. N. Prasad (Member)

REMUNERATION COMMITTEE

Shri Mahender Gupta (Chairman)
Shri A.M. Manichan (Member)
Shri B.V. N. Prasad (Member)

STATUTORY AUDITORS

Principal Auditor

M/s. Kapoor Bhushan & Co.
Chartered Accountants
DP-55, Maurya Enclave, Pitampura
Delhi-110034

COST AUDITOR

M/s. K.C. Kohli & Co,
Cost Accountants,
B-92, Subhandra Colony
Sarai Rohila Delhi-110035

M/s N. S V .KRISHNA RAO & CO
Cost Accountants,
H.No.1-1-780/7-1&2,
Flat No.308, Sumanjali Apartments,
Gandhinagar, Land mark-Besides
SBI-Gandhinagar Branch,
HYDERABAD-500 080,

M/s. S. Dhal & Co.,
Cost Accountants,
Plot No 458, 1st Floor,
Madhusudan Nayagar Nayapally,
Bhubaneswar-751012
ODISHA.

BRANCH AUDITORS

M/s N Samba Shiv & Co.
Chartered Accountants,
Adilabad-504001

M/s. DCG & Co.
Chartered Accountants,
New Delhi-110002

M/s. Sharma & Rishi
Chartered Accountants,
Rohtak-127021

M/s. C. Venkat Krishna & Co.
Chartered Accountants,
Hyderabad-500034

M/s. Jhanwar & Co.
Chartered Accountants,
Raipur-492004

M/s. Gupta Maskara & Associates
Chartered Accountants,
Guwahati-781007

M/s. Manilal Shah & Co,
Chartered Accountants,
Kalaburgi -585101

M/s. S.K. Tanwani & Co.
Chartered Accountants,
Raipur-492001

BANKERS

State Bank of India
ICICI Bank
Bank of Baroda / Dena Bank

BOARD OF DIRECTORS



Shri B.V.N. Prasad
Chairman & Managing Director



Smt. Sukriti Likhi,
Govt. Nominee Director,
Joint Secretary, Department
of Heavy Industry



Shri A.M. Manichan
Govt. Nominee Director,
DS, (B & A Finance Wing)
Department of Heavy Industry



Shri S. Sakthimani
Director (Finance)/CFO



Shri Ajay Kumar Sharma
Company Secretary

As on date of AGM

KEY FUNCTIONARIES



Smt. Alpana Shukla Rao
Chief Vigilance Officer



Shri V.K Pandey
Executive Director



Shri Saju S. Dominic
GM(HR)



Shri Vivek Kumar
GM Rajban



Shri B.N. Mahana
GM Tandur



Shri Vipul Kumar
GM Bokajan



Shri Alok Shukla
Addl. GM(Mktg)



Shri M.K Patra
Addl. GM (Fin)




Shri C.B Jaggi
Addl. GM (HR)




Shri J. Behera
DGM (MM)


पन्यावर्त / TURNOVER




निवल लाभ / NET PROFIT



सीमेंट उत्पादन CEMENT PRODUCTION



MAN POWER



SPEECH OF THE CHAIRMAN AT THE 55TH ANNUAL GENERAL MEETING



Dear Shareholders,

I have the pleasure in welcoming you all on behalf of the Board of Directors to the 55th Annual General Meeting of your Company, Cement Corporation of India Ltd. (CCI). Your august presence in this meeting goes on to underline your support and interest in the Company's endeavour; and I am thankful to everyone.

The Annual Accounts of the Company for the year ended 31st March, 2019 together with Directors' Report and the Auditors' Report have already been circulated. With your permission, I would like to take them as read.

Performance Highlights

Your company has achieved the long cherished dream of turning to net worth positive. This has happened

in more than over two decades of hard work and continued focus against all odds; and I would like to thank the invaluable human capital of the company who have put in their best efforts to reach a level where we are today.

Your company did have its share of challenges in the form of slowdown in real estate sector, migration to GST regime and rising input put costs.

Your company worked on its inherent strengths to mitigate the challenges. Your company produced 6.34 lakhs MT of cement with net profit of Rs.6.35 Crores.

Quality Management

Quality is of utmost importance in CCI. Your Company has Quality Management System in place for all the three



operating plants at Tandur, Rajban and Bokajan with ISO certification. Periodical training programs are conducted to instil the commitment towards quality among employees.

Human Resource Development

In its continued commitment towards development of human resources and their skill development, in the year gone by, your company has organised 1891 man days of in-house training program. Apart from this, various employees had also been nominated for external training on various subjects. A cross section of employees were also nominated for several seminars and conferences in their functional areas of working at different locations.

Senior officers of the company at all the operating units were exposed to training on various concepts.

Corporate Social Responsibility

The CSR Policy was approved by the Board in its 332nd Board Meeting held on 7th December, 2016. The policy has been implemented in the Corporation. In line with its Corporate Social Responsibility, your company has created basket of activities and taken up various initiatives with an amount of Rs, 2,50,081 invested towards CSR activities.

Corporate Governance

The Company believes that ethical and transparent business practices with all stakeholders of the company

is key to adhering to the norms of Corporate Governance. Your company reiterates its commitment to pursue the same. I feel elated to inform you that Independent External Monitors (IEM) has been appointed to oversee and resolve any grievance arising out of any tender floated by the company with value more than Rs. 10 Lakh. I would like to draw your attention to the Directors' Report, where a separate section under Corporate Governance included.

Acknowledgement

Your continued support and confidence inspires in pursuing new endeavours for excellence and I, on behalf of Board of Directors of your Company, wish to place on record our sincere thanks to you and Government of India particularly to the Department of Heavy Industry, Department of Public Enterprises, for their guidance and support in all our pursuits.

I also extend my gratitude to our esteemed customers both in Government sector and private sector for their continued support to the products of CCI.

I also acknowledge and feel grateful the overwhelmed support of Government of India, State Governments, CAG, our Bankers, Statutory Auditors, Principal Director & Member, Audit Board-II and all other Authorities and Agencies.

Last but not the least, I would convey my appreciation for the commitment, involvement and dedication exhibited by the employees in the overall development and growth of the Corporation.

Thanking you all again,

Jai Hind.

PLACE : NEW DELHI
DATE : 30th December 2019

Sd/-

(B.V.N PRASAD)
DIR (HR)/C&MD

BOARD REPORT

To the Members,

On behalf of the Board of Directors of your company, I am delighted to present the 55th Annual Report of your Company along with the audited accounts for the year ended 31st March, 2019, the Auditor's Report and the Report of the Comptroller & Auditor General of India.

1. FINANCIAL PERFORMANCE

The Company's financial performance for the year under review along with previous year's figures is given hereunder:

CORPORATION AS A WHOLE (₹ in crore)

Sl. No.	Particulars	For the year 2018-19	For the year 2017-18
1	Net Income from Operation	277.83	323.01
2	Other Income (Including exceptional income)	85.68	69.33
3	PBDIT	13.55	24.07
4	Less: Interest	0.00	0.00
5	Profit before Depreciation	13.55	24.07
6	Less: Depreciation	7.20	6.08
7	Profit after Depreciation and Interest	6.35	17.99
8	Less: Current Income Tax	0.00	0.00
9	Less: Previous year adjustment of Income Tax	0.00	0.00
10	Less: Deferred Tax	0.00	0.00
11	Net Profit after Tax	6.35	17.99
12	Balance transferred to Balance Sheet	6.35	17.99

1.1 The total revenue during the year 2018-19 is ₹ 348.39 crores as against ₹ 380.95 crores in the previous year.

1.2 Corporation has earned a net profit of ₹ 6.35 crores during the year 2018-19 as against net profit of ₹ 17.99 crores during the previous year. The cement production during the year is 6.34 lakhs MT as against 7.53 lakhs MT during the previous year.

2. DIVIDEND

Company has accumulated losses. Accordingly, no dividend will be declared for the financial year 2018-19.

3. REVIEW OF BUSINESS OPERATIONS AND FUTURE PROSPECTS

Your Directors wish to present the details of Business operations done during the year 2018-19

A. OPERATIONS

Performance of Units –

Non-Operating Units:-

During the Year 2018-2019, the following six non-operating units of CCI remained closed. The land of Delhi Grinding unit has been taken over by South Delhi Municipal Corporation (SDMC) for the Solid Waste Management Plant South Delhi Municipal Corporation.

- | | |
|------------------|--------------|
| 1. Mandhar | 2. Kurkunta |
| 3. Nayagaon | 4. Akaltara |
| 5. Charkhi Dadri | 6. Adilabad. |

Operating Units:-

The Capacity utilization of Cement (%), Clinker Production (MT), Cement Production (MT) and Dispatch of Cement (MT) of the operating units individually and collectively are stated as under:-

Year	BOKAJAN		RAJBAN		TANDUR		FOR OPERATING PLANTS ONLY	
	18-19	17-18	18-19	17-18	18-19	17-18	18-19	17-18
CAPACITY UTILISATION OF CEMENT (%)	42.20	56.57	58.00	54.33	40.70	50.63	43.90	52.08
CLINKER PRODUCTION (MT)	84985	105690	99100	133010	419805	514311	603890	753011
CEMENT PRODUCTION (MT)	83570	112010	143750	134750	407002	506315	634322	753075
DESPATCH (MT)	86697	113121	148641	131471	415197	502472	650534	747067

Non-Operating Units

The Cement plants at the following non-operating units of the company continued to be closed without any operation:

1. **Mandhar**, Raipur District, Chhattisgarh.
2. **Kurkunta**, Kalburgi district, Karnataka.
3. **Nayagaon**, Neemuch district, Madhya Pradesh.
4. **Akaltara**, Janjgir Champa district, Chhattisgarh.
5. **Charkhi Dadri**, Charkhi Dadri district, Haryana.
6. **Adilabad**, Adilabad district, Telangana.

- Delhi Grinding Unit – The land of Delhi Grinding Unit has been handed over to South Delhi Municipal Corporation.



Status of Sale of Non-Operating Units:-

As per the order of Ministry of Labour & Employment, GOI, Non-Operating units i.e. Mandhar, Kurkunta, Nayagaon, Akaltara, Charkhi Dadri and Delhi Grinding Units have been closed on 31.10.2008. The Adilabad Unit also stand closed w.e.f. 31.10.2008 vide order dated 20.02.2017.

As per the directive of GOI, the disinvestment process has been taken up for the following units.

1. Nayagaon – “Expression of Interest” for sale of the unit has been published on 02.03.2019 in newspapers. The Mandhar, Akaltara, Charkhi Dadri & Bathinda Grinding Unit were stopped.
2. Kurkunta

The status of projects are mentioned below:

a) Bokajan Expansion Project

As per Sanctioned Scheme, the installed capacity of Bokajan Unit is to be enhanced to 1200 tpd of clinker, which inter alia envisages enhancement in the cement grinding capacity at Bokajan and Setting up of Silchar Grinding Unit with 50 tph capacity.

The Work Order for capacity Expansion of Bokajan Cement Factory to 1200 tpd was awarded to M/s Promac Engineering Industries Ltd (PEIL). Bangalore on turnkey basis at a total cost of ₹ 142.40 crore with a contract period of 18 months.

PEIL started the project work in June’ 2011. The pace of work was slow. Party stopped work in May’ 2014 stating various reasons like non opening of LC and delay in payment.

After discussions with party to resolve various issues as per commitment made by party, extension was issued in Dec’ 2017 with 15 months time to enable party to complete the project. Party invoked arbitration clause for escalation of price. After restarting the project work, party abandoned work again. Looking into failure of party to continue work while arbitration proceedings were on, CCI cancelled Work Order on 06.03.2019.

The arbitration proceeding are continuing with arbitral tribunal.

b) Silchar Grinding Unit

The work order for setting up of Silchar Grinding Unit of 50 TPH was awarded to M/s Promac Engineering Industries Ltd (PEIL) Bangalore on

turnkey basis at a total cost of ₹ 39.68 crore. No progress have been made in the project implementation.

Since there is no fruitful progress in the project Work, the Work Order has been cancelled by CCI on 06.03.2019. M/s. PEIL has invoked the arbitration against above cancellation.

c) Technological Up-Gradation at Tandur

As envisaged in the Sanctioned Scheme, technological up-gradation scheme at Tandur has been taken up for implementation.

Twenty six schemes have been completed out of 34 schemes. Balance schemes are under various stages of implementation.

Upgradation of Railway siding of Tandur Plant as depositary work with Railways at the cost of ₹ 15.59 Crores is delayed due to non-availability of Class-1 Rails. Work is under progress.

B. PROFITABILITY

The company has earned a net profit of ₹ 6.35 Crores in the year 2018-19 as against net profit of ₹ 17.99 crores during the previous year.

C. SALES

The total cement sale during FY 18-19 was 6.59 lac MT against sale of 7.47 Lac MT during last Financial year. Rajban unit recorded an increase in sale from 1.32 lac MT to 1.49 lac MT during the current Financial Year as compared to last Financial year.

Tandur unit underwent major maintenance during Apr-Aug 18 period thereby constraining the supplies. The industry also went through a major competitive phase in Southern markets in third quarter of the financial year, thereby affecting both topline and bottom line of the Corporation.

CCI Sales as whole for F/Y 18-19 vs F/Y 17-18



The Corporation also started clinker sale from Tandur unit.

D. INDUSTRY HIGHLIGHTS AND OUTLOOK

The global cement market reached a volume of more than 5 Billion Tonnes in 2018 and is expected to grow at a CAGR of 3.5% during the next five years. However Indian Cement industry recorded a growth of 13.3% in financial Year 18-19 as compared to financial Year 17-18. The industry is expected to register growth of 7-8% during Financial year 19-20 also. India's medium term growth prospects continue to be robust.

Significant reforms undertaken in the recent years like GST and insolvency code is likely to raise cement consumption in the coming years. India is the second largest producer of cement in the world and provides employment to more than a million people directly or indirectly. With a stable government at Centre, a renewed thrust is expected in infrastructure development with focus on construction of roads, metro rail projects, airports and irrigation projects. Some of the recent major initiatives such as development of 98 smart cities and Housing for all scheme by 2022 are also likely to have favourable impact on cement consumption. In the budget of 2018-19, the Government of India announced setting up of an Affordable Housing Fund of ₹ 25, 000 crore under the National Housing Bank for easing credit to home buyers. Around 1.29 million houses have been constructed upto Dec 18 under Government of India's Pradhan Mantri Awas Vikas Yojana (Urban)

India has emerged as the fastest growing major economy in the world and is expected to be amongst the top three economic powers of the world over the next 10-15 years on the back of digitisation, globalisation, favourable demographics and reforms. India has also recorded GDP growth of approx. 7% during the last few years.

A total of 210 large cement plants account for a cumulative installed capacity of over 410 million tonnes. Out of large plants 77 are located in the states of Andhra Pradesh, Rajasthan and Tamil Nadu making Southern India as a highly competitive market.

E. MARKETING AND ITS ENVIRONMENT

Northern markets recorded decent demand throughout the year and Rajban market registered

an increase of 13% in sales over the previous year. The southern markets which are highly competitive, were first affected by production bottlenecks at Tandur unit and then the prices slumped in second half of the year due to intense competition. The prices recovered during Feb and Mar 19 with Tandur unit recording highest cement sale and despatches during the last five years.

Cement Corporation of India as a whole also clocked sale of more than a lac MT each during Feb and Mar 19', the highest during the last five years.

Cement of the eco friendly cement PPC was also promoted from Tandur unit and is expected to grow further during financial year 19-20.

F. QUALITY

➤ Quality aspects are given almost importance in all the three operating units of CCI. Regular quality monitoring and control activities from raw material stage to product stage are being done in Company's own well equipped laboratories by qualified and trained personnel. Besides, cement samples are tested for complete physical & chemical parameters in reputed govt. laboratories such as NTH, NCB etc.

- a) All the three Operating units are ISO 9001 certified. Tandur unit is SA 8000 certified.
- b) Total energy consumption and energy consumption per unit of production.

ELECTRICITY

a)	Purchased	(2018-19) (Operating Units only)	(2017-18) (Operating Units only)
i)	Units (₹ in lakhs)	965.94	1096.21
ii)	Total amount (₹ in lakhs)	5960.89	6559.90
iii)	Rate per Unit	6.17	5.98
Own Generation			
i)	Units (Kwh)	72972	108039
ii)	Total Diesel Consumption in Litre	56633.60	
iii)	Units/Litre Of Diesel Oil (Kwh/ Litre)	1.77	2.88
iv)	Cost per Unit (₹/ Kwh)	36.18	19.59

COAL

a)	Purchased	(2018-19) (Operating Units only)	(2017-18) (Operating Units only)
i)	Qty. Consumed (Tonne) Coal	148675	171765
ii)	Total Cost (₹ In Lakhs)	8591.88	9275.95
	Average rate (₹ /MT)	5778.78	5952.43

Consumption per Unit of Production

i)	Electricity (KWH/ tonne of packed Cement incl. Township)	147.14	142.22
ii)	Booked coal (kg./kg. of clinker production)	0.2458	0.2281
iii)	Coal quality(UHV) (K.Cal / kg. of coal)	4421.59	4543.47

4. CAPITAL STRUCTURE

The Corporation has not received any amount as equity from Govt. of India during the Financial year and company's share capital at the year-end stood at ₹ 811.41 (Equity shares ₹ 455.98 crores and Non-cumulative redeemable preference shares ₹ 355.43 crores).

5. REMUNERATION POLICY:-

In CCI, pay and other benefits for executives are based on the Presidential Directives issued by the Ministry of Heavy Industry and Public Enterprises, Government of India vide letter No. F.No.1(6)2009-PE.XII dated 30th April, 2009. The last pay revision effective from 01/01/2007 was done in accordance with Ministry's OM No.2(70)/08-DPE(WC)-GL-XVI/08 dated 26th November, 2008 No. 2(70)/08-DPE(WC)-GL-IV/09 dated 9th February 2009 & No. 2(70)/08-DPE(WC)-GL-IV/09 dated 2nd April, 2009. The PRP is based on the Performance / profitability of the Company as well as individual performance rating which is aligned to the organization's objectives.

6. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT & INDUSTRIAL RELATIONS:

Your Company lays greater emphasis on the human resources as employees are the most valued asset of any organization. In your company, there are 548 employees (as on April 2019) possessing a variety of skills, qualifications and competence. Your Corporation is committed to develop human resources and provide them with greater opportunities linked to their contribution to the organization's objectives. The Corporation has been making all efforts to ensure development of human

competencies and welfare of its most important and valuable asset i.e. its employees.

The Industrial Relations remained peaceful throughout the year in all the Units of the Corporation. Fruitful discussions and interactions are being conducted with the trade unions and employees at various forums which have significantly contributed towards governing redressal, resolving differences and improving industrial relations. There was no loss of mandays during the year.



CCI awarded Top 50 Organisations with Innovative HR Practices (PSUs)

7. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT:

Through Human Resource Development, your company has made efforts and given thrust towards development and optimum utilization of human resources to put up a healthy work culture and to achieve higher goal and productivity as well as to meet the challenges of the future. An integral part of CCI's employee-centered policies is its thrust on their knowledge upgradation and development. As part of Human Resource Development, your company focuses on the skill development of employees across all levels. During the year 2018-19, total 1891 mandays of in-house training was imparted to the employees to enhance their skill. Your company has also nominated employees for external training on various subjects during the year.

A cross section of employees was also nominated for several seminars and conferences in their functional areas of working at different locations.

Senior Officers of the company at all the operating units were exposed to training on various concepts.

8. EMPLOYEE WELFARE/ ENGAGEMENT INITIATIVES:

The Human Resource Department has come up with numerous initiatives for the welfare of employees, by organizing various cultural events, sports activities, health check-up camps and health talks which have been organized at units as well as Corporate Office.

During the Financial year 2018-19, CCI has also organized Foundation Day, National Voters Day, Swachhta Pakhwada, Hindi Pakhwada, Chess Competition, Women's Day, etc. The few snippets from the events are given below:



Yoga Session being conducted for all employees at CCI Corporate Office, New Delhi



Chess Tournament being organized at CCI, Corporate Office



Celebration of Hindi Pakhwada at CCI Bokajan from 10-24 September 2018



Free Health Check Up Camp organized for the welfare of CCI employees



Celebration of Hindi Pakhwada at CCI Tandur from 10-24 September 2018



Employees taking pledge on "National Voter's Day" at CCI Tandur



Swachhta Abhiyaan being observed at CCI Tandur from 15th September to 2nd October 2018



"Vigilance Awareness Week" celebrated from 29th October to 3rd November 2018 at CCI, Corporate Office, New Delhi



"International Women's Day" being organized at CCI Corporate Office, New Delhi



Bihu cultural festival being organized at CCI Bokajan



Director (Finance) graced 'Plantation Day' at CCI Rajban

9. GRIEVANCE REDRESSAL MECHANISM:

Effective internal machinery for grievances redressal has been evolved and established in Cement Corporation of India Limited for its employees.

CCI is maintaining grievance handling system very effectively and employees are given an opportunity at every stage to raise grievances relating to wage matters, working conditions leave, work assignments and welfare amenities, etc. Majority of grievances are redressed informally in view of the participative nature of environment existing in the units. The system is comprehensive, simple and flexible and has proved effective in promoting harmonious relationship between employees and management. The grievances raised on PG Portal were also disposed of in the time bound manner.

10. WELFARE OF WOMEN:

Your Company is fully committed and conscious of its social responsibility for welfare of women. Various programmes for empowerment and development, including programme on gender sensitization are organized regularly. All statutory and other benefits are being extended to the women employees working at various units/offices of the Corporation.

In order to promote the welfare of the women, the units of CCI are having Ladies Club in units where various social and recreational activities are being carried out for the women. The vocational programmes on computer literacy, mother & child health care etc. are being undertaken at these clubs. The Corporation provides infrastructural and other financial assistance from time to time to undertake such activities for welfare of women. So far as Sexual Harassment of Woman at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 is concerned, the committee established to inquire any such issues, has not received any complaint during 2018-19.

11. OFFICIAL LANGUAGE IMPLEMENTATION:

The Corporation continued its efforts for progressive use of official language in line with the Official Language Policy of the Government. The Official Language Implementation Committee meeting takes place regularly and the Corporation has also taken active part in the activities. Hindi Week / Fortnight is being celebrated to encourage and motivate the employees for more and more use of Hindi in their day-to-day official work.

12. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Your Company has always discharged its social responsibility as a part of its CSR philosophy that business and society can become partners for development. In line

with its Corporate Social Responsibility, your company has created basket of activities and taken up various initiatives. During 2018-19, an amount of ₹ 2,50,081 was incurred on CSR Activities i.e. a water pump at Shankardev Shishu Vidya Niketan and renovation of Hidipi School.

CCI could not take up the CSR Projects due to Plant maintenance & sudden shut down during this period. However, in 2019-20, CCI shall be committed to spend the amount booked for CSR activities as per the guidelines stipulated in Companies Act, 2013

13. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION, FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

The information pertaining to conservation of energy, technology absorption, Foreign exchange Earnings and outgo as required under Section 134 (3)(m) of the Companies Act, 2013 read with Rule 8(3) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 is furnished in Annexure and is attached to this report.

14. STATEMENT CONCERNING DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT POLICY OF THE COMPANY

The risk management system is an integrated and aligned system with the corporate and operational objectives. Risk management is undertaken as part of normal business practice and not as a separate task at set time.

15. DETAILS OF POLICY DEVELOPED AND IMPLEMENTED BY THE COMPANY ON ITS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES

Your Company has always discharged its social responsibility as a part of its CSR philosophy that business and society can become partners for development. In line with its Corporate Social Responsibility, your company has created basket of activities and taken up various initiatives.

16. ACTIVITIES AND ACHIEVEMENTS OF THE VIGILANCE DEPARTMENT.

- (i) During the year 2018-19, Vigilance Department has created vigilance awareness amongst its employees at all levels in the Organization and promoted the culture of honesty, efficiency and transparency in the working environment. Vigilance Awareness Week was celebrated from 29th October 2018 to 3rd November, 2018, organized by CVC with the theme 'Eradicate Corruption – Build a New India'. During the Week, Corporate Office and operating Units have organized seminars, debate, workshops, competition on essay writing/slogan

etc. Lecture was also organized on preventive vigilance and system improvement with a view to eliminate the scope of indulging in malpractices.

- (ii) Eleven (11) complaints were brought forward from previous financial year and eight (8) complaints were received during the year, out of these nineteen (19) complaints, eighteen (18) complaints were disposed off leaving balance of only one (1) complaint, which has been carried forward in the next financial year. Disposed complaints were thoroughly investigated and put to the logical end with suggestion of systematic improvement where required.
- (iii) List of officers of 'Doubtful integrity' and 'Agreed List' for the year 2019 prepared.
- (iv) E-procurement, e-auction and Integrity Pact has been implemented and IEMs have been appointed.
- (v) Timely action is taken to safeguard the interest of the Corporation in legal cases emanating from Vigilance cases.
- (vi) Annual Property Returns are being obtained from employees for the current year.
- (vii) CVC has now decided to dispense with the offline mode of submission of the Monthly/Annual Report of the CVOs pertaining to Vigilance activities. Instead of Monthly Report, these reports will be sent on Quarterly/Annual basis through online mode starting from January, 2019 to March, 2019. Quarterly Performance Report from January to March, 2019 has been sent to CVC online on 9.4.2019. Quarterly Progress Report being submitted to the CTEO, as per CVC guidelines.

17. E-PROCUREMENT / INTEGRITY PACT

The e-procurement facility has been in place in the organization. M/s. Antares System Pvt. Ltd., Bangalore is the service provider for e-procurement portal. All tenders above ₹ 1 (One) Lakh are being invited through e-tender, through their portal www.cci-etender.com (Link of portal).

A format of vendor registration is displayed on CCI Website. The vendors are registered at units as well as at Corporate Office, as and when they apply.

The integrity Pact has been implemented. The IEM has been appointed to oversee the implementation of Integrity Pact, for all tenders above ₹ 10 Lakhs. As per the policy decision, the publication of small clipping of NIT in newspapers against open tenders (except high value capital items) has been dispensed with.

18. INTERNAL FINANCIAL CONTROL

The Company has adequate internal financial controls system for ensuring orderly and efficient conduct of its business including adherence to the Company's policies, safeguarding of its assets and prevention of frauds accurate and prompt financial reporting, for compliances and improve the effectiveness of risk management towards good corporate governance The company has two types of internal audit system mainly :-

- 1) Internal Audit by Independent Chartered Accountant firms
- 2) In house audit.
 - I. Outside Internal auditors are appointed by Audit Committee duly approved by Board of Directors of the company. The reports containing significant audit findings are periodically submitted to management and Audit Committee of the company.
 - II. Based on report of Internal Auditor corrective action in respective areas are undertaken and thereby strengthen the control.

The company has adequate internal control measures in the form of various codes, manuals and procedures issued by the management covering all important activities i.e. Marketing Manual, Purchase and Works manual, Material, Stores, Accounts and Personal Manual etc. The marketing manual has been updated, however management has taken steps to up-to-date all other manuals time to time for better check and control.

19. PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS

No govt. loans, guarantees or investments are made under section 186 of the Companies Act, 2013 during the year 2018-19.

20. EXPLANATION OR COMMENTS ON QUALIFICATIONS, RESERVATIONS OR ADVERSE REMARKS OR DISCLAIMERS MADE BY THE AUDITORS AND THE PRACTICING COMPANY SECRETARY IN THEIR REPORTS:

Management's reply to the Statutory Audit Report and Secretarial Audit Report are part of Directors' Report.

21. PARTICULARS OF CONTRACTS OR ARRANGEMENTS MADE WITH RELATED PARTIES:

There was no contract or arrangements made with related parties as defined under Section 188 of the Companies Act, 2013 during the year under review.

22. COMPANY'S POLICY RELATING TO DIRECTORS APPOINTMENT, PAYMENT OF REMUNERATION AND DISCHARGE OF THEIR DUTIES:

CCI is a CPSE where policy relating to appointment, remuneration and allowances payable to Directors is determined by the Government of India.

23. ANNUAL RETURN

The extracts of Annual Return pursuant to the provisions of Section 92 read with Rule 12 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 is attached to this Report.

24. NUMBER OF BOARD MEETINGS CONDUCTED DURING THE YEAR UNDER REVIEW

The Company has conducted 5 Board Meetings during the financial year 2018-19.

25. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT

Management Discussion and Analysis Report is attached with this report and forms part of Annual Report of the Company.

26. DIRECTORS RESPONSIBILITY STATEMENT

In accordance with the provisions of Section 134(5) of the Companies Act, 2013 the Board hereby submit its responsibility Statement:—

- (a) in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;
- (b) the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;
- (c) The directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- (d) The directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and
- (e) the directors had laid down internal financial controls to be followed by the company and that such internal financial controls are adequate and

were operating effectively. Internal financial control means the policies and procedures adopted by the Company for ensuring the orderly and efficient conduct of its business including adherence to Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records and the timely preparation of reliable financial information.

- (f) The directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

27. SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES AND ASSOCIATE COMPANIES

The Company does not have any Subsidiary, Joint venture or Associate Company.

28. DEPOSITS

The Company has neither accepted nor renewed any deposits during the year 2018-19.

29. DIRECTORS

The following directors were appointed/ resigned during the year 2018-19.

- Smt. Sukriti Likhi, Joint Secretary, Department of Heavy Industry joined the Board as part time official Director (Govt. nominee) w.e.f. 15.11.2018.
- Shri B.V.N Prasad, Director (HR) was entrusted the additional charge of the post of C&MD for a period of 3 months or till appointment of a regular incumbent or until further orders, whichever is earliest w.e.f. 05.10.2018.
- Shri Manoj Misra ceased to be Chairman & Managing Director of the company w.e.f. 01.10.2018. The company places on record, its appreciation for his guidance and contribution during his association with the Company.
- Smt. Ritu Pandey ceased to be part time official Director (Govt. nominee) of the Company w.e.f. 15.11.2018. The company places on record, its appreciation for her guidance and contribution during her association with the Company.

30. DECLARATION OF INDEPENDENT DIRECTORS

Shri Mahender Gupta joined the Board as Independent Director w.e.f. 29.06.2016 and has given Declaration of Independence under Section 149 (7) of the Companies Act, 2013.

31. IMPLEMENTATION OF TALLY ERP AND LINKS TO COMPANY WEBSITE

(a) Implementation of Tally ERP:-

- All modules of Tally ERP 9 package are running smoothly in all the three operating units, Marketing Offices & Corporate Office.
- In order to improve performance of Tally package operation, process of procuring Tally Server-9 is under progress and shall be implemented soon.
- LAN & Leased Line connectivity work is under progress and shall be implemented during the current financial year.

(b) Links to Company Website:-

Annual Reports for the last 5 years are posted on Company Website i.e. <https://www.ccilttd.in>. A number of policies of the company including CSR and sustainability of CCI, Medical Benefit Scheme for existing as well as retired employees are also posted on the company website.

32. IMPLEMENTATION OF RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

Your Company has always been endeavored in implementation of Right to Information (RTI) Act, 2005 in letter and spirit. The Company has designated Public Information Officers (PIO) and Appellate Authorities and Transparency Officer under Section 5 and Section 19(1) of the RTI Act. The provisions under the Act are being complied with by all the Plants and Units of the Company.

An exclusive RTI Corner has been developed with link being available on website of the Company. Details of Authorities, PIO, First Appellate Authority & Transparency Officer have also been made available on the website of the Company.

33. FOREIGN EXCHANGE EARNING AND OUTGO:

From time to time we are receiving export enquiries from different parties. Due to locational disadvantage for our plants, which are far away from sea ports, out inland freight from plants to the nearest sea ports works out to be on higher side. Due to this reason our FOB prices do not work out competitive. Close monitoring is being done on export front, to avail the opportunity, as and when arises. However, entire production of cement is being sold in the domestic market.

34. AUDITORS:

STATUTORY AUDITORS

M/s. Kapoor Bhushan & Co., Chartered Accountant Delhi were appointed as Principal Statutory Auditors for the year 2018-19 and M/s. S.K. Tanwani & Co., M/s. Jhanwar & Co, M/s. Manilal Shah & Co., M/s. Gupta Maskara & Associates, M/s C Venkat Krishna & Co., Sharma & Rishi, M/s. N. Sambashiv & Co. and M/s DCG & Co. were appointed as Branch Auditors of Akaltara, Mandhar, Kurkunta, Bokajan, Tandur, Charkhi Dadri, Adilabad and Delhi Grinding units respectively. The report of the statutory auditors and reply thereto, and comments of the Comptroller & Auditor General of India are annexed to this report.

COST AUDITORS

M/s. K.C. Kohli & Co., Cost Accountants, were appointed as Lead Cost Auditor of the Corporation and also Cost Auditor of Rajban, M/s S Dhal & Co., Cost Accountant for Bokajan & M/s N S V Krishna Rao & Co., Cost Accountants for Tandur Unit for the year 2018-19.

SECRETARIAL AUDITORS

In terms of the provision of Section 204 of the Act read with the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, the Board has appointed M/s. Balika Sharma & Associates, Company Secretaries, New Delhi as Secretarial Auditor for conducting Secretarial Audit of your Company for the financial year ended 31st March, 2019. The report of the Secretarial Auditors is attached as Annexure. In respect of the comments made by the Secretarial Auditors in their report, your Directors have clarified as under:

“The Composition of Board of Directors/ Audit committee could not be duly constituted as per the provisions of the Companies Act, 2013 and as per DPE guidelines due to lack of required Independent Director on the Board. Request to fill the vacancies were sent to Administrative Ministry. However the Administrative Ministry has appointed one Part-time non-official director (Independent Director) on the Board of CCI w.e.f. 29.06.2016.”

35. DISCLOSURE OF COMPOSITION OF AUDIT COMMITTEE AND PROVIDING VIGIL MECHANISM

The Audit Committee consists of the following Directors:

- a. Shri Mahender Gupta (Independent Director), Chairman.
- b. Shri B.V.N. Prasad, Member.
- c. Shri A.M. Manichan, Member

The Company has Whistle Blower Policy as approved by Board of Directors. The Company has also provided adequate safeguards against victimization of employees and Directors who express their concerns. The Company has also provided direct access to the Chairperson of the Audit Committee, who are competent authority under the Whistle Blower Policy of the company on reporting issues concerning the interests of employees and the Company. The Whistle Blower Policy is hosted on the official website of the Company www.ccilttd.in

36. ACKNOWLEDGEMENTS

Board acknowledges the support and guidance your Corporation received from Department of Heavy Industry,

Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises, Govt. of India and also the support and cooperation of the Ministry of Railways, DGS&D, PESB, , BIFR, Financial Institutions, Bankers and other Central and State Government Departments. We extend our gratitude to our esteemed customers both in Govt. and private sector for their continued overwhelming support to the products of CCI.

The Directors are thankful to M/s Kapoor Bhushan & Co., Chartered Accountants, Comptroller & Auditor General of India and Principal Director of Commercial Audit and Ex-officio Member, Audit Board-II. The Directors wish to place on record their deep appreciation for the dedication of employees of the Corporation.

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

**Sd/-
(S. Sakthimani)
Director (Finance/CFO)**

**Sd/-
(B.V.N Prasad)
DIRECTOR (HR)**

**Date : 3rd December 2019
Place : New Delhi**

CSR ACTIVITIES

1. A brief outline of the company's CSR policy, including overview of projects or programs proposed to be undertaken and a reference to the web-link to the CSR policy:

CCI's CSR & Sustainability Policy is envisaged as **"A commitment to meet its social obligations by playing an active role to improve the quality of life of the communities and stakeholders on a sustainable basis, preferably in the project areas where it is operating"**.

CCI integrates and aligns its CSR & Sustainability policies and activities with its goals, plans and strategies keeping in view the suggested activities as per schedule VII of the Companies Act, 2013 and Guidelines issued by Department of Public Enterprises, Government of India. The CSR & Sustainability activities will be imbibed by the employees at all levels and it should permeate into all activities, processes, operations and transactions of CCI.

Web-link address to the CSR Policy is: <http://ccilttd.in/page.php?id=194>

2. The Composition of the CSR Committee.

The Corporate Social Responsibility Committee at the Board level consists of the following Directors:

- Shri Mahender Gupta, Independent Director, Chairman
- Shri A. M. Manichan, Director (Govt. Nominee), Member
- Shri B.V.N. Prasad, Director (HR), Member

3. Average net profits of the company for the last three financial years: ₹ 3794 Lakhs

4. Prescribed CSR expenditure (2% of the amount as in item 3 above): ₹ 75.89 Lakhs

5. Details of CSR spent during the financial year:

- Total amount spent for the financial year: ₹ 2,50,081
- Amount unspent, if any: ₹ 73.39 Lakhs
- Manner in which the amount spent during the financial year is detailed below:

(₹ in Lakh)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
S. No	CSR project or activity identified	Projects or programs (1) Local area or other	Amount outlay (budget) project	Amount spent	Cumulative expenditure upto the reporting period	Amount spent: Direct or through implementing agency
1.	Drinking Water	Water pump	-	16,220	16220	Direct
2.	Infrastructure	Renovation of Hidipi School	-	2,33,861	2,33,861	Direct
	Total			2,50,081	2,50,081	

(S. Sakthimani)
Director (Finance/CFO)

(B.V.N Prasad)
Director (HR)

Particulars are required under Companies (Disclosure of particulars in the report of the Board of Directors) Rules 1988.

1. Resource Efficiency

- Power and Coal Consumption:- In order to have resource optimization, technology up-gradation / energy conservation measures are under various stages of for implementation. Installation of multichannel burner at Tandur unit has been completed. Installation of 5 nos. energy efficiency fans has also been completed. Insulation of various ducts, duct replacement, immersion tube replacement/ installation etc. have also been done. Installation of dynamic separator, low pressure drop cyclone, fly-ash handling system etc. has also been taken up for implementation.
- Technical experts have visited all 3 plants & identified steps that can be taken up for energy conservation, resource optimization and higher capacity utilization.

2. Environment improvement

- Installation of Reverse Air Bag House (RABH) has been planned in units to minimize the dust losses and as a step towards resource conservation. Besides major up-gradation is planned in ESP at Bokajan to be done by M/s. Andrew Yule.
- Installation of Sewage Treatment plant (STP) has been completed in Tandur and Rajban unit township. Action for installation of STP at Bokajan township in process
- Besides the above, the following actions have been completed / taken-up for general plant efficiency improvement.
 - i) In Bokajan, the laying of railway siding inside the plant has been completed for enabling easy movement and minimize losses in transportation and handling of coal and other raw materials.
 - ii) Railway siding up-gradation work is in advance stage of completion in Tandur unit.
 - iii) Multi-axle truck loading has been done in Rajban unit.
 - iv) Installation of truck loaders is also being planned.
 - v) Replacements of Mechanical packers by Electronic packers have been taken up in all the three units.

- vi) Truck tipplars are being installed at Tandur & Rajban unit.

3. Usage of Secondary Raw Materials and Recycling:-

- i) Fly-ash which is waste material from thermal power plants is being utilized for manufacture of Portland Pozzolana Cement (PPC). Besides mill scale, iron dust etc. are used as additives in raw mix.
- ii) The waste from STP is being recycled for gardening etc. in Plant & Township.

4. Conservation of Energy

ENERGY CONSERVATION STEPS TAKEN IN THE YEAR 2018-19

a) **BOKAJAN:-**

- High Wattage Luminaries have been replaced with LED bulbs.
- Total savings is 90.5 KWH/day.

b) **RAJBAN:-**

- Replacement of Existing fitting with LED fitting and Electronic choke and regulators.
- Replacement of standard efficiency motor Pump with energy efficient motors.
- Procurement of Solar Street fitting for plant and township to be initiated.
- Replacement / Installation of LT & HT Capacitor Banks at motor Terminals and at 11kv & 415 Volt Bus.

c) **TANDUR:-**

- New LED light fitting have been installed in place of Non-conventional lights.
- Replacement completed till date is 54.07% (i.e. 1295 fittings installed in place of non-conventional fittings out of 2395).
- Replaced 300 nos. 50 watt Energy Efficient ceiling fan in place of 70-90 watts non-conventional ceiling fans.
- P.O. Placed for VVFD drives & motors (energy efficient motors) for cooler section & will be replaced immediately on the receipt of material.

- Replaced MFC blower with lower HP motor. Difference in KW – 25.

5. TECHNOLOGY ABSORPTION

- a. **Rajban:** Power Purchase agreement for installation of 500KW roof top solar power Plant has been signed with M/s Rajasthan Electronics & Instruments Ltd. (REIL).

b. Tander:

- Installation of Energy efficient Fans 5 Nos completed. 2 Nos. being planned in next shutdown.
- Multi-Channel Burner has been Installed & Commissioned in August' 2018, PG test has been taken successfully.

TOTAL ENERGY CONSUMPTION AND ENERGY CONSUMPTION PER UNIT OF PRODUCTION (FORM-A)

FOR THE REPORT OF BOARD OF DIRECTORS FOR THE YEAR 2018-2019

Particulars	BOKAJAN	RAJBAN	TANDUR WHOLE	CCI AS A
1) ELECTRICITY				
a) PURCHASED				
I) UNITS (KWH)	18180045.00	17222000.00	61192000.00	96594045.00
II) TOTAL AMOUNT (₹ in lakh)	1386.93	1179.36	3394.60	5960.89
III) RATE PER UNIT (₹/kwh)	7.62	6.89	5.54	6.17
b) OWN GENERATION				
I) THROUGH DIESEL GENERATION UNITS (KWH)	55796.00	17176.00	0.00	72972
II) TOTAL DIESEL CONSUMPTION IN LITRE	30208.99	11122.00	0.00	41330.99
III) UNITS/LITRE OF DIESEL OIL (KWH/ LITRE)	1.85	1.54	0.00	1.77
IV) COST PER UNIT ₹/KWH	34.76	40.80	0.00	36.18
2) COAL				
QTY Consumed (MT)	21631.00	25052.00	101992.00	148675
TOTAL COST (₹ in lakh)	1268.71	1922.43	5400.74	8591.88
AVERAGE RATE (₹/MT)	5865.20	7673.75	5295.00	5778.78
3) CONSUMPTION PER UNIT OF PRODUCTION				
I) ELECTRICITY (KWH/MT of packed cement incl. Township)	211.46	119.93	143.54	147.14
II) Booked Coal (% of clinker Production)	25.45	25.00	24.30	24.58
III) Coal quality & (UHV) k.cal/kg of coal	5358.00	4389.00	4231.00	4421.59

Production figures in 2018 -2019

	Clinker	Cement
BKO	84985	83570
RJO	99100	143750
TDO	419805	407002
TOTAL	603890	634322

ADDENDUM TO DIRECTORS’ REPORT PURSUANT TO PROVISION OF THE COMPANIES ACT, 2013

Management’s replies to the observations stipulated in the Revised Auditor Report dated 18-09-2019 are given here under :

S.No	Basis For Qualifications	Management Reply
a.	Execution of title and lease deeds of land of certain units in favour of company continues to be pending and land details are subject to reconciliation. Further, DDA sue moto transferred the land measuring 14.20 acres to SDMC on dated 11-04-2017 cost of land transferred to claim recoverable from outside party. Physical possession of land measuring land 6.74 acres allotted for railway siding which is still with the company. [Refer Point No.03 of Note-34].	The position has been adequately explained in the relevant point no.03 in Note No. 34, which is a forming part of the Annual Accounts.
b.	Non Determination and consequent non-provision of the liability arising out of alienation order is still awaited from revenue department in respect of government land outside CCI’s Adilabad Township and used as road from pump house to national highway. [Refer Point No.05 of Note 34].	The position has been adequately explained in the relevant point no. 05 in Note No. 34, which is a forming part of the Annual Accounts.
c.	The effect of inconsistencies pointed out in the special audit report in relation to Yerraguntla unit sold in 1998, has not been considered due to pending reconciliation [Refer Point No. 12 of Note 34]	The position has been adequately explained in the relevant point no. 12 in Note No. 34, which is a forming part of the Annual Accounts.
d.	The balance of certain Trade Receivable, Loans and advances, Trade Payables, Deposits to and from parties and Other Liabilities are subject to confirmation and reconciliation. The financial impact, if any arising out of non-reconciliation is unascertainable. [Refer Point No.21 of Note 34].	The position has been adequately explained in the relevant point no. 21 in Note No. 34, which is a forming part of the Annual Accounts.
e.	The company has seven production units and a grinding unit at Delhi, where operations were discontinued between the years 1996 to 1999 and a grinding unit at Bhatinda (Punjab) which did not commence production, in respect of which attention is drawn to point No.11 of Note 34. As per view of the Management, no provision for impairment of assets, under AS-28 issued by the Institute of Chartered Accountants of India, is required because market value expected is normally more than the book value of the Assets	The position regarding impairment of Assets of Non-operating units has been adequately explained in point no. 11 of Note 34 of the Annual Accounts.
f.	The company had issued 3554325 Non-cumulative Redeemable Preference Shares of Rs.1000/- each for a value of Rs.355.43 crores to Govt. of India on 22nd March 2007 for 7 (seven) years. As per terms of issue, above preference shares were to be redeemed before 22nd March 2014, which is not in consonance with the terms of the issue. Management informed that further action for re-issue of preference share has been sought from Ministry as per Cabinet / BIFR direction. [Refer Point No.13 of Note 34].	The matter regarding re-issue of preference shares has been taken with DHI, which has also been adequately explained in point no. 13 of Note-34 of Annual Accounts

FORM NO. MGT-9 EXTRACT OF ANNUAL RETURN

As on the financial year ended on 31 March, 2019

[Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

1. REGISTRATION AND OTHER DETAILS :

- i) **CIN:-** U74899DL1965GOI004322
- ii) **Registration Date:-** 18/01/1965
- iii) **Name of the Company:-** CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED
- iv) **Category/ Sub-Category of the Company:-** MANUFACTURING SECTOR
- v) **Address of the Registered office and contacts details:-**
CORE-5, SCOPE COMPLEX, 7 LODHI ROAD NEW DELHI-110003
- vi) **Whether listed company Yes / No:-** No
- vii) **Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, If any:-** N.A.

2. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be stated:-

Sl . No.	Name and Description of the main products/ services	NIC Code of the Product/ services	% to total turnover of the company
1	Cement	2394	100%
2	Clinker	2394	

3. PARTICULARS OF HOLDING , SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES

S. NO	NAME AND ADDRESS OF THE COMPANY	CIN/GLN	HOLDING / SUBSIDIARY/ ASSOCIATE	% OF SHARES HELD	APPLICABLE SECTION
	NIL				

4. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

- i) Category – wise Share Holding

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
A) Promoters									
(1) Indian	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(a) Individual/ HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% Change during the year
(b) Central Govt Equity Shares Preference Shares	-	45,59,749	45,59,749	100%	-	45,59,749	45,59,749	100%	NIL
	-	35,54,325	35,54,325	100%	-	35,54,325	35,54,325	100%	
(c) State Govt.	0	0	0	0	0	0	0	0	
(d) Bodies Corp.	0	0	0	0	0	0	0	0	
(e) Banks/FI	0	0	0	0	0	0	0	0	
(f) Any Other	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sub- total(A) (1):-	0	81,14,074	81,14,074	100%		81,14,074	81,14,074	100%	
(2) Foreign									
a) NRIs- Individuals	0	0	0	0	0	0	0	0	
c) Bodies Corp.	0	0	0	0	0	0	0	0	
d) Bank/FI	0	0	0	0					
e) Any other....	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sub- total (A) (2):-	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total shareholding of Promoter (A)=(A)(1)+ (A)(2)	0		0	0	0	0	0	0	
A. Public share holding									
1.Institutions									
a) Mutual Funds	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Banks/FI	0	0	0	0	0	0	0	0	
c) Central Govt. /State	0	0	0	0	0	0	0	0	
d) Venture Capital Funds	0	0	0	0	0	0	0	0	
e) Insurance Companies	0	0	0	0	0	0	0	0	
f) FIs	0	0	0	0	0	0	0	0	
g) Foreign Venture Capital Funds	0	0	0	0	0	0	0	0	
h) Others (specify)	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stressed Asset	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sub-total (B) (1):-	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Non-Institutions									

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% Change during the year
a) Bodies Corp. (Indian & Overseas)	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Individuals									
(i) Individual Shareholders holding nominal share capital upto ₹ 1 lakh	0	0	0	0	0	0	0	0	
ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess of ₹ 1 lakh	0	0	0	0	0	0	0	0	
c) others (Specify)									
Trusts	0	0	0	0	0	0	0	0	
NRI & Foreign Corporate Bodies	0	0	0	0	0	0	0	0	
c-ii) Clearing Members	0	0	0	0	0	0	0	0	
HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sub-total (B) (2):-	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total Public Shareholding (B)=(B)(1)+(B)(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Shares held by Custodian for GDR&ADRs	0	0	0	0	0	0	0	0	
Grand Total (A+B+C)	0	81,14,074	81,14,074	100%	81,14,074	81,14,074	100%	100%	NIL

(ii) Shareholding of Promoters

Sl No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Shareholding at the end of the year			Change
		No. of shares	% of total shares of the company	% of Shares Pledged/ encumbered to total shares	No. of shares	% of total shares of the company	% of Pledged/ encumbered to total shares	
1.	Central Govt.	81,14,074	100%	-	81,14,074	100%	-	NIL
	Total	81,14,074	100%	-	81,14,074	100%	-	NIL

(iii) Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)

Sl. No.		Shareholding at the Beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. Of Shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	At the beginning of the year	NO CHANGE			
	Date wise Increase/ Decrease in Promoters Shareholding during the year specifying the reason for increase/ decrease (e.g. allotment/ transfer/ bonus/ sweat equity etc):				
	At the end of the year				

(iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	For Each of the Top 10 Shareholders	NIL			
	At the beginning of the year				
	Date wise Increase/ Decrease in Shareholding during the year specifying the reasons for increase /decrease (e.g. allotment/ transfer/ bonus/ sweat equity etc):				
	At the End of the year (or on the date of separation, if separated during the year)				

(v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

Sl No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	For Each of the Directors and KMP	NIL			
	At the beginning of the year				
	Date wise Increase/Decrease in Shareholding during the year specifying the reasons for increase /decrease (e.g. allotment /transfer/ bonus/sweat equity etc):				
	At the End of the year				

5. INDEBTNESS

Indebtness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment

(₹ in Lakhs)

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtness
Indebtness at the beginning of the financial				
i) Principal Amount	—	15090.06	—	15090.06
ii) Interest due but not paid	—	12385.26	—	12385.26
iii) Interest accrued but not due	—	Nil	—	Nil
Total (i+ii+iii)		27475.33		27475.33
Change in Indebtness during the financial year				
- Addition				
- Reduction	—	Nil	—	Nil
Net Change	—	Nil	—	Nil
Indebtness at the end of the financial year				
i) Principal Amount	—	15090.06	—	15090.06
ii) Interest due but not paid	—	12385.26	—	12385.26
iii) Interest accrued but not due	—	Nil	—	Nil
Total (i+ii+iii)		27475.33		27475.33

6. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. Remuneration to Managing Director, Whole – time Directors and/or Manager:

(₹ in Lakhs)

SI No.	Particulars of Remuneration	NAME OF MD/WTD/Manager		Total Amount
		Sh. B.V.N. Prasad	Sh. S. Sakthimani	
1.	Gross salary			
	(a) Salary as per provisions contained in section 17 (1) of the Income tax Act, 1961	28.66	25.54	54.20
	(b) Value of perquisites u/s 17 (2) Income –tax Act, 1961	—	—	—
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961	—	—	—
2.	Stock Option	NIL	NIL	NIL
3.	Sweat Equity	NIL	NIL	NIL
4.	Commission			
	- As % of profit	NIL	NIL	NIL
	- Others, specify....			
5.	Others , please specify			
	(i) Contribution to PF	2.60	2.32	4.92
	(ii) Medical Reimbursement	0.06	0.09	0.15
	Total (A)	31.32	27.95	59.27
	Ceiling as per the Act			

B. Remuneration to other directors:

(₹ in Lakhs)

SI No.	Particulars of Remuneration	Name of Directors			Total Amount
		Shri Mahender Gupta (w.e.f. 29.06.16)	—	—	
	3. Independent Directors				
	● Fee for attending board committee meetings	0.78			0.78
	● Commission				
	● Others, please specify				
	Total (1)	0.78	-	-	0.78
	4. Other Non-Executive Directors(BIFR Nominee)				
	● Fee for attending board committee meetings				
	● Commission				
	● Others, please specify				
	Total (2)	0.00	-	-	0.00
	Total (b)=(1+2)	0.78			0.78
	Total Managerial Remuneration				
	Overall Ceiling as per the Act				

C. REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD/MANAGER/WTD

(₹ in Lakhs)

S.N.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel	
		COMPANY SECRETARY Sh. Ajay Kumar Sharma	Dir(Fin.) /CFO Sh. S. Sakthimani
1.	Gross salary		
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	13.67	25.54
	(b) Value of perquisites u/s 17 (2) Income-tax Act, 1961		
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961		
2.	Stock Option	-	-
3.	Sweat Equity	-	-
4.	Commission		
	- As % of profit		
	- Others, specify	-	-
5.	Others, please specify		
	(i) Contribution to PF	1.29	2.32
	(ii) Medical Reimbursement	0.12	0.09
	Total	15.08	27.95

7. PENALTIES / PUNISHMENT / COMPOUNDING OF OFFENCES:

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty/Punishment /Compounding fees imposed	Authority (RD/ NCLT/COURT)	Appeal made, if any (give details)
A. COMPANY					
Penalty					
Compounding					
B. DIRECTORS					
Penalty					
Punishment					
Compounding					
C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
Penalty					
Compounding					

Nil



Balika Sharma And Associates Company Secretaries



Address : Flat No. 211 pocket A / 3,
Sector-7, Rohini, New Delhi,
Pin Code -110085
Mobile : 9811387946
E-mail Id: balikasharma@gmail.com

Form No. MR-3 SECRETARIAL AUDIT REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH, 2019

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No.9
of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014]

To,
The Members of,
Cement Corporation of India Limited
Reg. Off: Core -5, Scope Complex 7- Lodhi Road
New Delhi-110003
CIN: U74899DL1965GOI004322

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Cement Corporation of India Limited, (hereinafter called "the Company")**. Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Company's books, papers, minute books, e-Forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit. We hereby report that in our opinion, the company has, during the audit period covering the financial year commencing **from 1st April, 2018 and ended on 31st March, 2019** complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, e-forms and returns filed and other records maintained by **Cement Corporation of India Limited** ("the Company") for the financial year ended on 31st March, 2019 according to the provisions of:

- 1) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made there under;
- 2) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made there under;
- 3) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed there under;
- 4) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made there under to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;
- 5) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-
 - a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
 - b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992;
 - c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009;
 - d) The Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999;
 - e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;

*Address : Flat No. 211 pocket A / 3,
Sector-7, Rohini, New Delhi,
Pin Code -110085
Mobile : 9811387946
E-mail Id: balikasharma@gmail.com*

- f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client;
- g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009; and
- h) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998;
- 6) Being an Unlisted Government Company, the above mentioned acts given in para 2, 3, 4 and 5 are not applicable to the Company.
- 7) We have relied on the representation made by the Company and its Officers for systems and mechanism formed by the Company for compliances under other applicable Acts, Laws and Regulations to the Company.
- We have examined compliances of the provisions of para (i) as they had been notified by Central Government with effect from 01st July, 2015 but we have not examined compliances of the provisions of para (ii) as these are not applicable to the Company (being Unlisted Government Company).
- i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India.
- ii) The Listing Agreements entered into by the Company with Stock Exchange(s), if applicable;

We further report that

During the year under review, the Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors and Non-Executive Directors; except Independent Directors.

The Company has only one Independent Director. However, the Company has already requested the Administrative Ministry to appoint requisite number of Independent Directors on the Board of Company and the confirmation on same is awaited.

The Company has 4 charges which are shown on MCA portal. However, the outstanding dues were paid to the Banks/Institutions on One Time Settlement (OTS) basis as per the Rehabilitation Scheme sanctioned by Board for Industrial & Financial Reconstruction (BIFR). Same needs to be reconciled with the Banks/ Institutions.

Adequate notice is given to all Directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

We further report that there are adequate systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines as stated above.

We further report that during the audit period, no specific events / actions took place having a major bearing on the Company's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards, etc.

Sd/-
Balika Sharma & Associates
Company Secretaries
FCS No: 4816
C.P.No : 3222

Place: New Delhi
Date: 15.07.2019



Balika Sharma And Associates
Company Secretaries



Address : Flat No. 211 pocket A / 3,
Sector-7, Rohini, New Delhi,
Pin Code -110085
Mobile : 9811387946
E-mail Id: balikasharma@gmail.com

This report is to be read with our letter of even date which is annexed as Annexure I and forms an integral part of this report.

ANNEXURE I

To,
The Members of,
Cement Corporation of India Limited
Reg. Off: Core -5, Scope Complex 7- Lodhi Road,
New Delhi-110003
CIN: U74899DL1965GOI004322

Our report of even date is to be read along with this letter:

1. Maintenance of Secretarial record is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.

2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial Records. The verification was done on the random test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.

3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Company.

4. Wherever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations & happening of events etc.

5. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedure on random test basis.

6. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Company not the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

Place: New Delhi
Date: 15.07.2019

Sd/-
Balika Sharma & Associates
Company Secretaries
FCS No: 4816
C.P.No : 3222

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1. Company's philosophy on Code of Governance:

The philosophy of the Company in relation to Corporate Governance is that Cement Corporation of India Ltd (CCI) believes in financial prudence, customers' satisfaction, transparency, accountability and commitment to stakeholders. CCI practices based on its stated belief and the guidelines that Government of India issues from time to time should go a long way to enhance the value for all stakeholders i.e. shareholders, customers, suppliers, creditors, Government of India, State Governments, Government Agencies/Departments and the society at large.

2. Board of Directors:

i. Constitution of the Board:

Cement Corporation of India Limited is a Government company within the meaning of section 2(45) of the Companies Act, 2013. As per the Articles of Association of the company, the power to appoint directors rests with the President of India. The strength of the Board shall not be less than 3 Directors and not more than 12. The number of independent directors shall not be less than one third of the actual strength of the Board.

ii. Composition of Board:

As on 31st March 2019, the Board of CCI comprised of five (5) Directors out of which two are functional directors, two Part-time official Directors, who are nominees of the Administrative Ministry, Government of India and one Independent Director.

The name and categories of Directors, their attendance in Board Meeting held during the year and at the last Annual General Meeting as well as the number of Directorship and Committee (Audit Committee) positions are given in Table 1.

Sl. No.	Name of Directors	Board Meeting held during the tenure of Directors	No. of Board Meeting Attended	Attendance in AGM (held on 26.09.2018)	No. of Directorship held as on 31.03.2019 (Including CCI)	No. of Committee membership held in other companies as on 31.03.2019
Functional Directors:						
1.	Shri B. V. N. Prasad, Director (Human Resources) & Additional Charge of C&MD w.e.f 05.10.2018.	5	5	Yes	1	NIL
2.	Shri S. Sakthimani Director (Finance)	5	5	Yes	2	NIL
Government Nominee Directors:						
3.	Smt. Sukriti Likhi (w.e.f 15.11.2018)	1	1	N/A	4	NIL
4.	Shri A. M. Manichan	5	5	Yes	4	NIL
Independent Director						
5.	Shri. Mahender Gupta (w.e.f 29.06.2016)	5	4	Yes	1	NIL

The company held five Board Meetings i.e. on 24.04.2018, 31.07.2018, 26.09.2018 12.11.2018, and 31.01.2019 during the year under report and time gap between two Board Meetings was not more than one hundred and twenty days as per the provisions of Companies Act, 2013.

iii. Scheduling and selection of agenda items for Board/Committee meetings:

- The meetings are convened by giving appropriate notice after obtaining the approval of the Chairman of the Board/Committee. Detailed agenda notes, management reports, and other explanatory statements are circulated in advance among the members to facilitate meaningful, informed, and focused decisions during the meeting. When urgent issues need to be addressed, meetings are called at shorter notice or resolutions are passed by circulation in due compliance with applicable provisions whether enunciated in the Act or its Articles.
- Wherever it is not practical to attach any document to the agenda notes due to its confidential nature, or in special and exceptional circumstances, additional or supplemental items, such papers are placed on the table in the meeting.
- The agenda papers are circulated after obtaining the approval of the Functional Director/Chairman & Managing Director.
- Presentations are made in the Board/Committees meetings on matters related to Finance, Operations, Human Resources, etc. to enable members to take informed decisions, as and when necessary.
- The members of the Board have complete access to all information of the Company. The Board is also free to recommend any issue that it may consider important for inclusion in the agenda. Senior management officials are called to provide additional inputs to the items being discussed by the Board, as and when necessary.

iv. Recording of minutes of the Board/Committee meetings:

Minutes of the proceedings of each Board/Committee meeting are duly recorded in the Minutes Book. The minutes of each Board meeting are circulated among Board members in the next Board meeting for their confirmation. The minutes of Sub-Committee of the Board are also placed before the Board for its information.

v. Follow-up mechanism:

An action-taken report on the important decisions of the Board/Committee members is presented in subsequent meetings. This acts as an effective follow-up, review and report process.

vi. Compliance:

It is our endeavor to ensure that all applicable provisions of law, rules, and guidelines are adhered to while preparing the agenda notes. The Company ensures compliance of all the applicable provisions of the Companies Act and various other statutory requirements under different laws. The requisite information is regularly provided to the Board as detailed below:-

- Memorandum of Understanding (MOU), Award of large contracts.
- Minutes of the meetings of the Audit Committee and other Committees of the Board.
- Show cause, demand, prosecution notices, and penalty notices, if any, which are materially important.
- Fatal or serious accidents, dangerous occurrences.
- Major investments, formation of subsidiaries, joint ventures, and strategic Alliances.
- Disclosure of interest by Directors about directorships and committee positions occupied by them in other companies/firms, etc.
- Other items in accordance with the law and DPE Guidelines.
- Quarterly Compliance certificate of statutory provisions.
- Other matters desired by the Board from time to time.

vii. Non-Executive Directors' compensation and disclosures:

The Company did not pay sitting fee to Government Nominee Directors. However, the Independent Directors were paid sitting fees at the rate of ₹ 6000/- (Rs. Six thousand only) per meeting and out of pocket expenses for attending the meeting of Board of Directors and Committees thereof during the financial year 2018-19.

viii. Directorship and Membership in Committee of Board of Directors of other Companies held

Sl. No.	Name of Directors	Category	Directorship in other companies / Disclosures (2018-19)
Functional Directors:			
1.	Shri B. V. N. Prasad, Director (Human Resources) & Additional Charge of C&MD w.e.f 05.10.2018.	Functional Director	NIL
2.	Shri S. Sakthimani Director (Finance)	Functional Director	1. Scooters India Limited
Government Nominee Directors			
3.	Smt. Sukriti Likhi (w.e.f 15.11.2018)	Govt. Nominee Director	1. NEPALTD 2. ENGINEERING PROJECTS (INDIA) LIMITED 3. TUMAKURU MACHIHNE TOOL PARK
4.	Shri A.M. Manichan	Govt. Nominee Director	1. Instrumentation Limited 2. Hindustan Cables Ltd 3. Bhel Electrical Machines Limited
Independent Director			
5.	Shri. Mahender Gupta (w.e.f. 29.06.2016)	Independent Director	M/s Continental Hygiene Concepts (Partner)

ix. Training of Board Members

CCI takes initiatives to train its Board members about CCI's profile, business, etc. All the relevant issues and significant developments related to the working of CCI are imparted to part-time Directors on the Board of CCI {(official) and (non-official)}, as the case may be} by the management of CCI from time to time.

x. Code of Conduct

The company is committed to conduct its business in accordance with the highest standards of business ethics and comply with all applicable laws, rules and regulations. It is confirmed that the Board members and Sr. Management Personnel have affirmed compliance with Code of Conduct during the year 2018-19.

xi. Policies for Risk Assessment & Minimization

The risk management system is an integrated part and aligned with the corporate and operational objectives. Risk management is undertaken as part of normal business practice and not as a separate task at set time.

3. Audit Committee

The Company is having an Audit Committee consisting of the following Directors:-

- 1) Shri. Mahender Gupta (Independent Director) as Chairman
- 2) Shri B.V.N. Prasad, Director (HR) as Member
- 3) Shri A.M. Manichan (Govt. Nominee) as Member

The Audit Committee has the powers, role and terms of reference in accordance with the Companies Act, 2013 and the Guidelines on Corporate Governance as issued by Department of Public Enterprises.

During the year 2018-19, five Audit Committee Meetings were held on 30.07.2018, 16.08.2018, 26.09.2018, 12.11.2018 and 16.01.2019 attended by following members:-

Name	No. of meetings held during the tenure of the Directors	Meetings attended
1. Shri. Mahender Gupta	5	5
2. Shri B.V.N. Prasad	5	5
3. Shri A.M. Manichan	5	5

4. Remuneration Committee

Being a Government Company, Remuneration and allowances payable to Directors is determined by the Government and as per the terms and conditions of their appointment / contract. However, Department of Public Enterprises has directed that each CPSE shall constitute a Remuneration Committee headed by a Part-time Non-official Director which will decide the Annual Bonus/Variable pay policy for its distribution across the Employees.

The Remuneration Committee of the company consists of the following Directors:-

- 1) Shri Mahender Gupta (Independent Director) as Chairman
- 2) Shri B. V. N. Prasad, Director (HR) as Member
- 3) Shri A.M. Manichan (Govt. Nominee Director) as Member

Detail of Remuneration paid to Directors/ KMP:

Details of remuneration paid to Directors/KMP of the Company for the year 2018-19 are given below:-

(₹ In lakhs)

Sl. No.	Name	Salary including DA & HRA	Other Benefits	Performance incentives	Value of Perquisites	Medical Reimbursement	Contribution to PF & Other Funds	Total
1.	Shri B.V.N. Prasad, Director (HR), CMD (AC)	24.46	4.20	0.00	0.00	0.06	2.60	31.32
2.	Shri S. Sakthimani, Director(Finance.)	21.80	3.74	0.00	0.00	0.09	2.32	27.94
3.	Shri Ajay Kumar Sharma, Co. Secretary	10.76	2.91	0.00	0.00	0.12	1.29	15.08
	Total	57.02	10.85	0.00	0.00	0.27	6.21	74.35

5. Corporate Social Responsibility (CSR) Committee

As per the provisions of Section 135 of the Companies Act, 2013, the Company is required to have an Corporate Social Responsibility Committee. The Company is having only one Independent Director. Accordingly, CSR Committee consisting of the following Directors have been constituted:-

- a) Shri Mahender Gupta, Chairman (Independent Director)
- b) Shri A. M. Manichan, Director (Govt. Nominee)
- c) Shri B.V.N. Prasad, Director (HR)

6. Stakeholders Relationship Committee

Cement Corporation of India Limited is an Unlisted Government Company and the entire share capital is held by Hon'ble President of India and his nominees. Hence, no such committee is required to be constituted.

7. Meeting of Independent Directors

Since there is only one independent director on the board of the Company, the meeting of Independent Directors could not be held.

8. Subsidiary Companies

The Company has no Subsidiary Company.

9. Annual General Meeting

Details of Annual General Meetings for the last three years are given hereunder:-

AGM	52 nd AGM	53 rd AGM	54 th AGM
Date & Time	27 th September, 2016 at 12.15 PM	20 th September, 2017 at 3.00 PM	26 th September, 2018 at 12.30 PM
Location	Scope Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003	Scope Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003	Scope Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003
Special Resolution (s) passed	No	No	No

10. Disclosures

I. Related Party Transactions:

The Company has not entered into any significant related party transactions with the Directors or their relatives (Disclosure made by directors individually pursuant to Section 188 of the Companies Act, 2013) having potential interest with the Company at large.

II. Compliance of Laws:

The Company has taken steps to comply with the guidelines on Corporate Governance issued by Department of Public Enterprises (DPE) in May 2010.

The Company has not been imposed penalty by any statutory authority owing to non-compliance under laws, during the last three years.

There are no personal expenses incurred for the Board of Directors except which are as per terms of appointment as contractual obligations.

III. Accounting Treatment:

The company followed the accounting standards as prescribed by the Institute of Chartered Accountants of India subject to the comments & observations as given by the Statutory Auditors in its Report for the financial Statement prepared for the financial year ended as on 31st March, 2019.

IV. President Directives:

The company has not received any Presidential directives during the financial year 2018-19 and last three years.

11. Vigilance

CCI, being a PSU, the records of the Company are open to Audit by Comptroller and Auditor General of India and open to inspection by Vigilance, CCI has a Vigilance Department, headed by CVO.

12. Means of communication

Annual financial performance is posted on the Company's website. www.ccilttd.in The Company also hosts official news on significant corporate decisions and activities on the website of CCI from time to time.

13. Whistle Blower Policy:

The company has established a mechanism for employees to report concern about unethical behavior, actual or suspected fraud or violation of policy. The employees have direct access to the CMD & Chairperson, Audit Committee who are the competent Authority under the Whistle Blower Policy of the company. The whistle Blower Policy is hosted on the official website of the Company www.ccilttd.in

14. Compliance Certificate:

Certificate from M/s Amit Agrawal & Associates Company Secretaries confirming the compliance subject to their remarks and observation thereon with the Conditions of Corporate Governance as stipulated under the guidelines issued by Department of Public Enterprises forms part of the Annual Report for the financial year 2018-19 which is **Annexed** herewith.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
(S. Sakthimani)
Director (Finance/CFO)

Sd/-
(B.V.N Prasad)
DIRECTOR (HR)

Date : 3rd December 2019
Place : New Delhi



CS

Amit Agrawal & Associates Company Secretaries

Office : H-63, Vijay Chowk, Laxmi Nagar, Delhi-110092, INDIA
Ph. : +91 - 11 - 22024525, 43019279, Mob. : + 91 - 9811272307
E-mail : amitagcs@gmail.com, amit2kas@yahoo.com

COMPLIANCE CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To
The Members of
Cement Corporation of India Limited,
New Delhi - 110003

1. We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by **Cement Corporation of India Limited**, having its registered office at Core -5, Scope Complex, 7 Lodhi Road, New Delhi-110003, for the financial year ended on 31.03.2019, as stipulated in guidelines issued by the Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises, Govt of India, May, 2010 (as amended from time to time).
conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned DPE guidelines except the following :
 - a. *There was one Independent Director on the Board of Company during the financial year 2018-19.*
 - b. *As per the DPE guidelines, the Audit Committee shall have minimum three Directors as members and Two-thirds of the members of audit committee shall be Independent Directors. But the company has only one Independent Director. Hence, composition of the audit committee is not as per DPE guidelines.*
2. The compliance of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to the procedures and implementations thereof, adopted by the company for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statement of the company.
3. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the company has complied with the
4. We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the company nor the efficiency or the effectiveness with which the management has conducted the affairs of the company.

For Amit Agrawal & Associates
(Company Secretaries)

Sd/-
FCS Amit Agrawal
(Proprietor)
CP No. 3647, M.No.-5311

Place: Delhi
Date : 23.07.2019

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS



1. Overview and Outlook

The global cement market reached a volume of more than 5 Billion Tonnes in 2018 and is expected to grow at a CAGR of 3.5% during the next five years. However Indian Cement industry recorded a growth of 13.3% in financial Year 18-19 as compared to financial Year 17-18. The industry is expected to register growth of 7-8% during Financial year 19-20 also. India's medium term growth prospects continue to be robust.

Significant reforms undertaken in the recent years like GST and insolvency code is likely to raise cement consumption in the coming years. India is the second largest producer of cement in the world and provides employment to more than a million people directly or indirectly. With a stable government at Centre, a renewed thrust is expected in infrastructure development with focus on construction of roads, metro rail projects, airports and irrigation projects. Some of the recent major initiatives such as development of 98 smart cities and Housing for all scheme by 2022 are also likely to have favourable impact on cement consumption. In the budget of 2018-19, the Government of India announced setting up of an Affordable Housing Fund of Rs 25, 000 crore under the National Housing Bank for easing credit to home buyers. Around 1.29 million houses have been constructed upto Dec 18 under Government of India's Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)

India has emerged as the fastest growing major economy in the world and is expected to be amongst the top three economic powers of the world over the next 10-15 years on the back of digitisation, globalisation, favourable demographics and reforms. India has also recorded GDP growth of approx. 7% during the last few years.

A total of 210 large cement plants account for a cumulative installed capacity of over 410 million tonnes. Out of large plants 77 are located in the states of Andhra Pradesh, Rajasthan and Tamil Nadu making Southern India as a highly competitive market.

2. Financial Review and Analysis

Cement Corporation of India continued to be a profitable CPSU, despite a challenging scenario. The net profit of the Corporation for the F/Y 2018-19 is ₹ 6.35 crores as compared to the net profit of Rs. 17.99 crores for F/Y 17-18. The cement despatches during the year stood at 6.50 lac MT against 7.47 lac MT for the previous Financial year.

3. Risks and Concerns

The risk management has to take into account business environment, operational controls and compliance procedures. The major risks are assessed through a systemic procedure of risk identification and classification. The risk assessment is not limited to limited to threat analysis but also identifies potential opportunities. The company has identified the following risks for your organization:

- a. **Primary Raw Material and Energy Cost.** Limestone is the primary raw material required for cement production. All the three operating units of CCI are having their captive mines for limestone shall etc. However coal availability at economic prices affects the energy cost as cement is an energy intensive industry. The fuel prices have continued to rise during the year driven by global demand scenario. We are also in the process of using a mix of pet coke to ease the pressure of coal price increases.

CCI is also in the process of installing energy saving equipments to reduce power consumptions.
- b. **Low Demand and Overcapacity:** The cement industry continues to be plagued with overcapacity particularly in Southern markets. This is likely to maintain pressure on cement prices thereby impacting bottom lines.
- c. **Competition:** With the entry of new players in the cement market and capacity expansion by the existing players, competition in Indian cement market which is the world's second largest continues to be a reality. The increased competition may create pressures on margins and market shares. CCI continues to enhance its brand equity through enhanced marketing activities and also endeavours to maintain high standards of quality, delivery schedules and customer satisfaction.
- d. **Project Execution:** Your Company has undertaken expansion of Bokajan unit in the cement deficit North Eastern Region of the country. This expansion project is exposed to the risk of time overruns including legal battle with the vendor. Time over run affects revenue and lost profits for the delayed period.

- e. **Human Resources:** With continuous superannuation of employees, company's value to deliver value and enhance profitability in a competitive environment, depends on its ability to attract, retain and nurture talent. Conversely attrition and non-availability of suitable talent can affect performance of CCI. We are continuously benchmarking the past HR practices across the industry and making necessary improvements to attract and retain best talent.
- f. **Regulatory and Compliance:** With the ever evolving regulatory framework in the country, the risk of non-compliance and penalties looms large and carries reputational risks also. The company is regularly reviewing the changes being brought about in the regulatory framework and necessary action is taken accordingly.

4. Internal Control system

The internal audit team monitors the effectiveness of the internal control systems and reports to the Audit Committee. The recommendations of the internal audit team on improvements in the operating procedures and control systems are also presented to the Audit Committee and the business use these as tools for strengthening the operating procedures.

5. CSR Policy

The company has a Corporate Social Responsibility & Sustainability policy as approved by the Board of Directors.

6. Other disclosures

Chapter-7 of Guidelines on Corporate Governance for Central Public Enterprises (CPSEs) provides that as a part of Directors' Report or as an addition thereto, a Management Discussion and Analysis Report should form part of the Annual Report which includes discussion on various matters within the limits set by the company's competitive position. As regards segment wise and product wise performance, the company deals only in one segment i.e. cement. The topics such as Human Resources, Industrial Relation front and Environmental Protection and conservation, Technological conservation, Foreign Exchange conservation etc. have already been covered in Directors' Report.

Conclusion

The growth prospects of the cement industry are linked to the growth of the economy. The outlook in the short-term remains challenging. However, the long-term driver for cement industry remains intact. Importantly, the government's focus on infrastructure development and housing augur well for the industry.

Cautionary Statement

Statements in this "Management Discussions & Analysis" describing Company's objectives, projections and estimates are forward looking statements and progressive within the meaning of applicable security laws and regulations. Actual results may vary from those expressed or implied depending upon economic conditions, Govt. policies and other factors.

Ten Year Digest

(₹ in lakhs)



PARTICULARS	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10
Statement of Profit & Loss										
Sales & despatches and Accretion/ (Decretion) to stock	27237	33075	33317	38711	39141	31360	30218	35613	30286	33426
Other income including exceptional income	8685	7089	10805	6324	5846	7737	4694	4070	5893	3462
Raw material consumed	4029	4224	4191	5037	4779	4006	5137	4899	3969	3630
Stores & packing material consumed		1618	1571	1865	2037	1880	1534	1690	1703	1640
Employees Remuneration & benefits	6070	6847	7690	6365	6562	6096	5650	6045	4997	4597
Interest	116	261	225	223	297	295	446	911	3683	3752
Depreciation	720	608	665	790	636	906	811	744	774	899
Other manufacturing expenses	24553	24812	25553	25404	26668	24184	20523	23451	18340	17095
Profit(+)/Loss(-)	635	1799	4233	5351	4008	1620	811	1943	2713	5275
Balance Sheet										
Paidup Share Capital*	81141	81141	81141	81141	81141	81141	81141	81140	81140	81140
Reserves & Surplus	(78256)	(78846)	(80690)	(84923)	(90274)	(93736)	(95356)	(96167)	(98110)	(100823)
Loans	27475	28100	29600	37338	37338	37338	37338	37338	37172	46875
Net Fixed Assets	12697	10418	11449	11919	12169	12741	12911	9863	10224	10734
Current Assets	33564	41100	43316	44525	40394	38412	40710	42486	39269	49033
Current Liabilities and provisions	10697	31399	33481	30552	32026	33813	37033	35737	33137	36059
Capital W.I.P.	5812	8117	6706	5625	5766	5512	4713	3973	2051	1577
Other Assets (Includign DRE)	2254	2159	2061	2039	1902	1891	1821	1726	1795	1907
Capital Employed#	44896	48478	50564	53610	50349	47859	50358	45928	17068	23835
No. of employees	574	640	665	747	813	907	906	907	988	1078

* Includes Equity Shares of Rs.45,598 lakh and Redemable Preference Share of Rs.35,543 lakh

Capital Employed is calculated by reducing Current Liability and Unamortised Expense from Total Assets

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

(Revised)

To,
The Members,
Cement Corporation of India Ltd
New Delhi

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying standalone financial statements of **CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED ("the Company")** CIN No –U74899DL1965 Gol004322 which comprises the Balance Sheet as at **March 31, 2019**, and Statement of Profit and Loss and Statement of Cash Flow for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information, in which are incorporated eleven units (Mandhar, Tandur, Charkhi Dadri, Akaltara, Nayagaon, Nayagaon Expansion and Delhi Grinding unit, Kurukunta, Adilabad, Bokajan & Silchar Grinding Unit) audited by the branch auditors appointed by the Comptroller and Auditor General Of India and Rajban (Himachal Pradesh), Bhatinda Grinding Unit and Corporate Office audited by us. This revised Independent Auditor's Report has been issued to comply the observations made by the Comptroller and Auditor General of India along with the **Directions under section 143(5) of Companies Act, 2013 for the year ended 31st March, 2019 annexure 1**

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph, the aforesaid Financial Statements give the information required by the Companies Act, 2013 in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2019, and its profit, and its Cash Flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of

the financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules there under, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibility of Management for the Standalone Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate implementation and maintenance of accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those Board of Directors are also responsible for overseeing the company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion.

Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made there under.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.

Information other than the financial statements and auditors' report thereon

We did not audit the financial statements of 11 (eleven) branches included in the standalone financial statements of the company whose financial statements/ financial information total assets of ₹ 371.47 cr. as at 31st March'2019 and total revenue of ₹ 245.29 cr. for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements/ information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates

to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.

Our opinion is not modified in respect of these matters which is relevant.

Without qualifying, we draw attention to following matters referred to in the Notes to the Financial Statements:

- a) The financial statements of the company have been prepared on going concern basis despite:
 - I. It being declared a sick company within the meaning of clause (O) of Section 31 of sick industrial companies (special provision) act 1985.
 - II. BIFR sanctioned scheme pursuant to its order dated 3rd May 2006 for sale of seven factories of the Company including two units under Nayagaon expansion.

The company's ability to remain going concern is largely contingent on the successful implementation of revival scheme as envisaged in the BIFR package [Refer Point no. 9 of Note 34]. The financial statements do not include any adjustment relating to recoverability and classification of recorded assets and liabilities that may be necessary if the company is unable to continue as going concern.

- b) Draft Rehabilitation Scheme (DRS) approved by BIFR vide order dated 03.05.2006 was to be implemented into 2 (two) phases of which first phase totally funded by GOI and it was completed. Second phase was to be completed by 2007-08 out of Sale proceeds of 7 (Seven) non-operating units, as on date no significant progress seems to have taken place in this direction. However, sale of these non-operating units are under progress as per direction given by NITI Aayog (Refer point no.11 of Note 34).

BASIS FOR QUALIFIED OPINION:-

- a. Execution of title and lease deeds of land of certain units in favour of company continues to be pending and land details are subject to reconciliation. Further, DDA sue moto transferred the land measuring 14.20 acres to SDMC on dated 11-04-2017 cost of land transferred to claim recoverable from outside party. Physical possession of land measuring land 6.74 acres allotted for railway siding which is still with the company. [Refer Point No.03 of Note-34].

- b. Non Determination and consequent non-provision of the liability arising out of alienation order is still awaited from revenue department in respect of government land outside CCI's Adilabad Township and used as road from pump house to national highway. [Refer Point No.05 of Note 34].
- c. The effect of inconsistencies pointed out in the special audit report in relation to Yerraguntla unit sold in 1998, has not been considered due to pending reconciliation [Refer Point No. 12 of Note 34]
- d. The balance of certain Trade Receivable, Loans and advances, Trade Payables, Deposits to and from parties and Other Liabilities are subject to confirmation and reconciliation. The financial impact, if any arising out of non-reconciliation is unascertainable. [Refer Point No.21 of Note 34].
- e. The company has seven production units and a grinding unit at Delhi, where operations were discontinued between the years 1996 to 1999 and a grinding unit at Bhatinda (Punjab) which did not commence production, in respect of which attention is drawn to point No.11 of Note 34. As per view of the Management, no provision for impairment of assets, under AS-28 issued by the Institute of Chartered Accountants of India, is required because market value expected is normally more than the book value of the Assets.
- f. The company had issued 3554325 Non-cumulative Redeemable Preference Shares of ₹ 1000/- each for a value of ₹ 355.43 crores to Govt. of India on 22nd March 2007 for 7 (seven) years. As per terms of issue, above preference shares were to be redeemed before 22nd March 2014, which is not in consonance with the terms of the issue. Management informed that further action for re-issue of preference share has been sought from Ministry as per Cabinet / BIFR direction. [Refer Point No.13 of Note 34].

OPINION

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above, the aforesaid financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at 31st March 2019, and its profit and its Cash Flows for the year ended on that date.

REPORT ON OTHER LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order"), issued by the Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, and on the basis of such checks of the books and records of the Company as we considered appropriate and according to the information and explanation given to us, we give in the 'Annexure A', a statement on the matters specified in the paragraphs 3 and 4 of the said Order.

2. We are enclosing our report in terms of Section 143(5) of the Act, on the basis of such checks of the books and records of the Company as we considered appropriate and according to the information and explanation given to us, in the Annexure I and Annexure II on the directions and sub directions issued by the Comptroller and Auditor General of India.

3. As required by Section 143 (3) of the Act, we report that:

We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

- a) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from the branches not visited by us.
- b) The reports on the accounts of the branch offices of the Company audited under Section 143(8) of the Act by branch auditors have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report.
- c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, and Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us.
- d) In our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.
- e) Being a Government Company, pursuant to the Notification No. GSR 463(E) dated 5th June 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India, provisions of sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013, are not applicable to the Company.

- f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in “Annexure B”.
- g) With respect to other matters to be included in the Auditor’s Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
- i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in

its financial statements – Refer Note No 33 to the financial statements.

- ii. The Company did not have any long term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.
- iii. There has not been any amounts, required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company in accordance with the relevant provisions of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and Rules made there under.

For KAPOOR BHUSHAN & Co.
Chartered Accountants
FRN: 001676N

Sd/-

(CA P.B.KAPOOR)

Partner

M.No 010858

UDIN: 19010858AAAAAA2462

DATE: 18th September 2019
PLACE: DELHI

Annexure to the Auditors’ Report

[Referred to in paragraph 1 under ‘Report on Other Legal and Regulatory Requirements’ of our Report of even date to the members of CEMENT CORPORATION OF INDIA LTD on the accounts for the year ended 31st March, 2019]

On the basis of such checks as we considered appropriate and according to the information and Explanations given to us during the course of our audit, we report that:

I. In respect of its fixed assets:

- (a) The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of the fixed assets. The location of the assets has not been mentioned in some of the Fixed Assets register.
- (b) As explained to us, fixed assets have been physically verified by the management during the year in accordance with the phased manner programme of verification adopted by the management which, in our opinion, provides for physical verification of all the fixed assets at reasonable intervals. According to the information and explanations given to us, no material discrepancies were noticed on such verification and have been properly dealt with the books of accounts.
- (c) Title deeds of immovable properties are held in name of the Company except some of the units as mentioned in the branch audit reports. Some Title deeds of land of the Company are yet to be executed. [Refer Point No.3 of Note 34]

II. In respect of its inventory:

- (a) As explained to us, the inventories of finished goods, semi-finished goods, and ‘A’&‘B’ category of stores, spare parts and raw materials were physically verified at the end of the year by the Management. As regard inventory of ‘C’ category of spare parts, the management has a system of physical verification so that all items are physically verified at least once in the block of three years. Accordingly, a part of such inventory was physically verified during the year. There are no inventories lying with third parties.
- (b) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company

has maintained proper records of its inventories and no material discrepancies were noticed on physical verification of stocks as compared to book records.

- III. In respect of loans, secured or unsecured, granted to the parties covered in register maintained under section 189 of the Companies Act 2013: According to the information and explanations given to us, the Company has not granted any loans to companies, firms, limited liability partnership or other parties covered in the Register maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013; and therefore paragraph 3(iii) of the Order is not applicable.
- IV. In respect of loans, investments, guarantees, and security, provisions of section 185 and 186 of the Companies Act, 2013 have been complied with.
- V. In our opinion and according to the information and explanation given to us, the company has not accepted deposits and does not have any unclaimed deposits. Therefore, the provisions of clause 3(v) of the order are not applicable to the Company.
- VI. We have broadly reviewed the cost records maintained by the Company pursuant to the Rules made by the Central Government under Section 148(1) of the Companies Act, 2013 and are of the opinion that prima facie the prescribed cost records have been made and maintained. We have, however, not made a detailed examination of these records with a view to determining whether they are accurate or complete.
- VII. In respect of statutory dues:
 - (a) According to the records of the Company and information and explanations given to us, the Company has generally been regular in depositing undisputed statutory dues, including Provident Fund, employees state insurance (ESI), Investor Education and Protection Fund, Income-tax, Tax deducted at sources, Tax collected at source, Professional Tax, Sales Tax, value added tax (VAT), service Tax, Custom Duty, Excise Duty, Cess and other material statutory dues applicable to it, with the appropriate authorities. In the following undisputed cases, the payment is in arrear as at Balance Sheet date for a period of more than six months from the date they became payable:

Nature of Statute	Nature of dues	Amount (₹ In Lakhs)
Local Sales Tax	Sales Tax	1605.81
Corporation Tax	NALA Tax	70.05
Corporation Tax	Property Tax	348.20
Service Tax	Service Tax	2.29
Corporation Tax	Royalty	551.51
Corporation Tax	Entry Tax	5.53
Income tax	Interest on Late payment of Income tax	0.23
Central Sales tax	CST	9.40
Local sales Tax	Surcharge / Additional tax	13.26
Industries (Development and Regulation) Act, 1951	Cess on Cement	18.03
Mining dues	Mining Department	186.61

- (b) According to the information and explanations given to us, the disputed amounts payable in respect of Income-tax, Custom Duty, Excise Duty, sales tax, VAT, Cess and other material statutory dues in arrears /were outstanding as at 31 March, 2019 is given below:

Particulars	Nature Of Dues	Where Pending	Amount (₹ in Lakh)
Sales Tax	Sales Tax	APST Tribunal / Financial Commissioner/ Appropriate Authority	274.63
ESI Contribution	ESI Contribution on contract labour	Hon'ble BIFR and Regional Director-ESIC	72.84
Income tax penalty	Penalty U/s 271(1) (c) of the Income tax Act'1961	Commissioner of Income Tax (Appeals)	33.18

Property Tax	Property Tax	Local Panchayat	185.36
Service Tax	GTA Service	Commissioner (Appeal) Central Excise & Service Tax	38.73
Excise & Customs	Excise Duty	Appellate Authority	538.70

- VIII. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has defaulted in the repayment of principal amount of loans and interest thereon in respect of dues, as per details given here as under:

Particulars	Amount in Lakhs	Period of Default
Govt. of India including Interest	27475.00	From 2011

- IX. Based on our audit procedures and according to the information given by the management, the Company has not raised any money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) or taken any term loan during the year.
- X. According to the information and explanations given to us, we report that no fraud by the Company or any fraud on the Company by its officers or employees has been noticed or reported during the year.
- XI. The provision of Section 197 read with Schedule V to the Act are not applicable to Government Companies. According, the provisions of clause 3(xi) of the order are not applicable to the Corporation.
- XII. The Company is not a Nidhi Company and Nidhi Rules, 2014 not applicable to it as such the provision of Clause 3(xii) of the Order are not applicable on the Company.
- XIII. According to the information and explanations given to us, all transactions with the related parties are in compliance with sections 177 and 188 of Companies Act, 2013 have been disclosed in financial statement as required under Accounting standard (AS) 18, Related Party Disclosures specified under Section 133 of the Act, read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 to the extent applicable to the state Controlled entities.



- XIV.** The Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year under review. Accordingly, provision of Clause 3 (xiv) of the order are not applicable.
- XV.** The Company has not entered into any non-cash transactions with its directors or persons connected with him. Accordingly, provision of Clause 3 (xv) of the order are not applicable.
- XVI.** The Company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934.

For KAPOOR BHUSHAN & Co.
Chartered Accountants
FRN: 001676N

Sd/-
(CA P.B.KAPOOR)
Partner

M.No 010858
UDIN: 19010858AAAAAA2462

DATE: 18th September 2019
PLACE: DELHI

Annexure 'B'

Report on Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **CEMENT CORPORATION OF INDIA LTD** ("the Company") as of March 31, 2019 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Corporation considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to corporation's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial

controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A Company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that

1. Pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the corporation;
2. Provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the corporation are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the corporation; and
3. Provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become



inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over

financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2019, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For KAPOOR BHUSHAN & Co.
Chartered Accountants
FRN: 001676N

Sd/-
(CA P.B.KAPOOR)
Partner

M.No 010858
UDIN: 19010858AAAAAA2462

DATE: 18th September 2019
PLACE: DELHI

**Compliance Report for Directions under section 143(5) of Companies Act,
2013 for the year ended 31st March, 2019**

1.	<p>Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system?</p> <p>If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.</p>	<p>Yes, the company has its system in place to process all the accounting transactions through IT system.</p>
2.	<p>Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/ interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated.</p>	<p>During the year there has been no restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/ interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan. However, during the year company settled outstanding dues and got waiver of Rs.15.12 crore</p>
3.	<p>Whether funds received/receivable for specific schemes from Central/State agencies were properly accounted for/ utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.</p>	<p>The funds received/receivable for specific schemes from Central/State agencies were properly accounted for/ utilized as per its term and conditions.</p>

For KAPOOR BHUSHAN & Co.
Chartered Accountants
FRN: 001676N

Sd/-
(CA P.B.KAPOOR)
Partner

M.No 010858
UDIN: 19010858AAAAAA2462

DATE: 18th September 2019
PLACE: DELHI

Sub-Directions under section 143(5) of Companies Act 2013 for the year 2018-19.

On the basis of the Books of accounts of the Company, the reply to the following questions and/or information are given below:-

BIFR Scheme

The Company was declared sick vide Hon'ble BIFR letter No. 501/96-BENCH IV SOL dt. 8.8.96. Hon'ble BIFR in its hearing held on 21.03.2006 has approved the Rehabilitation Scheme prepared by M/S IFCI (OA) and approved by Govt. Of India. The Sanctioned Scheme was circulated by Hon'ble BIFR on 03.05.2006 which inter-alia envisaged settlement of secured and unsecured creditors and expansion/technological up-gradation of 3 operating plants and closure / sale of remaining 7 non-operating plants. As per sanctioned scheme closure has been made at seven units. Sale of non-operating units are under progress.

For KAPOOR BHUSHAN & Co.
Chartered Accountants
FRN: 001676N

Sd/-
(CA P.B.KAPOOR)
Partner

M.No 010858
UDIN: 19010858AAAAAA2462

DATE: 18th September 2019
PLACE: DELHI

BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2019

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	NOTE NO.	AS AT MARCH 31, 2019	AS AT MARCH 31, 2018
EQUITY AND LIABILITIES			
Shareholders' Funds			
(a) Share Capital	02	81,141	81,141
(b) Reserves and Surplus	03	(78,256)	(78,846)
		2,885	2,295
Non-Current Liabilities			
(a) Long-Term Borrowings	04	15,090	15,090
(b) Other Long Term Liabilities	05	24,093	25,555
(c) Long-Term Provisions	06	4,854	7,149
		44,037	47,794
Current Liabilities			
(a) Short-Term Borrowings	07	0	625
(b) Trade Payables	08	2,049	2,009
(c) Other Current Liabilities	09	6,525	5,729
(d) Short-Term Provisions	10	2,123	3,342
		10,697	11,705
Total		57,619	61,794
ASSETS			
Non-Current Assets			
(a) Fixed Assets			
(i) Tangible Assets	11	12,697	10,418
(ii) Capital Work-In-Progress	12	5,812	8,117
(iii) Intangible Assets under development	13	0	0
(b) Non-Current Investments	14	228	228
(c) Long-Term Loans and Advances	15	3,253	2,733
(d) Other Non-Current Assets	16	39	39
(e) Unamortised Expenses	17	2,026	1,931
		24,055	23,466
Current Assets			
(a) Current Investments	18	0	0
(b) Inventories	19	13,540	13,955
(c) Trade Receivables	20	1,180	1,177
(d) Cash and Bank Balances	21	14,898	17,826
(e) Short-Term Loans and Advances	22	3,271	4,584
(f) Other Current Assets	23	675	786
		33,564	38,328
Total		57,619	61,794

Significant Accounting Policies and Notes to Financial Statements 1 to 34

The Notes referred to above form an integral part of the Balance Sheet

This is the Balance Sheet referred to in our report of even date

For Kapoor Bhushan & Co.

Chartered Accountants

ICAI Firm Registration No.001676N

Sd/-

CA P B Kapoor

Partner

Membership No.010858

Date: 07.08.2019

Place: New Delhi

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-

B V N Prasad

Director (HR)

Sd/-

Ajay Kumar Sharma

Company Secretary

Sd/-

S. Sakthimani

Director (Finance) / CFO

Sd/-

Manoj Kumar Patra

Head of Finance

STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019
(₹ in lakhs)

PARTICULARS	NOTE NO.	YEAR ENDED MARCH 31, 2019	YEAR ENDED MARCH 31, 2018
Revenue			
I Revenue from Operations			
(a) Sale of Products (Incl. clinker)		27,666	32,958
Less: Excise Duty		-	813
		27,666	32,145
(b) Other Operating Revenues		117	156
Net from Operations		27,783	32,301
II Other Income			
	24	7,056	5,794
Total Revenue		34,839	38,095
Expenses			
(a) Cost of Materials Consumed	25	4,029	4,224
(b) Change in Inventories of Finished Goods, Work-in-Progress and Stock in Trade	26	429	(930)
(c) Employee Benefits Expense	27	6,070	6,847
(d) Other Expenses	28	24,553	26,691
(e) Finance Costs	29	-	-
(f) Depreciation and Amortisation Expense	30	635	603
Total Expenses		35,716	37,435
Profit / (Loss) before Exceptional Items		(877)	660
Exceptional Items	31A	1,512	1,139
Profit / (Loss) before Tax		635	1,799
Tax Expense on continuing operations		-	-
Profit / (Loss) from continuing operations		(1,312)	1,627
Profit / (Loss) from discontinuing operations	31C	1,947	172
Tax expense of discontinuing operations		-	-
Profit / (Loss) from discontinuing operations (After Tax)		1,947	172
Profit / (Loss) for the year		635	1,799
Earnings per Equity Share (in Rs.)			
(Par Value of Rs.1000/- per Equity Share)			
Basic		(19)	14
Diluted		(19)	14

Significant Accounting Policies and Notes to Financial Statements 1 to 34

The Notes referred to above form an integral part of the Statement of Profit & Loss

This is the Statement of Profit & Loss referred to in our report of even date

For Kapoor Bhushan & Co.

Chartered Accountants

ICAI Firm Registration No.001676N

Sd/-

CA P B Kapoor

Partner

Membership No.010858

Date: 07.08.2019

Place: New Delhi

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-

B V N Prasad

Director (HR)

Sd/-

Ajay Kumar Sharma

Company Secretary

Sd/-

S. Sakthimani

Director (Finance)/ CFO

Sd/-

Manoj Kumar Patra

Head of Finance

Cash Flow Statement for the Year ended 31st March 2019

(₹ in Lakhs)



PARTICULARS	Continuing Operation		Discontinuing Operation		Total	
	Year ended Mar 31, 2019	Year ended Mar 31, 2018	Year ended Mar 31, 2019	Year ended Mar 31, 2018	Year ended Mar 31, 2019	Year ended Mar 31, 2018
A. Cash flow from Operating Activities:						
Net profit/(loss) before Tax	(1,312)	1,627	1,947	172	635	1,799
Adjusted for:						
Depreciation and amortisation expenses	610	476	110	132	720	608
Finance Cost	-	-	-	-	-	-
Interest and Other Income	(3,422)	(3,291)	(1,203)	(711)	(4,625)	(4,002)
Profit on disposal of Fixed Assets	-	-	-	-	-	-
Provisions no longer required written back	(1,878)	(1,181)	(553)	(611)	(2,431)	(1,792)
Provision for doubtful receivables	-	57	0	235	0	292
Unamortised Expenses written off	323	224	-	-	323	224
Exceptional Income	(1,118)	-	(394)	(1,139)	(1,512)	(1,139)
Operating profit before working capital changes	(6,797)	(2,088)	(93)	(1,922)	(6,889)	(4,010)
Changes in Working Capital:						
Increase / (Decrease) in Trade Payables	36	31	4	(9)	40	22
Increase / (Decrease) in Other Liabilities	3,381	(119)	(103)	(484)	3,278	(603)
Increase / (Decrease) in Provisions	(3,319)	789	(195)	36	(3,514)	825
Decrease / (Increase) in Trade Receivables	258	48	(261)	-	(3)	48
Decrease / (Increase) in Inventories	405	(741)	10	138	415	(603)
Decrease / (Increase) in Loans and Advances	(52)	19	890	(82)	838	(63)
Decrease / (Increase) in Other Assets	112	50	-	-	112	50
Unamortised Expenses incurred	(418)	(322)	-	-	(418)	(322)
Cash generated from Operations	(6,394)	(2,333)	252	(2,323)	(6,142)	(4,656)
Net cash from / (used in) Operating Activities	(6,394)	(2,333)	252	(2,323)	(6,142)	(4,656)
B. Cash flow from Investing Activities:						
Purchase of Fixed Assets	(3,046)	(116)	(44)	-	(3,090)	(116)
Interest and Other Income	3,422	3,291	1,203	712	4,625	4,003
Work-in-progress	2,297	(1,645)	8	-	2,305	(1,645)
Receipts on sale of Fixed Assets	-	-	-	-	-	-
Net cash from Investing Activities	2,673	1,530	1,167	712	3,839	2,242
C. Cash flow from Financing Activities:						
Proceeds from Long-Term Borrowings	-	-	-	-	-	-
Repayment of Long-Term Borrowings	-	(1,500)	-	-	-	(1,500)
Proceeds from Short-Term Borrowings	-	-	-	-	-	-
Repayment of Short-Term Borrowings	(625)	-	-	-	(625)	-
Funds transferred to other units	-	-	-	-	-	-
Grant received from Govt. of India	-	45	-	-	-	45
Interest and Other Borrowing Cost paid	-	-	-	-	-	-
Fund transferred to non-operating units	1,395	(1,614)	(1,395)	1,614	-	-
Net cash from financing activities	770	(3,069)	(1,395)	1,614	(625)	(1,455)
Net Increase / (Decrease) in Cash & Bank Balances	(2,951)	(3,872)	24	3	(2,927)	(3,869)
Opening Cash and Bank Balances	17,820	21,692	6	3	17,826	21,695

PARTICULARS	Continuing Operation		Discontinuing Operation		Total	
	Year ended	Year ended	Year ended	Year ended	Year ended	Year ended
	Mar 31, 2019	Mar 31, 2018	Mar 31, 2019	Mar 31, 2018	Mar 31, 2019	Mar 31, 2018
Closing Cash and Bank Balances	14,869	17,820	30	6	14,899	17,826
Notes :						
1 Closing Cash and Bank Balances comprises:						
Cash					1	2
Cheques in hand					2	-
Balance with Banks:						
- On Current Accounts					662	917
- On Deposit Accounts					14,233	16,907
Total					14,898	17,826

2 The above Cash Flow Statement has been prepared under the Indirect Method as set out in Accounting Standard 3 'Cash Flow Statements' notified by the Central Government under Companies (Accounting Standards) Rules, 2006.

3 Bank Deposits include deposits of ₹ 200.00 lakh (Previous Year: ₹ 673.97 lakh) whose maturity period is more than 12 months.

4 Additional working capital, as and when required, is proposed to be met out of own cash resources.

5 Previous year's figures have been regrouped / rearranged wherever necessary to confirm to the current year's classification.

For Kapoor Bhushan & Co.

Chartered Accountants
ICAI Firm Registration No.001676N

Sd/-
CA P B Kapoor
Partner
Membership No.010858
Date: 07.08.2019
Place: New Delhi

For and on behalf of Board of Directors

Sd/- B V N Prasad Director(HR)	Sd/- S. Sakthimani Director (Finance)/ CFO
Sd/- Ajay Kumar Sharma Company Secretary	Sd/- Manoj Kumar Patra Head of Finance

AUDITORS' CERTIFICATE

We have verified the above Cash Flow Statement of Cement Corporation Of India Limited derived from the audited annual financial statements for the year ended March 31, 2019 and found the same to be drawn in accordance therewith.

As per our report of even date attached

For Kapoor Bhushan & Co.
Chartered Accountants
ICAI Firm Registration No.001676N

Date: 07.08.2019
Place: New Delhi

Sd/-
(CA P B Kapoor)
Partner
Membership No.010858

NOTES FOR FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019



01 Significant Accounting Policies

01.01 Basis of Preparation

The accounts are prepared on historical cost convention adopting the accrual method of accounting except for the following items which are accounted for on cash basis.

- (i) Liquidated damages/penalties/claims other than Railway & Insurance made are accounted for on realization and included in Miscellaneous Income.
- (ii) Profit / loss, if any, on surplus / slow moving / non-moving items etc. of stores and spares, is accounted for only in the year of their disposal.

01.02 Revenue Recognition

Sales are stated inclusive of Excise Duty up to 30-06-2017 and excluding VAT,/ Sales Tax & GST. Excise duty is shown separately.

01.03 Land & Amortisation

- i) Land given free by the state Government is valued at nominal cost or on the basis of incidental expenditure incurred on its acquisition.
- ii) Land free hold under mining lease at quarry and land lease hold with less than 99 years lease is amortized within a period of ten years from the date of commercial production of the respective unit.

01.04 Investments

- i) Long term investments are stated at cost. Permanent decline in the value of such investments is recognized and provided for.
- ii) Current investments are stated at lower of cost and quoted / fair value. Unquoted current investments are stated at cost.

01.05 Borrowing Costs

Borrowing Costs that are attributable to acquisition or construction or production of qualifying assets are capitalized as part of the costs of such assets. A qualifying asset is one that takes necessarily

substantial period of time to get ready for its intended use.

All other borrowing costs are charged to revenue.

01.06 Inventories

a) Valuation

- (i) Stores, spare parts and raw materials except as indicated in (ii) below are stated at weighted average cost. The obsolete/ unserviceable stores and spares when determined, are treated as scrap and valued at net realizable value.
- (ii) Clinker and other semi-finished goods are stated at lower of unit's weighted average cost or net realizable value on the basis of work back formula. However, in case of negative valuation, it is stated at zero value.
- (iii) Finished goods at factories/projects/in dumps or in transit to dumps are stated at lower of units weighted average cost or realizable value. Freight included in selling expenses upto dump is included in value of finished goods lying at various dumps.
- (iv) The total quantity of various scrap items as at the close of each financial year is valued as per rates available as per latest sale orders for respective items. However, where no such rates are available because of scrap having been generated for the first time or not disposed off earlier, reserve price fixed for disposal of such scrap items is adopted for the purpose of valuation.

b) Loose Tools & Tackles

Tools and tackles are written off over a period of three years.

01.07 Depreciation

- (i) The financial statements have prepared under historical cost convention on accrual basis in compliance with applicable Accounting Standards specified under Section 133 of the Companies Act., 2013 read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and the relevant provision of the Companies Act., 2013.

- (ii) Depreciation is provided on assets after they are completed and become available for use.
- (iii) Depreciation on assets added during the year is charged prorata from the date they are capitalized and upto the date these are discarded /sold / demolished/ destroyed.
- (iv) Any individual asset whose written down value is ₹ 5000/- or less at the beginning of the year is fully depreciated during the year without retaining the residual value as it is considered insignificant.
- (v) Any individual asset costing upto ₹ 5000/- purchased during the year is taken to gross block and depreciated fully in the same year.

01.08 Deferred Revenue Expenditure

- (i) Expenditure on Prospecting and Boring is treated as Deferred Revenue Expenditure and charged off in three to five years after Units go into commercial production.
- (ii) Expenditure incurred on removal of overburden etc. at the mines which is utilized for capital works like laying roads, stockyard, crusher ramp etc. is capitalized. The rest of the expenditure incurred on removal of overburden etc. is treated initially as 'Deferred Revenue Expenditure' and is charged off over the period for which the limestone exposed out of quarry development is available for exploitation.
- (iii) The cost of internal partitions and other fixtures in rented buildings are directly charged off in the year of installation, but if the cost is more than rupees one lakh, the same is treated as Deferred Revenue Expenditure and is charged off in three to five years.
- (iv) After start of commercial production of a Unit, initial full charge of hi chrome grinding media is treated as Deferred Revenue Expenditure and written off over a period of three years. However, make up charges are charged to Statement of Profit & Loss.
- (v) In case there is no unutilized grant/subsidy for Voluntary Retirement Scheme (VRS), then terminal benefits which are attributable to VRS payment equivalent to one and a half months wages for each completed year of service or wages for the balance period of

service, whichever is less and notice period pay are deferred and charged off during the remaining period of service of the individuals or in a maximum period of 5 years, whichever is less. However, any expenditure incurred on VRS/VSS on or after 01/04/2003 will be recognized as an expense when it is incurred and charged off wholly in that year itself.

01.09 Prior Period / Extraordinary Adjustments

Expenditure / Receipts relating to the particular year, coming to notice after closure of the Accounts i.e. after the cut off date are booked under the relevant head of expenditure / receipt of the next year, if the amount involved is not more than ₹ 10,000/-. In case, the amount is more than ₹ 10,000/- the provisions contained in the Accounting Standard-5 of the Institute of Chartered Accountants of India are applied for determination of its accountal under natural head of accounts of Current year / Prior period / Extraordinary Expenditure / Income.

01.10 Accountal of Foreign Exchange Transaction

Foreign loan liabilities are translated at the closing market exchange rates. Gains or losses on settlement of transactions (a) during project period are credited/ debited to the relevant cost of equipment those relating to spares and service are credited/ debited to Incidental Expenditure During Construction (IEDC), (b) after project has gone into commercial production, the gains/ losses are credited/ debited to the relevant cost of equipment but, those relating to spares and services are charged off to Statement of Profit & Loss. Depreciation on such adjustment to fixed assets is adjusted prospectively.

01.11 Government Grants/ Subsidies

- (i) Government Grants/ Subsidies related to specific fixed assets are deducted from the gross value of the concerned assets in arriving at their book value. Where the grants related to specific fixed assets equals the whole or virtually the whole of the cost of the asset, the asset is valued at nominal value or on the basis of incidental expenditure incurred on its acquisition/ installation.
- (ii) Grants for Voluntary Retirement Scheme, Transport Subsidy and other Revenue Grants are deducted from the related expenditure.

- (iii) Government Grants received under Central Investment Subsidy Scheme included in Central Government Incentive for Industries in backward areas and other similar grants received from the State Governments, where no repayment is ordinarily expected in respect thereof, the grants are treated as Capital Reserve.
- (iv) Capital/ Revenue Grants/ Subsidies, other than those specified above, are accounted for as per Accounting Standard-12 issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

01.12 Claims of the Corporation

- (i) Insurance claims are brought to account on the basis of Surveyor's Report and / or on the basis of claims lodged where on account payments have been received. In case, however, where surveyor's Report for events of loss occurred upto 31st March is not received before closing of the Accounts, the disclosure to that effect is made in the form of Notes to the Accounts.
- (ii) Railway claims are brought to account on lodging of the claims.

01.13 Deposit Works

In respect of Deposit Works in progress, the same are treated as Corporation's Capital Work-in-Progress and Incidental Expenditure during Construction Period is proportionately added to the Deposit Work when the ownership is transferred and capitalized.

01.14 Staff Benefits

- (i) Provision for gratuity under the Payment of Gratuity Act, 1972 and Company's own Gratuity Scheme is made in respect of all employees in service at the end of each financial year in accordance with the actuarial valuation.
- (ii) Provision for earned leave / half pay leave etc. which is encashable on retirement or death of an employee is made in respect of employees in service at the end of each financial year in accordance with the actuarial valuation.
- (iii) Liability for bonus is provided as per the provisions of Payment of Bonus Act, 1965 on Unit wise basis and not Corporation as a whole. The liability for bonus for the Corporate

Office is provided at a rate which is average of the rates at which the bonus is provided for the other Units.

01.15 Premium on Redemption of Debentures

Premium payable on redemption of debentures is charged to Statement of Profit & Loss / IEDC Account in such equal instalments as the duration of debentures commencing from the year in which debentures are allotted.

01.16 Prepaid Expenses

Expenditure of Rs. 10,000/- or less in each case incurred in advance of the subsequent year(s) are charged off as expenses of the current year.

01.17 Accounting for Bad & Doubtful Recievables/ Loans / Advances etc

- (i) Provision is made for doubtful recievables/ loans and advances when the same is considered doubtful of recovery but chances of recovery subsist.
- (ii) Amounts are written off, when the efforts for recoveries have failed either due to legal process or where it is considered litigation will not be fruitful and recovery is not possible.

01.18 Inter unit/ Zones / Corporate Office transfers

- (i) Finished goods transferred by the Units are initially valued at Despatch Plan rates and the quantity sold is then settled by the Zones at the actual net realizable value.
- (ii) Inter Unit/ Zones / Corporate Office transfers of Fixed assets etc. are accounted for at book value.
- (iii) Inter Unit Transfer of clinker is accounted for at its realizable rates (by work back method from cement) and its losses in transit are absorbed in cost by the receiving Unit.
- (iv) Inter Unit/ Zones/ Corporate Office balances are reconciled regularly and balance confirmations obtained.

01.19 Classification of Expenditure

- (i) Expenditure incurred on Repairs & Maintenance of fixed assets, including cost of stores & spares except as shown as in (ii) below, are charged to Statement of Profit & Loss.

- (ii) Expenditure incurred on repairs and maintenance of fixed assets including cost of stores & spares that increase the future benefits from the existing assets beyond its previously assessed standard of performance is capitalized e.g. an increase in capacity.
- (iii) Salaries and Wages: Salaries and wages incurred on Repairs and Maintenance of Plant & Machinery, Buildings etc. are charged directly to Salaries and Wages Account.
- (iv) Other Sundry Expenses: Expenditure on parks, plantation of trees and purchase of tents and tarpaulins etc. are charged off as revenue expenditure.

01.20 Indirect Expenses on Expansion Projects/ New Projects Adjacent to the Existing Plant

The common expenses on administration, supervision etc. incurred by the existing plants are not charged to the Expansion Project/ New Projects adjacent to the existing plants.

01.21 Allocation of Corporate Office Expenditure

Net Revenue Expenditure / Income of the Corporate Office is allocated to all the units and projects under construction on estimates based on the probable benefits or relatable to the different Units or projects as decided by the management to their best assessment and judgment.

NOTES FOR FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019



(₹ in lakhs)

PARTICULARS	As at March 31, 2019	As at March 31, 2018
02 Share Capital		
Authorised		
50,00,000 (31 March 2018: 50,00,000) Equity Shares, Rs.1000/- par value per share	50,000	50,000
40,00,000 (31 March 2018: 40,00,000) Preference Shares Rs.1000/- par value per share	40,000	40,000
Total	90,000	90,000
Issued, Subscribed and Paid-Up		
45,59,749 (31 March 2018: 45,59,749) Equity Shares, Rs.1000/- par value per share fully paid	45,598	45,598
35,54,325 (31 March 2018: 35,54,325) Preference Shares Rs.1000/- par value per share fully paid	35,543	35,543
Total	81,141	81,141

02.1 Rights, preferences and restrictions in respect of each class of shares

The Company has two classes of shares referred to as Equity Shares and Preference Shares having par value of Rs.1000/- per share. Each holder of Equity Share is entitled to one vote per share. Preference Shareholder is eligible to vote only on the resolutions directly affecting the rights attached to his Preference shares.

02.2 Reconciliation of the Number of Shares outstanding

Equity Shares	March 31, 2019		March 31, 2018	
	Number of Shares	Amount	Number of Shares	Amount
Balance as at the beginning of the year	4,559,749	45,598	4,559,749	45,598
Add: Number of shares issued	-	-	-	-
Balance as at the end of the year	4,559,749	45,598	4,559,749	45,598

0.01% Non Cumulative Redeemable Preference Shares	March 31, 2019		March 31, 2018	
	Number of Shares	Amount	Number of Shares	Amount
Balance as at the beginning of the year	3,554,325	35,543	3,554,325	35,543
Add: Number of shares issued	-	-	-	-
Balance as at the end of the year	3,554,325	35,543	3,554,325	35,543

02.3 Details of shares held by each shareholder holding more than 5% shares in the Corporation:

Name of the Share Holder	March 31, 2019		March 31, 2018	
	Number of Shares	% of Shareholding	Number of Shares	% of Shareholding
Equity Shares:				
Government of India	4,559,749	100%	4,559,749	100%
0.01% Non Cumulative Redeemable Preference Shares:				
Government of India	3,554,325	100%	3,554,325	100%

NOTES FOR FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	As at March 31, 2019	As at March 31, 2018
03 Reserves & Surplus		
Capital Reserve		
Balance as at the beginning of the year	45	0
Add: Receipts/(Utilised) during the year	(45)	45
(A)	0	45
Surplus / (Deficit) in the Statement of Profit and Loss		
Balance as at the beginning of the year	(78,891)	(80,690)
Add: Net Profit / (Loss) for the year	635	1,799
(B)	(78,256)	(78,891)
Balance as at the end of the year (A+B)	(78,256)	(78,846)
04 Long Term Borrowings		
Unsecured:*		
Govt. Loans	15,090	15,090
Inter Corporate Borrowing	0	0
Total	15,090	15,090

Details of Default in respect of Loans & Borrowings

(₹ in lakhs)

S.No	PARTICULARS	Loan Amount	Default Period	2018-19		2017-18	
				Principal	Interest	Principal	Interest
1.	M/s. Goa Shipyard Ltd.	21,25	1995	0	0	6,25	0
3.	Govt. of India	1,50,90	From 1975	1,50,90	0	1,50,90	0
4.	Govt. of India	0	From 2011	0	1,23,85	0	1,23,85
	Total			1,50,90	1,23,85	1,57,15	1,23,85

* As per BIFR Sanctioned Scheme, payment of above Principal amount of Plan Loan & Borrowings to be made out of sale proceeds of Non-Operating Units.

05 Other Long Term Liabilities

Trade Payable		
- MSMEs	80	80
- Others	2,481	2,445
Security & Earnest Money Received	2,270	1,988
Advance from Customers	620	401
GST/Sales Tax payable	209	646
Power dues payable	1,059	1,285
Royalty payable	252	777
Interest accrued and due on borrowings- Govt Loan	12,385	12,385
Other Payables	4,737	5,548
Total	24,093	25,555

NOTES FOR FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019

(₹ in lakhs)



PARTICULARS	As at March 31, 2019	As at March 31, 2018
06 Long Term Provisions		
Provision for Employee benefits:		
- Gratuity	2,652	2,897
- Earned Leave	1,392	1,484
Provision for Capital Work in Progress	11	11
Other Provisions	799	2,757
Total	4,854	7,149
07 Short Term Borrowings		
From Banks	-	-
Inter Corporate Borrowing	-	625
Total	-	625
08 Trade Payables		
Trade Payables- MSMEs	45	71
Trade Payables- Others	2,004	1,938
Deposits	0	0
Total	2,049	2,009
09 Other Current Liabilities		
Advance from customers	1,558	1,010
Security & Earnest Money Received	1,285	1,107
GST/Sales Tax Payable	1,083	682
Power Dues Payable	1,018	1,497
Dues to Employees	570	555
Royalty payable	41	38
Other Payables	970	840
Total	6,525	5,729
10 Short Term Provisions		
Provision for Employee benefits:		
- Gratuity	730	993
- Earned Leave	309	434
Other Provisions	1,073	1,904
Bonus	11	11
Total	2,123	3,342

NOTES FOR FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019

11. Tangible Assets

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	Gross Block / Original Cost				Depreciation / Amortisation				Net Block	
	As at April 01, 2018	Addition/ Adjustments	Deletion/ Adjustments	As at March 31, 2019	As at April 01, 2018	Addition/ Adjustments	Deletion/ Adjustments	As at March 31, 2019	As at March 31, 2019	As at March 31, 2018
	(a)	(b)	(c)	(d)=(a)+ (b)-(c)	(e)	(f)	(g)	(h)=(e)+(f)-(g)	(i)=(d)-(h)	(j)=(a)-(e)
A) Works										
1 Land Free Hold	1,294	44	0	1,338	146	0	0	146	1,192	1,148
2 Land Lease Hold	162	0	0	162	158	0	0	158	4	4
3 Roads & Culverts	633	271	0	904	602	10	0	612	292	31
4 Plant Buildings	8,087	0	0	8,087	7,516	72	0	7,588	499	571
5 Non-Plant Buildings	856	0	0	856	601	8	0	609	247	255
6 Water Supply, Drainage & Sewerage	1,081	0	0	1,081	939	2	0	941	140	142
7 Railway Siding	2,095	1,200	0	3,295	1,633	27	0	1,660	1,635	462
8 Electrical Installation	1,850	0	0	1,850	1,767	1	0	1,768	82	83
9 Plant & Machinery	45,679	1,434	0	47,113	39,005	543	0	39,548	7,565	6,674
10 Aerial Ropeway	706	0	0	706	672	0	0	672	34	34
11 Railway Rolling Stock	423	0	0	423	406	0	0	406	17	17
12 Quarry Equipment	2,519	0	0	2,519	2,378	5	0	2,383	136	141
13 Vehicles	427	0	0	427	400	3	0	403	24	27
14 Furniture & Fixture	264	1	0	265	247	3	0	250	15	17
15 Office Equipments	485	9	0	494	440	12	0	452	42	45
16 Miscellaneous Equipments	903	8	0	911	787	9	0	796	115	116
17 Plant & Mach. costing upto Rs.5000	50	5	0	55	50	5	0	55	0	0
Total Works	67,514	2,972	0	70,486	57,747	700	0	58,447	12,039	9,767

PARTICULARS	Gross Block / Original Cost				Depreciation / Amortisation				Net Block	
	As at April 01, 2018	Addition/ Adjustments	Deletion/ Adjustments	As at March 31, 2019	As at April 01, 2018	Addition/ Adjustments	Deletion/ Adjustments	As at March 31, 2019	As at March 31, 2019	As at March 31, 2018
	(a)	(b)	(c)	(d)=(a)+ (b)-(c)	(e)	(f)	(g)	(h)=(e)+(f)-(g)	(i)=(d)-(h)	(j)=(a)-(e)
B) Township										
1 Land Free Hold	15	0	0	15	0	0	0	0	15	15
2 Land Lease Hold	32	0	0	32	0	0	0	0	32	32
3 Roads & Culverts	39	0	0	39	37	0	0	37	2	2
4 Residential & welfare buildings	1,751	0	0	1,751	1,167	20	0	1,187	564	584
5 Water Supply, Drainage & Sewerage	158	27	0	185	152	0	0	152	33	6
6 Electrical Installation	42	0	0	42	40	0	0	40	2	2
7 Vehicles	122	0	0	122	116	0	0	116	6	6
8 Furniture & Fixture	19	0	0	19	17	0	0	17	2	2
9 Office Equipments	4	0	0	4	4	0	0	4	0	0
10 Miscellaneous Equipments	20	0	0	20	18	0	0	18	2	2
Total Township	2,202	27	0	2,229	1,551	20	0	1,571	658	651
Total works & Township	69,716	2,999	0	72,715	59,298	720	0	60,018	12,697	10,418
Previous year	72,452	116	2,852	69,716	61,003	608	2,313	59,298	10,418	

NOTES FOR FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019

(₹ in lakhs)

	As at 31 March 2018	Additions during the year	Capitalised during the year	As at 31 March 2019
12 Capital Work-in-Progress (Tangible)				
Mechanical consultancy	131	3	1	133
Civil Engineering Works	2,247	42	269	2,019
Plant & Machinery including awaiting erection	5,668	704	2,582	3,790
Erection Expenses of Plant & Machinery	1	0	0	1
Incidental Expenditure Pending Allocation*	136	0	0	136
Capital Stores	12	0	3	9
Others	160	0	0	160
Total	8,355	748	2,855	6,248
Provision	238	198	0	436
Total	8,117	550	2,855	5,812
13 Capital Work-in-Progress (Intangible)				
Software Development	2	-	-	2
Total	2	-	-	2
Provision	2	-	-	2
Total	0	-	-	0
* Incidental Expenditure During Construction Period				
Employee Remuneration & Benefits				
Salaries, Wages & Allowances	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Power	0	-	-	0
Miscellaneous Expenses	1	-	-	1
Legal Expenses	0	-	-	4
Security Expenses	22	-	-	23
Total	23	-	-	28
Transferred	23	-	-	28
Addition during the year	-	-	-	-
Total	0	-	-	0
Summary of IEDC Account				
Opening Balance of the year	136	-	-	136
Addition during the year	0	-	-	0
Less: Capitalised during the year	-	-	-	-
Adjustments during the year	-	-	-	-
Closing balance	136	-	-	136



NOTES FOR FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	Market Value as on 31-03-2019	Book Value as on 31-03-2019	Market Value As on 31-03-2018	Book Value as on 31-03-2018
14 Non Current Investments				
A Equity Shares (Fully Paid) at Cost: Quoted				
i) 31 Equity Shares of Rs.10/- each of Andhra Cement Co. Ltd. Market Value Rs.5.15 per share on NSE (Previous Year: Rs.9.70 per Share)	#	#	#	#
ii) 280 Equity Shares (Including 180 Bonus Shares) of Rs. 10/- each of ACC Ltd. ⁽¹⁾ Market Value @Rs.1666.30 per share on NSE (Previous Year: Rs.1507.50 per Share)	5	0	4	0
B Equity Shares (Fully Paid) at Cost: Unquoted				
i) 1 Equity Share of Rs.10/- each of Assam Bengal Cement Co. Ltd. ⁽²⁾		#		#
ii) 79 Equity Share of Rs.10/- each of Jaipur Udyog Ltd.		#		#
iii) 40 Equity Share of Rs.5/- each of Sone Valley Cement Co. Ltd.		#		#
iv) 5531520 Equity Share of Rs.10/- each of A P Gas Power Corporation Ltd. including 2315520 Bonus Shares [16,10,680 Shares sold including 1,34,000 Bonus Shares] Balance held 39,20,840 Shares of Rs.10/- each (including 21,81,520 Bonus Shares)	322 94	228	322 94	228
Total		228		228
Aggregate of Quoted Investments				
Cost	-	#	-	#
Market Value	4	-	4	-
Aggregate of Un-quoted Investments				
Cost		228		228
Total		228		228

⁽¹⁾ Converted from 28 Shares of Rs.100 each. New Share Certificates awaited.

⁽²⁾ Shares are yet to be transferred to the name of the Corporation.

Amount is less than Rs.1 lakh

NOTES FOR FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	As at March 31, 2019	As at March 31, 2018
15 Long-term Loans and Advances		
a) Capital Advances		
Secured, Considered Good	-	-
Unsecured, Considered Good	207	252
Doubtful	19	19
Less: Allowances for bad and doubtful advances	19	19
Sub Total	207	252
b) Deposits: Central Excise		
Secured, Considered Good	-	-
Unsecured, Considered Good	8	8
Doubtful	0	0
Less: Allowances for bad and doubtful advances	0	0
Sub Total	8	8
c) Deposits: Others		
Secured, Considered Good	158	158
Unsecured, Considered Good	1,393	1,402
Doubtful	54	54
Less: Allowances for bad and doubtful advances	54	54
Sub Total	1,551	1,560
d) Contractors & Suppliers		
Secured, Considered Good	-	61
Unsecured, Considered Good	22	22
Doubtful	471	471
Less: Allowances for bad and doubtful advances	471	471
Sub Total	22	83
e) Balance with Govt. Department		
Secured, Considered Good	119	99
Unsecured, Considered Good	183	226
Doubtful	151	151
Less: Allowances for bad and doubtful advances	151	151
Sub Total	302	325
f) Insurance and Other claims		
Secured, Considered Good	-	-
Unsecured, Considered Good	5	5
Doubtful	134	134
Less: Allowances for bad and doubtful advances	134	134
Sub Total	5	5
g) Loans & Advances to Employees		
Secured, Considered Good	3	3
Unsecured, Considered Good	1	1
Doubtful	-	-
Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
Sub Total	4	4

NOTES FOR FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	As at March 31, 2019	As at March 31, 2018
h) Claims Recoverable- Railways		
Secured, Considered Good	-	-
Unsecured, Considered Good	13	13
Doubtful	406	406
Less: Allowances for bad and doubtful advances	406	406
Sub Total	13	13
i) Excise Duty Relief Recoverable		
Secured, Considered Good	-	-
Unsecured, Considered Good	28	28
Doubtful	80	80
Less: Allowances for bad and doubtful advances	80	80
Sub Total	28	28
j) Recoverable from Employees		
Secured, Considered Good	0	1
Unsecured, Considered Good	0	1
Doubtful	7	7
Less: Allowances for bad and doubtful advances	7	7
Sub Total	0	2
k) Recoverable from Outside Parties		
Secured, Considered Good	-	-
Unsecured, Considered Good	1,113	453
Doubtful	617	617
Less: Allowances for bad and doubtful advances	617	617
Sub Total	1,113	453
l) Shortage, Losses Pending Investigation		
Secured, Considered Good	-	-
Unsecured, Considered Good	-	-
Doubtful	590	590
Less: Allowances for bad and doubtful advances	590	590
Sub Total	-	-
Total	3,253	2,733

NOTES FOR FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019

(₹ in Lakhs)



PARTICULARS	As at March 31, 2019	As at March 31, 2018
16 Other Non-Current Assets		
<i>Long- Term Trade Receivables:</i>		
Secured- Considered Good	-	-
Unsecured- Considered Good	-	-
Doubtful	1,501	1,501
Less: Allowances for doubtful receivables	1,501	1,501
Sub Total	0	0
<i>Interest accrued & due on Loans & Advances</i>		
Secured- Considered Good	1	1
Unsecured- Considered Good	38	38
Doubtful	0	0
Less: Allowances for doubtful receivables	0	0
Sub Total	39	39
Total	39	39
17 Unamortised Expenses		
<i>Quarry Development Expenditure</i>		
Opening for the year	1,931	1,833
Additions	418	322
	2,349	2,155
Less: Capitalised/Adjusted	323	224
Total	2,026	1,931
18 Current Investments		
Non Trade Investments	-	-
Total	0	0

NOTES FOR FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	As at		As at	
	March 31, 2019		March 31, 2018	
19 Inventories (As verified, valued and certified by the Management)				
a) Stores and Spares:				
In stock	6,414		6,523	
In transit	101	6,515	20	6,543
b) Work in Progress:				
In stock	4,122		3,641	
In transit	-	4,122	-	3,641
c) Finished Goods:				
In stock	274		1,109	
In transit	7	281	88	1,197
d) Raw Materials:				
In stock	1,012		884	
In transit	8	1,020	3	887
e) Loose Tools:				
In stock	1		0	
In transit	-	1	-	0
f) Packing Materials:				
In stock	87		166	
In transit	-	87	-	166
g) Coal:				
In stock	1,237		1,250	
In transit	-	1,237	-	1,250
h) Scrap:				
In stock	288		282	
In transit	-	288	-	282
Sub total		13,551		13,966
Less: Provision for Unrealisable inventory		11		11
Total		13,540		13,955

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	As at		As at	
	March 31, 2019		March 31, 2018	
20 Trade Receivables				
a) Outstanding for a period exceeding six months				
Secured, Considered Good	0		0	
Unsecured, Considered Good	465		166	
Doubtful	-		-	
Less: Allowances for bad and doubtful receivables	0	465	-	166
b) Others				
Secured, Considered Good	194		76	
Unsecured, Considered Good	521		935	
Doubtful	-		-	
Less: Allowances for bad and doubtful receivables	-	715	-	1,011
Total		1,180		1,177

NOTES FOR FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019

(₹ in Lakhs)



PARTICULARS	As at March 31, 2019	As at March 31, 2018
21 Cash & Bank Balances		
Cash in hand	1	2
Cheques in hand	2	-
Balance with Bank in current account	662	917
Bank deposits		
- Not under lien	12,076	15,035
- Under lien	2,157	1,872
Total	14,898	17,826

Note:

Bank Deposits include deposits of Rs.200.00 lakh (Previous Year: Rs.673.97 lakh) whose maturity period is more than 12 months.

PARTICULARS	As at March 31, 2019	As at March 31, 2018
22 Short-term Loans and Advances		
a) Capital Advances		
Secured, Considered Good	-	-
Unsecured, Considered Good	-	-
Doubtful	-	-
Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
Sub Total	-	-
b) Deposits: Central Excise		
Secured, Considered Good	74	26
Unsecured, Considered Good	18	18
Doubtful	-	-
Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
Sub Total	92	44
c) Deposits: Others		
Secured, Considered Good	-	-
Unsecured, Considered Good	541	446
Doubtful	-	-
Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
Sub Total	541	446
d) Contractors & Suppliers		
Secured, Considered Good	-	-
Unsecured, Considered Good	640	838
Doubtful	-	-
Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
Sub Total	640	838
e) Balance with Govt. Department		
Secured, Considered Good	292	322
Unsecured, Considered Good	808	358
Doubtful	-	-
Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
Sub Total	1,100	680

NOTES FOR FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	As at March 31, 2019	As at March 31, 2018
f) Insurance and Other claims		
Secured, Considered Good	5	4
Unsecured, Considered Good	54	109
Doubtful	0	0
Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
Sub Total	59	113
g) Loans & Advances to Employees		
Secured, Considered Good	8	8
Unsecured, Considered Good	-	0
Doubtful	-	-
Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
Sub Total	8	8
h) Claims Recoverable- Railways		
Secured, Considered Good	-	-
Unsecured, Considered Good	-	-
Doubtful	-	-
Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
Sub Total	0	0
i) Excise Duty Relief Recoverable		
Secured, Considered Good	-	0
Unsecured, Considered Good	52	52
Doubtful	-	-
Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
Sub Total	52	52
j) Recoverable from Employees		
Secured, Considered Good	32	30
Unsecured, Considered Good	6	7
Doubtful	0	0
Less: Allowances for bad and doubtful advances	0	0
Sub Total	38	37
k) Recoverable from Outside Parties		
Secured, Considered Good	-	-
Unsecured, Considered Good	741	2,366
Doubtful	57	57
Less: Allowances for bad and doubtful advances	57	57
Sub Total	741	2,366
l) Shortage, Losses Pending Investigation		
Secured, Considered Good	-	-
Unsecured, Considered Good	-	-
Doubtful	-	-
Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
Sub Total	-	-
Total	3,271	4,584
PARTICULARS	As at March 31, 2019	As at March 31, 2018
23 Other Current Assets		
Interest Accrued on Term Deposits	675	786
Total	675	786

NOTES FOR FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019

(₹ in Lakhs)



PARTICULARS	As at March 31, 2019	As at March 31, 2018
24 Other Income		
a) Refund under budgetary support	439	313
Rent from Property	2,779	1,892
Interest on:		
- Fixed deposits with banks	1,071	1,341
- Others	53	55
Receipts from Township	46	41
Excess Provision written back	2,431	1,792
Miscellaneous Income	237	360
Total	7,056	5,794
25 Cost of Raw Materials Consumed		
Opening Balance	884	1,013
<i>Acquisition during the year:</i>		
Limestone Raising, Quarrying & Transportation ⁽¹⁾	3,256	3,219
Other Raw Materials Purchased	901	878
Adjustment of Raw material	0	(2)
Less:		
Closing Stock	1,012	884
Raw Materials Consumed	4,029	4,224
(1) Limestone Raising, Quarrying & Transportation		
Limestone Raising & Payment to Contractors	874	742
<i>Employees Remuneration & Benefits</i>		
Salaries, Wages and Bonus	423	455
Gratuity paid	79	130
Contribution to Provident Fund	27	34
Contribution to Pension Fund	8	9
Leave Encashment	26	40
Medical Expenses	7	25
Provision for Earned Leave	-	-
<i>Stores Consumed</i>		
Gross Amount	218	204
Less: Amount included under Repairs	31	61
Power	66	75
Fuel	84	40
Rates and Taxes	24	17
Payment to Contract Labour	349	355
Royalty and Cess	1,088	1,172
Quarry Development Expenditure written off	323	224
Travelling Expenses	4	2
Other Expenses	60	12
Depreciation	14	5
Repairs		
- Machinery	20	57
- Building	0	0
- Others	11	4
Sub Total	3,674	3,541
Less: Quarry Dev. Exp.	418	322
Total	3,256	3,219

NOTES FOR FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	As at March 31, 2019	As at March 31, 2018
26 Change in Inventories of Finished Goods, Work-in-Progress and Stock in Trade		
Semi Finished Goods		
- Opening Stock	3,641	2,793
- Closing Stock	4,122 (481)	3,641 (848)
Finished Goods		
- Opening Stock	1,109	897
- Closing Stock	274 835	1,109 (212)
Finished Goods in transit		
- Opening Stock	88	209
- Closing Stock	7 81	88 121
Scrap Stock		
- Opening Stock	282	291
- Closing Stock	288 (6)	282 9
Total	429	(930)

PARTICULARS	As at March 31, 2019	As at March 31, 2018
27 Employee Benefits Expenses		
Salary, Wages and Bonus	4,005	4,749
Gratuity Paid	749	705
Benefits to Employees	9	10
Leave Encashment	408	405
Contbn. to PF	292	306
Contbn. to Pension Fund	70	68
Medical Expenses	240	262
Provision for EL	1	11
Provn. For Gratuity	43	20
Staff Welfare Expenses	253	311
Total	6,070	6,847

NOTES FOR FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019

(₹ in Lakhs)



PARTICULARS	As at March 31, 2019		As at March 31, 2018	
28 Other Expenses				
Power	5,975		6,549	
Coal	8,551		9,276	
Fuel Oil	7		22	
Rent	20		22	
Excise Duty	0		0	
Rates & Taxes	100		183	
Insurance	22	14,675	26	16,078
Repairs & Maintenance				
- Plant & Machinery	1,472		1,179	
- Buildings	161		196	
- Others	276	1,909	247	1,622
Other Production Expenses		795		804
Tools & Tackles Written off		0		0
Travelling Expenses		126		128
Selling Expenses				
- Freight on Cement	2,400		3,003	
- Handling Charges	132		230	
- Godown Charges	91		165	
- Sales Promotion & Publicity	23		23	
- Other Selling Expenses	1	2,647	8	3,429
Vehicle Running Expenses		35		33
Auditors' Remuneration				
- For Audit Fee	8		6	
- For Reimbursement of Expenses	0		1	
- In Other Capacity	4	12	2	9
Cost Auditor Remuneration				
- For Audit Fee	1		1	
- For Reimbursement of Expenses	0	1	0	1
Subscription to CRI & Others		11		8
Adjustment of Raw Material		0		2
Communication Expenses		28		30
Printing & Stationery		29		31
Hire Charges for Data Processing		3		3
Legal & Professional Expenses		196		118
Security Expenses		666		685
Interest on deposits from Stockists/Others		116		261
Training of Workers & Supervisors		3		3
Miscellaneous Expenses ⁽¹⁾		423		258
Payment to Contract Labour		1,291		1,239
Expenses on closed project		28		23
Provision for doubtful receivables & advances		0		292
Prior period Expenses (Net) [Refer Note No.31B]		84		7
Corporate Social Responsibility		3		9
Consumption of Stores & Spare Parts:				
- Gross Amount	1,756		1,620	
- Less: Includes under Repair & Maintenance	1,227	529	1,048	572
Packing Materials		943		1,046
Total		24,553		26,691
(1) Includes:				
- Entertainment Expenses		0		0
- Director Sitting Fees		1		2

NOTES FOR FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	As at March 31, 2019	As at March 31, 2018
29 Finance Cost		
Other Borrowing Cost		
- Others	-	-
Total	-	-
30 Depreciation and Amortisation Expense		
Depreciation/ Amortisation of tangible assets	720	608
Less: Allocated to Quarry Development	14	5
Less: Amount charged to Prior Period	71	0
Total	635	603
31 Exceptional, Extraordinary Items and Adjustment Relating to Past Years		
31A Exceptional Items		
Income:		
Waiver of Interest etc.	1,512	537
Profit on sale of Assets	0	602
Total-A	1,512	1,139
Expenses:		
Total-B	0	0
Net Exceptional Items income/(Expenses)	1,512	1,139
31B Prior Period Items		
Income:		
a) Stores & Spares	0	0
b) Others	3	0
Expenses:		
a) Repairs & Maintenance	3	2
b) Stores & Packing Materials	1	1
c) Employee Remuneration & Benefits	0	1
d) Rates & Taxes	4	0
e) Royalty	0	2
f) Power & Fuel	0	0
g) Sales Tax	0	0
h) Bonus	1	0
i) Depreciation	71	0
j) Others	7	1
Net Prior Period Income / (Expense)	(84)	(7)

NOTES FOR FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019



31C Statement of Revenue & Expenses of Continuing and Discontinuing Operations

PARTICULARS	Continuing Operation		Discontinuing Operation		Total	
	Year ended March 31, 2019	Year ended March 31, 2018	Year ended March 31, 2019	Year ended March 31, 2018	Year ended March 31, 2019	Year ended March 31, 2018
A Revenue:						
Turnover (Net)	27,666	32,145	0	0	27,666	32,145
Other Operating Revenue	117	156	0	0	117	156
Accretion/Decretion to Semi-Finished Goods & Finished Goods	(429)	967	0	(37)	(429)	930
Total	27,354	33,268	0	(37)	27,354	33,231
B Expenses:						
Operating Expenses	35,084	36,113	203	2,252	35,287	38,365
Total	35,084	36,113	203	2,252	35,287	38,365
C Profit/(Loss) Before Interest & Tax from Operating Activities	(7,730)	(2,845)	(203)	(2,289)	(7,933)	(5,134)
Interest Expenses	0	0	0	0	0	0
D Profit/(Loss) Before Tax	(7,730)	(2,845)	(203)	(2,289)	(7,933)	(5,134)
Income Tax	0	0	0	0	0	0
E Profit/(Loss) from Operating Activities After Tax	(7,730)	(2,845)	(203)	(2,289)	(7,933)	(5,134)
Other Income	5,300	4,472	1,756	1,322	7,056	5,794
F Exceptional Items- Income/(Expenses)	1,118	0	394	1,139	1,512	1,139
G Net Profit / (Loss) from Operating Activities	(1,312)	1,627	1,947	172	635	1,799

NOTES FOR FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	As at March 31, 2019	As at March 31, 2018
32 Contingent Liabilities and Commitments (To the extent not provided for)		
A) Contingent Liabilities		
(i) Claims against the company not acknowledged as debts		
a) Income Tax Demand (P.Y. u/s 271(1) (c) for AY 2007-08)	32	49
b) Sales Tax demand of Tandur & Bokajan unit etc.	814	1,959
c) Bokajan Expansion Contract	11,200	11,200
d) Arbitration Matter	751	799
e) Tariff Minimum Charges in respect of Akaltara	1,152	1,152
f) Power wheeling charges etc. in respect of Tandur	14,386	9,831
g) Others- Miscellaneous Cases	9,456	9,038
(ii) Other money for which company is contingently liable	0	0
Sub Total (A)	37,791	34,028
B) Commitments		
a) Estimated amount of contracts remaining to be executed on the capital accounts and not provided for	11,640	15,837
Sub Total (B)	11,640	15,837
Total (A+B)	49,431	49,865

Note:

Effect for cases lying in various courts for compensation/promotion/claims of employees for service matters etc. has not been given in the Books of Accounts as the amount thereof is unascertainable.

NOTES FOR FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019

(₹ in Lakhs)



PARTICULARS	As at March 31, 2019		As at March 31, 2018	
33 Quantitative Details				
1 Actual Production				
Portland Cement				
- Ordinary	526,057	M Tonnes	683,475	M Tonnes
- Pozzolana	108,265	M Tonnes	69,600	M Tonnes
	634,322	M Tonnes	753,075	M Tonnes
2 Clinker	603,890	M Tonnes	753,011	M Tonnes
(A pre cement stage material & not an additional product)				
Clinker purchased	0	M Tonnes	0	M Tonnes
3 Cement Despatches	650,537	M Tonnes	747,166	M Tonnes
	Quantity in	Value in	Quantity in	Value in
	M. Tonnes	Rs. Lakh	M. Tonnes	Rs. Lakh
4 Opening Stock				
a) Cement				
i) Stock at Factory				
- Cement OPC	16,784	617	12,082	473
- Cement PPC	3,533	140	2,223	86
ii) Stock at Dumps				
- Cement OPC	9,200	352	4,273	336
- Cement PPC	0	0	0	0
iii) Stock in Transit				
- Cement OPC	2,787	88	8,719	207
- Cement PPC	0	0	48	2
iv) Damaged Cement				
- Cement OPC	4,888	0	6,634	2
- Cement PPC	3,016	0	3,016	0
Sub Total	40,208	1,197	36,995	1,106
b) Clinker	161,324	3,169	133,209	2,154
Clinker (Purchase)	0	0	0	0
Sub Total	161,324	3,169	133,209	2,154
5 Net Sales including self consumption/ Transfer etc.				
i) Cement OPC	549,695	27,330	679,348	32,127
ii) Cement PPC	109,988	0	68,338	0
iii) Cement used for testing	0	0	0	0
iv) Cement shortage during transit	40	0	199	0
v) Self Consumption OPC	193	11	333	18
vi) Self Consumption PPC	8	0	0	0
	659,924	27,341	748,218	32,145
v) Clinker	11,646	325	0	0

NOTES FOR FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	As at March 31, 2019		As at March 31, 2018	
6 Closing Stock				
a) Cement				
i) Stock at Factory				
- Cement OPC	2,300	99	16,784	617
- Cement PPC	1,803	70	3,533	140
ii) Stock at Dumps				
- Cement OPC	2,238	98	9,200	352
- Cement PPC	0	0	0	0
iii) Stock in Transit				
- Cement OPC	160	7	2,787	88
- Cement PPC	0	0	0	0
iv) Damaged Cement				
- Cement OPC	5,089	7	4,888	0
- Cement PPC	3,016	0	3,016	0
Sub Total	14,606	281	40,208	1,197
b) Clinker	160,235	3,258	161,325	3,169
Sub Total	160,235	3,258	161,325	3,169
7 Others				
i) Clinker shortages during transit	0	0	0	0
ii) Cement Sold as Scrap	0	0	1,644	0
iii) Clinker Sold as Scrap	0	0	4,002	0
Total	0	0	5,646	0
8 Clinker used for Cement Grinding	593,333	19,730	720,893	21,239
9 Raw Materials Consumed				
i) Limestone	881,561	2,974	1,113,966	3,337
ii) Laterite	3,739	17	5,877	26
iii) Iron Ore	16,667	491	23,999	423
iv) Gypsum	11,108	260	13,280	290
v) Shale	33,344	104	25,634	45
vi) Fly Ash	26,941	152	16,426	75
vii) Burnt Clay	329	2	0	0
viii) Others	22,539	29	22,137	28
Total		4,029		4,224
10 Value of Imports Calculated on CIF Basis in respect of:				
i) Raw Materials	0	0	0	0
ii) Components and Spare Parts	0	0	0	0
iii) Capital Goods	0	0	0	0
Total		0		0
11 Directly Imported and indigenously available Raw materials, Spare parts consumed and the percentage of each to the total consumption :				
Directly Imported	1%	47	0%	16
Indigenously Available	99%	5,738	100%	6,465
	100%	5,785	100%	6,481

NOTES FOR FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2019



34 Notes Forming Part of Financial Statements

- 34.01** The claims/ counter claims lodged by the Corporation for ₹ 104461.43 Lakhs (Previous year ₹ 7313.99 lakhs) which are under arbitration/ pending in Courts etc. and the outcome will be known only on award / decree etc., hence effect are not given in the Accounts.
- 34.02** i) The Sales Tax liability on account of non-receipt of 'C', 'D' and F/ B-II forms etc. till the Balance Sheet date for ₹ Nil (Previous year ₹ 17.97 lakhs) which are expected to be received before final assessment is completed and/or appeals are finalized, hence provision not made.
- ii) In terms of order of the Assessing Officer, Income Tax Deptt. for the Assessment Year 2006-07 & 2007-08, the Assessing Officer assessed income of ₹ 885,00,87,850/- and ₹ 87,98,64,000/- respectively and adjusted the same with brought forward losses of the company. In view of the same, the assessed losses of the company have been reduced by ₹ 9,72,99,51,850/-. The company has filed appeals and Appellate Authorities has revert back the case to Assessing Officer and in response of the same total income of the assessee company is recomputed to ₹ 88,52,21,550/- by AO due to the addition w.r.t disallowance of depreciation on Plant and Machinery of Non Operating Units, hence the assessed losses of the company have been further reduced by ₹ 53,57,552/- makes it to ₹ 9,73,53,09,402/- and now the appeal is pending with Appellate Authorities for the same.
- iii) The contract of Bokajan Cement Factory had been awarded to M/s Promac Engineering Industries Limited, Bangalore in the year 2010 for ₹ 142.40 Crore. M/s Promac Engineering Industries Limited revoked the arbitration clause as per work order. As per terms of contract arbitrator has been appointed and arbitration proceedings has started. CCI also lodge the counter claim for loss/damage suffered due to non-execution of Bokajan Expansion work for ₹ 925 Crore against promac claim of ₹112 Crore.
- 34.03** Title deeds for land measuring 1.06 acres (Mandhar), 0.146 hectares (Nayagaon), 495.75 acres (Akaltara), 10.12 acres (Bhatinda Grinding Unit) and lease deeds for 155.83 acres (Nayagoan) and 58.81 acres (Adilabad), are yet to be executed. DHI has given the direction for disinvestment of Non-operating Units.
- Delhi Development Authority (DDA) allotted land measuring 20.94 acres of lease hold land to CCI for setting up of a Grinding Unit and Railway siding.
- DDA vide their letter dated 11-04-2017, suo moto transferred CCI's Lease hold land measuring 14.20 acres meant for setting up the Grinding Unit to South Delhi Municipal Corporation (SDMC). The cost of land of 14.20 acres is now transferred to 'Recoverable from outside parties' as the same is recoverable from SDMC/DDA. DHI Vide letter in 2018 directed CCI to negotiate with SDMC for compensation in terms of money. The matter was also discussed in a meeting dated 16.05.2019 in NITI Ayog. Remaining 6.74 acres of land is still in possession of the corporation.
- 34.04** Mining lease deemed to have been granted for all the Govt. company as per Mineral (Mining by Govt. Co.) Rules 2015 dated 03-12-2015, accordingly mining leases of CCI are deemed to have been granted and is still valid.
- 34.05** The acquisition of Government lands outside the CCI, Adilabad Township and used as road from Pump house to National Highway No.7 measuring 32 guntas for which alienation orders are awaited from Revenue Department, Provision if any for this consideration not made in the accounts.
- 34.06** Liability for cess amounting to ₹ NIL (Previous year: ₹ 0.06 lakhs) has also been provided for on cement stock of 0.00 MT as on 31-03-2019 (Previous year: 8604.618 MT).
- 34.07** The shares of various Companies (Face Value of ₹ 37.79 lakhs), held by late Shri R.K.Dalmia and kept as security with erstwhile Dalmia Dadri Cement Limited against loan of ₹ 214.00 lakhs taken by him, have been taken possession of shares in earlier years. Although these shares were valued at ₹2.80 lakhs (at realisable value) but were considered doubtful and accordingly provided for in earlier years.
- 34.08** The Office Building at Scope Complex, New Delhi, the cost thereof of ₹ 266.58 lakhs excluding Electrical Installation of ₹ 5.70 lakhs, is being amortized provisionally by way of depreciation. Considering as a deemed owner, however the execution of lease deed in favour of Corporation is pending.
- 34.09** A reference was made to Board of Industrial & Financial Reconstruction under section 15(1) of Sick Industrial Co. (SP) Act, 1985 vide letter No. SEC/84/96/513 dt. 25-04-96. The Company was declared sick vide Hon'ble

BIFR letter No. 501/96-BENCH IV SOL dt. 8-8-96. Hon'ble BIFR in its hearing held on 21-03-2006 has approved the Rehabilitation Scheme prepared by M/s. IFCI (OA) and approved by Govt. of India. The Sanctioned Scheme was circulated by Hon'ble BIFR on 03-05-2006 which inter alia envisaged settlement of secured and unsecured creditors and expansion/technological upgradation of 3 operating plants and closure / sale of remaining 7 non-operating plants. After closure of Hon'ble BIFR, the sale of non-operating unit is undertaken through DHI as per DIPAM guidelines. As per direction, sale of non-operating units is required to be taken place in two phases for which Assets valuers, transactions advisor and Legal advisor have been appointed. PIM (Preliminary Information Memorandum) for five units has been prepared. Expression of Interest for Nayagaon Unit has been published.

- 34.10** (i) Reliefs and concessions in respect of Creditors, State Governments, Other Govt. Departments and Agencies will be considered appropriately as and when such payments are made and such concessions/ reliefs become certain without any contingency attached to it or approval for the same is received, as the case may be.
- (ii) Plan Loan from Government of India (interest free) amounting to ₹150.90 crore (Previous year: ₹ 150.90 crore) will be repaid from the sale proceeds of seven non-operating units as per the sanctioned scheme dated 03-05-2006 of Hon'ble BIFR. Further, interest accrued amount of ₹ 123.85 crores on Non Plan Loan provided by Govt. of India has been freezed with effect from 01.04.2011. The interest will be paid out of sale proceeds of Non-operating Units.

34.11 Production at the following units has been discontinued from the dates mentioned against each unit:

Sl.	Unit Name	State	Discontinued from
i)	Mandhar	Chatisgarh	06/06/1996
ii)	Charkhi Dadri	Haryana	14/08/1996
iii)	Akaltara	Chatisgarh	09/12/1996
iv)	Nayagoan & Nayagaon Expansion	Madhya Pradesh	30/06/1997
v)	Kurkunta	Karnataka	01/11/1998
vi)	Adilabad	Telengana	05/11/1998
vii) a	Delhi Grinding Unit	Delhi	08/02/1999
vii) b	Bhatinda Grinding Unit	Punjab	Not Commissioned

The Draft Rehabilitation Scheme (DRS) prepared by IFCI (OA) was approved by Hon'ble BIFR in its hearing held on 21-03-2006 and sanctioned scheme circulated on 03-05-2006, envisaged settlement of secured and unsecured creditors and closure / sale of above 7 non-operating units. The market value of the assets in respect of the above 7 units as mentioned in the said scheme is higher than book value of Assets. Similarly, the market value of the Assets in respect of units Bokajan, Rajban & Tandur are expected to be much more than the Book Value of the Assets. Hence, there is no indication of a potential impairment loss. Therefore, no provision for impairment loss has been considered in the Accounts.

- 34.12** The special auditor appointed by SBI Caps, Merchant Bankers, as per the terms of the MOU/ Sale agreement in respect of Yerraguntala Unit had submitted their report. Pending reconciliation and confirmation with M/s. India Cement Ltd., necessary liabilities as found accruing, on date of the sale has already been considered in the accounts.
- 34.13** On process of implementation of Rehabilitation Scheme, Non-cumulative Preference Share of ₹ 355.43 crores was issued on 22-03-2007 for seven year, further extension for reissue of Preference Share has been sought from the Ministry as per Cabinet / BIFR direction.
- 34.14** Deferred Tax Assets/ Liabilities are not recognized in the absence of virtual certainty of realization of the deferred tax assets within the allowable period under the Income Tax Act.
- 34.15** For classification of liabilities into current and non-current, the stipulations contained in the Sanctioned Scheme have been kept in view besides its nature.
- 34.16** Keeping in view the nature of business & Geographical status of the Corporation, the segment reporting under Accounting Standard-17 is not applicable.

34.17 Unadjusted / Unclaimed amount of advances received are reviewed and an amount of ₹ 55.41 lakhs (Previous year: ₹ 83.65 lakhs) which was lying in books of accounts for more than a decade have been written back in the current year and shown in Note -24 of the Account under other income.

34.18 Details of provision as per Accounting Standard-29, Refer Note 6 & 10.

(₹ in Crores)

Particulars	Opening Balance		Adjustment/ Paid during the year		Addition during the year		Closing Balance	
	Current year	Previous year	Current year	Previous year	Current year	Previous year	Current year	Previous year
Gratuiry	38.90	46.23	5.51	16.09	0.43	8.76	33.82	38.90
Bonus	0.11	0.11	0.03	0.03	0.03	0.03	0.11	0.11
Capital work-in-progress	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11
E.L. Liability	19.18	22.12	2.20	5.47	0.03	2.53	17.01	19.18
Others	46.61	43.86	38.36	39.19	10.47	41.94	18.72	46.61

34.19 Details of interest due / paid to Micro Small & Medium Enterprises (MSMEs)

(₹ in lakhs)

S.No	Description	Current Year	Previous Year
1	The principal amount remaining unpaid to supplier as at the end of accounting year	125	150
2	The interest due thereon remaining unpaid to supplier at the end of accounting year	339	325
3	The amount of interest paid in terms of Section 16, along with the amount of the payment made to the supplier beyond the appointed day during the year	0	0
4	The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under the Act.	0	0
5	The amount of interest accrued during the year and remaining unpaid at the end of the accounting year.	14	14
6	The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprises for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under Section 23 of the Act.	339	325

34.20 Employee's Benefits as per Accounting Standard 15

The Corporation has adopted Accounting Standard 15 - Employees Benefits as per details given below:-

i) **Provident Fund**

The Corporation pays fixed contribution of P.F. at pre-determined rates to a separate Trust which invests the funds in permitted securities. The Trust is required to pay a minimum rate of interest on contribution to

the members of the Trust. Loss of the P.F. Trust, if any, is borne by the Corporation.

ii) **Gratuity**

The Corporation has a defined gratuity plan. Every employee is entitled to get gratuity as per provisions of the Gratuity Act. The liability for gratuity is recognized on the basis of actuarial valuation.

iii) **Leave Encashment**

Leave encashment is payable to the eligible employees who have accumulated EL, HPL etc. The liability towards leave encashment is recognized on the basis of actuarial valuation.

iv) **Other Defined Retirement Benefits**

The Corporation has a Scheme for settlement at home town for employees and dependents at the time of Superannuation. This is recognized in the Statement of Profit & Loss on the basis of actuarial valuation.

The summarised position of various defined benefits recognised in the statement of Profit and Loss and Balance Sheet are as under:

A. Expenses recognized in Statement of Profit & Loss

(₹ in lakhs)

S. N.	Particulars	Gratuity		Leave encashment		Other defined retirement benefits	
		31-03-19	31-03-18	31-03-19	31-03-18	31-03-19	31-03-18
a)	Current Service Cost	143.37	154.95	115.26	131.75	0.77	0.82
b)	Interest Cost	290.80	338.22	146.59	164.84	1.52	1.86
c)	Net actuarial (Gain)/Loss recognised in the year	(156.71)	(414.49)	(80.78)	(162.21)	(0.72)	(4.43)
d)	Expenses recognised in the statement of Profit & Losses	277.47	78.68	181.07	134.38	1.58	(1.74)

B. Amounts recognized in Balance Sheet

(₹ in lakhs)

S. N.	Particulars	Gratuity		Leave encashment		Other defined retirement benefits	
		31-03-19	31-03-18	31-03-19	31-03-18	31-03-19	31-03-18
a)	Present value of obligation as at the end of the period	3268.70	3776.74	1685.54	1903.77	17.04	19.74
b)	Funded status/Difference	(3,268.70)	(3,776.74)	(1,685.54)	(1,903.77)	(17.04)	(19.74)
c)	Net asset/(Liability) recognised in Balance Sheet	(3,268.70)	(3,776.74)	(1,685.54)	(1,903.77)	(17.04)	(19.74)

C. Change in present value obligation

(₹ in lakhs)

S. N.	Particulars	Gratuity		Leave encasement		Other defined retirement benefits	
		31-03-19	31-03-18	31-03-19	31-03-18	31-03-19	31-03-18
a)	Present value of obligation as at the beginning of the year	3776.74	4509.66	1903.77	2197.84	19.74	24.83
b)	Interest Cost	290.81	338.22	146.59	164.84	1.52	1.86
c)	Current Service Cost	143.37	154.95	115.26	131.75	0.77	0.82
d)	Benefits Paid	(785.50)	(811.61)	(399.31)	(428.44)	(4.27)	(3.35)
e)	Actuarial (Gain)/Loss on obligation	(156.71)	(414.49)	(80.78)	(162.21)	(0.72)	(4.43)
f)	Present value of obligation as at the end of the year	3268.70	3776.74	1685.54	1903.77	17.04	19.74

D. Amount for the current period

(₹ in lakhs)

S. N.	Particulars	Gratuity		Leave encasement		Other defined retirement benefits	
		31-03-19	31-03-18	31-03-19	31-03-18	31-03-19	31-03-18
a)	Present value of obligation as at the end of the year	3268.70	3776.74	1685.54	1903.77	17.04	19.74
b)	Surplus/(Deficit)	(3,268.70)	(3,776.74)	(1,685.54)	(1,903.77)	(17.04)	(19.74)

E. Actuarial Assumptions

S.No.	Description	As at 31 March 2019
i)	Retirement Age	60 years
ii)	Age	Withdrawal rate: % age Upto 30 years - 0% From 31 to 44 - 1% Above 44 - 1%
iii)	Discounting rate	7.59 %
iv)	Future salary increase	6.00%
v)	Expected return on plan assets	Nil

34.21 Balances shown under advances, trade payable and trade creditors etc. are subject to confirmation/ reconciliation. These include certain old balances pending scrutiny for adjustment. Necessary effect would be given on completion of the same.

34.22 The Expenditure incurred towards various activities under Corporate Social Responsibility (CSR) as per Companies Act, 2013 is given below. The total amount spent is shown in Note No. 28 of the Accounts.

(₹ in lakhs)

Sl.	Particulars	Year Ended 31-03-2019	Year Ended 31-03-2018
i)	Average net profit of Corporation for last three years-A	3794.33	4530.67
ii)	Prescribed CSR Expenditure (2% of the above under Companies Act, 2013)-B	75.89	90.61
iii)	Total amount spent during the year as given below:-C	2.50	8.93
iv)	Amount unspent (B - C)	73.39	81.68

(₹ in lakhs)

Sl.	Particulars	Already paid		Yet to be paid		Total	
		Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
a)	Construction/Acquisition of any assets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	On purposes other than above						
	i) Water Pump at School	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00
	ii) Renovation of School At Hidippi	2.34	0.00	0.00	0.00	2.34	0.00
	iii) Water Cooler and RO System	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00	1.41
	iv) Septic Tank and Soak Pit	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	v) Toilets- Under SBM	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00	2.96
	vi) Pipeline for water supply	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00	1.65
	vii) Health (Medical) Camp	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00	1.91
	Total	2.50	8.93	0.00	0.00	2.50	8.93

34.23 In accordance with Accounting Standard-18 'Related Party Disclosures' of the Companies (Accounting Standard) Rules 2006, it is certified by the Management that no Related Party Transactions have been made during the year. The details of remuneration paid to Key Managerial Personnel are given below:

(₹ in lakhs)

Sl.	Name of the Key Managerial Personnel	Designation	Year Ended 31-03-2019	Year Ended 31-03-2018
1.	Sh. Manoj Misra*	Chairman & Managing Director	31.62	33.63
2.	Sh. BVN Prasad	Director (HR)	31.32	29.51
3.	Sh. S.Sakthimani	Director (Fin)/ CFO	27.94	26.26
4.	Sh. Ajay Kumar Sharma	Company Secretary	15.08	14.49

***Retired on 30-09-2018**

In addition CMD and full time Directors are also allowed to use company vehicle for non-duty journey upto 1000 km per month on payment of ₹ 2000/- per month.

34.24 The Earnings Per Share (EPS) of the company as per Accounting Standard-20 issued by the Institute of Chartered Accountants of India is as under:

(₹ in lakhs)

Sl.	Particulars	Year Ended 31.03.2019	Year Ended 31.03.2018
a)	Net Profit after tax for the year (₹ Lakh)	635.09	1799.46
b)	Less: Extraordinary/Exception items (₹ Lakh)	1512.09	1139.08
c)	Less: Dividend on Non- Cumulative Preference Shares (₹ Lakh)	3.55	3.55
d)	Net Profit after tax attributable to Equity share holders (₹ Lakh)	(880.55)	656.82
e)	Number of Equity share outstanding during the year	4559749.00	4559749.00
f)	Face Value of Equity Share (₹)	1000.00	1000.00
g)	Basic and diluted Earnings Per Share (₹)	(19.31)	14.40

34.25 Figures of the previous years have been split up and regrouped wherever necessary so as to correspond to the current year figures.

For Kapoor Bhushan & Co.

Chartered Accountants

ICAI Firm Registration No.001676N

Sd/-

CA P B Kapoor

Partner

Membership No.010858

Date: 07.08.2019

Place: New Delhi

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-

B V N Prasad

Director (HR)

Sd/-

Ajay Kumar Sharma

Company Secretary

Sd/-

S. Sakthimani

Director (Finance)/ CFO

Sd/-

Manoj Kumar Patra

Head of Finance





संख्या / No.: MAB-II/आ.सी.ई.ए.ए. -I/01-02/2019-20/273
 भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग
 कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
 एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड-II
 नई दिल्ली

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
 OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF
 COMMERCIAL AUDIT & EX-OFFICIO MEMBER,
 AUDIT BOARD-II, NEW DELHI

दिनांक / DATE 26-09-2019

सेवा में,

निदेशक,
 सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
 कोर 5 स्कोप काम्पलेक्स 7,
 लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

विषय- कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6)(b) के अधीन 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6)(b) के अधीन 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित करती हूँ। इन टिप्पणियों को कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाए।

भवदीया,

(प्राची पाण्डेय)

प्रधाननिदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
 एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड-II
 नई दिल्ली

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH, 2019



The preparation of financial statements of Cement Corporation of India Limited for the year ended 31 March 2019 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 07 August, 2018.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 143(6)(a) of the Act of the financial statements of Cement Corporation of India Limited for the year ended 31 March 2019. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

In view of the revisions made in the statutory auditor's report, to give effect to six of my audit observations raised during supplementary audit, I have no further comments to offer upon or supplement to the statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

**For and on the behalf of the
Comptroller & Auditor General of India**

**(Prachi Pandey)
Director General of Commercial Audit
& Ex-officio Member, Audit Board-II
New Delhi**

**Place: New Delhi
Date: 26.09.2019**

Our Employees-Our Greatest Assets

Employees are the heartbeat of the Company.

CCI has a dedicated team of more than 500 employees all over India, who toil round the clock for better productivity for the Company. CCI has adopted progressive policies in scientific planning, acquisition, utilization, training and motivation of the team. At CCI, everybody matters; every person adds something or the other to the Company's success.

Our Employees are the backbone of our organization. CCI believes that investment in people improves the performance of the organization and developing staff is one of the most effective motivator for retaining them.

CCI feels that there is always an economic link between employee satisfaction and company financial performance. A happy workplace culture does translate into better stock returns.

Happy employees = Happy Customers = Happy Stakeholders

HR policies at CCI revolve around the basic tenet of creating a highly motivated, vibrant & self-driven team. The Company cares for each and every employee and has in-built systems to recognise and reward them periodically. Since, CCI believes in equality, women employees are encouraged to apply and various workshops are organized for the employees including programme on gender sensitization and gender equality.

"Human Resources" are of vital importance and significance to an enterprise and constitute a primary segment of the total resources held. A peculiar aspect of "Human Resources" is that while these have infinite potential yet whatever is realised out of this resource is generally akin to the tip of the iceberg the remaining whole lot lying submerged untapped. Deliberate efforts have therefore, to be made to augment the gap between 'Actual' and 'potential' "Human resources" may also be branded as "Mother Resources" through the medium of which other scarce resources viz. Machines, material, money are organised, co-ordinated, directed and controlled. Maximum realisation of the Potentialities of this "Mother Resources" is of crucial importance for the success of an enterprise. The in-house management and leadership styles the participative, collaborative and supportive climate, the motivational environment, care concern and fellow feelings for each other, the freedom and flexibility to operate within given frame-work of organisational goals and objectives productivity oriented performance yard sticks and continued management's positive awareness for training & development effort to keep the threat of human obsolescence at bay are some of the essential inputs for tapping this resource of human assets. Besides, the human resources, the highly perishable by mere efflux of time unless they are effectively and meaningfully put to use continually.

A good insight into existing human potential can be well perceived through the profile of the human power distributed profession wise and age wise 54.25 % of the total employees strength of CCI represent technically and professional qualified, degree/diploma holders. As such 41.77% of total strength of the organisation are in the age group of 26-50 year. However, average age of our employees comes to 47 years. The broad distribution of CCI's human force is as under:

Professional Profile			
SI. No.	PARTICULARS	No. of employees	
		As on 31.3.2019	As on 31.3.2018
1	PHDs	1	1
2	Post Graduate Engineers	1	2
3	Graduate Engineers	78	75
4	MBA's	26	30
5	Professional Diploma Holders	16	16
6	post Graduate	24	26
7	CA/ICWA/SAS/ACS	12	13
8	Engineer Diploma Holders	58	70
9	Graduate	79	90
10	ITI Certificate Holders	109	131
11	Others	149	186
	Total	553	640

The age wise and category-wise distribution of employees as on 31.3.2019 is given below :

YEARS								
Row Labels	<30	30-35	36-41	42-47	48-53	54-60	Grand Total	Average Age
EXE.	4	32	15	13	25	60	149	47
SUP.	16	20	5	1	17	98	157	49
Non Supervisor	9	51	34	5	47	101	247	47
Total	29	103	54	19	89	259	553	47

The Annual Statement in the prescribed format showing the representation of SCs, STs and OBCs as on 01/01/2019 and number of appointments made during the preceding calendar year, as furnished to the Government, is given below:

CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED														
REPRESENTATION OF SCs/STs/OBCs.					No. of appointments made during the calendar year									
Groups	(AS ON 01/01/2019)				By Direct Recruitment				By Promotion			By Deputation / Absorption		
	Total No. of Employees	SCs	STs	OBCs	Total	SCs	STs	OBCs	Total	SCs	STs	Total	SCs	STs
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Group A-TOT	155	19	2	26	12	1	8	5	19	4	1	0	0	0
Group B-TOT	166	21	9	32	0	0	0	0	37	5	1	0	0	0
Group C-TOT	104	15	22	32	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0
GROUP D-TOT	149	33	19	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	574	88	52	117	12	1	8	5	60	10	2	0	0	0

NAME OF THE UNIT CCI LIMITED																				
Manpower strength of Physically Challenged employees as on 01/01/2019																				
Group-wise manpower strength of Physically Challenged employees as on 01/01/2019																				
Groups	NUMBER OF EMPLOYEES				DIRECT RECRUITMENT (DURING THE CALENDER YEAR)								PROMOTION							
	(AS ON 01/01/2017)				NO. OF VACANCIES RESERVED			NO. OF VACANCIES MADE (APPOINTED)					NO. OF VACANCIES RESERVED			NO. OF VACANCIES MADE (APPOINTED)				
	Total	VH	HH	OH	VH	HH	OH	Total	VH	HH	OH	VH	HH	OH	Total	VH	HH	OH		
Group A	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Group B	166	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Group C	104	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Group D	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Total	574	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



Salient features of our Units

MANDHAR (Distt. Raipur, Chhattisgarh)

This is the first unit of the Corporation, which went into production in July, 1970 adopting the wet process and this was expanded to produce slag cement from November, 1978. The slag requirement is drawn from Bhilai Steel Plant.

	2018-19	2017-18	2016-17
Installed capacity (in lakh tonnes)	3.80	3.80	3.80
Production (in lakh tonnes)	-	-	-
Value of Production (₹ in lakhs)	-	-	-
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	(37)	(1,08)	3,25

The production remained suspended due to unit being unviable.

KURKUNTA (Distt. Gulbarga, Karnataka)

This is the second wet process unit which went into production from October, 1972.

	2018-19	2017-18	2016-17
Installed capacity (in lakh tonnes)	1.98	1.98	1.98
Production (in lakh tonnes)	-	-	-
Value of Production (₹ in lakhs)	-	-	-
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	7	(2,17)	3,67

BOKAJAN (Distt. Karbi Anglong, Assam)

This unit is located in difficult area in Karbi Anglong Distt. of Assam, set up more from a socio economic point of view of serving the neighbouring areas with cement, rather than only from normal economic consideration. Limestone for this unit is transported, by ropeway 18 Kms long, passing through difficult terrain. The unit went into production from 1st April, 1977.

	2018-19	2017-18	2016-17
Installed capacity (in lakh tonnes)	1.98	1.98	1.98
Production (in lakh tonnes)	0.84	1.12	0.80
Value of Production (₹ in lakhs)	4761	56,39	37,52
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	(1092)	(6,86)	(19,75)

RAJBAN (Distt. Sirmur, Himachal Pradesh)

This is yet another unit located in a hilly and difficult area. In addition to normal communication being difficult, the unit is serviced for both inward movement of materials and outward movement of finished products by road transport for a considerable lead, as the Unit does not have nearby rail head. The entire production of this factory has to be distributed by road. From the quarry situated in the hills, limestone is transported by a ropeway of 9 kms. The unit is in commercial production from April, 1980.

	2018-19	2017-18	2016-17
Installed capacity (in lakh tonnes)	2.48	2.48	2.48
Production (in lakh tonnes)	1.44	1.35	1.69
Value of Production (₹ in lakhs)	5872	74,67	90,97
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	(965)	2,21	10,22

NAYAGAON (Distt. Mandsaur, Madhya Pradesh)

This unit with an annual installed capacity of 4 lakh tonnes went into commercial production from 1st March, 1982.

	2018-19	2017-18	2016-17
Installed capacity (in lakh tonnes)	4.00	4.00	4.00
Production (in lakh tonnes)	-	-	-
Value of Production (₹ in lakhs)	-	-	-
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	44	15.00	3,36

Expansion project by another 10 lakh tonnes was undertaken on the concept of split location i.e. clinkerisation at Nayagaon and grinding of clinker at Delhi and Bhatinda. Clinkerisation plant at Nayagaon and grinding unit at Delhi have gone in to commercial production from 1.5.90.

NAYAGAON Expn. Including DGU & BGU

	2018-19	2017-18	2016-17
Installed capacity (in lakh tonnes)	5.00	5.00	5.00
Production (in lakh tonnes)	-	-	-
Value of Production (₹ in lakhs)	-	-	-
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	433	231	300

AKALTARA (Distt. Bilaspur, Chhattisgarh)

This unit went into commercial production from 1st April, 1981.

	2018-19	2017-18	2016-17
Installed capacity (in lakh tonnes)	4.00	4.00	4.00
Production (in lakh tonnes)	-	-	-
Value of Production (₹ in lakhs)	-	-	-
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	1174	292	789

The production remained suspended due to unit being unviable.

CHARKHI DADRI (Distt. Bhiwani, Haryana)

This was a sick unit taken over by the Government of India and vested with CCI in June, 1981. After rehabilitation within a short period, cement grinding was started by September, 1981 and clinker production started subsequently. Out of two streams, only one was capable of rehabilitation.

	2018-19	2017-18	2016-17
Installed capacity (in lakh tonnes)	1.74	1.74	1.74
Production (in lakh tonnes)	-	-	-
Value of Production (₹ in lakhs)	-	-	-
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	37	(278)	(360)

The production remained suspended due to unit being unviable.

**ADILABAD (Distt. Adilabad, Telengana)**

This unit went into commercial Production from Apri, 1984

	2018-19	2017-18	2016-17
Installed capacity (in lakh tonnes)	4.00	4.00	4.00
Production (in lakh tonnes)	-	-	-
Value of Production (₹ in lakhs)	-	-	-
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	288	238	98

TANDUR (Distt. K. V. Ranga Reddy, Telengana)

This unit went into commercial production from 1st July, 1987

	2018-19	2017-18	2016-17
Installed capacity (in lakh tonnes)	10.00	10.00	10.00
Production (in lakh tonnes)	4.07	5.06	5.42
Value of Production (₹ in lakhs)	16604	20007	20468
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	746	2092	2611

55वीं वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

विषय सूची	पृष्ठ संख्या
अध्यक्ष का भाषण	98
निदेशक मण्डल की रिपोर्ट	100
सचिवालय लेखा परीक्षा रिपोर्ट	125
निगमित शासन पर रिपोर्ट	128
प्रबन्धन के साथ चर्चा और विश्लेषण	136
निष्पक्ष लेखा परीक्षक की रिपोर्ट एवं प्रबंधन के उत्तर	140
वार्षिक लेखे 2018-19	151
कैश फ्लो विवरणी	153
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां एवं समीक्षा	187
हमारे कर्मचारी—हमारी महानतम परिसंपत्तियां	189
यूनिटों की प्रमुख विशेषताएं	191

सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
नई दिल्ली

55वीं वार्षिक आम सभा में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अभिभाषण



प्रिय शेयरधारकों,

मुझे आपकी कंपनी, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) की 55वीं वार्षिक आम बैठक में निदेशक मंडल की ओर से आप सभी का स्वागत करने में प्रसन्नता है। इस बैठक में आपकी महती उपस्थिति से कंपनी के उद्यम में आपके समर्थन और अभिरुचि को रेखांकित करती है; और मैं आप सभी का आभारी हूँ।

निदेशकों की रिपोर्ट और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के कंपनी के वार्षिक लेखे पहले ही परिचालित किए जा चुके हैं। आपकी अनुमति से, मैं उन्हें पढ़ा गया मानता हूँ।

निष्पादन विशेषताएं

आपकी कंपनी ने निवल संपत्ति के सकारात्मक होने की दिशा में अपना बहुप्रतीक्षित स्वप्न साकार किया है। यह दो दशकों से अधिक के अथक परिश्रम और सभी अवरोधों को पार करने के फलस्वरूप हुआ है; और मैं कंपनी की उस अमूल्य मानव पूंजी का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने जहां हम आज हैं, उस स्तर तक पहुंचने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया है।

आपकी कंपनी ने स्थावर संपदा क्षेत्र में मंदी, जीएसटी के लागू होने और बढ़ती इनपुट लागत का सामना किया है।

आपकी कंपनी ने चुनौतियों के न्यूनीकरण के लिए अपनी

अंतर्निहित शक्तियों पर बल दिया। आपकी कंपनी ने 6.34 लाख मीट्रिक टन सीमेंट का उत्पादन किया और रुपए 6.35 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया।

गुणवत्ता प्रबंधन

सीसीआई में गुणवत्ता अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपकी कंपनी के पास आईएसओ प्रमाणीकरण सहित तांदूर, राजबन और बोकाजन में तीनों प्रचालित संयंत्रों के लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली है। कर्मचारियों के बीच गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता पैदा करने के लिए आवधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

मानव संसाधन विकास

आपकी कंपनी ने, इस वर्ष मानव संसाधनों के विकास और उनके कौशल विकास के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता के क्रम में 1891 मानव दिनों के आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके अलावा, विभिन्न विषयों पर बाह्य प्रशिक्षण के लिए विभिन्न कर्मचारियों को भी नामित किया गया। कर्मचारियों के एक वर्ग को भी विभिन्न स्थानों पर काम करने के अपने कार्यात्मक क्षेत्रों में कई संगोष्ठियों और सम्मेलनों में नामित किया गया।

सभी प्रचालन ईकाइयों में कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को विभिन्न अवधारणाओं पर प्रशिक्षण दिया गया।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

निदेशक मंडल ने अपनी 7 दिसम्बर, 2016 को आयोजित 332वीं निदेशक मंडल बैठक में सीएसआर नीति को अनुमोदित किया था। यह नीति कॉर्पोरेट में लागू की गई है। आपकी कंपनी ने अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अनुरूप अनेक कार्यकलाप किए हैं, और 2,50,081 रुपये की राशि के साथ विभिन्न सीएसआर गतिविधिया की पहल की हैं।

कॉर्पोरेट शासन

कंपनी का मानना है कि कंपनी के सभी हितधारकों के

साथ नैतिक और पारदर्शी व्यापार प्रथाओं को अपनाना कॉर्पोरेट शासन के मानदंडों का पालन करने के लिए महत्वपूर्ण है। आपकी कंपनी इसे आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुनरावृत्ति करती है। मैं आपको यह सूचित करने के लिए उत्साहित हूँ कि कंपनी द्वारा 10 लाख रुपये से अधिक राशि की किसी भी निविदा से उपजी किसी भी शिकायत की निगरानी और समाधान के लिए स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर्स (आईईएम) की नियुक्ति की गई है। मैं आपका ध्यान निदेशकों की रिपोर्ट की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें कॉर्पोरेट शासन का अलग से उल्लेख किया गया है।

आभार

आपका निरंतर समर्थन और विश्वास उत्कृष्टता के लिए नए प्रयासों को आगे बढ़ाने में प्रेरित करता है और मैं, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और भारत सरकार, विशेष रूप से भारी उद्योग विभाग, लोक उद्यम विभाग का हमारे सभी कार्यों में उनके मार्गदर्शन और समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं सीसीआई के उत्पादों के प्रति निरंतर समर्थन के लिए सरकारी क्षेत्र और निजी दोनों क्षेत्रों में अपने सम्मानित ग्राहकों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं भारत सरकार, राज्य सरकारों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, हमारे बैंकों, सांविधिक लेखापरीक्षकों, प्रधान निदेशक और सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-II और अन्य सभी प्राधिकरणों और एजेंसियों के अत्यधिक समर्थन का भी आभारी हूँ।

अंततः, मैं कॉर्पोरेट के समग्र विकास और विकास में कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शित प्रतिबद्धता, भागीदारी और समर्पण के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त करता हूँ।

आप सभी का पुनः धन्यवाद,

जय हिंद।

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 30 दिसम्बर 2019

(बी.वी.एन. प्रसाद)
निदेशक (मानव संसाधन)/
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

सदस्यों,

मुझे आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लेखा परीक्षित लेखों, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट के साथ आपकी कंपनी की 55वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

1. वित्तीय निष्पादन

कंपनी का समीक्षाधीन वर्ष का वित्तीय निष्पादन और विगत वर्ष के आंकड़ें नीचे दिए गए हैं :

सम्पूर्ण कॉर्पोरेट के रूप में

(करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	वर्ष 2018-19 के लिए	वर्ष 2017-18 के लिए
1.	प्रचालन से निवल आय	277.83	323.01
2.	अन्य आय (असाधारण आय सहित)	85.68	69.33
3.	पीबीडीआईटी	13.55	24.07
4.	घटा : ब्याज	0.00	0.00
5.	मूल्यह्रास से पूर्व लाभ	13.55	24.07
6.	घटा: मूल्यह्रास	7.20	6.08
7.	मूल्यह्रास और ब्याज के बाद लाभ	6.35	17.99
8.	घटा: वर्तमान आयकर	0.00	0.00
9.	घटा: आयकर का पिछले वर्ष का समायोजन	0.00	0.00
10.	घटा: आस्थगित कर	0.00	0.00
11.	कर के बाद निवल लाभ	6.35	17.99
12.	तुलन-पत्र में अंतरित शेष	6.35	17.99

- 1.1 वर्ष 2018-19 के दौरान कुल राजस्व 348.39 करोड़ है, जबकि पिछले वर्ष में यह 380.95 करोड़ था।
- 1.2 कॉर्पोरेट ने वर्ष 2018-19 के दौरान 6.35 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया है जबकि पिछले वर्ष के दौरान 17.99 करोड़ का निवल लाभ हुआ। वर्ष के दौरान सीमेंट का उत्पादन 634 लाख मीट्रिक टन है जबकि पिछले वर्ष यह 753 लाख मीट्रिक टन था।

2. लाभांश

कंपनी की संचयी हानियां हैं। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कोई लाभांश घोषित नहीं किया जाएगा।

3. व्यापार संचालन और भावी संभावनाएं

आपके निदेशक वर्ष 2018-19 के दौरान किए गए व्यावसायिक कार्यों का विवरण प्रस्तुत करते हैं:-

क. प्रचालन

ईकाइयों का निष्पादनदृ

गैर-प्रचालन ईकाइयां :-

वर्ष 2018-2019 के दौरान, सीसीआई की निम्नलिखित छह गैर-प्रचालन ईकाइयां बंद रहीं। दिल्ली ग्राइंडिंग इकाई की भूमि को दक्षिण दिल्ली नगर कॉर्पोरेट ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र दक्षिण दिल्ली नगर कॉर्पोरेट के लिए अपने कब्जे में ले लिया है।

- | | | |
|------------|---------------|-------------|
| 1. मांढर | 2. कुरकुंता | 3. नयागांव |
| 4. अकलतारा | 5. चरखी दादरी | 6. आदिलाबाद |

प्रचालन ईकाइयां :-

सीमेंट (:), क्लिंकर उत्पादन (मीट्रिक टन), सीमेंट उत्पादन (मीट्रिक टन) और प्रचालन ईकाइयों के सीमेंट (मीट्रिक टन) के प्रेषण का वैयक्तिक और सामूहिक रूप से क्षमता उपयोगिता इस प्रकार है:-

वर्ष	बोकाजन		राजबन		तांदूर		केवल प्रचालनरत संयंत्रों के लिए	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
क्षमता सीमेंट का उपयोग (%)	42.20	56.57	58.00	54.33	40.70	50.63	43.90	52.08
क्लिंकर उत्पादन (मीट्रिक टन)	84985	105690	99100	133010	419805	514311	603890	753011
सीमेंट उत्पादन (मीट्रिक टन)	83570	112010	143750	134750	407002	506315	634322	753075
प्रेषण (मीट्रिक टन)	86697	113121	148641	131471	415197	502472	650534	747067

गैर- प्रचालित ईकाइयां

कंपनी की निम्नलिखित गैर-प्रचालित ईकाइयों में सीमेंट संयंत्र बिना किसी प्रचालन के बंद रहे।

1. मांढर, रायपुर जिला, छत्तीसगढ़
2. कुरकुंटा, कलबुर्गी जिला, कर्नाटक
3. नयागांव, नीमच जिला, मध्य प्रदेश
4. अकलतारा, जांजगीर चंपा जिला, छत्तीसगढ़
5. चरखी दादरी, चरखी दादरी जिला, हरियाणा
6. आदिलाबाद, आदिलाबाद जिला, तेलंगाना

- दिल्ली ग्राइंडिंग इकाई – दिल्ली ग्राइंडिंग इकाई की जमीन दक्षिण दिल्ली नगर कॉर्पोरेट को सौंप दी गई है।

गैर-प्रचालित ईकाइयों की बिक्री की स्थिति :-

श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश के अनुसार, गैर-प्रचालन ईकाइयां अर्थात् मांढर, कुरकुंता, नयागांव, अकलतारा, चरखी दादरी और दिल्ली ग्राइंडिंग ईकाइयां 31.10.2008 को बंद कर दी गई हैं। आदिलाबाद इकाई भी दिनांक 20.02.2017 के आदेश पर 31.10.2008 को बंद कर दी गई है।

भारत सरकार के निर्देश के अनुसार, निम्नलिखित ईकाइयों के लिए विनिवेश प्रक्रिया शुरू की गई है।

1. नयागांव – इकाई की बिक्री के लिए “रुचि की अभिव्यक्ति” समाचार पत्रों में 02.03.2019 को प्रकाशित की गई है। मांढर, अकलतारा, चरखी दादरी और बठिंडा ग्राइंडिंग इकाई को बंद कर दिया गया।

2. कुरकुंता

परियोजनाओं की स्थिति नीचे वर्णित हैं :

क) बोकाजन विस्तार परियोजना

स्वीकृत योजना के अनुसार, बोकाजन इकाई की संस्थापित क्षमता को 1200 टीपीडी क्लिंकर तक बढ़ाया जाना है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बोकाजन में सीमेंट ग्राइंडिंग की क्षमता में वृद्धि करने और 50 टीपीएच क्षमता के साथ सिलचर ग्राइंडिंग इकाई की स्थापना करने की परिकल्पना की गई है।

बोकाजन सीमेंट फ़ैक्टरी के क्षमता विस्तार के लिए 1200 टीपीडी के कार्य आदेश, मैसर्स प्रोमेक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड (पीईआईएल) बेंगलूर को 18 महीने की अनुबंध अवधि सहित 142.40 करोड़ की कुल लागत पर टर्नकी आधार पर दिए गए थे।

पीईआईएल ने जून 2011 में परियोजना का काम शुरू किया था। कार्य की गति धीमी थी। पार्टी ने मई 2014 में काम बंद कर दिया था, जिसमें एलसी को न खोलने और भुगतान में देरी जैसे विभिन्न कारण बताए गए थे।

पार्टी द्वारा की गई प्रतिबद्धता के अनुसार विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए पार्टी के साथ विचार-विमर्श के बाद, पार्टी को परियोजना को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए दिसम्बर 2017 में 15 महीने की अवधि बढ़ाने का आदेश जारी किया गया था। पार्टी ने मूल्य में वृद्धि के लिए मध्यस्थता की धारा का प्रयोग करने के लिए कहा। परियोजना कार्य को पुनरारंभ करने के बाद, पार्टी ने पुनः कार्य बंद कर दिया। मध्यस्थता की कार्यवाही के दौरान काम जारी रखने के लिए पार्टी की विफलता को देखते हुए, सीसीआई ने 06.03.2019 को कार्य आदेश रद्द कर दिया।

मध्यस्थता की कार्यवाही मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष जारी है।

ख) सिलचर ग्राइंडिंग इकाई

50 टीपीएच की सिलचर ग्राइंडिंग इकाई की स्थापना के लिए मैसर्स प्रोमेक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड (पीईआईएल) बंगलूर को रुपए 39.68 करोड़ की कुल लागत पर टर्न की आधार पर कार्य आदेश दिया गया था। परियोजना कार्यान्वयन में कोई प्रगति नहीं हुई है।

चूंकि परियोजना कार्य में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है, इसलिए सीसीआई द्वारा 06.03.2019 को कार्य आदेश रद्द कर दिया गया है। मैसर्स पीआईएल ने उपर्युक्त रद्दीकरण के विरुद्ध मध्यस्थता की धारा का प्रयोग करने के लिए कहा है।

ग) तंदूर में प्रौद्योगिकी उन्नयन

स्वीकृत योजना में परिकल्पित के अनुसार, तंदूर में प्रौद्योगिकीय उन्नयन योजना के कार्यान्वयन का कार्य शुरू किया गया है।

34 योजनाओं में से 26 योजनाएं पूरी कर ली गई हैं। शेष योजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

श्रेणी -1 रेलों की अनुपलब्धता के कारण रुपए 15.59 करोड़ की लागत से रेलवे के साथ निक्षेप कार्य के रूप में तंदूर संयंत्र के रेलवे साइडिंग का उन्नयन करने में विलंब हुआ है। कार्य प्रगति पर है।

ख. लाभप्रदता


कंपनी ने वर्ष 2018-19 में 6.35 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया है, जबकि पिछले वर्ष के दौरान 17.99 करोड़ का निवल लाभ हुआ था।

ग. बिक्री

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान सीमेंट की कुल बिक्री पिछले वित्त वर्ष के दौरान 7.47 लाख मीट्रिक टन की बिक्री की तुलना में 6.59 लाख मीट्रिक टन थी। राजबन इकाई ने पिछले वित्त वर्ष की तुलना में चालू वित्त वर्ष के दौरान बिक्री में 1.32 लाख मीट्रिक टन से 1.49 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि दर्ज की।

तेंदूर इकाई ने अप्रैल-अगस्त 2018 की अवधि के दौरान व्यापक अनुरक्षण कार्य किया जिससे आपूर्ति पर रोक लगा दी गई थी। वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में दक्षिणी बाजारों में उद्योग भी प्रमुख प्रतिस्पर्धी दौर में था, जिससे कॉर्पोरेट के टॉपलाइन और बॉटम लाइन दोनों प्रभावित हुए।

सीसीआई की वित्तीय वर्ष 17-18 बनाम वित्तीय वर्ष 18-19 की पूर्ण बिक्री



कॉर्पोरेट ने तेंदूर इकाई से क्लाइनर बिक्री भी शुरू कर दी है।

घ. औद्योगिक विशेषताएं और दृष्टिकोण

वैश्विक सीमेंट बाजार 2018 में 5 अरब टन से अधिक की मात्रा तक पहुंच गया है और अगले पांच वर्षों के दौरान 3.5% के सीएजीआर में बढ़ने की आशा है। तथापि, भारतीय सीमेंट उद्योग ने वित्तीय वर्ष 2017-18 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 में 13.3% की वृद्धि दर्ज की। इस उद्योग में वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भी 7-8% की वृद्धि दर्ज होने की संभावना है। भारत की मध्यावधि विकास की संभावनाएं मजबूत हैं।

जीएसटी और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता कोड जैसे हाल के वर्षों में किए गए महत्वपूर्ण सुधारों से आने वाले वर्षों में सीमेंट की खपत बढ़ने की संभावना है। भारत विश्व में सीमेंट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दस लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। केंद्र में एक स्थिर सरकार के साथ, सड़कों, मेट्रो रेल परियोजनाओं, हवाई अड्डों और सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण पर ध्यान देने के साथ बुनियादी ढांचे के विकास में एक नए सिरे से जोर देने की आशा है। वर्ष 2022 तक 98 स्मार्ट शहरों के विकास और सभी योजनाओं के लिए आवास जैसी कुछ प्रमुख पहलों से भी सीमेंट की खपत पर अनुकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। भारत सरकार ने 2018-19 के बजट में, घर खरीदारों को सुविधा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक के अंतर्गत रूप से 25,000 करोड़ के किफायती आवास कोष

की स्थापना की घोषणा की है। भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास विकास योजना (शहरी) के अंतर्गत 18 दिसम्बर तक लगभग 1.29 मिलियन घरों का निर्माण किया गया है।

भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और डिजिटलीकरण, वैश्वीकरण, अनुकूल जनसांख्यिकी और सुधारों के फलस्वरूप इसके अगले 10-15 वर्षों में विश्व की शीर्ष तीन आर्थिक शक्तियों में से एक होने की संभावना है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 7: की वृद्धि दर्ज की है।

कुल 210 बड़े सीमेंट संयंत्रों की कुल क्षमता 410 मिलियन टन से अधिक संचयी संस्थापित क्षमता है। बड़े संयंत्रों में से 77 आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में स्थित हैं जिससे दक्षिण भारत अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार बन गया है।

ड. विपणन और इसका पर्यावरण

उत्तरी बाजारों में वर्ष भर में अच्छी मांग दर्ज की गई और राजबन बाजार में पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री में 13: की वृद्धि दर्ज की गई। दक्षिणी बाजार जो अत्यधिक प्रतिस्पर्धी हैं, पहले तंदूर इकाई में उत्पादन बाधाओं से प्रभावित हुए और फिर तीव्र प्रतिस्पर्धा के कारण वर्ष की दूसरी छमाही में कीमतों में गिरावट आई। फरवरी और मार्च 19 के दौरान तंदूर इकाई में पिछले पांच वर्षों के दौरान सबसे अधिक सीमेंट की बिक्री और प्रेषण के कारण कीमतों में सुधार हुआ।

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने फरवरी और मार्च 19 के दौरान एक लाख मीट्रिक टन से अधिक की बिक्री भी की, जो पिछले पांच वर्षों के दौरान सबसे अधिक है।

पर्यावरण के अनुकूल सीमेंट पीपीसी के को भी तंदूर इकाई से बढ़ावा दिया गया था और वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान इसके बढ़ने की आशा है।

च. गुणवत्ता

➤ सीसीआई की तीनों प्रचालन इकाइयों में गुणवत्ता पहलुओं को महत्व दिया जाता है। कच्चे माल के स्तर से उत्पाद चरण तक कंपनी की स्वयं की सुसज्जित प्रयोगशालाओं में योग्य और प्रशिक्षित कार्मिकों द्वारा नियमित गुणवत्ता निगरानी और नियंत्रण गतिविधियों की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, एन टी एच, एनसीबी आदि जैसी प्रतिष्ठित सरकारी प्रयोगशालाओं में पूर्ण भौतिक और रासायनिक मानदंडों के लिए सीमेंट के नमूनों की जांच की जाती है।

क) सभी तीन प्रचालित इकाई आईएसओ 9001 प्रमाणित हैं। तंदूर इकाई एसए 8000 प्रमाणित है।

ख) कुल ऊर्जा की खपत और उत्पादन की प्रति इकाई ऊर्जा की खपत।

बिजली

क)	क्रय	(2018-19) (केवल प्रचालित इकाइयाँ)	(2017-18) (केवल प्रचालित इकाइयाँ)
i)	इकाइयाँ (लाखों में)	965.94	1096.21
ii)	कुल राशि (लाखों में)	5960.89	6559.90
iii)	दर प्रति इकाई	6.17	5.98
ख) अपना उत्पादन			
i)	इकाइयाँ (किलोवाट)	72972	108039
ii)	लीटर में कुल डीजल की खपत	56633.60	

क)	क्रय	(2018-19) (केवल प्रचालित ईकाइयां)	(2017-18) (केवल प्रचालित ईकाइयां)
iii)	ईकाइया/डीजल तेल के लीटर (किलोवाट/लीटर)	1.77	2.88
iv)	लागत प्रति इकाई (किलोवाट)	36.18	19.59

कोयला

i)	मात्रा खपत (टन) कोयला	148675	171765
ii)	कुल लागत (लाख में)	8591.88	9275.95
	औसत दर (मीट्रिक टन)	5778.78	5952.43

उत्पादन की प्रति इकाई खपत

i)	बिजली (किलोवाट/टन पैक सीमेंट सहित टाउनशिप)	147.14	142.22
ii)	बुक किया गया कोयला (किलो. क्लिंकर का उत्पादन)	0.2458	0.2281
iii)	कोयला गुणवत्ता (यूएचवी) (किलो. कैलोरी/किलो. कोयला)	4421.59	4543.47

4. पूंजी संरचना

कॉर्पोरेट को वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार से इक्विटी के रूप में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है और वर्ष के अंत में कंपनी की शेयर पूंजी 811.41 (इक्विटी शेयर 455.98 करोड़ और गैर-संचयी मोचनीय अधिमान शेयर 355.43 करोड़) थी।

5. पारिश्रमिक नीति :-

सीसीआई में, अधिकारियों के लिए वेतन और अन्य हितलाभ राष्ट्रपति के निर्देशों पर आधारित, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 30 अप्रैल, 2009 के जारी पत्र संख्या एफ.1(6) 2009 – पीई. XII के अनुरूप है। पिछला वेतन संशोधन मंत्रालय के दिनांक 26 नवंबर 2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(70)/08-डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएल-XVI/08, दिनांक 9 फरवरी 2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(70)/08-डीपीई(डब्ल्यूसी)-GL&IV/09 और 2 अप्रैल 2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(70)/08-डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएल-IV/09 के अनुरूप किया गया था। पीआरपी कंपनी के निष्पादन/लाभप्रदता के साथ-साथ वैयक्तिक निष्पादन रेटिंग पर आधारित है जो संगठन के उद्देश्यों के अनुरूप है।

6. मानव संसाधन प्रबंधन और औद्योगिक संबंध :

आपकी कंपनी मानव संसाधनों पर अधिक जोर देती है क्योंकि कर्मचारी किसी भी संगठन की सबसे मूल्यवान संपत्ति हैं। आपकी कंपनी में विभिन्न प्रकार के कौशल, योग्यता और क्षमता वाले 548 कर्मचारी हैं (अप्रैल 2019 के अनुसार)। आपका कॉर्पोरेट मानव संसाधन विकसित करने और उन्हें संगठन के उद्देश्यों में उनके योगदान से जुड़े अधिक अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। कॉर्पोरेट मानव दक्षताओं के विकास और अपनी सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान परिसंपत्ति अर्थात अपने कर्मचारियों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है।

कॉर्पोरेट की सभी ईकाइयों में औद्योगिक संबंध पूरे वर्ष शांतिपूर्ण रहे। विभिन्न मंचों पर ट्रेड यूनियनों और कर्मचारियों के साथ फलदायक विचार-विमर्श और बातचीत की जा रही है, जिसने निवारण, मतभेदों को दूर करने और औद्योगिक संबंधों में सुधार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्ष के दौरान मानव दिवसों का कोई नुकसान नहीं हुआ।

7. मानव संसाधन विकास :

मानव संसाधन विकास के माध्यम से, आपकी कंपनी ने एक स्वस्थ कार्य संस्कृति स्थापित करने के लिए और उच्च लक्ष्य और उत्पादकता प्राप्त करने के साथ ही भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रयास किए हैं और मानव संसाधनों के विकास और इष्टतम उपयोग की दिशा में जोर दिया है। सीसीआई की कर्मचारी केंद्रित नीतियों का एक अभिन्न हिस्सा उनके ज्ञान उन्नयन और विकास पर जोर देना है। मानव संसाधन विकास के भाग के रूप में, आपकी कंपनी सभी स्तरों पर कर्मचारियों के कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। वर्ष 2018-19 के दौरान कर्मचारियों को उनके कौशल को बढ़ाने के लिए कुल 1891 कार्यदिवसों का प्रशिक्षण दिया गया। आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान विभिन्न विषयों पर बाह्य प्रशिक्षण के लिए भी कर्मचारियों को नामित किया है। विभिन्न स्थानों पर काम करने वाले कर्मचारियों को उनके अपने कार्यात्मक क्षेत्रों में अनेक संगोष्ठियों और सम्मेलनों के लिए नामित किया गया।

सभी प्रचालन ईकाइयों में कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को विभिन्न अवधारणाओं पर प्रशिक्षण दिया गया।

8. कर्मचारी कल्याण /हितलाभ की पहल :

मानव संसाधन विभाग ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, खेल गतिविधियों, स्वास्थ्य जांच शिविरों और स्वास्थ्य वार्ताओं का आयोजन करके कर्मचारियों के कल्याण के लिए कई पहलें की हैं जो ईकाइयों के साथ-साथ कॉर्पोरेट कार्यालय में भी आयोजित की गई हैं।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान सीसीआई ने स्थापना दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, स्वच्छता पखवाड़ा, हिंदी पखवाड़ा, शतरंज प्रतियोगिता, महिला दिवस आदि का भी आयोजन किया है। कार्यक्रम की कुछ झलकियां नीचे दी गई हैं:

9. शिकायत निवारण तंत्र :

शिकायत निवारण के लिए प्रभावी आंतरिक व्यवस्था बनाई गई है और सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में अपने कर्मचारियों के लिए लागू की गई है।

सीसीआई शिकायत निवारण प्रणाली को बहुत प्रभावी ढंग से संचालन कर रहा है और कर्मचारियों को वेतन मामलों, कार्य स्थितियां, छुट्टी, कार्य समनुदेशन और कल्याण सुविधाओं आदि से संबंधित शिकायतें उठाने के लिए प्रत्येक स्तर पर अवसर दिया जाता है। ईकाइयों में मौजूद पर्यावरण की भागीदारी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अधिकांश शिकायतों का अनौपचारिक रूप से निवारण किया जाता है। प्रणाली व्यापक, सरल और लचीली है और कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने में प्रभावी साबित हुई है। जन शिकायत पोर्टल पर प्रस्तुत की गई शिकायतों का भी समयबद्ध तरीके से निपटान किया गया।

10. महिलाओं का कल्याण :

आपकी कंपनी महिलाओं के कल्याण के लिए अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध और सचेत है। लिंग संवेदीकरण पर कार्यक्रम सहित सशक्तिकरण और विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। कॉर्पोरेट की विभिन्न ईकाइयों/कार्यालयों में कार्यरत महिला कर्मचारियों को सभी सांविधिक और अन्य हितलाभ प्रदान किए जा रहे हैं।

महिलाओं के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सीसीआई की ईकाइयों में महिला क्लब हैं जहां महिलाओं के लिए विभिन्न सामाजिक और मनोरंजक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इन क्लबों में कंप्यूटर साक्षरता, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिचर्या आदि पर व्यावसायिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कॉर्पोरेट महिलाओं के कल्याण के लिए ऐसी गतिविधियां शुरू करने के लिए समय-समय पर अवसरचक्रात्मक और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जहां तक कार्यस्थल पर महिला के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 का संबंध है, ऐसे किसी भी मुद्दे की जांच करने के लिए गठित समिति को 2018-19 के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

11. राजभाषा कार्यान्वयन :

कॉर्पोरेट ने सरकार की राजभाषा नीति के अनुरूप राजभाषा के उत्तरोत्तर प्रयोग के लिए अपने प्रयास जारी रखे। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक नियमित रूप से होती है और कॉर्पोरेट ने भी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। कर्मचारियों को अपने दैनिक सरकारी कार्य में हिंदी के अधिक से अधिक प्रयोग के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करने के लिए हिंदी सप्ताह/पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है।

12. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

आपकी कंपनी ने सदैव अपने सीएसआर दर्शन के इस भाग के रूप में अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन किया है कि व्यापार और समाज, विकास के लिए भागीदार बन सकते हैं। अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अनुरूप, आपकी कंपनी ने विभिन्न कार्यकलाप और विभिन्न पहलें की हैं। 2018-19 के दौरान, सीएसआर गतिविधियों पर रूपए 2,50,081 की राशि खर्च की गई थी अर्थात् शंकरदेव शिशु विद्या निकेतन में एक पानी पंप और हिडिपी स्कूल का नवीकरण।

इस अवधि के दौरान संयंत्र के रख-रखाव और अचानक बंद होने के कारण CCI CSR प्रोजेक्ट्स नहीं ले सका। हालाँकि, 2019-20 में, CCI कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार सीएसआर गतिविधियों के लिए बुक की गई राशि को खर्च करने के लिए प्रतिबद्ध होगा।

13. ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और बर्हिगमन

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (ड) के अंतर्गत आवश्यकतानुसार ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और बर्हिगमन से संबंधित सूचना अनुलग्नक में प्रस्तुत की गई है जो इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

14. कंपनी के जोखिम प्रबंधन नीति के विकास और कार्यान्वयन के संबंध में विवरण

जोखिम प्रबंधन प्रणाली कॉर्पोरेट और प्रचालनात्मक उद्देश्यों के साथ एक एकीकृत और संरेखित प्रणाली है। जोखिम प्रबंधन सामान्य व्यावसायिक पद्धति के रूप में किया जाता है न कि निर्धारित समय पर अलग कार्य के रूप में।

15. कंपनी द्वारा इसके कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के संबंध में कंपनी द्वारा विकसित और लागू की गई नीति का विवरण

आपकी कंपनी ने सदैव अपने सीएसआर दर्शन के एक भाग के रूप में अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन किया है कि व्यापार और समाज के विकास के लिए भागीदार बन सकता है। अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अनुरूप, आपकी कंपनी ने विभिन्न कार्यकलाप किए हैं और विभिन्न पहलें की हैं।

16. सतर्कता विभाग की गतिविधियां और उपलब्धियां

- (i) वर्ष 2018-19 के दौरान, सतर्कता विभाग ने संगठन में सभी स्तरों पर अपने कर्मचारियों के बीच सतर्कता जागरूकता की है और कार्य परिवेश में सत्यनिष्ठता, दक्षता और पारदर्शिता की संस्कृति को बढ़ावा दिया है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन 29 अक्टूबर 2018 से 3 नवंबर, 2018 तक किया गया, जिसका विषय 'भ्रष्टाचार उन्मूलन – एक नया भारत' था। इस सप्ताह के दौरान, कॉर्पोरेट कार्यालय और प्रचालन ईकाइयों ने निबंध लेखन/नारे आदि पर संगोष्ठी, वाद-विवाद, कार्यशालाएं, प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। कदाचारों में लिप्त होने की संभावना को समाप्त करने की दृष्टि से निवारक सतर्कता और प्रणाली में सुधार पर व्याख्यान का भी आयोजन किया गया था।
- (ii) पिछले वित्तीय वर्ष से ग्यारह (11) शिकायतें सामने आई थीं और वर्ष के दौरान आठ (8) शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन उन्नीस (19) शिकायतों में से, केवल एक (1) शिकायतों को छोड़कर अठारह (18) शिकायतों का निपटान किया गया था, और शेष एक शिकायत को अगले वित्तीय वर्ष में आगे ले जाया गया है। निपटाई गई शिकायतों की अच्छी तरह से जांच की गई और

जहां आवश्यक हो, व्यवस्थित सुधार के सुझाव के साथ तार्किक समापन किया गया।

- (iii) वर्ष 2019 के लिए 'संदिग्ध सत्यनिष्ठा' और 'सहमत सूची' के अधिकारियों की सूची तैयार की गई है।
- (iv) ई-खरीद, ई-नीलामी और सत्यनिष्ठा समझौता लागू किया गया है और आईईएम नियुक्त किया गया है।
- (v) सतर्कता मामलों से प्राप्त कानूनी मामलों में कॉर्पोरेट के हितों की रक्षा के लिए समय पर कार्रवाई की जाती है।
- (vi) चालू वर्ष के लिए कर्मचारियों से वार्षिक संपत्ति विवरणियां प्राप्त की जा रही हैं।
- (vii) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने अब सतर्कता कार्यकलापों से संबंधित मुख्य सतर्कता अधिकारी की मासिक/वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के ऑफलाइन तरीके को समाप्त करने का निर्णय लिया है। मासिक रिपोर्ट के स्थान पर, ये रिपोर्टें जनवरी, 2019 से मार्च, 2019 तक ऑनलाइन मोड के माध्यम से तिमाही/वार्षिक आधार पर भेजी जाएंगी। जनवरी से मार्च, 2019 तक तिमाही निष्पादन रिपोर्ट 9.4.2019 को केन्द्रीय सतर्कता आयोग को ऑनलाइन भेज दी गई है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार तिमाही प्रगति रिपोर्ट सीटीईओ को प्रस्तुत की जा रही है।

17. ई-प्रापण/सत्यनिष्ठा अनुबंध

संगठन में ई-प्रापण सुविधा उपलब्ध है। मैसर्स एंटेरेस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, बंगलोर ई-प्रापण पोर्टल के लिए सेवा प्रदाता है। 1 (एक लाख) से ऊपर की सभी निविदाएं अपने पोर्टल www.cci-etender.com (पोर्टल की लिंक) के माध्यम से ई-टेंडर के माध्यम से आमंत्रित की जा रही हैं।

विक्रेता पंजीकरण का एक प्रारूप सीसीआई वेबसाइट पर दिया गया है। विक्रेताओं ईकाइयों के साथ-साथ, यथा लागू कॉर्पोरेट कार्यालय में भी पंजीकृत होते हैं।

सत्यनिष्ठा संधि कार्यान्वित की गई है। 10 लाख से अधिक सभी निविदाओं के लिए सत्यनिष्ठा समझौते के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए आईईएम की नियुक्ति की गई है। नीतिगत निर्णय के अनुसार, खुली निविदाओं (उच्च मूल्य वाली पूंजी मदों को छोड़कर) के विरुद्ध समाचार पत्रों में एनआईटी की छोटी कतरनों का प्रकाशन किया गया है।

18. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय नियंत्रण

कंपनी में कंपनी की नीतियों के अनुपालन, अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने और धोखाधड़ी की रोकथाम करने सटीक और त्वरित वित्तीय रिपोर्टिंग करने सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए और श्रेष्ठ कॉर्पोरेट शासन की दिशा में जोखिम प्रबंधन की प्रभावशीलता में सुधार के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है। कंपनी में आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं:दू

- 1) स्वतंत्र सनदी लेखाकार फर्मों द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा
- 2) आंतरिक लेखा परीक्षा
 - (i) कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित लेखा परीक्षा समिति बाह्य आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करती है। महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों वाली रिपोर्टें समय-समय पर कंपनी के प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति को प्रस्तुत की जाती हैं।
 - (ii) संबंधित क्षेत्रों में आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है और इस तरह नियंत्रण को मजबूत बनाया जाता है।

कंपनी की सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों अर्थात् विपणन मैनुअल, क्रय और निर्माण मैनुअल, सामग्री, स्टोर, लेखा और व्यक्तिगत मैनुअल आदि को कवर करते हुए प्रबंधन द्वारा जारी विभिन्न कोड, मैनुअल और प्रक्रियाओं के रूप में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण है। विपणन

मैन्युअल अद्यतन किया गया है, तथापि प्रबंधन को बेहतर जांच और नियंत्रण के लिए समय-समय पर अप-टू-डेट करने के लिए कदम उठाए हैं।

19. ऋण, गारंटी या निवेश की विशेषताएं

वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत कोई सरकारी ऋण, गारंटी या निवेश नहीं किया जाता है।

20. योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणियां या लेखा परीक्षकों और कंपनी सचिव द्वारा उनकी रिपोर्ट में किए गए अस्वीकरण पर स्पष्टीकरण या टिप्पणियाँ :

सांविधिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सचिवालय लेखा परीक्षा रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा है।

21. संबंधित पक्षों के साथ किए गए अनुबंध या व्यवस्थाओं का विवरण :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अंतर्गत यथा परिभाषित संबंधित पक्षों के साथ कोई संविदा या व्यवस्था नहीं की गई थी।

22. निदेशकों की नियुक्ति, भुगतान अथवा पारिश्रमिक और उनके कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित कंपनी की नीति:

सीसीआई एक सीपीएसई है जहां निदेशकों की नियुक्ति, उनको देय पारिश्रमिक और भत्तों से संबंधित नीति भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है।

23. वार्षिक विवरणी

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 के साथ पठित धारा 92 के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक विवरणी के सार इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

24. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 5 निदेशक मंडल बैठकें आयोजित की हैं।

25. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है और कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

26. निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल इसके द्वारा अपना उत्तरदायित्व विवरण प्रस्तुत करता है:-

- (क) वार्षिक लेखों की तैयारी में, सामग्री परेशान से संबंधित उचित विवरण सहित लागू लेखा मानकों का पालन किया गया;
- (ख) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया था और उन्हें लगातार लागू किया था और निर्णय और अनुमान लगाए थे जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि की स्थिति का सही और उचित दृश्य परिलक्षित हो सके;
- (ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रख-रखाव हेतु उचित और पर्याप्त ध्यान रखा था;

- (घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखे गोडंग कंसर्न आधार पर तैयार किए हैं; और
- (ङ) निदेशकों ने कंपनी द्वारा अपनाए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए थे और इस प्रकार के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और वे प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे। आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ कंपनी की नीतियों का पालन, उसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी की रोकथाम और पता लगाने और त्रुटियों, सटीकता और लेखांकन रिकॉर्ड की पूर्णता और समय पर विश्वसनीय वित्तीय जानकारी तैयार करने सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई नीतियों और प्रक्रियाओं से होता है।
- (च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की थीं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही थीं।

27. सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम और एसोसिएट कंपनियां

कंपनी के पास कोई सहायक, संयुक्त उद्यम या एसोसिएट कंपनी नहीं है।

28. जमा

कंपनी ने वर्ष 2018-19 के दौरान न तो किसी जमा को स्वीकार किया है और न ही नवीनीकृत किया है।

29. निदेशक

वर्ष 2018-19 के दौरान निम्नलिखित निदेशकों नियुक्त किए गए/ध्याग दिया

- श्रीमती सुकृति लिखी, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग के अंशकालिक सरकारी निदेशक (सरकारी नामिती) के रूप में 15.11.2018 से निदेशक मंडल में शामिल हुईं
- श्री बी.वी.एन. प्रसाद, निदेशक (मानव संसाधन) को 05.10.2018 से 3 माह की अवधि के लिए या नियमित पदधारी की नियुक्ति तक या अगले आदेश तक, जो भी यथाशीघ्र हो, के लिए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।
- श्री मनोज मिश्रा, 01.10.2018 से कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नहीं रहे। कंपनी, उनके कार्यकाल के दौरान दिए गए सहयोग और उनके मार्गदर्शन और योगदान की सराहना करती है।
- श्रीमती रितु पांडे, 15.11.2018 से कंपनी की अंशकालिक सरकारी निदेशक (सरकारी नामिती) नहीं रहीं। कंपनी, उनके कार्यकाल के दौरान दिए गए सहयोग और उनके मार्गदर्शन और योगदान की सराहना करती है।

30. स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा

श्री महेन्द्र गुप्ता, निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में 29.06.2016 को शामिल हुए और उन्होंने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (7) के अंतर्गत स्वतंत्रता की घोषणा की है।

31. टैली ईआरपी और कंपनी की वेबसाइट लिंक का कार्यान्वयन

(क) टैली ईआरपी का कार्यान्वयन :-

- टैली ईआरपी 9 पैकेज के सभी मॉड्यूल तीनों प्रचालन ईकाइयों, विपणन कार्यालयों और कॉर्पोरेट कार्यालयों में सुचारु रूप से चल रहे हैं।
- टैली पैकेज प्रचालन के निष्पादन में सुधार करने के लिए टैली सर्वर-9 की खरीद की प्रक्रिया प्रगति पर है और इसे शीघ्र ही कार्यान्वित किया जाएगा।

- लैन और लीज्ड लाइन कनेक्टिविटी कार्य प्रगति पर है और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा।

(ख) कंपनी की वेबसाइट के लिए लिंक :-

विगत 5 वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट, कंपनी की वेबसाइट अर्थात् <https://www.ccilttd.in> पर पोस्ट की गई है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति और सीसीआई की स्थिरता, मौजूदा और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा लाभ योजना सहित कंपनी की उनके नीतियां भी कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट की गई हैं।

32. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

आपकी कंपनी को सदैव सही भावना में सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन में प्रयास किया है। कंपनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 5 और धारा 19(1) के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) और अपीलीय प्राधिकारी और पारदर्शिता अधिकारी को नामित किया है। इस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के सभी संयंत्रों और ईकाइयों द्वारा प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा है।

कंपनी की वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध होने के साथ-साथ एक विशेष आरटीआई कॉर्नर बनाया गया है। प्राधिकारियों, पीआईओ, प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों और पारदर्शिता अधिकारियों का विवरण भी कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है।

33. विदेशी मुद्रा अर्जन और बहिर्गमन :

विभिन्न पक्षकार समय-समय पर हमसे निर्यात के बारे में पूछताछ करते रहते हैं। हमारे संयंत्रों, जो समुद्री बंदरगाहों से दूर हैं, के लिए स्थानीय प्रतिकूल स्थिति के कारण, संयंत्रों से निकटतम बंदरगाह तक का भाड़ा अत्यधिक आता है। इस कारण से हमारे एफओबी की कीमतें प्रतिस्पर्धी नहीं रहती हैं। निर्यात की दिशा में, अवसर का लाभ उठाने के लिए, जब कभी हो, कड़ी निगरानी की जा रही है। तथापि, सीमेंट का संपूर्ण उत्पादन घरेलू बाजार में बेचा जा रहा है।

34. लेखा परीक्षकों :

सांविधिक लेखा परीक्षक

मैसर्स कपूर भूषण एंड कंपनी, सनदी लेखाकार दिल्ली को वर्ष 2018-19 के लिए प्रधान सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और मैसर्स एस के तनवानी एंड कंपनी, मैसर्स झंवर एंड कंपनी, मैसर्स मनीलाल शाह एंड कंपनी, मैसर्स गुप्ता मस्करा एंड एसोसिएट्स, मैसर्स सी वेंकट कृष्णा एंड कंपनी, शर्मा एंड कंपनी, मैसर्स सी वेंकट कृष्ण एंड कंपनी, शर्मा एंड कंपनी, मैसर्स कपूर शाह एंड कंपनी, मैसर्स गुप्ता मस्करा एंड एसोसिएट्स, मैसर्स सी वेंकट कृष्ण एंड कंपनी, शर्मा एंड कंपनी, मैसर्स कपूर शाह एंड कंपनी, मैसर्स सी वेंकट कृष्णा एंड कंपनी, शर्मा एंड कंपनी, मैसर्स एन सांबाशिव एंड कंपनी और मैसर्स डीसीजी एंड कंपनी को क्रमशः अकलटारा, मांढर, कुरकुंता, बोकाजन, तांदूर, चरखी दादरी, आदिलाबाद और दिल्ली ग्राइंडिंग ईकाइयों के शाखा लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और उसके उत्तर की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को इस रिपोर्ट में शामिल कर लिया गया है।

लागत लेखा परीक्षक

मैसर्स के.सी. कोहली एंड कंपनी, लागत लेखाकार, को कॉर्पोरेट के प्रमुख लागत लेखापरीक्षक के रूप में और राजबन के लिए लागत लेखाकार नियुक्त किया गया था और वर्ष 2018-19 के लिए बोकाजन के लिए मैसर्स एस ढल एंड कंपनी को और तंदूर इकाई के लिए मैसर्स एन एस वी कृष्णा राव एंड कंपनी को लागत लेखाकार नियुक्त किया गया था।

सचिवालीय लेखा परीक्षक

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 204 के प्रावधान के अनुसार, निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कंपनी की सचिवालीय लेखा परीक्षा करने के लिए

मैसर्स बालिका शर्मा एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, नई दिल्ली को सचिवालय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। सचिवालय लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट अनुलग्नक के रूप में संलग्न है। सचिवालय लेखा परीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों के संबंध में, आपके निदेशकों ने इस प्रकार स्पष्ट किया है:

“निदेशक मंडल में अपेक्षित स्वतंत्र निदेशक की कमी के कारण कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल/लेखा परीक्षा समिति की संरचना का विधिवत गठन नहीं किया जा सका। रिक्तियों को भरने का अनुरोध प्रशासनिक मंत्रालय को भेजा गया था। तथापि, प्रशासनिक मंत्रालय ने सीसीआई के निदेशक मंडल में एक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) प्रभावी तिथि 29.06.2016 से नियुक्त किया है।

35. लेखा समिति के गठन और सतर्कता प्रणाली के संबंध में प्रकटन

लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित निदेशक हैं:

- क. श्री महेन्द्र गुप्ता (स्वतंत्र निदेशक), अध्यक्ष
- ख. श्री बी.वी.एन.प्रसाद, सदस्य
- ग. श्री ए.एम. मणिचन, सदस्य

कंपनी में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सचेतक नीति है। कंपनी ने कर्मचारियों के शोषण और निदेशकों द्वारा व्यक्त चिंताओं के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षोपाय भी प्रदान किए हैं। कंपनी ने लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधी पहुंच भी प्रदान की है, जो कर्मचारियों और कंपनी के हितों से संबंधित मुद्दों की रिपोर्ट करने के लिए कंपनी की सचेतक नीति के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी हैं। सचेतक नीति कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट www.ccilttd-in पर उपलब्ध है।

36. आभार

निदेशक मंडल, भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार और साथ ही रेल मंत्रालय, डीजीएस एंड डी, पीईएसबी, बीआईएफआर, वित्तीय संस्थानों, बैंकों और अन्य केन्द्रीय और राज्य सरकार के विभागों से प्राप्त सहायता और मार्गदर्शन के प्रति आभार व्यक्त करता है। हम सीसीआई के उत्पादों के लिए उनके निरंतर समर्थन के लिए सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र में हमारे सम्मानित ग्राहकों के लिए हमारी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।

निदेशकगण, मैसर्स कपूर भूषण एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक और पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-II के आभारी हैं। निदेशकगण, कॉर्पोरेट के कर्मचारियों के समर्पण के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त करते हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह0
(शे. शक्तिमणी)
निदेशक (वित्त) / सीएफओ

ह0
(बी.वी.एन. प्रसाद)
निदेशक (मानव संसाधन)

दिनांक : 3 दिसम्बर 2019

स्थान : दिल्ली

सीएसआर संबंधी कार्यकलाप

1. शुरु किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यकलापों, परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों की समीक्षा और सीएसआर नीति के वेब-लिंक के संदर्भ सहित कंपनी की सीएसआर नीति के बारे में संक्षिप्त जानकारी :

सीसीआई की सीएसआर और स्थायित्व नीति की परिकल्पना “**प्राथमिक रूप से ऐसे परियोजना क्षेत्रों, जहां कंपनी का प्रचालन चल रहा है, में स्थाई आधार पर समुदायों और पणधारकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सक्रिय भूमिका अदा कर अपनी सामाजिक बाध्यताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता**” निम्नलिखित रूप में की गई है।

सीसीआई अपनी सीएसआर और स्थायित्व नीतियों और कार्यकलापों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII और सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार सुझाए गए कार्यकलापों को ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्यों, योजनाओं और रणनीतियों के अनुरूप एकीकृत और संरेखित करता है। सीएसआर और स्थायित्व नीति सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा लागू की जाएगी और इसे सीसीआई के सभी कार्यकलापों, प्रक्रियाओं और लेनदेनों में परिलक्षित होना चाहिए।

सीएसआर नीति का वेब-लिंक पता : <http://ccilttd.in/page.php?id=194> है।

2. सीएसआर समिति का स्वरूप निम्नानुसार है :

निदेशक मंडल के स्तर वाली निगमित सामाजिक जिम्मेदारी समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं :

- क. श्री महेन्द्र गुप्ता – अध्यक्ष
- ख. श्री ए एम, मनीचन – (सरकारी नामिती)
- ग. श्री बी.वी.एन. प्रसाद, निदेशक (मानव संसाधन)

3. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत निबल लाभ : ₹ 3794 लाख रहा।

4. विहित सीएसआर व्यय (उपर्युक्त मद संख्या 3 में उल्लिखित राशि का 2%) : ₹ 75.89 लाख

5. वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर कार्यकलापों पर किए गए व्यय के विवरण :

- (क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि : ₹ 2,50,081
- (ख) खर्च न की गई राशि, यदि कोई है : ₹ 73.39 लाख
- (ग) वित्तीय वर्ष के दौरान राशि को खर्च किए जाने के ढंग के विवरण नीचे दिए गए हैं :

(₹ लाखों में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
क्र. सं.	पहचान की गई सीएसआर परियोजना अथवा कार्यकलाप	परियोजना अथवा कार्यकलाप (1) स्थानीय अथवा अन्य	परियोजना परिव्यय की राशि (बजट)	खर्च की गई राशि	रिपोर्टिंग अवधि तक संचित व्यय	खर्च की गई राशि : प्रत्यक्ष रूप से अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
1.	पेय जल	जल पंप	—	16,220	16,220	प्रत्यक्ष
2.	इन्फ्रास्ट्रक्चर	हिडिपी विद्यालय का नवीनीकरण	—	2,33,861	2,33,861	प्रत्यक्ष
3.	कुल			2,50,081	2,50,081	

ह0

(शे. शक्तिमणी)

निदेशक (वित्त) / सीएफओ

ह0

(बी.वी.एन. प्रसाद)

निदेशक (मानव संसाधन)

कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटन) नियमावली, 1988 के अंतर्गत अपेक्षित विवरण

1. संसाधन दक्षता

- विद्युत और कोयला खपत:— संसाधन अनुकूलन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयनधऊर्जा संरक्षण के उपाय हेतु विभिन्न चरणों में कार्यान्वयन किया जा रहा है। तंदूर इकाई में मल्टीचैनल बर्नर की स्थापना का कार्य पूरा कर लिया गया है। 5 ऊर्जा दक्षता पंखों की स्थापना का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। विभिन्न नलिकाओं, नलिका प्रतिस्थापन, विसर्जन ट्यूब प्रतिस्थापन/स्थापना आदि का इन्सुलेशन भी किया गया है। गतिशील विभाजक, कम दबाव वाले ड्रॉप चक्रवात, फलाई-ऐश संचालन हैंडलिंग प्रणाली आदि का कार्यान्वयन भी किया जा रहा है।
- तकनीकी विशेषज्ञों ने सभी 3 संयंत्रों का दौरा किया है और ऊर्जा संरक्षण, संसाधन अनुकूलन और उच्च क्षमता उपयोग के लिए किए जाने वाले कार्यों को चिह्नित किया है।

2. पर्यावरण सुधार

- धूल के नुकसान को कम करने और संसाधन संरक्षण की दिशा में एक कदम के रूप में ईकाइयों में रिवर्स एयर बैग हाउस (आरबीएच) की स्थापना की योजना बनाई गई है। इसके अलावा बड़े उन्नयन की योजना बोकाजन में ईएसपी में की जाती है जो मैसर्स एंड्रयू यूल द्वारा की रही है।
- तेंदूर और राजबन इकाई टाउनशिप में मलजल शोधन संयंत्र (एसटीपी) की स्थापना पूरी कर ली गई है। बोकाजन टाउनशिप में एसटीपी लगाने की प्रक्रिया जारी है।
- उपर्युक्त के अलावा, संयंत्र दक्षता सुधार के लिए निम्नलिखित सामान्य कार्य पूरे/शुरू किए गए हैं:—
 - i) बोकाजन में, कोयले और अन्य कच्चे माल के सुगम परिवहन और संचालन में नुकसान को कम करने के लिए संयंत्र के अंदर रेलवे साइडिंग बिछाने का काम पूरा कर लिया गया है।
 - ii) रेलवे साइडिंग उन्नयन कार्य तंदूर इकाई में पूरा होने के अग्रिम चरण में है।
 - iii) राजबन इकाई में मल्टी एक्सल ट्रक लोडिंग की गई है।
 - iv) ट्रक लोडरों की स्थापना की भी योजना बनाई जा रही है।
 - v) इलेक्ट्रॉनिक पैकर्स द्वारा मैकेनिकल पैकर्स के प्रतिस्थापन को तीनों ईकाइयों में शुरू किया गया है।
 - vi) तेंदूर और राजबन इकाई में ट्रक टिपलर लगाए जा रहे हैं।

3. द्वितीयक कच्चे माल और पुनर्चक्रण का उपयोग :-

- i) थर्मल विद्युत् संयंत्र से अपशिष्ट सामग्री फलाई ऐश का उपयोग पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट (पीपीसी) के निर्माण के लिए किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, मिल स्केल, लोहे के चूर्ण आदि का कच्चे मिश्रण में योज्य के रूप में उपयोग किया जाता है।
- ii) एसटीपी के अपशिष्ट का संयंत्र और टाउनशिप में बागवानी आदि के लिए पुनर्नवीनीकरण किया जा रहा है।

4. ऊर्जा का संरक्षण

वर्ष 2018-19 में ऊर्जा संरक्षण के कदम उठाए गए

क. बोकाजन:-

- अधिक वाट वाले प्रकाश उपकरणों को एलईडी बल्ब से प्रतिस्थापित किया गया है।
- कुल बचत 90.5 किलोवाट/प्रतिदिन है।

ख. राजबन :-

- वर्तमान फिटिंग का एलईडी फिटिंग और इलेक्ट्रॉनिक चोक और नियामकों से प्रतिस्थापन।
- मानक दक्षता मोटर पम्प का ऊर्जा कुशल मोटर से प्रतिस्थापन।
- संयंत्र और टाउनशिप के लिए सौर स्ट्रीट फिटिंग का प्रापण किया जाएगा।
- मोटर टर्मिनलों पर और 11 केवी और 415 वोल्ट बस में एलटी और एचटी कैपेसिलेटर बैंकों की प्रतिस्थापन/संस्थापना

ग. तांदूर :-

- गैर-परंपरागत लाइटों के स्थान पर नई एलईडी लाइट फिटिंग लगाई गई है।
- अब तक पूर्ण किए गए प्रतिस्थापन 54.7: (अर्थात 2395 में से गैर-परंपरागत फिटिंग के स्थान पर 1295 फिटिंग स्थापित की गई हैं)।
- 70-90 वाट के गैर पारंपरिक छत पंखों को 50 वाट वाले 300 ऊर्जा कुशल छत पंखों से बदल दिया गया है।
- कूलर अनुभाग के लिए वीवीएफडी ड्राइव और मोटर (ऊर्जा कुशल मोटर) के लिए क्रय आदेश दे दिया है और सामग्री की प्राप्ति पर तुरंत बदल दिया जाएगा।
- एमएफसी ब्लोअर को निम्न एचपी मोटर से बदला गया है। किलोवाट में अंतर - 25 है।

5. प्रौद्योगिकी अवशोषण**क. राजबन :**

मैसर्स राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (आरईआईएल) के साथ 500 किलोवाट के रूफ टॉप सौर विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए विद्युत क्रय करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

ख. तंदूर :

- i. 5 ऊर्जा कुशल पंखों की स्थापना पूर्ण की गई। अगले शटडाउन 2 की योजना बनाई जा रही है।
- ii. मल्टी चैनल बर्नर स्थापित किया गया है और अगस्त, 2018 में चालू किया गया है। पीजी परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है।

**कुल ऊर्जा संयोजन और ऊर्जा संयोजन प्रति उत्पादन की इकाई (फार्म-ए)
वर्ष 2018-19 के लिए निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट के लिए**

विवरण	बोकाजन	राजबन	तादूर	एक पूरे के रूप में सीसीआई
1. विद्युत				
क) खरीद				
i) यूनिट (केडब्ल्यूएच)	18180045.00	17222000.00	61192000.00	96594045.00
ii) कुल राशि (₹ लाख में)	1386.93	1179.36	3394.60	5960.89
iii) दर प्रति यूनिट	7.62	6.89	5.54	6.17
ख) स्वयं का उत्पादन				
i) डीजल जनरेटर यूनिट के माध्यम से(केडब्ल्यूएच)	55796.00	17176.00	0.00	72972
ii) कुल डीजल खपत लीटर में	30208.99	11122.00	0.00	41330.99
iii) डीजल आयल के प्रति लीटर यूनिट (केडब्ल्यूएच प्रति लीटर)	1.85	1.54	0.00	1.77
iv) प्रति यूनिट लागत (₹ प्रति केडब्ल्यूएच)	34.76	40.80	0.00	36.18
2. कोयला				
i) खपत की गई मात्रा (टन में)	21631.00	25052.00	101992.00	148675
ii) कुल लागत (₹ लाख में)	1268.71	1922.43	5400.74	8591.88
iii) औसत दर (₹ प्रति मीट्रिक टन)	5865.20	7673.75	5295.00	5778.78
3. प्रति यूनिट उत्पादन पर खपत				
i) विद्युत ,टाउनशिप सहित पैक किए गए सीमेंट के प्रति टन केडब्ल्यूएच)	211.46	119.93	143.54	147.14
ii) बुक किया गया कोयला(प्रति किलोग्राम किलंकर उत्पादन)	25.45	25.00	24.30	24.58
iii) कोयले की गुणवत्ता (यूएचवी) (कि. सेल्सियस प्रति किलोग्राम कोल)	5358.00	4389.00	4231.00	4421.59

उत्पादन के आंकड़े 2018-2019

	किलंकर	सीमेंट
बोकाजन	84985	83570
राजबन	99100	143750
तांदूर	419805	407002
कुल	603890	634322

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के निदेशकों की रिपोर्ट अनुसार करने के लिए परिशिष्ट

टिप्पणियों के प्रबंधन के उत्तरों लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में निर्धारित दिनांक 18-09-2019 के तहत यहां दिए गए हैं:-

क्र	अहर्ताएं	प्रबंधन का उत्तर
क)	कंपनी के पक्ष में कुछ इकाइयों की भूमि के शीर्षक और पट्टे अभिलेख (लीज डीड) काफी समय से लंबित है और भूमि विवरण विवरणों का पुनर्मिलान के अधीन है। इसके अलावा, दिल्ली ग्राइंडिंग यूनिट के संबंध में 99 साल के लिए पट्टे आधार पर 20.20 एकड़ जमीन का आवंटन दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा रद्द कर दिया गया है। लिखित दावों को खारिज करते हुए डीडए ने 14.20 एकड़ जमीन को 11.04.17 को साउथ दिल्ली नगर निगम को हस्तान्तरित कर दिया है। लेकिन भौतिक हक अभी भी कम्पनी के पास है। [संदर्भ लें नोट-34 के बिंदु-3 देखे,]	इस स्थिति को वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट-34 के संगत बिंदु 3 में पर्याप्त रूप से स्पष्ट कर दिया गया है।
ख)	सीसीआई के आदिलाबाद टाउनशिप के बाहर सरकारी भूमि जिसका प्रयोग पंप हाउस से राष्ट्रीय राजमार्ग को सड़क मार्ग के रूप में प्रयोग किया गया है, के संदर्भ में एलीनेशन आदेश के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने देयता का निर्धारण न करने और उसके प्रावधान ने करने के लिए राजस्व विभाग से स्वीकृति प्रतीक्षित है। [संदर्भ लें नोट 34 के बिन्दु संख्या 5,]	इस स्थिति को वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट-34 के संगत बिंदु 05 में पर्याप्त रूप से स्पष्ट कर दिया गया है।
ग)	पुनर्मिलान लंबित होने के कारण 1998 में बेची गई येरागुंटला इकाई के संबंध में विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित विसंगतियों के प्रभाव पर विचार नहीं किया गया है [संदर्भ लें नोट 34 की बिन्दु संख्या 12]	इस स्थिति को वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट-34 के संगत बिंदु 12 में पर्याप्त रूप से स्पष्ट कर दिया गया है।
घ)	व्यापार प्राप्य, ऋण और अग्रिमों, व्यापारिक देयताओं, पक्षकारों के साथ जमा राशियों उनसे प्राप्त होने वाली राशियों पुष्टि और पुनर्मिलान किया जाना है पुनर्मिलान करने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाला वित्तीय प्रभाव, यदि कोई है का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। [संदर्भ लें नोट 34 बिन्दु संख्या 22]	इस स्थिति को वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट-34 के संगत बिंदु 21 में पर्याप्त रूप से स्पष्ट कर दिया गया है।
ड)	कंपनी के सात इकाई और दिल्ली में एक ग्राइंडिंग यूनिट है, जहां वर्ष 1996 से 1999 वर्ष के बीच प्रचालन बाधित हो गया था और भटिंडा (पंजाब) में भी एक ग्राइंडिंग इकाई है जहां उत्पादन शुरू नहीं किया जा सका, जिसके संदर्भ नोट 30 के बिंदु-11 में ध्यान आकर्षित किया गया है! प्रबंधन के दृष्टिकोण में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक-28 के अंतर्गत परिसंपत्तियों के अनर्जक हानि के लिय कोई प्रावधान आवश्यक नहीं है क्योंकि अपेक्षित बाजार मूल्य सामान्यतया परिसंपत्तियों के बही मूल्य की तुलना में अधिक होता है। [संदर्भ लें नोट 34 बिंदु संख्या 11]	गैर संचालन इकाइयों की संपत्ति की अनर्जक हानि से संबंधित स्थिति वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट-34 के बिंदु-11 में विस्तार से स्पष्ट कर दिया गया है।
च)	कंपनी ने 3554325 गैर-संचयी रेडीमेड वरीयता शेयरों को 1000/- प्रति शेयर मूल्य पर रु. 355.43 करोड़ के शेयर भारत सरकार को 22 मार्च 2007 को 7 (सात) वर्षों के लिए जारी किया था। मुद्दे की शर्तों के अनुसार, 22 मार्च 2014 से पहले प्राथमिकता वाले शेयरों को भुनाया जाना था, जो कि मुद्दे की शर्तों के अनुरूप नहीं है। प्रबंधन ने बताया कि कैबिनेट/बीआईएफआर दिशा के अनुसार वरीयता शेयर को फिर से जारी करने की कार्यवाही मंत्रालय से मांगी गई है। (नोट 34 का संदर्भ संख्या 1.3)।	वरीयता शेयरों के फिर से जारी करने के मामले को डीएचआई के साथ लिया गया है, जिसे बिंदु संख्या में भी पर्याप्त रूप से वार्षिक खातों के नोट-34 के 13 में समझाया गया है।

फॉर्म संख्या एमजीटी- 9
वार्षिक विवरणी का सारांश

31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति के अनुसार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसरण में,

1. पंजीकरण और अन्य विवरण:

- i) सीआईएन : यू74899डीएल 1965जीओआई004322
- ii) पंजीकरण की तारीख : 18.01.1965
- iii) कंपनी का नाम:- सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
- iv) कंपनी की श्रेणी/उप श्रेणी :- विनिर्माण क्षेत्र
- v) पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण :-
कोर -5, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 लोदी रोड नई दिल्ली- 110003
- vi) क्या सूचीबद्ध कंपनी है- हां/नहीं :- नहीं
- vii) रजिस्टार और अंतरण एजेंट, यदि कोई है का नाम, पता तथा संपर्क विवरण :- शून्य

2. कंपनी के प्रमुख व्यापारिक कार्यकलाप

कंपनी के ऐसे सभी कार्यकलापों का उल्लेख किया जाएगा, जो कंपनी के कुल कारोबार में 10 % या उससे अधिक का योगदान देते हैं:

क्र. सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवाओं का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का %
1	सीमेंट	2394	100 %
2	क्लिकर	2394	

3. धारक, सहायक और एसोसिएट कंपनियों के विवरण

क्र. सं.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन/ जीएलएन	धारक/सहायक/ एसोसिएट कंपनी	धारित शेयरों का %	लागू धारा
	शून्य				

4. शेयरधारिता का पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी के ब्यौरे)

(i) श्रेणीवार शेयर धारिता

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान %में परिवर्तन
	डीमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	
क) प्रमोटर									
(1) भारतीय									
(क) व्यक्ति विशेष / एचयूएफ	0	0	0	0	0	0	0	0	
(ख) केंद्र सरकार के इक्विटी शेयर	—	45,59,749	45,59,749	100%	—	45,59,749	45,59,749	100%	शून्य
प्राथमिकता शेयर	—	35,54,325	35,54,325	100%	—	35,54,325	35,54,325	100%	
(ग) राज्य सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	
(घ) निगमित निकाय	0	0	0	0	0	0	0	0	
(ड) बैंक/वित्तीय संस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	
(च) अन्य कोई	0	0	0	0	0	0	0	0	
उप जोड. (क) (1)	0	81,14,074	81,14,074	100%		81,14,074	81,14,074	100%	
(2) विदेशी									
(क) एनआरआई-व्यक्ति विशेष	0	0	0	0	0	0	0	0	
(ख) निगमित निकाय	0	0	0	0	0	0	0	0	
(ग) बैंक/वित्तीय संस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	
(घ) अन्य कोई	0	0	0	0	0	0	0	0	
उप जोड. (क) (2) :	0	0	0	0	0	0	0	0	
प्रमोटर की कुल शेयरधारिता (क) = (क) (1)+(क) (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
क. सार्वजनिक शेयरधारिता									
1. संस्थान									
क) म्युचुअल फंड	0	0	0	0	0	0	0	0	
ख) बैंक/वित्तीय संस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	
ग) केंद्र/राज्य सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	
घ) उद्यम पूंजी	0	0	0	0	0	0	0	0	
ड.) बीमा कंपनियां	0	0	0	0	0	0	0	0	
ड.) एफआईआई	0	0	0	0	0	0	0	0	
च) विदेशी उद्यम पूंजी निधि	0	0	0	0	0	0	0	0	
छ) अन्य विनिर्दिष्ट करें	0	0	0	0	0	0	0	0	

प्रत्यास्थ परिसंपत्तियां	0	0	0	0	0	0	0	0	
उप जोड़. (ख) (1):	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. गैर संस्थागत निकाय									
क) निगमित निकाय (भारतीय और विदेशी)	0	0	0	0	0	0	0	0	
ख) व्यक्ति विशेष									
(i) व्यक्तिगत शेयरधारक, जिनके पास सामान्यतः 1 लाख रुपए तक की शेयर पूंजी है	0	0	0	0	0	0	0	0	
(ii) व्यक्तिगत शेयरधारक, जिनके पास सामान्यतः 1 लाख रुपए से अधिक की शेयर पूंजी है	0	0	0	0	0	0	0	0	
ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) न्यास	0	0	0	0	0	0	0	0	
एनआरआई और विदेशी निगमित निकाय	0	0	0	0	0	0	0	0	
ग-ii) समाशोधन सदस्य	0	0	0	0	0	0	0	0	
एचयूएफ	0	0	0	0	0	0	0	0	
उप जोड़. (ख) (2):-	0	0	0	0	0	0	0	0	
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)=(ख) (1)+(ख) (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
क. जीडीआर और एडीआर के अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर	0	0	0	0	0	0	0	0	
सकल योग (क+ख+ग)	0	81,14,074	81,14,074	100%		81,14,074	81,14,074	100%	शून्य

(ii) प्रमोटरों की शेयरधारिता

क्र. सं.	शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या			वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या			वर्ष के दौरान %में परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	गिरवी रखे गए/ कम कीमत पर निर्धारित किए गए शेयरों का कुल शेयरों की तुलना में %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	गिरवी रखे गए/ कम कीमत पर निर्धारित किए गए शेयरों का कुल शेयरों की तुलना में %	
1.	केंद्र सरकार	81,14,074	100 %	—	81,14,074	100%	—	शून्य
	जोड़	81,14,074	100 %	—	81,14,074	100%	—	शून्य

(iii) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो कृपया विनिर्दिष्ट करें)

क्र. सं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में	कोई परिवर्तन नहीं			
	वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी के कारण भी विनिर्दिष्ट किए जाएं (उदाहरण के लिए आवंटन/अंतरण / बोनस/स्वीट इक्विटी आदि)				
	वर्ष के अंत में				

(iv) शीर्ष दस शेयरधारकों (निदेशक, प्रमोटर और जीडीआर तथा एडीआर धारकों से अन्य) की शेयरधारिता का पैटर्न:

क्र. सं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	प्रत्येक 10 शीर्ष शेयर धारक	शून्य			
	वर्ष के प्रारंभ में				
	वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी के कारण भी विनिर्दिष्ट किए जाएं (उदाहरण के लिए आवंटन/अंतरण / बोनस/स्वीट इक्विटी आदि)				
	वर्ष के अंत में (अथवा पृथक्करण की तारीख को, यदि पृथक्करण उसी वर्ष के दौरान हुआ है)				

(v) निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता :

क्र. सं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	प्रत्येक निदेशक और केएमपी	शून्य			
	वर्ष के प्रारंभ में				
	वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी के कारण भी विनिर्दिष्ट किए जाएं (उदाहरण के लिए आवंटन/अंतरण/बोनस /स्वीट इक्विटी आदि)				
	वर्ष के अंत में				

5. कर्जदारी

बकाया /संचित परंतु भुगतान के लिए देय नहीं राशियों पर ब्याज सहित कंपनी की कर्जदारी

(₹. लाख में)

	जमा राशियों सहित सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा राशियां	कुल कर्जदारी
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में कर्जदारी				
i) मूलधन की राशि	—	15090.06	—	15090.06
ii) देय परंतु भुगतान न किया गया ब्याज	—	12385.26	—	12385.26
iii) संचित परंतु देय नहीं ब्याज	—	शून्य	—	शून्य
जोड़ (i+ii+iii)		27475.33		27475.33
वित्तीय वर्ष के दौरान कर्जदारी में परिवर्तन				
• वृद्धि	—	—	—	—
• कमी	—	शून्य	—	शून्य
निबल परिवर्तन	—	शून्य	—	शून्य
वित्तीय वर्ष के अंत में कर्जदारी				
i) मूलधन की राशि	—	15090.06	—	15090.06
ii) देय परंतु भुगतान न किया गया ब्याज	—	12385.26	—	12385.26
iii) संचित परंतु देय नहीं ब्याज	—	शून्य	—	शून्य
जोड़ (i+ii+iii)		27475.33		27475.33

6. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का मेहनताना

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/अथवा प्रबंधकों का मेहनताना

(₹. लाख में)

क्र. सं.	मेहनताने का विवरण	प्रबंध निदेशक/ पूर्णकालिक निदेशक/ प्रबंधक का नाम		कुल राशि
		श्री बी.वी. एन. प्रसाद	श्री शे. शक्तिमणी	
1.	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ	28.66 — —	25.54 — —	54.20 — —
2.	स्टॉक विकल्प		शून्य	
3.	स्वेट इक्विटी		शून्य	
4.	कमीशन — लाभ के % के रूप में — अन्य, विनिर्दिष्ट करें.....		शून्य	

5.	अन्य, विनिर्दिष्ट करें			
	(i) भविष्य निधि में अंशदान	2.60	2.32	4.92
	(ii) चिकित्सा प्रतिपूर्ति	005	0.09	0.15
	जोड़ (क)	31.32	27.95	59.27
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा			

ख. अन्य निदेशकों का मेहनताना:

(रु. लाख में)

क्र.सं.	मेहनताने का विवरण	निदेशक का नाम			कुल राशि
		श्री महेन्द्र गुप्ता (29.06.16 से)	—	—	
3.	स्वतंत्र निदेशक				
	● बोर्ड कमिटी बैठक में भाग लेने के लिए शुल्क	0.78	—	—	0.78
	● कमीशन				
	● अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें				
4.	अन्य गैर कार्यपालक निदेशक (बीआईएफआर नामिती)				
	● बोर्ड कमिटी बैठक में भाग लेने के लिए शुल्क	—	—	—	—
	● कमीशन				
	● अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें				
	जोड़ (2)	0.00	—	—	0.00
	जोड़ (ख)=(1+2)	0.78	—	—	0.78
	कुल प्रबंधकीय मेहनताना	—	—	—	—
	अधिनियम के अनुसार संपूर्ण सीमा				

ग. प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधकों से इतर अन्य प्रबंधकीय कार्मिकों का मेहनताना

(रु. लाख में)

क्र. सं.	मेहनताने का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	
		कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)/सीएफओ
		श्री अजय कुमार शर्मा	श्री शे. शक्तिमणी (26.04.16 से)
1.	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	13.67	25.54

	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ			
2.	स्टॉक विकल्प	—		—
3.	स्वेट इक्विटी	—		—
4.	कमीशन — लाभ के % के रूप में — अन्य, विनिर्दिष्ट कर	—		—
5.	अन्य, विनिर्दिष्ट करें			
	(iii) भविष्य निधि में अंशदान	1.29		2.32
	(iv) चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.12		0.09
	जोड़	15.08		27.95

7. अपराधों के लिए सजा/दंड/समझौता :

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	अधिरोपित की गई सजा/दिए गए दंड/समझौता शुल्क के विवरण	प्राधिकार आरडी/एनसीएल/न्यायालय,	की गई अपील, यदि कोई है (विवरण दें)
क. कंपनी					
दण्ड			शून्य		
समझौता					
ख. निदेशक					
सजा					
दंड					
समझौता					
ग. चूक करने वाले अन्य अधिकारी					
सजा					
समझौता					

फार्म संख्या एमआर-3सचिवालय लेखापरीक्षा रिपोर्ट31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी (कार्मिकों की नियुक्ति और मेहनताना)नियमावली 2014 के नियम संख्या 9 के अनुक्रम में)

सेवा में सदस्यगण

सीमेन्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

कार्यालय : कोर 5, स्कोप कॉम्प्लेक्स 7, लोधी रोड

नई दिल्ली-110003

CIN: U74899DL1965GOI004322

हमने मैसर्स सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड; जिसे यहां से आगे कंपनी कहा गया है, जिसका पंजीकृत कार्यालय कोर 5, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में है, द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और बेहतर निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की सचिवालयी लेखापरीक्षा संचालित की है। सचिवालयी लेखापरीक्षा इस ढंग से की गई, जिसके जरिए मुझे निगमित संव्यवहार/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन और उन पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्राप्त हुआ।

मैसर्स सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की खाताबही, कागजात, कार्यवृत्त बही, भरे गए फार्मों और विवरणियों तथा कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य रिकॉर्डों के आधार पर और साथ ही कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवालयी लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान हमें दी गई सूचना के आधार पर हम एतद्वारा यह रिपोर्ट करते हैं कि हमारे दृष्टिकोण में कंपनी ने 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष अर्थात् हमारी लेखापरीक्षा अवधि के दौरान यहां सूचीबद्ध किए गए सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और साथ ही यह भी रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में उचित बोर्ड प्रक्रियाएं तथा अनुपालन तंत्र उस सीमा और ढंग से मौजूद है, जो यहां नीचे की गई रिपोर्टिंग के अधधीन है :

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मैसर्स सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की खाताबही, कागजातों, कार्यवृत्त बही, कंपनी द्वारा भरे गए फार्म और विवरणियों तथा रखे गए अन्य रिकॉर्डों की जांच की है : सचिवालयी लेखा परीक्षा रिपोर्ट

- 1) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
- 2) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
- 3) निक्षेपाकार अधिनियम, 1996 और विनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए उप-नियम;
- 4) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी वाणिज्यिक ऋण की सीमा तक और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम;
- 5) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश:-
 - क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011;
 - ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (आंतरिक लेनदेन का निषेध) विनियम, 1992;
 - ग) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण अपेक्षाओं का जारी करना) विनियम, 2009;
 - घ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना) दिशानिर्देश, 1999;

- ड) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूची) विनियम, 2008;
- च) कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ संव्यवहार से संबंधित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम और शेयर हस्तांतरण एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993;
- छ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की सूची) विनियम, 2009; और
- ज) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति का क्रय) विनियम, 1998;
- 6) असूचीबद्ध सरकारी कंपनी होने के नाते, पैरा 2, 3, 4 और 5 में दिए गए उपर्युक्त अधिनियम कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

7) हमने कंपनी के लिए अन्य लागू अधिनियमों, कानूनों और विनियमों के अंतर्गत अनुपालन के लिए कंपनी द्वारा गठित प्रणालियों और तंत्र के लिए कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर भरोसा किया है।

हमने पैरा (i) के प्रावधानों के अनुपालनों की जांच की है क्योंकि उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा 01 जुलाई, 2015 से अधिसूचित किया गया था लेकिन हमने पैरा (ii) के प्रावधानों के अनुपालनों की जांच नहीं की है क्योंकि ये कंपनी पर लागू नहीं होते हैं (असूचीबद्ध सरकारी कंपनी होने के कारण)

- i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवालय मानक।
- ii) स्टॉक एक्सचेंज के साथ कंपनी द्वारा किए गए सूचीकरण करारय यदि लागू हो तो

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल का, स्वतंत्र निदेशकों को छोड़कर, विधिवत रूप से कार्यकारी निदेशकों और गैर-कार्यकारी निदेशकों के उचित संतुलन के साथ गठन किया जाता है।

कंपनी में केवल एक स्वतंत्र निदेशक है। तथापि, कंपनी ने पहले ही प्रशासनिक मंत्रालय से कंपनी के निदेशक मंडल में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने का अनुरोध किया है और इस पर पुष्टि की प्रतीक्षा है।

कंपनी के ऊपर 4 आरोप हैं जो एमसीए पोर्टल पर दिखाए गए हैं। तथापि, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा स्वीकृत पुनर्वास योजना के अनुसार एकबारगी निपटान (ओटीएस) के आधार पर बैंकों/संस्थाओं को बकाया देय राशि का भुगतान किया गया था। बैंकों/संस्थाओं के साथ भी सामंजस्य स्थापित किए जाने की आवश्यकता है।

सभी निदेशकों को निदेशक मंडल की बैठकों, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नोटिस दिया गया है, और नोटिस सात दिन पहले भेजा गया था, और बैठक में भाग लेने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए कार्यसूची मदों पर और अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली विद्यमान है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं जो ऊपर बताए गए अनुसार लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान उपर्युक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, विनियमों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर कोई विशिष्ट घटनाधकारवाई नहीं हुई है।

ह0

(बालिका शर्मा एंड एसोसिएट्स)

कंपनी सचिव

सदस्य संख्या - 4816

प्रेक्टिस सर्टिफिकेट संख्या - 3222

दिनांक: 15-07-2019

स्थान: दिल्ली

इस रिपोर्ट को हमारे सम-तिथि के पत्र के साथ पढ़ा जाना है जो अनुबंध I के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न हिस्सा है।

अनुबंध I

सेवा में सदस्यगण
सीमेन्ट कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
कार्यालय : कोर 5, स्कोप कॉम्प्लेक्स 7, लोधी रोड
नई दिल्ली-110003
CIN: U74899DL1965GOI004322

इस तिथि के बारे में हमारी रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाना है:

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी ऑडिट के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर एक राय व्यक्त करना है।
2. हमने ऑडिट प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है, जो सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। सत्यापन यादृच्छिक परीक्षण के आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सही तथ्य सचिवीय रिकॉर्ड में परिलक्षित होते हैं। हम मानते हैं कि प्रक्रियाओं और प्रथाओं, हमने अपनी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान किया।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और पुस्तकों के लेखा की

शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।

4. जहाँ भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों और घटनाओं के होने आदि के अनुपालन के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा यादृच्छिक परीक्षण के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है, न कि प्रभावकारिता या प्रभावशीलता जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

दिनांक: 15-07-2019

स्थान: दिल्ली

ह0

(बालिका शर्मा एंड एसोसिएट्स)

कंपनी सचिव

सदस्य संख्या - 4816

प्रैक्टिस सर्टिफिकेट संख्या - 3222

निगमित शासन पर रिपोर्ट

1. शासन की संहिता पर कंपनी का दर्शन/सिद्धांत:

निगमित शासन के संबंध में कंपनी का सिद्धांत/दर्शन है कि सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) वित्तीय समझदारी, उपभोक्ता की संतुष्टि, पारदर्शिता, जवाबदेही और शेरधारकों के प्रति वचनबद्धता में विश्वास करता है। सीसीआई भारत सरकार द्वारा समय-समय जारी किए गए निर्देशों और अपने उपर्युक्त विश्वास के माध्यम से कार्य करता है और इसे व्यापक रूप में जो समाज और सरकारी एजेंसियों/विभागों, राज्य सरकारों, भारत सरकार, ऋणदाताओं, आपूर्तिकर्ताओं, उपभोक्ताओं, शेरधारकों, निकाय से जुड़े हैं, उन सभी का मूल्य संवर्धन करने के लिए एक लंबा सफर तय करना चाहिए।

2. निदेशक मंडल

i. निदेशक मंडल का आकार :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के तहत जैसा परिभाषित किया गया है, उसके अनुसार सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है। कंपनी के संस्था अन्तर्नियम के अनुच्छेद (संगम अनुच्छेद) के अनुसार निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है। निदेशक मंडल में निदेशकों की संख्या 3 से कम तथा 12 से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्र निदेशकों की संख्या किसी भी स्थिति में निदेशक मंडल के सदस्यों की वास्तविक संख्या के एक तिहाई से कम नहीं होनी चाहिए।

ii. निदेशक मंडल का स्वरूप:

31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार सीसीआई के निदेशक मंडल में 5(पाँच) निदेशक हैं जिनमें अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक सहित तीन कार्यकारी निदेशक और दो अंशकालिक सरकारी निदेशक हैं जो भारत सरकार के प्रशासनिक मंत्रालय के नामिती निदेशक और एक स्वतंत्र निदेशक हैं।

निदेशकों के नाम और श्रेणी, इस वर्ष आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों में उनकी उपस्थिति और पिछली वार्षिक आम सभा में निदेशकों की संख्या के साथ-साथ अन्य कंपनियों में निदेशक का पद धारित करने तथा समिति (लेखापरीक्षा समिति) में उनकी हैसियत आदि के विवरण सारणी 1 में दिए गए हैं।

सारणी 1: निदेशकों की श्रेणी और विभिन्न समितियों में उनके पद (स्थिति)

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित	बैठकों की संख्या जिनमें	एजीएम में 27.09.2018 (को आयोजित) में उपस्थिति	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार डायरेक्टर	31.03.2019 की स्थिति के अनु-सार अन्य कंपनियों की समितियों में
कार्यकारी निदेशक:						
2.	श्री बी. वी. एन. प्रसाद, निदेशक (मानव संसाधन) एवं अतिरिक्त प्रभार अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक दिनांक 05.10.2018 से	5	5	हां	1	शून्य
3.	श्री शे. शक्तिमणी निदेशक (वित्त)	5	5	हां	2	शून्य

सरकारी नामिति निदेशक:						
3.	सुश्री सुकीर्ति लिखि (15.11.2018 से)	1	1	लागू नहीं	4	शून्य
4.	श्री ए. एम. मणिचन	5	5	हां	4	शून्य
स्वतंत्र निदेशक						
5.	श्री महेन्द्र गुप्ता (29.06.16 से)	5	4	हां	1	शून्य

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी द्वारा रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल की सात बैठकें क्रमशः 24.04.2018, 31.07.2018, 26.9.2018, 12.11.2018, एवं 31.01.2019 को आयोजित की गईं तथा दो बैठकों के बीच तीन महीने से अधिक का अंतराल नहीं था।

iii. निदेशक मंडल/समिति की सभाओं के लिए कार्यसूची तैयार करना और चयन :

- निदेशक मंडल/समिति के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करके उपयुक्त नोटिस देने के बाद सभाएं आयोजित की जाती हैं। बैठक के दौरान अर्थपूर्ण, सूचित और केंद्रित निर्णय लेने में प्रबंध की सुविधा के लिए विस्तृत कार्यसूची नोट्स, प्रबंधन रिपोर्ट और अन्य व्याख्यात्मक विवरण सदस्यों के बीच अग्रिम रूप से परिचालित किए जाते हैं। तात्कालिक महत्व के मुद्दों का समाधान करने की आवश्यकता होने पर लघुकालिक नोटिस पर भी सभाएं आयोजित की जाती हैं या अधिनियम अथवा इसके अनुच्छेदों में दिए गए यथालागू प्रावधानों के अनुसार उनके बीच परिचालन द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाते हैं।
- जहां कहीं भी इनकी गोपनीय प्रवृत्ति के कारण जब कभी किसी दस्तावेज को कार्यसूची नोट्स के साथ जोड़ना व्यावहारिक नहीं होता है, तो विशेष और अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में अतिरिक्त या संपूरक विषय से संबंधित ऐसे दस्तावेज सभा में प्रस्तुत किए जाते हैं।
- कार्यसूची के दस्तावेज प्रकार्यात्मक निदेशक/सीएमडी के अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात परिचालित किए जाते हैं।
- सदस्यों द्वारा सूचित निर्णय लेने की दृष्टि से उन्हें सक्षम बनाने के लिए बोर्ड/समिति की बैठकों में वित्तीय परिचालन, मानव संसाधन आदि से संबंधित सामग्री पर प्रेजेंटेशन दिए जाते हैं।
- बोर्ड के सदस्य कंपनी की सभी सूचनाओं तक पूरी पहुँच रखते हैं। बोर्ड ऐसे किसी भी मुद्दे को उठाने के लिए स्वतंत्र है जो वे कार्यसूची में समावेशन के लिए आवश्यक समझें। जब कभी आवश्यक होता है, बोर्ड द्वारा जिन मद्दों पर बातचीत की जा रही है, उन पर वरिष्ठ प्रबंधन के अधिकारियों को अतिरिक्त जानकारी (इनपुट) प्रदान करने के लिए कहा जाता है।

iv. निदेशक मंडल/समिति की सभाओं में कार्यवृत्त को अभिलेखबद्ध करना :

प्रत्येक बोर्ड/समिति की बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त, कार्यवृत्त किताब में विधिवत रिकॉर्ड किए जाते हैं। निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त अगली बोर्ड बैठक में बोर्ड के सदस्यों के बीच उनकी पुष्टि के लिए परिचालित किए जाते हैं। बोर्ड की समिति की बैठक के कार्यवृत्त भी निदेशक मंडल की सूचना के लिए उनके समझ रखे जाते हैं।

v. अनुवर्ती कार्रवाई के लिए व्यवस्था/तंत्र :

बोर्ड/समिति के सदस्यों के महत्वपूर्ण निर्णयों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट आगामी सभाओं में प्रस्तुत की जाती है। यह एक प्रभावशील अनुवर्ती कार्रवाई, समीक्षा / पुनर्विचार और रिपोर्ट प्रक्रिया के रूप में कार्य करती है।

vi. अनुपालन:

हमारा प्रयत्न यह सुनिश्चित करना है कि जब कार्यसूची नोट्स तैयार किए जायें तो विधि के सभी यथालागू प्रावधानों, नियमों

और दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाए। कंपनी, कंपनी अधिनियम के सभी यथालागू प्रावधानों तथा अलग-अलग विधियों के अंतर्गत अन्य विविध सांविधिक आवश्यकताओं / अपेक्षाओं का अनुसरण सुनिश्चित करती है। निम्नलिखित अपेक्षित सूचनाएं बोर्ड को लगातार प्रदान की जाती हैं :

- पूंजीगत बजट, वार्षिक योजना, समझौता ज्ञापन (एमओयू)
- लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के कार्यवृत्त और बोर्ड की अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त
- कारण बताओ नोटिस, मांग, अभियोजन नोटिस और हर्जाना नोटिस, यदि कोई हैं, जो वास्तविक दृष्टि से आवश्यक है
- घातक और गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं
- प्रमुख निवेश, सहायक कंपनियों का निर्माण, संयुक्त उद्यम और रणनीतिक गठबंधन
- निदेशकों द्वारा अन्य कंपनियों और कार्यों आदि में उनके द्वारा उपयोग किए गए समिति के पदों और डायरेक्टरशिप के बारे में प्रकटन
- विधि और डीपीई दिशा निर्देशों के अनुसार अन्य विषय
- सांविधिक प्रावधानों का तिमाही अनुपालन प्रमाणपत्र
- समय समय पर निदेशक मंडल द्वारा अपेक्षित अन्य मामले

vii. गैर कार्यकारी निदेशकों के प्रकटन और क्षतिपूर्ति :

कंपनी ने सरकारी नामिती निदेशकों को सीटिंग फीस का भुगतान नहीं किया। हालांकि वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान निदेशक मंडल और समिति की सभाओं में उपस्थित होने के लिए स्वतंत्र निदेशकों को प्रति बैठक ₹ 6000/- (छह हजार रुपए मात्र) की दर से तथा अतिरिक्त मानदेय का भुगतान किया गया।

viii. अन्य कंपनियों के निदेशक मंडल/समिति में अध्यक्षता और सदस्यता के विवरण

क्र.सं.	निदेशकों के नाम	श्रेणी	अन्य कंपनियों में डायरेक्टरशिप/प्रकटन (2018-19)
कार्यकारी निदेशक:			
1.	श्री बी. वी. एन. प्रसाद निदेशक (मानव संसाधन) एवं अतिरिक्त प्रभार अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (दिनांक 05.10.2018 से)	कार्यकारी निदेशक	शून्य
2.	श्री शे. शक्तिमणी निदेशक (वित्त)	कार्यकारी निदेशक	1. स्कूटर इंडिया लिमिटेड
सरकारी नामिती निदेशक :			
3.	सुश्री सुकीर्ति लिखि (15.11.2018 से)	सरकारी नामिती निदेशक	(1) नेपा लिमिटेड (2) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (3) तुमाकुरु मशीन टूल्स पार्क
4.	श्री ए. एम. मणिचन	सरकारी नामिती निदेशक	(1) इनस्ट्रुमेन्टेशन लिमिटेड (2) हिन्दुस्तान केबलस लिमिटेड (3) बीएचईएल इलेक्ट्रीकल मशीनस लिमिटेड
5.	श्री महेन्द्र गुप्ता (29.06.16 से)	स्वतंत्र निदेशक	(1) कॉन्टिनेन्टल हाईजीन कॉनसेप्ट्स (पार्टनर)

ix. निदेशक मंडल सदस्यों का प्रशिक्षण

सीसीआई अपने निदेशक मंडल के सदस्यों को सीसीआई के प्रोफाइल, व्यवसाय आदि के बारे में प्रशिक्षित करने का प्रयास करता है। सीसीआई की कार्यशैली से संबंधित सभी प्रासंगिक मुद्दे और महत्वपूर्ण विकास सीसीआई के निदेशक मंडल (सरकारी) और (गैर सरकारी) अंशकालिक निदेशकों को समय-समय पर सीसीआई प्रबंधन द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

x. आचार संहिता

कंपनी व्यावसायिक नीतिशास्त्र के सर्वोच्च मानकों के अनुसार अपने व्यवसाय को करने के प्रति और सभी अनुप्रयोग विधियों, नियमों और विनियमों का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बात की पुष्टि की जाती है कि वर्ष 2018-19 के दौरान निदेशक मंडल के सदस्यों और शीर्षस्थ प्रबंधन स्तर के अधिकारियों ने आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किया है।

xi. जोखिम प्रबंधन और उसे न्यूनतम करने के लिए नीतियां

जोखिम प्रबंधन प्रणाली निगमित और प्रचालनात्मक उद्देश्यों के साथ एकीकृत और संबद्ध है। जोखिम प्रबंधन को सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में किया जाता है, न कि निर्धारित समय में एक भिन्न कार्य के रूप में।

3. लेखापरीक्षा समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी में एक लेखापरीक्षा समिति होती है जिसमें निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं :

1. श्री महेन्द्र गुप्ता (स्वतंत्र निदेशक), अध्यक्ष के रूप में
2. श्री बी. वी. एन. प्रसाद, निदेशक (मानव संसाधन) सदस्य के रूप में
3. श्री ए एम मणिचन, (सरकारी नामिती), सदस्य के रूप में

उपर्युक्त लेखापरीक्षा समिति जो कि 14.07.2016 को पुनर्गठित की गई थी। जिसमें श्री महेन्द्र गुप्ता (स्वतंत्र निदेशक) अध्यक्ष, श्री ए एम मणिचन, (सरकारी नामिती), सदस्य, श्री बी. वी. एन. प्रसाद, निदेशक (मानव संसाधन) सदस्य, के रूप में नामित किए गए।

लेखापरीक्षा समिति को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और निगमित शासन पर सार्वजनिक उद्यम के विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार शक्तियां, भूमिका और विचारार्थ विषय सौंपे गए हैं।

वर्ष 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की दिनांक 30.07.2018, 16.08.2018, 26.09.2018, 12.11.2018 और 16.01.2019 को चार बैठकें आयोजित की गईं और निम्नलिखित सदस्यों द्वारा उनमें अपनी उपस्थिति दर्ज की गई:

नाम	निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित की गई बैठकों की संख्या	बैठकें जिनमें भाग लिया
श्री मेहन्द्र गुप्ता	5	5
श्री बी. वी. एन प्रसाद	5	5
श्री ए एम मणिचन	5	5

4. मेहनताना समिति

सरकारी कंपनी होने के नाते निदेशकों को किये जाने वाले भुगतान जैसे मेहनताना और भत्ते, उनकी नियुक्ति / संविदा की निबंधन और शर्तों के अनुसार सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। हालांकि सार्वजनिक उद्यम विभाग यह निर्देश दे चुका है कि प्रत्येक सीपीएसई एक मेहनताना समिति का गठन करेगा जिसकी अध्यक्षता एक अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक द्वारा की जाएगी जो सभी कर्मचारियों में इसके वितरण के लिए वार्षिक बोनस / परिवर्तनीय भुगतान नीति तय करेगी।

मेहनताना समिति का पुनर्गठन किया गया जो इस प्रकार है

1. श्री महेन्द्र गुप्ता (स्वतंत्र निदेशक), अध्यक्ष के रूप में
2. श्री ए एम मणिचन, (सरकारी नामिती), सदस्य के रूप में
3. श्री बी. वी. एन. प्रसाद, निदेशक (मानव संसाधन) सदस्य के रूप में

प्रकार्यात्मक निदेशकों को भुगतान किए गए मेहनताना का विवरण

वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी के प्रकार्यात्मक निदेशकों को भुगतान किए गए मेहनताना का विवरण निम्नलिखित है:-
(₹ लाख में)

क्र सं.	नाम	वेतन और भत्ता	अन्य लाभ	निष्पादन प्रोत्साहन	परिलब्धियों का मूल्य	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	पीएफ और अन्य निधियों में अंशदान	कुल
1.	श्री बी वी एन प्रसाद	24.46	4.20	0.00	0.00	0.06	2.60	31.32
	निदेशक (मानव संसाधन) एवं अतिरिक्त प्रभार अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक							
2.	श्री शे. शक्तिमणी निदेशक (वित्त)	21.80	3.74	0.00	0.00	0.09	2.32	27.94
3.	श्री अजय कुमार शर्मा कंपनी सचिव	10.76	2.91	0.00	0.00	0.12	1.29	15.08
	कुल	57.02	10.85	0.00	0.00	0.27	6.21	74.35

5. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के लिए एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का होना आवश्यक है। कंपनी के पास केवल एक स्वतंत्र निदेशक है। तदनुसार, सीएसआर समिति निम्नलिखित निदेशकों से मिलकर बनी है: -

- क) श्री महेन्द्र गुप्ता, अध्यक्ष (स्वतंत्र निदेशक)
- ख) श्री ए. एम. मणिचन, निदेशक (सरकार नामित)
- ग) श्री बी.वी.एन. प्रसाद, निदेशक (एचआर)

6. शेयरधारक और निवेशक शिकायत समिति

सीमेंट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक गैर-सूचीबद्ध सरकारी कंपनी है और पूरी शेयर पूंजी भारत के राष्ट्रपति और उनके नामिती द्वारा धारित की जाती है। अतः ऐसी किसी भी समिति के गठन की आवश्यकता नहीं है।

7. स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

चूंकि कंपनी के निदेशक मंडल में कोई भी स्वतंत्र निदेशक नहीं है, इसलिए स्वतंत्र निदेशकों की कोई भी बैठक आयोजित नहीं की जा सकी।

8. सहायक कंपनियां

कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है।

9. वार्षिक आम सभा

पिछले तीन सालों की वार्षिक आम सभाओं का विवरण निम्नानुसार दिया गया है:-

वार्षिक आम सभा	52वीं वार्षिक आम सभा	53वीं वार्षिक आम सभा	54वीं वार्षिक आम सभा
तारीख और समय	27 सितम्बर, 2016 को दोपहर 12.15 बजे	20 सितम्बर, 2017 को दोपहर 3.00 बजे	26 सितम्बर, 2018 को दोपहर 12.30 बजे
स्थान	स्कोप काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003	स्कोप काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003	स्कोप काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003
यदि कोई प्रस्ताव पारित किया गया हो	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं

10. प्रकटन

I. संबंधित पार्टी लेन देन :

कंपनी निदेशकों या उनके ऐसे संबंधियों (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अनुक्रम में अलग-अलग निदेशकों द्वारा किए गए प्रकटन) के साथ पार्टी से संबंधित किसी लेन-देन में शामिल नहीं हुई है, जो कंपनी के साथ बड़े स्तर पर संभावित हित रखते हैं।

II. दिशानिर्देशों का अनुपालन :

मई 2010 में निगमित शासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए कंपनी ने कदम उठाए हैं।

कंपनी पर पिछले तीन सालों के दौरान विधि के तहत गैर अनुपालन वाले किसी निकाय प्राधिकार द्वारा जुर्माना नहीं लगाया गया है।

संविदागत अपेक्षाओं के अनुरूप नियुक्ति की शर्तों के अनुसार नियत खर्चों के अतिरिक्त निदेशक मंडल के लिए कोई व्यक्तिगत खर्च नहीं किया गया है।

iii. लेखांकन उपचार :

31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तैयार किए गए वित्तीय विवरणों के लिए इसकी रिपोर्ट में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणी और पर्यवेक्षण के अध्यक्षीन कंपनी ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विहित लेखांकन मानकों का अनुसरण किया है।

iv. राष्ट्रपति निर्देश :

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 और पिछले तीन सालों के दौरान राष्ट्रपति से संबंधित कोई निर्देश प्राप्त नहीं किया है।

11. सतर्कता

सीसीआई पीएसयू होने के नाते कंपनी का रिकार्ड भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के लिए तथा सतर्कता अनुभाग, सीसीआई द्वारा निरीक्षण किए जाने के लिए खुला है। सीसीआई का सीवीओ की अध्यक्षता में एक सतर्कता विभाग भी है।

12. संप्रेषण के साधन

वार्षिक वित्तीय निष्पादन कंपनी की वेबसाइट www.cciltd.in पर जारी कर दिया गया है। कंपनी समय-समय पर सीसीआई की वेबसाइट पर महत्वपूर्ण निगमीय निर्णयों और गतिविधियों पर सरकारी समाचार प्रायोजित करती है।

13. व्हिस्ल ब्लोअर नीति

अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदेहात्मक धोखाधड़ी या नीति के अतिक्रमण के बारे में चिंता व्यक्त करने हेतु कंपनी ने कर्मचारियों के लिए एक तंत्र की स्थापना की है। कर्मचारी कंपनी के लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष तथा प्रबंधन निदेशक जोकि कंपनी के व्हिस्ल ब्लोअर नीति के तहत सक्षम प्राधिकारी हैं तक सीधी पहुंच रखते हैं। व्हिस्ल ब्लोअर नीति कंपनी की सरकारी वेबसाइट

www.ccilttd.in पर जारी की गई है।

14. अनुपालन प्रमाणपत्र

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के एक हिस्से के रूप में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत शर्तों के रूप में निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने वाले पूर्णकालिक अभ्यास में कंपनी सचिव, मैसर्स अमित अग्रवाल एण्ड कंपनी से प्राप्त प्रमाणपत्र, उनकी टिप्पणियां और अवलोकन पर्यवेक्षण का विषय है जो यहां अनुबंध के रूप में संलग्न किया गया है।

निदेशक मंडल की ओर से तथा उनके लिए

ह0
(शे. शक्तिमणी)
निदेशक (वित्त) / सीएफओ

ह0
(बी.वी.एन. प्रसाद)
निदेशक (मानव संसाधन)

दिनांक : 3 दिसम्बर 2019

स्थान : दिल्ली

निगमित शासन पर अनुपालन प्रमाण पत्र

सेवा में,
सदस्यगण
सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि०
नई दिल्ली-110003

- हमने सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मई, 2010 में जारी किए गए दिशा-निर्देशों (समय-समय पर यथासंशोधित) में किए गए उल्लेखानुसार 31.03.2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय कोर 5, स्कोप काम्प्लेक्स, 7 लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 में है, द्वारा निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।
- निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी द्वारा अपनायी गयी प्रक्रियाओं और उनके अनुपालन तक ही सीमित थी। यह न तो कंपनी के वित्तीय विवरणों की कोई लेखापरीक्षा है और न ही उन पर व्यक्त किया गया कोई दृष्टिकोण।
- हमारे दृष्टिकोण में और हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार हम यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने निम्नलिखित को छोड़कर डीपीई के उपर्युक्त दिशानिर्देशों में किए गए उल्लेखों के अनुसार निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन किया है:
 - वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल में केवल एक स्वतंत्र निदेशक था।
 - डीपीई के दिशा निर्देशों के अनुसार लेखापरीक्षा समिति में कम से कम तीन निदेशक सदस्य के रूप में शामिल होंगे और लेखापरीक्षा समिति के दो तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे। परंतु कंपनी के निदेशक मंडल में केवल एक स्वतंत्र निदेशक है।
- हम यह भी उल्लेख करते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का कोई आश्वासन है और न ही ऐसी कोई दक्षता अथवा प्रभावशीलता है, जिसके जरिये प्रबंधन ने कंपनी के कार्यकलापों का संचालन किया है।

दिनांक : 23.07.2019
स्थान: दिल्ली

ह०
(सी.एस. अमित अग्रवाल)
(प्रोपराइटर)
सदस्य संख्या 3647
प्रैक्टिस सर्टिफिकेट संख्या - 5311

प्रबंधन के साथ चर्चा और विश्लेषण

1. सिंहावलोकन और दृष्टिकोण

वैश्विक सीमेंट बाजार 2018 में 5 अरब टन से अधिक की मात्रा तक पहुंच गया है और अगले पांच वर्षों के दौरान सीएजीआर के 3.5% तक बढ़ने की आशा है। तथापि, भारतीय सीमेंट उद्योग ने वित्तीय वर्ष 2017-18 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 में 13.3% की वृद्धि दर्ज की। इस उद्योग से वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भी 7-8% की वृद्धि दर्ज होने की संभावना है। भारत की मध्यावधि विकास की संभावनाएं मजबूत हैं।

जीएसटी और दिवालियापन कोड जैसे हाल के वर्षों में किए गए महत्वपूर्ण सुधारों से आने वाले वर्षों में सीमेंट की खपत बढ़ने की संभावना है। भारत विश्व में सीमेंट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दस लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। केंद्र में एक स्थिर सरकार होने पर, सड़कों, मेट्रो रेल परियोजनाओं, हवाई अड्डों और सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण पर ध्यान देने के साथ-साथ बुनियादी ढांचे के विकास में एक नए सिरे से गति आने की आशा है। वर्ष 2022 तक 98 स्मार्ट शहरों के विकास और सभी योजनाओं के लिए आवास जैसी कुछ प्रमुख पहलों से भी सीमेंट की खपत पर अनुकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। 2018-19 के बजट में, भारत सरकार ने घर खरीदारों को ऋण आसान बनाने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक के अंतर्गत रुपये 25,000 करोड़ के किफायती आवास निधि की स्थापना की घोषणा की। भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास विकास योजना (शहरी) के अंतर्गत 18 दिसम्बर तक लगभग 1.29 मिलियन घरों का निर्माण किया गया है।

भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और डिजिटलीकरण, वैश्वीकरण, अनुकूल जनसांख्यिकी और सुधारों के पीछे अगले 10-15 वर्षों में विश्व की शीर्ष तीन आर्थिक शक्तियों में से एक होने की संभावना है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 7% की वृद्धि दर्ज की है।

कुल 210 बड़े सीमेंट संयंत्रों की कुल क्षमता 410 मिलियन टन से अधिक संचयी संस्थापित क्षमता है। बड़े संयंत्रों में से 77 आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में स्थित हैं जिससे दक्षिण भारत अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार बन गया है।

2. वित्तीय समीक्षा और विश्लेषण

चुनौतीपूर्ण परिदृश्य के बावजूद सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लाभदायक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम बना रहा। वित्तीय वर्ष 2018-19 का कॉर्पोरेट का निवल लाभ वित्तीय वर्ष 2017-18 के रुपये 17.99 करोड़ के निवल लाभ की तुलना में 6.35 करोड़ है। वर्ष के दौरान सीमेंट प्रेषण 6.50 लाख मीट्रिक टन था जो पिछले वित्त वर्ष के 7.47 लाख मीट्रिक टन था।

3. जोखिम और चिंताएं

जोखिम प्रबंधन को व्यावसायिक परिवेश, परिचालन नियंत्रण और अनुपालन प्रक्रियाओं को ध्यान में रखना होता है। प्रमुख जोखिम पहचान और वर्गीकरण की एक प्रणालीगत प्रक्रिया के माध्यम से मूल्यांकन किया जा रहा है। जोखिम, मूल्यांकन खतरे के विश्लेषण तक ही सीमित नहीं है, परंतु यह संभावित अवसरों की पहचान भी करता है। कंपनी ने आपके संगठन के लिए निम्न जोखिमों की पहचान की है:

क. प्राथमिक कच्चे माल और ऊर्जा की लागत

चूना पत्थर सीमेंट उत्पादन के लिए आवश्यक प्राथमिक कच्चा माल है। सीसीआई की सभी तीनों प्रचालन इकाइयों के पास चूना पत्थर शेल के लिए अपनी कैप्टिव खानें उपलब्ध हैं। लेकिन आर्थिक कीमतों पर कोयला की उपलब्धता ऊर्जा लागत को प्रभावित करती है क्योंकि सीमेंट एक ऊर्जा सघन उद्योग है। वैश्विक मांग परिदृश्य से प्रेरित होने से वर्ष के दौरान ईंधन की कीमतों में वृद्धि जारी रही। हम कोयले की कीमत में बढ़ोतरी के दबाव को कम करने के लिए पेट कोक के मिश्रण का उपयोग करने की प्रक्रिया पर भी विचार कर रहे हैं।

सीसीआई विद्युत की खपत को कम करने के लिए ऊर्जा बचत वाले उपकरणों को स्थापित करने की प्रक्रिया में है। ऊर्जा संरक्षण के लिए किए गए अन्य उपायों में ऊर्जा कुशल मोटरों द्वारा ऊर्जा अक्षम मोटरों का प्रतिस्थापन अधिकतम मांग के प्रभावी नियंत्रण के लिए मांग नियंत्रकों की स्थापना और ग्री-हीटर टॉवर में ऑक्सीजन के प्रतिशत को इष्टतम स्तर पर बनाए रखने के लिए उसके रिसाव को रोकना शामिल हैं। ऊर्जा कुशल एलईडी लाइटों द्वारा पारंपरिक लाइटों को प्रतिस्थापित किया जा रहा है और ऊर्जा लागत को कम करने और संगठन के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए सौर संयंत्र की स्थापना भी पाइप लाइन में हैं।

सीसीआई बिजली की खपत को कम करने के लिए ऊर्जा बचत उपकरणों की स्थापना करने की प्रक्रिया कर रहा है।

ख. कम मांग और ओवर कैपैसिटी

सीमेंट उद्योग दक्षिणी बाजारों में अधिकता के साथ मांग के संकट से जूझता रहा। इससे सीमेंट की कीमतों पर दबाव बने रहने की संभावना है, जिससे फलस्वरूप निचला तबका प्रभावित हो रहा है।

ग. प्रतिस्पर्धा

सीमेंट बाजार में नई कंपनियों के प्रवेश और मौजूदा कंपनियों द्वारा क्षमता विस्तार के साथ भारतीय सीमेंट बाजार जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उद्योग है, में प्रतिस्पर्धा लगातार एक हकीकत बनी हुई है। बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा लाभ के मार्जिन और बाजार शेयरों पर दबाव बना सकती है। सीसीआई उन्नत विपणन गतिविधियों और गुणवत्ता वितरण कार्यक्रम और ग्राहक संतुष्टि के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए प्रयासों के माध्यम से अपनी ब्रांड इक्विटी को बढ़ाना जारी रखता है।

घ. परियोजना निष्पादन

आपकी कंपनी ने देश में सीमेंट की कमी वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र में बोकाजन यूनिट का विस्तार किया जा रहा है। इस विस्तार परियोजना में समयावधि के बढ़ने का जोखिम निहित है। किसी भी समय इसके प्रचालन में विलंब से राजस्व और मुनाफा प्रभावित हो सकता है।

ड. मानव संसाधन

कर्मचारियों की अधिवर्षिता की आयु पूर्ण करने पर सतत सेवानिवृत्ति के साथ प्रतिस्पर्धी माहौल में मूल्यवर्धन और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए कंपनी का महत्व प्रतिभा को आकर्षित बनाए रखने और उनका पालन पोषण करने की क्षमता पर निर्भर करता है। इसके विपरीत उपयुक्त प्रतिभा की कमी और अनुपलब्धता सीसीआई के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है। हम लगातार पूरे उद्योग में पिछली मानव संसाधन प्रथाओं को बेंचमार्किंग करते हैं और बेहतरीन प्रतिभाओं को आकर्षित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए उनमें आवश्यक सुधार करते हैं।

च. विनियामक और अनुपालन

देश में कभी भी विकसित नियामक ढांचे के साथ अननुपालन और शास्तियों के जोखिम बढ़ जाते हैं और इसमें प्रतिष्ठात्मक जोखिम भी निहित होते हैं। कंपनी विनियामक रूपरेखा के बारे में किए गए परिवर्तनों की नियमित रूप से समीक्षा कर रही है और तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

4. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

आंतरिक लेखापरीक्षा टीम आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता की निगरानी करती है तथा लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट करती है। प्रचालन प्रक्रियाओं और और नियंत्रण प्रणालियों में सुधार हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा टीम की सिफारिशों को भी लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और व्यवसाय/उद्योग प्रचालन प्रक्रियाओं के सुदृढीकरण हेतु टूल के रूप में इनका इस्तेमाल करते हैं।

5. सीएसआर नीति

कंपनी की एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति है जिसे कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया।

6. अन्य प्रकटन

केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों (सीपीएसई) के लिए निगमित शासन पर दिशानिर्देश के अध्याय-7 में प्रावधान किया गया है कि वार्षिक रिपोर्ट में निदेशकों की रिपोर्ट के एक भाग के रूप में अथवा उसके साथ एक अतिरिक्त संलग्नक के रूप में प्रबंधन के साथ चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न की जानी चाहिए, जिसमें विभिन्न मामलों पर कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति के आधार पर निर्धारित सीमाओं के भीतर चर्चा-परिचर्चा शामिल होती है। जहां तक क्षेत्रवार और उत्पादवार निष्पादन का संबंध है, कंपनी केवल एक क्षेत्र अर्थात् सीमेंट के विभिन्न ब्रांडों का व्यवसाय करती है। मानव संसाधन, औद्योगिक संबंधों तथा पर्यावरण संरक्षण और रक्षा, प्रौद्योगिकीय संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास, विदेशी विनिमय संरक्षण जैसे मुद्दों को निदेशकों की रिपोर्ट में पहले ही शामिल कर लिया गया है।

उपसंहार

सीमेंट उद्योग की वृद्धि की संभावना अर्थव्यवस्था की वृद्धि से जुड़ी हुई है। अल्पकालिक दृष्टिकोण अभी भी चुनौतीपूर्ण ही हैं। तथापि सीमेंट उद्योग के दीर्घावधि चालक अभिन्न अंग ही रहे हैं। मुख्यतः सरकार का मुख्य ध्यान अवसंरचना विकास तथा परिसंपत्तियों के उपयोग पर है।

एहतियाती वक्तव्य

‘प्रबंधन के साथ चर्चा एवं विश्लेषण में दिए गए विवरण कंपनी के उद्देश्यों, योजनाओं एवं अनुमानों को दर्शाने वाले प्रगतिशील तथा सुरक्षा के नियमों एवं प्रावधानों से परिपूर्ण कथन हैं। वित्तीय स्थिति, शासकीय नीतियों एवं अन्य प्रभावित करने वाले कारकों के अनुसार वास्तविक परिणाम व्यक्त अथवा इंगित किए गए परिणामों से भिन्न हो सकते हैं।’

दस वर्ष डाइजेस्ट



(₹ लाखों में)

ब्यौरा	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10
लाभ और हानि का विवरण										
बिक्री और प्रेषण और Accretion (विवेकाधिकार) स्टॉक करने के लिए	27237	33075	33317	38711	39141	31360	30218	35613	30286	33426
असाधारण आय सहित अन्य आय	8685	7089	10805	6324	5846	7737	4694	4070	5893	3462
कच्चे माल की खपत	4029	4224	4191	5037	4779	4006	5137	4899	3969	3630
भंडार और पैकिंग सामग्री की खपत	1618	1571	1865	2037	1880	1534	1690	1703	1640	
कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभ	6070	6847	7690	6365	6562	6096	5650	6045	4997	4597
ब्याज	116	261	225	223	297	295	446	911	3683	3752
मूल्यहास	720	608	665	790	636	906	811	744	774	899
अन्य विनिर्माण व्यय	24553	24812	25553	25404	26668	24184	20523	23451	18340	17095
लाभ (+)/हानि (-)	635	1799	4233	5351	4008	1620	811	1943	2713	5275
तुलन पत्र										
पेडअप शेयर कैपिटल*	81141	81141	81141	81141	81141	81141	81141	81140	81140	81140
रिजर्व और सरप्लस	(78256)	(78846)	(80690)	(84923)	(90274)	(93736)	(95356)	(96167)	(98110)	(100823)
ऋण	27475	28100	29600	37338	37338	37338	37338	37338	37172	46875
नेट फिक्स्ड एसेट्स	12697	10418	11449	11919	12169	12741	12911	9863	10224	10734
वर्तमान संपत्ति	33564	41100	43316	44525	40394	38412	40710	42486	39269	49033
वर्तमान देयताएं और प्राक्धान	10697	31399	33481	30552	32026	33813	37033	35737	33137	840
राजधानी डब्ल्यू.आई.पी.	5812	8117	6706	5625	5766	5512	4713	3973	2051	1577
अन्य संपत्तियां (डीआरईआरई सहित)	2254	2159	2061	2039	1902	1891	1821	1726	1795	1907
पूंजी नियोजित#	44896	48478	50564	53610	50349	47859	50358	45928	17068	23835
कर्मचारियों की संख्या	574	640	665	747	813	907	906	907	988	1078

* 45,598 लाख रुपये के इक्विटी शेयर और रु.35,543 लाख के मोचन वरीयता शेयर शामिल हैं

पूंजी नियोजित की गणना टोटल एसेट्स से करेंट लिबिलिटी और अनअमोर्टेड एक्सपेंस कम करके की जाती है

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

(संशोधित)

सेवा में,
सदस्य,
सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया
नई दिल्ली

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (दी कंपनी) सीआईएन नं.—यू 74899डीएल 1965जीओआई004322 के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिनमें 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त वित्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण तथा नगदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा अन्य स्पष्टीकरण युक्त सूचना का सारांश शामिल हैं। इसमें ग्यारह यूनिटें (मांढार, तान्दूर, चरखी-दादरी, अलकतरा, नयागांव, नयागांव विस्तार और दिल्ली ग्राइंडिंग यूनिट, कुर्कुटा, आडिलावाद, बोकाजन, सिल्वर ग्राइंडिंग यूनिट) जिनकी लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा की गई और राजबन (हिमाचल प्रदेश), भटिंडा ग्राइंडिंग यूनिट और निगमित कार्यालय, जिनकी लेखापरीक्षा हमारे द्वारा की गई है, शामिल हैं। यह संशोधित स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट सीएजी द्वारा ध्यानाकर्षण कराने के पश्चात जारी की गई है। यह संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट अनुबंध 1, 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत निर्देशों के साथ भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों का अनुपालन करने के लिए जारी की गई है।

हमारे मत में और हमारी श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, अर्हक मत हेतु आधार में वर्णित मामलों के अलावा, उपरोक्त वित्तीय विवरणियां कंपनी अधिनियम 2013 में अपेक्षित जानकारी प्रदान करती है। कंपनी के मामलों की स्थिति के रूप में 31 मार्च, 2019, और इसके लाभ, और वर्ष के लिए उसी तारीख को समाप्त इसके नगदी प्रवाह के भारत में प्रायः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और उचित परिदृश्य परिलक्षित करते हैं।

मत के लिए आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्व को आगे वित्तीय लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व भाग में

वर्णित किया गया है। हम कंपनी के प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं और कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम के प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए संगत नैतिक उत्तरदायित्व सहित भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार स्वतंत्र हैं। और हमने इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य उत्तरदायित्व पूरे किए हैं। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त है और हमारे मत के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए उपयुक्त है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संदर्भ में कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है जो कंपनी (लेखांकन) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह की सही और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की रोकथाम और उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों के चयन और उन्हें लागू करने, ऐसे निर्णय करने और अनुमान लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड बनाए रखना शामिल हैं, जो उचित और तथ्यपरक हैं; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव भी इसमें शामिल है, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से लेखांकन रिकॉर्डों की परिशुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से लागू किए गए और जो स्पष्ट और सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं तथा धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण किसी तथ्यपरक गलत विवरण से मुक्त हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, निदेशक मंडल कंपनी के गोइंग कंसर्न जारी रखने की क्षमता का आकलन करने गोइंग कंसर्न से संबंधित मामले, यथा लागू का प्रकटन करने और जब तक निदेशक मंडल की कंपनी को समाप्त करने या संचालन बंद करने अथवा संचालन बंद करने की मंशा नहीं है, या ऐसा करने के अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है, लेखांकन के गोइंग कंसर्न आधार का प्रयोग करने के लिए उत्तरदायी है।

कम्पनी का निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी है।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करने के लिए में हमारे मत को शामिल करने हेतु यह न्यायसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या सम्पूर्ण वित्तीय विवरणियां, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, महत्वपूर्ण मिथ्या बयान से मुक्त हैं। न्यायसंगत आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार आयोजित लेखा परीक्षा, महत्वपूर्ण मिथ्या कथन विद्यमान होने पर सदैव उसका पता लगा सकेगी। मिथ्या कथन धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और महत्वपूर्ण माने जाते हैं यदि व्यक्तिगत रूप में या समेकित रूप में, वे यथोचित इन वित्तीय विवरणियों के आधार पर लिया उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय को प्रभावित करने करें।

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक दृष्टिकोण व्यक्त करना है।

हमने अधिनियम के ऐसे प्रावधानों, लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों और मामलों पर विचार किया है, जिन्हें अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल करना आवश्यक है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार संचालित की है। उन मानकों के तहत यह आवश्यक है कि हम लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन इस प्रकार से करें ताकि इस बात को लेकर उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि वित्तीय विवरणों में किसी भी प्रकार की वास्तविक रूप से कोई गलत जानकारी नहीं दी गई है और वित्तीय विवरण गलत तथ्यों से मुक्त हैं।

किसी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटन के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाने वाली प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के वास्तविक रूप से गलत तथ्यों संबंधी जोखिमों का मूल्यांकन शामिल होता है चाहे वे गलत तथ्य किसी धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण क्यों न दिए गए हों। इन जोखिमों का मूल्यांकन करने में लेखापरीक्षक कंपनी द्वारा वित्तीय विवरणों की तैयारी के अनुरूप आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और वित्तीय विवरणों की सही तस्वीर प्रस्तुत करने पर विचार करता है, जो वित्तीय विवरणों की कंपनी द्वारा

तैयारी के संबंध में ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन करने में सहायक होते हैं, जो उन परिस्थितियों की दृष्टि से उपयुक्त हैं और सही तथा स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। किसी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और कंपनी के निदेशकों द्वारा लगाए गए लेखांकन अनुमानों के औचित्य के साथ-साथ संपूर्ण वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

हमारा मानना है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे दृष्टिकोण के लिए एक उपयुक्त एवं तर्कसंगत आधार प्रदान करती है।

वित्तीय विवरणियों और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

हमने कंपनी की समेकित वित्तीय विवरणियों में शामिल 11 (ग्यारह) शाखाओं की वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा नहीं की जिनकी वित्तीय विवरणियां वित्तीय सूचना 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार रुपए 371.47 करोड़ की कुल परिसंपत्तियों और उसी तारीख को समाप्त वर्ष की लिए कुल राजस्व रुपए 245.29 करोड़ था क्योंकि इन शाखाओं की समेकित वित्तीय विवरणियों/सूचना की लेखा परीक्षा, शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और हमारे मत में, जहां तक यह शाखाओं के संबंध में शामिल की गई राशि और प्रकटीकरण का संबंध है, शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

प्रासंगिक इन मामलों के संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं किया गया है।

हम वित्तीय विवरणियों पर, बिना अधिकार के, टिप्पणियों में संदर्भित निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं :

- क) कंपनी की वित्तीय विवरणियां निम्नलिखित के बावजूद गोइंग कंसर्न आधार पर तैयार की गई है :
 - I. रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 की धारा 31 के खंड (ओ) के अर्थ में एक रुग्ण कंपनी घोषित की गई है।
 - II. बीआईएफआर स्वीकृत योजना ने नयागांव विस्तार के अंतर्गत दो ईकाइयों सहित कंपनी के सात कारखानों की बिक्री के लिए दिनांक 3 मई, 2006 के अपने आदेश के अनुसरण में मंजूरी दे दी है।

कंपनी के गोइंग कंसर्न जारी रहने की क्षमता काफी हद तक बीआईएफआर पैकेज में परिकल्पित पुनरुद्धार योजना के सफल कार्यान्वयन पर निर्भर है खटिप्पणी 34 का बिंदु संख्या 9 देखें। वित्तीय विवरणों में दर्ज की गई परिसंपत्तियों और देनदारियों की वसूली और वर्गीकरण से संबंधित कोई समायोजन शामिल नहीं

है जो यदि कंपनी गोइंग कंसर्न के रूप में जारी रखने में असमर्थ होने पर आवश्यक हो।

(ख) बीआईएफआर द्वारा दिनांक 03.05.2006 के आदेश के जरिए अनुमोदित मसौदा पुनर्वास योजना (डीआरएस) को 2 (दो) चरणों में कार्यान्वित किया जाना था, जिसके पहले चरण के लिए भारत सरकार द्वारा पूरी वित्तीय सहायता प्रदान की गई, वह चरण पूरा हो गया है। दूसरे चरण को 2007-08 तक पूरा किया जाना था, जिसे 07 (सात) गैर प्रचालनरत यूनिटों की बिक्री से होने वाली आय से कार्यान्वित करने की योजना थी, अब तक इस दिशा में कोई महत्वपूर्ण प्रगति दिखाई नहीं दे रही है। जबकि, निति आयोग के आदेशानुसार सभी गैर प्रचलित ईकाइयों के बेचने का कार्य प्रगति पर है। (नोट-30 का बिन्दु संख्या 11 देखें)

अर्हतापूर्ण दृष्टिकोण के लिए आधार

- क. कंपनी के पक्ष में कुछ ईकाइयों की भूमि के स्वत्वाधिकार और पट्टा विलेखों का निष्पादन लंबित है और भूमि के ब्यौरे मिलान के अधीन हैं। इसके अलावा, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिनांक 11-04-2017 को एसडीएमसी को 14.20 एकड़ की जमीन का हस्तांतरण स्वतः ही कर दिया। भूमि की लागत का बाह्य पक्षकार से वसूली योग्य दावा किया जा रहा है। रेलवे साइडिंग को आवंटित भूमि 6.74 भूमि का भौतिक कब्जा अभी भी कंपनी के पास है। खटिप्पणी 34 का बिंदु संख्या 03 देखें।
- ख. सीसीआई की आदिलाबाद टाउनशिप के बाहर सरकारी भूमि, जिसका प्रयोग पम्प हाउस से राष्ट्रीय राजमार्ग तक सड़क मार्ग के रूप में किया गया है, के संदर्भ में एलीनेशन आदेश के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली देयता का निर्धारण न करने और उसके लिए प्रावधान न करने के लिए राजस्व विभाग से स्वीकृति प्रतीक्षित है। [नोट 30 का बिंदु सं. 5 देखें]।
- ग. पुनर्मिलान लंबित होने के कारण 1998 में बेची गई येरगुंतला यूनिट के संदर्भ में विशेष लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित असंगतताओं के प्रभाव पर विचार नहीं किया गया है। [नोट 34 का बिंदु सं. 12 देखें]।
- घ. व्यापारिक प्राप्तियों, ऋण और अग्रिमों, व्यापारिक देयताओं, पक्षकारों के साथ जमा राशियों और उनसे प्राप्त होने वाली राशियों और अन्य देयताओं की बकाया राशियों की पुष्टि और पुनर्मिलान किया जाना है। पुनर्मिलान न करने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाला वित्तीय प्रभाव, यदि

कोई है, का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। [नोट 34 का बिंदु सं. 22 देखें]।

- ड. कंपनी की 7 फैक्ट्रियां और दिल्ली में एक ग्राइंडिंग यूनिट है, जहां वर्ष 1996 से 1999 के बीच प्रचालन बाधित हो गया था और भटिंडा (पंजाब) में भी कंपनी की एक ग्राइंडिंग यूनिट है, जहां उत्पादन शुरू नहीं किया जा सका, जिसके संदर्भ में नोट 34 के बिंदु संख्या 11 में ध्यान आकर्षित किया गया है। प्रबंधन के दृष्टिकोण में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस)-28 के अंतर्गत परिसंपत्तियों के इंपेयरमेंट के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं है क्योंकि अपेक्षित बाजार मूल्य सामान्यतया परिसंपत्तियों के बही मूल्य की तुलना में अधिक होता है। [नोट 34 का बिंदु सं. 11 देखें]।
- च. कार्पोरेशन ने 22 मार्च 2007 को 07 (सात) वर्ष के लिए ₹355.43 करोड़ मूल्य के प्रत्येक ₹1000 के 3554325 संयुक्त रिडिमेबल प्राथमिकता शेयर भारत सरकार को जारी किए थे। जारी किए जाने की शर्तों के अनुसार उपर्युक्त प्राथमिकता शेयरों को 22 मार्च 2014 से पहले रिडीम किया जाना था, जो जारी किए जाने की शर्तों के अनुरूप नहीं हैं। प्रबंधन ने सूचित किया है कि मंत्रीमंडल/बीआईएफआर के निर्देशानुसार प्राथमिकता शेयर जारी करने के संबंध में आगे की कार्रवाई शुरू करने के लिए मंत्रालय से अनुमति मांगी गई है। [नोट 34 का बिंदु सं. 13 देखें]।

दृष्टिकोण

हमारे दृष्टिकोण से और हमारी सर्वश्रेष्ठ सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त अर्हता दृष्टिकोण वाले पैराग्राफ के लिए आधार में उल्लिखित मामलों के प्रभाव को छोड़कर उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम के अंतर्गत यथावश्यक सूचना विहित ढंग से प्रदान करते हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और नकदी प्रवाह की एक सही और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") के अनुसार यथावश्यक और कंपनी के ऐसे रिकॉर्ड और बहियों, जिन्हें हमने जरूरी समझा और उपयुक्त पाया, की जांच के आधार पर और हमें दी गई

सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार हमने इस रिपोर्ट के अनुबंध – 'क' में उपर्युक्त आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण पत्र संलग्न किया है।

2. हम कंपनी के ऐसे रिकॉर्ड और बहियों, जिन्हें हमने जरूरी समझा और उपयुक्त पाया, की जांच के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए निदेशों/उप निदेशों के आधार पर धारा 143 (5) के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट अनुबंध – I और अनुबंध – II के रूप में संलग्न कर रहे हैं।

3. अधिनियम की धारा 143 (3) के अंतर्गत जैसा आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- (क) हमने ऐसी सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे;
- (ख) अधिनियम की धारा 143 (3) के अंतर्गत ब्रांच कार्यालय का हमारे दृष्टिकोण में और जैसा कि इन खाता बहियों की हमारे द्वारा की गई जांच से प्रतीत होता है कि कंपनी द्वारा विधि के अंतर्गत आवश्यक लेखाओं की उचित बही तैयार की गई है;
- (ग) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलनपत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखाबहियों के अनुरूप हैं अर्थात् उनसे मेल खाते हैं;
- (घ) हमारे दृष्टिकोण में उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियमावली 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं;

(ङ) कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 को जारी की गई अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के अनुक्रम में भारत सरकार की एक कंपनी होने के नाते कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप धारा (2) के प्रावधान कार्पोरेशन के लिए लागू नहीं हैं।

(च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनरत प्रभावशीलता के संदर्भ में कृपया "अनुबंध – ख" में हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ ग्रहण करें।

(छ) हमारे दृष्टिकोण में और हमारी सर्वश्रेष्ठ सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर हम कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संदर्भ में निम्नलिखित रिपोर्ट करते हैं :

- i. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया है – वित्तीय विवरणों पर नोट संख्या 29 देखें;
- ii. कंपनी ने व्युत्पन्न संविदाओं सहित कोई दीर्घकालीन संविदाएं नहीं कीं, जिसके लिए कोई बड़ी दृश्य हानियां हुई हों।
- iii. ऐसी कोई भी निधियां नहीं पाई गईं, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के संगत प्रावधानों के अनुसार कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित करने की आवश्यकता रही हो।

कृते कपूर भूषण एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीयन सं.: 001676एन

ह०

(सीए पी. बी. कपूर)
भागीदार

सदस्यता सं. 010858

यूडीआईएन : 19010858एएएएएए2462

दिनांक : 18 सितम्बर 2019

स्थान: दिल्ली

अनुबंध- 'क'

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध

31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखाओं पर सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" शीर्षक के अंतर्गत पैरा 1 देखें।

ऐसी जांच के आधार पर जिन्हें हमने उपयुक्त समझा है और हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि :

1. इसकी स्थाई परिसंपत्तियों के संदर्भ में :

(क) कॉर्पोरेशन ने स्थाई परिसंपत्तियों के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाने वाले उचित रिकॉर्ड तैयार किए हैं।

(ख) हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधन द्वारा अपनाए गए सत्यापन संबंधी चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा स्थाई परिसंपत्तियों (कुछ यूनितों में छोड़कर) का भौतिक सत्यापन किया गया है जो हमारे दृष्टिकोण से स्थाई परिसंपत्तियों का उचित अंतराल पर भौतिक सत्यापन का प्रावधान प्रतीत होता है। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसे सत्यापन में कोई बड़ी त्रुटि नहीं पाई गई।

(ग) शाखा लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में किए गए उल्लेख के अनुसार कुछ यूनितों को छोड़कर अचल परिसंपत्तियों के मालिकाना हक विलेख कंपनी के नाम पर रखे गए हैं। नोट 34 का बिंदु संख्या 3 देखें।

2. इसकी इन्वेंटरी के संदर्भ में:

(क) हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार फैक्टरी में कच्चा माल, तैयार माल, अर्ध तैयार वस्तुओं और ए तथा बी श्रेणी के स्टोर एवं कलपुर्जों की इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन का संबंध है, तो प्रबंधन के पास ऐसी प्रणाली मौजूद है कि ऐसे सभी आइटमों का भौतिक सत्यापन वर्ष के अंत में प्रबंधन द्वारा कम से कम एक बार अवश्य किया जाता है। जहां तक कलपुर्जों की श्रेणी 'सी' के अंतर्गत आने वाली इन्वेंटरी का संबंध है, तो भौतिक सत्यापन के लिए प्रबंधन के पास ऐसी प्रणाली मौजूद है कि ऐसे सभी आइटमों का भौतिक सत्यापन तीन वर्ष के ब्लॉक में कम से कम एक बार अवश्य किया जाए। तदनुसार ऐसी इन्वेंटरी के एक भाग का भौतिक सत्यापन

वर्ष के दौरान किया गया। ऐसी कोई इन्वेंटरी नहीं है, जो तृतीय पक्षकारों के पास पड़ी हो।

(ख) हमारे दृष्टिकोण में और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने इन्वेंटरी का उचित रिकॉर्ड तैयार किया है और भौतिक सत्यापन पर बही रिकॉर्डों की तुलना में कोई बड़ी त्रुटियां/कमियां नहीं पाई गई।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल अन्य कंपनियों/पक्षकारों को स्वीकृत किए गए सुरक्षित और असुरक्षित ऋणों के संदर्भ में :

हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मा सीमित देयता भागीदारी अथवा अन्य पक्षकारों को कोई सुरक्षित अथवा असुरक्षित ऋण नहीं स्वीकृत किया है; और इसलिए आदेश का पैराग्राफ 3 (iii) कंपनी के लिए लागू नहीं है।

4. ऋण, निवेश, गारंटियों और प्रतिभूतियों के संदर्भ में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का कंपनी द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया गया है।

5. हमारे दृष्टिकोण में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कोई जमा राशियां स्वीकार नहीं की है और न ही उसके पास ऐसी कोई जमा राशियां हैं, जिनके बारे में कोई दावा न किया गया हो। अतः आदेश के खंड 3 (v) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।

6. हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए यथाविहित नियमों के अनुसार कंपनी द्वारा बनाए गए लागत रिकॉर्डों की व्यापक समीक्षा की है और हमारा यह मानना है कि कंपनी ने प्रथम दृष्टया विहित लागत रिकॉर्ड तैयार किए हैं और उन्हें बनाए रखा है। हालांकि हमने यह निर्धारित करने के लिए लागत रिकॉर्डों की विस्तृत जांच नहीं की है कि वे परिशुद्ध अथवा पूर्ण है या नहीं।

7. सांविधिक देयताओं के संदर्भ में :

(क) कंपनी के रिकॉर्डों के अनुसार और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने सामान्यतः

भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई), निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि, आयकर, स्रोत पर कर की कटौती, स्रोत पर संग्रहित कर, व्यवसायिक कर, बिक्री कर, मूल्यवर्धित कर (वैट), सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उप कर और इसके लिए यथालागू अन्य बड़ी सांविधिक देयताओं सहित सभी अविवादित सांविधिक देयताओं का भुगतान संगत प्राधिकारियों को नियमित रूप से किया है। निम्नलिखित अविवादित मामलों में तुलन पत्र की तारीख को भुगतान बकाया राशियों / एरियर के रूप में है जो उनकी वास्तविक देय तिथि से 6 माह से अधिक अवधि से देय है:

सांविधि का स्वरूप	देयता का स्वरूप	राशि (₹ लाख में)
स्थानीय बिक्री कर	बिक्री कर	1605.81
निगमित कर	एनएएलए कर	70.05
निगमित कर	संपत्ति कर	348.20
सेवा कर	सेवा कर	2.29
निगमित कर	रॉयल्टी	551.51
निगमित कर	प्रवेश कर	5.53
आय कर	आयकर के विलंब से भुगतान पर ब्याज	0.23
केंद्रीय बिक्री कर	सीएसटी	9.40
स्थानीय बिक्री कर	अधिभार / अतिरिक्त कर	13.26
उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951	सीमेंट पर उपकर	18.03
खनन बकाया	खनन विभाग	186.61

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार निम्नलिखित को छोड़कर आयकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, वैट, उप कर और अन्य बड़ी सांविधिक देयताएं 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार एरियर के रूप में देय/बकाया नहीं हैं, जो भुगतान हेतु उनकी वास्तविक देय तिथि से 6 माह से अधिक अवधि से देय हैं :

विवरण	देयता का स्वरूप	कहां लंबित है?	राशि (₹ लाख में)
बिक्री कर	बिक्री कर	एपीएसटी अधिकरण/वित्त आयुक्त/उपयुक्त पदाधिकारी	274.63
ईएसआई का अंशदान	संविदा श्रमिकों पर ईएसआई का अंशदान	माननीय बीआईएफआर और क्षेत्रीय निदेशक /ईएसआईसी	72.84
आयकर शास्ति	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 271 (1) (ग) के अंतर्गत शास्ति	आयकर आयुक्त (अपील)	33.18
संपत्ति कर	संपत्ति कर	स्थानीय पंचायत	185.36
सेवा कर	जीटीए सेवा	आयुक्त (अपील) केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर	38.73
उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क	उत्पाद शुल्क	अपीलीय प्राधिकारी	538.70

8. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसी कंपनी ने ऋणों के मूलधन और उस पर संचित ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक की है, जिसके विवरण नीचे दिए अनुसार हैं:

विवरण	राशि (₹ लाख में)	चूक की अवधि
ब्याज सहित भारत सरकार की राशि	27475.00	वर्ष 2011 से

9. हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया के आधार पर और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव अथवा आगामी सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से कोई धनराशि नहीं जुटाई है अथवा वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है।

10. हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों और सूचना के अनुसार कॉर्पोरेशन में लेखापरीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई भी धोखाधड़ी नहीं पाई गई अथवा कॉर्पोरेशन पर कोई बड़ी धोखाधड़ी की रिपोर्ट की गई।

11. अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान सरकारी कंपनियों के लिए लागू नहीं होते हैं। तदनुसार आदेश के खंड 3(xi) कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।
12. कंपनी कोई निधि कंपनी नहीं है और इसके लिए निधि नियमावली, 2014 लागू नहीं होती है, अतः तदनुसार आदेश के खंड 3 (xii) कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।
13. हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार संबंधित पक्षकारों के साथ किए गए सभी लेनदेन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं और कंपनी (लेखाद्ध नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानक (एएस – 18) संबंधित पक्षकार प्रकटन के तहत यथावश्यक वित्तीय विवरणों का प्रकटन राज्य के नियंत्रणाधीन निकायों के लिए यथालागू सीमा तक किया गया है।
14. कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयरों अथवा पूरी तरह से या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचरों का कोई प्राथमिक आबंटन अथवा निजी स्तर पर कोई नियोजन नहीं किया है। तदनुसार आदेश के खंड 3 (xiv) कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।
15. कंपनी ने इसके निदेशकों अथवा उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर नकदी लेनदेन नहीं किए हैं। तदनुसार आदेश के खंड 3 (xv) कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।
16. कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अंतर्गत पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है।

कृते कपूर भूषण एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीयन सं.: 001676एन

ह०
(सीए पी. बी. कपूर)
भागीदार
सदस्यता सं. 010858

यूडीआईएन : 19010858एएएएएए2462

दिनांक : 18 सितम्बर 2019
स्थान : दिल्ली

अनुबंध 'ख'

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार **सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड** ; "दी कंपनी" के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के साथ – साथ उसी तारीख को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की भी लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक नोट में उल्लिखित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अनिवार्य घटकों को ध्यान में रखते हुए कॉर्पोरेशन द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और उसे बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में कॉर्पोरेशन की नीतियों का अनुपालन, कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा और धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और उनका पता लगाने; लेखांकन रिकॉर्डों की परिशुद्धता और पूर्णता और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार यथावश्यक विश्वसनीय वित्तीय सूचना तैयार करना सहित क्रमबद्ध ढंग से और दक्षतापूर्वक इसके व्यापार का संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से लागू किए गए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव भी शामिल है।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक दृष्टिकोण व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक नोट (द "गाइडेंस नोट") और लेखांकन मानकों के अनुसार संचालित की है, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत यथाविहित माना गया है, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए जिस सीमा तक लागू होते हैं और दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई)

द्वारा जारी किए गए हैं। इन मानकों और मार्गदर्शक नोट के अंतर्गत यह आवश्यक है कि हम सैद्धांतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें अपनी लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन योजना इस प्रकार तैयार करें जिससे कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया और उसे बनाए रखा गया तथा सभी मूल संदर्भों में ऐसे नियंत्रणों को प्रभावी ढंग से लागू किया गया।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी प्रचालनात्मक प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को समझना, इस बात के जोखिम का मूल्यांकन करना कि कोई बड़ी कमजोरी वस्तुतः मौजूद है और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन और प्रचालनात्मक प्रभावशीलता के मूल्यांकन को शामिल किया गया। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों में किसी बड़े गलत विवरण के जोखिमों का मूल्यांकन शामिल होता है, चाहे वे गलत विवरण किसी धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के परिणामस्वरूप क्यों न दिए गए हों।

हमारा मानना है कि हमारे लेखापरीक्षा साक्ष्य, जो हमने प्राप्त किए हैं, हमारे दृष्टिकोण के लिए एक उपयुक्त एवं तर्कसंगत आधार प्रदान करते हैं और वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण के लिए पर्याप्त एवं उचित आधार प्रदान करते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिप्राय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने और भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु डिजाइन की जाती है। किसी कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जो

1. ऐसे रिकॉर्डों के रखरखाव से संबंधित होते हैं जो कॉर्पोरेशन की परिसंपत्तियों के लेन-देन और जमा आदि के संबंध में

पर्याप्त, परिशुद्ध, निष्पक्ष और उचित विवरण प्रस्तुत करते हैं;

2. इस बात का उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेन-देनों को भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु यथावश्यक ढंग से रिकॉर्ड किया गया है और कॉर्पोरेशन की सभी प्राप्तियां और व्यय केवल और केवल प्रबंधन तथा कॉर्पोरेशन के निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार ही किए जा रहे हैं; और

3. इस बात का उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि कंपनी की परिसंपत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, इस्तेमाल अथवा निपटान आदि का समय पर पता लगाने और रोकथाम के संबंध में उपाय किए गए हैं, जिनका कंपनी के वित्तीय विवरणों पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता था।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं, जिनमें नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन अथवा सहमति आदि की संभावना, त्रुटि अथवा धोखाधड़ी के कारण कोई बड़ा

गलत विवरण दिए जाने की संभावना शामिल होती है और हो सकता है कि उसका पता भी न चल पाए। इसके अलावा भावी अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन की संभावनाएं और पूर्वानुमान इस जोखिम के अध्यक्षीन होते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

दृष्टिकोण

हमारे दृष्टिकोण में कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में सभी वास्तविक संदर्भों में पर्याप्त प्रणाली मौजूद है और कंपनी में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के सभी अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावशाली ढंग से प्रचालनरत थे।

कृते कपूर भूषण एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीयन सं.: 001676एन

हो
(सीए पी. बी. कपूर)
भागीदार

सदस्यता सं. 010858

यूडीआईएन : 19010858एएएएएए2462

तारीख : 18 सितम्बर, 2019

स्थान: दिल्ली

**कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के तहत निर्देशों के लिए अनुपालन रिपोर्ट,
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए**

1.	<p>क्या कंपनी के पास सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए प्रणाली है या नहीं?</p> <p>यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभावों, यदि कोई हो, के साथ लेखों की सत्यनिष्ठा पर सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाए।</p>	<p>हाँ, कंपनी में सभी लेखा लेनदेन को संसाधित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली है।</p>
2.	<p>क्या कंपनी की ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा किए गए ऋण/ऋण/ब्याज आदि की छूट/ब्याज आदि के किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन किया गया है अथवा नहीं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव का उल्लेख किया जाए।</p>	<p>वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण कंपनी को ऋण/ब्याज आदि की छूट/ब्याज आदि के लिए किसी मौजूदा ऋण या छूट के मामलों का कोई पुनर्गठन नहीं किया गया है। तथापि, वर्ष के दौरान कंपनी ने बकाया देय राशि का निपटान किया और रुपए 15.12 करोड़ रुपए की छूट प्राप्त की।</p>
3.	<p>क्या केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त निधियों का इसकी शर्तों के अनुसार समुचित रूप से उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची प्रस्तुत करें।</p>	<p>केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त निधियों को उसकी शर्तों के अनुसार समुचित रूप से लेखा-जोत/उपयोग किया गया था।</p>

कृते कपूर भूषण एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीयन सं.: 001676एन

ह०

(सीए पी. बी. कपूर)

भागीदार

सदस्यता सं. 010858

यूडीआईएन : 19010858एएएएएए2462

दिनांक : 18 सितम्बर 2019

स्थान : दिल्ली

वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5)
के अंतर्गत यथावश्यक उप निदेश

कंपनी के लेखाओं और खाताबही के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों और/अथवा सूचना के बारे में उत्तर निम्नानुसार हैं:

बीआईएफआर योजना

कंपनी को माननीय बीआईएफआर द्वारा अपने दिनांक 08.08.96 के पत्र संख्या 501/96-बेंच प्ट एसओएल के जरिए रुग्ण उद्योग घोषित किया गया। माननीय बीआईएफआर ने अपनी दिनांक 21.03.2006 को आयोजित सुनवाई में मैसर्स आईएफसीआई (ओए) द्वारा तैयार की गई और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई पुनरुद्धार योजना को अपना अनुमोदन प्रदान किया। स्वीकृत योजना को माननीय बीआईएफआर द्वारा दिनांक 03.05.2006 को परिचालित किया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सुरक्षित और असुरक्षित क्रेडिटर्स के समाधान और तीन प्रचालनरत प्लांटों के विस्तार/प्रौद्योगिकीय उन्नयन के साथ-साथ शेष 7 गैर प्रचालनरत प्लांटों को बंद करने/उनकी बिक्री की परिकल्पना की गई। स्वीकृत योजना के अनुसार सात इकाइयों में बंद कर दिया गया है। गैर-ऑपरेटिंग इकाइयों की बिक्री प्रगति पर है।

कृते कपूर भूषण एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीयन सं.: 001676एन

ह०

(सीए पी. बी. कपूर)
भागीदार

सदस्यता सं. 010858

यूडीआईएन : 19010858एएएएएए2462

दिनांक : 18 सितम्बर 2019

स्थान : दिल्ली

तुलन पत्र 31 मार्च 2019 को

(₹ लाखों में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2019 तक	31 मार्च 2018 तक
साम्या और दायित्व			
अंशधारियों की निधियाँ			
क) शेयर पूंजी	02	81,141	81,141
ख) आरक्षित एवं अधिशेष	03	(78,256)	(78,846)
		2,885	2,295
गैर-चालू दायित्व			
क) दीर्घ-कालिक उधार	04	15,090	15,090
ख) अन्य दीर्घ-कालिक दायित्व	05	24,093	25,555
ग) दीर्घ-कालिक प्रावधान	06	4,854	7,149
		44,037	47,794
चालू दायित्व			
क) अल्प-कालिक उधार	07	0	625
ख) व्यापार देय	08	2,049	2,009
ग) अन्य चालू दायित्व	09	6,525	5,729
घ) अल्प-कालिक प्रावधान	10	2,123	3,342
		10,697	11,705
योग		57,619	61,794
परिसम्पत्तियाँ			
गैर चालू परिसम्पत्तियाँ			
क) स्थायी परिसम्पत्तियाँ			
i) मूर्त परिसम्पत्तियाँ	11	12,697	10,418
ii) चालू पूंजी संकर्म	12	5,812	8,117
iii) चालू पूंजी संकर्म (विकास अधीन)	13	0	0
ख) गैर-चालू निवेश	14	228	228
ग) दीर्घ-कालिक ऋण और अग्रिम	15	3,253	2,733
घ) अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियाँ	16	39	39
ड) अपरिशोधित व्यय	17	2,026	1,931
		24,055	23,466
चालू परिसम्पत्तियाँ			
क) चालू निवेश	18	0	0
ख) वस्तु सूचियाँ	19	13,540	13,955
ग) व्यापार प्राप्य	20	1,180	1,177
घ) नगद और बैंक शेष	21	14,898	17,826
ड) अल्प-कालिक ऋण और अग्रिम	22	3,271	4,584
च) अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	23	675	786
		33,564	38,328
योग		57,619	61,794

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ (नोट सं. 32) और संलग्नित नोट संख्या 1 से 34, जो की वित्तीय विवरणी के भाग हैं।

ऊपर उल्लिखित नोट्स बैलेंस शीट का एक अभिन्न हिस्सा हैं

यह हमारी तारीख की रिपोर्ट में संदर्भित बैलेंस शीट है

हमारी संलग्न सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते कपूर भूषण एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 001676 एन

ह0

(सी ए पी. बी. कपूर)

भागीदार

मेम्बरशिप नं. 010858

नई दिल्ली

दिनांक : 07.08.2019

ह0

(बी वी एन प्रसाद)

निदेशक (मानव संसाधन)

ह0

(अजय कुमार शर्मा)

कंपनी सचिव

ह0

(शे. शक्तिमणि)

निदेशक (वित्त) / सीएफओ

ह0

(मनोज कुमार पात्रा)

वित्त प्रमुख

लाभ हानि विवरण 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष का

(₹ लाखों में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
आय			
1. प्रचालनों से राजस्व			
क) उत्पादों के विक्रय (किलंकर की ब्रिक्री सहित-शून्य (गत वर्ष शून्य) घटाएँ : उत्पाद शुल्क		27,666 - 27,666	32,958 813 32,145
ख) अन्य प्रचालन राजस्व शुद्ध प्रचालनों से आय		117 27,783	156 32,301
2. अन्य आय	24	7,056	5,794
कुल आय		34,839	38,095
व्यय			
उपभोग की गई सामग्रियों की लागत	25	4,029	4,224
तैयार माल, व्यापार स्टॉक और चालू सकर्म की सूचियों में परिवर्तन	26	429	(930)
कर्मचारी हित व्यय	27	6,070	6,847
अन्य व्यय	28	24,553	26,691
वित्त संबंधी लागत	29	-	-
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	30	635	603
कुल व्यय		35,716	37,435
आपवादिक और असाधारण मदों से पूर्व लाभ/(हानि)			
आपवादिक मदें	31A	1,512	1,139
कर से पूर्व लाभ		635	1,799
चालू प्रचालनों से कर संबंधी व्यय		-	-
सतत् प्रचालनों से वर्ष के दौरान लाभ/(हानि)		(1,312)	1,627
रोक दिए गए प्रचालनों से लाभ/(हानि)	31C	1,947	172
रोक दिए गए प्रचालनों से कर संबंधी व्यय		-	-
कर के पश्चात रोक दिए गए प्रचालनों से लाभ/(हानि)		1,947	172
वर्ष के दौरान लाभ/(हानि)		635	1,799
प्रति शेयर आय (रुपए में)			
(रुपए 1000/- प्रति शेयर मान मूल्य)			
मूल		(19)	14
डाइल्यूटिड		(19)	14

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ (नोट सं. 32) और संलग्नित नोट संख्या 1 से 34, जो की वित्तीय विवरणी के भाग हैं।

ऊपर उल्लिखित नोट्स बैलेंस शीट का एक अभिन्न हिस्सा हैं

यह हमारी तारीख की रिपोर्ट में संदर्भित बैलेंस शीट है

हमारी संलग्न सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते कपूर भूषण एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 001676 एन

ह0

(सी ए पी. बी. कपूर)

भागीदार

मेम्बरशिप नं. 010858

नई दिल्ली

दिनांक : 07.08.2019

ह0

(बी वी एन प्रसाद)
निदेशक (मानव संसाधन)

ह0

(अजय कुमार शर्मा)
कंपनी सचिव

ह0

(शे. शक्तिमणि)
निदेशक (वित्त)/सीएफओ

ह0

(मनोज कुमार पात्रा)
वित्त प्रमुख

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कैश फ्लो विवरणी

(₹ लाखों में)



विवरण	प्रचालित इकाईयां		गैरप्रचालित इकाईयां		योग	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह:						
कर से पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)	(1,312)	1,627	1,947	172	635	1,799
समायोजन						
मूल्यहास और परिशोधन खर्च	610	476	110	132	720	608
वित्त लागत	—	—	—	—	—	—
ब्याज और अन्य आय	(3,422)	(3,291)	(1,203)	(711)	(4,625)	(4,002)
स्थाई परिसम्पत्तियों के निपटान से लाभ	—	—	—	—	—	—
आवश्यक नहीं रही अन्य प्राप्तियों का प्रावधान	(1,878)	(1,181)	(553)	(611)	(2,431)	(1,792)
संदिग्ध प्राप्ति के लिए प्रावधान	—	57	0	235	0	292
अनासक्त व्यय	323	224	—	—	323	224
असाधारण आय	(1,118)	—	(394)	(1,139)	(1,512)	(1,139)
परिचालन लाभ से पूर्व कार्यशील पूंजी	(6,797)	(2,088)	(93)	(1,922)	(6,889)	(4,010)
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन:						
व्यापार भुगतान में वृद्धि/(कमी)	36	31	4	(9)	40	22
अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी)	3,381	(119)	(103)	(484)	3,278	(603)
प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	(3,319)	789	(195)	36	(3,514)	825
व्यापार प्राप्तियों में कमी/(वृद्धि)	258	48	(261)	—	(3)	48
वस्तु सूची में कमी/(वृद्धि)	405	(741)	10	138	415	(603)
ऋण और अग्रिमों में कमी (वृद्धि)	(52)	19	890	(82)	838	(63)
अन्य परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)	112	50	—	—	112	50
असम्बद्ध व्यय	(418)	(322)	—	—	(418)	(322)
परिचालन से उत्पन्न नकदी	(6,394)	(2,333)	252	(2,323)	(6,142)	(4,656)
परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी	(6,394)	(2,333)	252	(2,323)	(6,142)	(4,656)
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह:						
अचल परिसम्पत्तियों की खरीद	(3,046)	(116)	(44)	—	(3,090)	(116)
ब्याज और अन्य प्राप्तियाँ	3,422	3,291	1,203	712	4,625	4,003
कार्य-प्रगति	2,297	(1,645)	8	—	2,305	(1,645)
अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्तियाँ	—	—	—	—	—	—
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी	2,673	1,530	1,167	712	3,839	2,242
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह:						
लंबी अवधि के ऋणों से कार्यवाही	—	—	—	—	—	—
लंबी अवधि के उधारों की चुकौती	—	(1,500)	—	—	—	(1,500)
अल्पकालिक ऋणों से कार्यवाही	—	—	—	—	—	—
अल्पकालिक ऋणों की चुकौती	(625)	—	—	—	(625)	—
अन्य इकाइयों को हस्तांतरित फंड	—	—	—	—	—	—
भारत सरकार से प्राप्त अनुदान	—	45	—	—	—	45
ब्याज और अन्य उधार देने की लागत	—	—	—	—	—	—
गैर-परिचालन इकाइयों को हस्तांतरित निधि	1,395	(1,614)	(1,395)	1,614	—	—
वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकद	770	(3,069)	(1,395)	1,614	(625)	(1,455)
नकद में शुद्ध वृद्धि/(कमी) और बैंक में शेष	(2,951)	(3,872)	24	3	(2,927)	(3,869)
प्रारंभिक शेष एवं बैंक शेष	17,820	21,692	6	3	17,826	21,695
अंतिम शेष एवं बैंक शेष	14,869	17,820	30	6	14,899	17,826

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कैश फ्लो विवरणी(जारी)

(₹ लाखों में)

विवरण	प्रचालित इकाईयां		गैरप्रचालित इकाईयां		योग	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
नोट						
अंतिम नगदी एवं बैंक का शेष						
नगदी हाथ में			1			2
चैक हाथ में			2			-
बैंक जमा						
चालू खाता			662			917
जमा खाता			14,233			16907
योग			14,898			17,826

2 उपरोक्त कैश फ्लो स्टेटमेंट को केंद्र सरकार द्वारा कंपनियों (लेखा मानक) नियम, 2006 के तहत अधिसूचित मानक 3 'कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में उल्लिखित अप्रत्यक्ष विधि के तहत तैयार किया गया है।

3 बैंक जमाओं में 200.00 लाख (पिछले वर्ष : 673.97 लाख) की जमा राशि शामिल है, जिसकी परिपक्वता अवधि 12 महीने से अधिक है।

4 जब जब कार्यशील पूँजी की आवश्यकता हुई, स्वयं के संसाधनों से पूर्ति की गई है।

5 पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए जहां भी आवश्यक हो, पुनः व्यवस्थित/ पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

हमारी संलग्न सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते कपूर भूषण एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 001676 एन

ह0

(सी ए पी. बी. कपूर)

भागीदार

मेम्बरशिप नं. 010858

ह0

(बी वी एन प्रसाद)

निदेशक (मानव संसाधन)

ह0

(अजय कुमार शर्मा)

कंपनी सचिव

ह0

(श. शक्तिमणि)

निदेशक (वित्त)/सीएफओ

ह0

(मनोज कुमार पात्रा)

वित्त प्रमुख

लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र

हमने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय वक्तव्यों से प्राप्त सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के उपरोक्त कैश फ्लो स्टेटमेंट का सत्यापन किया है और इसे उसी के अनुसार तैयार किया गया है।

हमारी संलग्न सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते कपूर भूषण एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 001676 एन

(सी ए पी. बी. कपूर)

भागीदार

मेम्बरशिप नं. 010858

नई दिल्ली

दिनांक : 07.08.2019

01 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

01.01 तैयारी का आधार

लेखे ऐतिहासिक लागत अभिसमय पर तैयार किए जाते हैं जो कि निम्नलिखित मदों, जो नकद आधार पर की जाती है, को छोड़कर लेखांकन की प्रोद्भूत पद्धति पर तैयार किए जाते हैं।

- रेलवे और बीमा के अलावा अन्य परिसमाप्त क्षति/आर्थिक दंड/दावे वसूली के लिए जिम्मेदार हैं और विविध आय में शामिल हैं।
- भंडारों और पुर्जों के अधिशेष/धीमी गति से चलने वाली वस्तुओं आदि पर लाभ/हानि, यदि कोई हो, का लेखांकन केवल उनके निपटान के वर्ष में ही किया जाता है।

01.02 राजस्व मान्यता

बिक्री में 30.06.2017 तक उत्पाद शुल्क शामिल है और वैट/बिक्रीकर और जीएसटी शामिल नहीं है। उत्पाद शुल्क अलग से दिखाया गया है।

01.03 भूमि और परिशोधन

- राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क दी गई भूमि का मूल्य नाममात्र की लागत या उसके अधिग्रहण पर किए गए आकस्मिक व्यय के आधार पर किया जाता है।
- खदान में खनन पट्टा के अंतर्गत फ्री होल्ड भूमि और 99 वर्ष से कम के पट्टे की भूमि संबंधित इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से दस वर्षों की अवधि के भीतर परिशोधन किया जाता है।

01.04 निवेश

- दीर्घावधि निवेश लागत पर अंकित किए जाते हैं। ऐसे निवेशों के मूल्य में स्थायी गिरावट को मान्यता दी जाती है और उसका प्रावधान किया जाता है।
- वर्तमान निवेश को लागत से कम पर और उद्धृत/उचित मूल्य पर अंकित किया जाता है। बिना उद्धृत वर्तमान निवेश को लागत पर अंकित किया जाता है।

01.05 ऋण लेने की लागत

योग्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण या निर्माण या उत्पादन के कारण होने वाली ऋण लागतों को ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। एक योग्य परिसंपत्ति वह है जो अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने हेतु आवश्यक समयावधि लेती है।

अन्य सभी ऋण लागत को राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

01.06 माल-सूची

क) मूल्यांकन

- भंडार, फालतू पुर्जे और कच्चे माल को नीचे (पप) में उल्लिखित को छोड़कर, भारत औसत लागत पर अंकित किया जाता है। अप्रचलित/असेवायोग्य भंडार और पुर्जों को निर्धारित किए जाने पर स्क्रेप के रूप में माना जाता है और इसे निवल वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है।
- क्लंकर और अन्य अर्द्ध-तैयार माल को इकाई के भारत औसत लागत या वर्क बैक फॉर्मूला के आधार पर निवल वसूलनीय मूल्य पर अंकित किया जाता है। तथापि, नकारात्मक मूल्यांकन के मामले में इसे शून्य मूल्य पर अंकित किया गया है।
- कारखानों/परियोजनाओं/डम्पों में अथवा डंपों के पारगमन में तैयार माल को भारत औसत लागत अथवा वसूली योग्य मूल्य वाली ईकाइयों से कम मूल्य पर अंकित किया गया है। डंप तक बिक्री के खर्चों में शामिल भाड़े को विभिन्न डंपों पर पड़े तैयार माल के मूल्य में शामिल किया जाता है।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में विभिन्न स्क्रेप मदों की कुल मात्रा को संबंधित मदों के लिए नवीनतम बिक्री आदेशों के अनुसार उपलब्ध दरों के अनुसार माना जाता है। तथापि, जहां स्क्रेप के कारण ऐसी कोई दरें उपलब्ध नहीं हैं, जिनका पहली बार उत्पादन नहीं किया गया है अथवा जिनका निपटान पहले नहीं किया गया है, ऐसे स्क्रेप मदों के निपटान के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य का मूल्यांकन प्रयोजन के लिए किया जाता है।

ख) खुले उपकरण और रस्से

उपकरण और रस्से तीन वर्ष की अवधि होने के बाद बड़े खाते डाल दिए जाते हैं।

01.07 मूल्यहास

- (i) वित्तीय विवरणियां, कंपनी (लेखे) नियम, 2014 के नियम 7 और कंपनी अधिनियम, 2013 के संगत प्रावधानों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लागू लेखांकन मानकों के अनुपालन में प्रोद्भवन आधार पर ऐतिहासिक लागत पर तैयार किये गये हैं।
- (ii) मूल्यहास संपत्ति पर किया जाता है जब वे पूरी हो जाती है और उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाती है।
- (iii) वर्ष के दौरान जोड़ी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यहास पूंजीकृत होने की तारीख से और इनके त्यागने/ बेचने/ ध्वस्त करने/ नष्ट करने की तारीख तक समनुपात आधार पर किया जाता है।
- (iv) किसी भी व्यक्तिगत परिसंपत्ति जिसका मूल्यहासित मूल्य वर्ष के प्रारंभ में 5000/- या उससे कम है, अवशिष्ट मूल्य को बनाए रखे बिना वर्ष के दौरान पूर्ण मूल्यहास किया जाता है क्योंकि इसे नगण्य माना जाता है।
- (v) वर्ष के दौरान रुपए 5000 तक की लागत वाली किसी भी व्यक्तिगत परिसंपत्ति को सकल ब्लॉक में ले जाया जाता है और उसी वर्ष उसका पूर्ण मूल्यहास किया जाता है।

01.08 आस्थगित राजस्व व्यय

- (i) प्रास्पेक्टिंग और बोरिंग पर होने वाले व्यय को आस्थगित राजस्व व्यय माना जाता है और ईकाइयों के वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद तीन से पांच वर्षों में बड़े खाते डाला जाता है।
- (ii) जिन खानों में पूंजीगत कार्यों के लिए सड़कों, स्टॉकयार्ड, क्रशर रैंप आदि के लिए उपयोग किया जाता है, उन पर अधिक भार आदि को हटाने पर होने वाले व्यय को पूंजीकृत किया जाता है। अतिभार हटाने पर किए गए व्यय के शेष व्यय को प्रारंभ में निरक्षर राजस्व व्यय माना जाता है और उस अवधि के दौरान, जिसके लिए खदान विकास से उजागर चूना पत्थर शोषण के लिए उपलब्ध है, को प्रभारित किया जाता है।

(iii) किराए के भवनों में आंतरिक विभाजन और अन्य जुड़नार की लागत को स्थापना के वर्ष में सीधे प्रभारित किया जाता है, लेकिन यदि लागत एक लाख रुपये से अधिक है, तो इसे आस्थगित राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है और तीन से पांच वर्षों में बड़े खाते डाला जाता है।

(iv) एक इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद, हाई क्रोम ग्राइंडिंग वाले मीडिया के प्रारंभिक पूर्ण प्रभार को आस्थगित राजस्व व्यय माना जाता है और तीन वर्ष की अवधि में बड़े खाते डाला जाता है। तथापि, लाभ-हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

(v) यदि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के लिए अप्रयुक्त अनुदान/आर्थिक सहायता नहीं है, तो ऐसे सेवानिवृत्ति हितलाभ जो सेवा की शेष अवधि के लिए सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष या मजदूरी के लिए डेढ़ महीने की मजदूरी के बराबर वीआरएस भुगतान के कारण होते हैं, जो भी कम हो और नोटिस अवधि वेतन व्यक्तियों की सेवा की शेष अवधि के दौरान या 5 वर्ष की अधिकतम अवधि, जो भी कम हो, आस्थगित और प्रभारित किया जाता है। तथापि, 01.04.2003 को या उसके बाद वीआरएस/वीएसएस पर किए गए किसी भी व्यय को व्यय के रूप में मान्यता दी जाएगी जब कभी व्यय किया जाता है उस वर्ष में ही पूरी तरह से प्रभारित किया जाता है।

01.09 पूर्वावधि/असाधारण समायोजन

लेखा बंद करने के बाद ध्यान में आने वाले किसी विशेष वर्ष से संबंधित व्यय/प्राप्तियां, यदि इसमें शामिल राशि 10,000/- से अधिक नहीं है, तो अगले वर्ष के व्यय/प्राप्ति के संगत शीर्ष के अंतर्गत बुक की जाती है। यदि यह राशि 10,000/- से अधिक है तो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक-5 में निहित प्रावधानों को चालू वर्ष/पूर्वावधि/असाधारण व्यय/आय के प्राकृतिक लेखा शीर्ष के अधीन अपने लेखा के निर्धारण के लिए लागू किया जाता है।

01.10 विदेशी मुद्रा लेनदेन का लेखा

विदेशी ऋण देयताओं का बाजार विनिमय दरों पर परिवर्तन किया जाता है। परियोजना अवधि के दौरान लेन-देन के निपटान पर लाभ या हानि (क) उपभोज्यों और सेवा से संबंधित उपकरणों की संगत लागत में जमा/नामे जमा की जाती है/ वाणिज्यिक उत्पादन में जाने पर लाभ/हानि को उपकरणों की संगत लागत में जमा कर दिया जाता है लेकिन पुर्जों और सेवाओं से संबंधित

लाभ-हानि के विवरण के लिए उन्हें प्रभारित किया जाता है। अचल परिसंपत्तियों के ऐसे समायोजन पर मूल्यहास भावी रूप से समायोजित किया जाता है।

01.11 सरकारी अनुदान/आर्थिक सहायता

- विशिष्ट अचल परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान/आर्थिक सहायता का बही मूल्य निकालने के लिए संबंधित परिसंपत्तियों के सकल मूल्य से घटाया जाता है। जहाँ विशिष्ट स्थिर परिसंपत्तियों से संबंधित अनुदान परिसंपत्ति की संपूर्ण लागत के बराबर होते हैं, वहाँ परिसंपत्ति का मूल्य अंकित मूल्य या उसके अधिग्रहण/स्थापना पर किए गए आकस्मिक व्यय के आधार पर किया जाता है।
- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए अनुदान, परिवहन आर्थिक सहायता और अन्य राजस्व अनुदानों को संबंधित व्यय से घटाया जाता है।
- पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के लिए केन्द्रीय सरकार पहल में शामिल केन्द्रीय निवेश आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत प्राप्त सरकारी अनुदानों और राज्य सरकारों से प्राप्त इसी प्रकार की अन्य अनुदानों, जहाँ उनके पुनर्भुगतान की सामान्यतः आशा नहीं की जाती, ऐसे अनुदानों को आरक्षित पूंजी के रूप में माना जाता है।
- उपर्युक्त राशि के अलावा पूंजी/राजस्व अनुदान/आर्थिक सहायता का लेखांकन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक-12 के अनुसार किया जाता है।

01.12 कॉर्पोरेट के दावे

- बीमा दावों को सर्वेक्षक की रिपोर्ट के आधार पर और/या उन दावों के आधार पर लेखे में लाया जाता है जहाँ भुगतान प्राप्त हुआ है। तथापि, यदि 31 मार्च तक हानि की घटनाओं के लिए सर्वेक्षक की रिपोर्ट लेखों को बंद करने से पहले प्राप्त नहीं होती है, तो उस आशय का प्रकटीकरण लेखों की टिप्पणियों के रूप में किया जाता है।
- रेलवे के दावों को दर्ज करने पर लेखों में लिया जाता है।

01.13 निर्माण/मरम्मत कार्य

प्रगति पर निर्माण/मरम्मत कार्य के संबंध में, इसे कॉर्पोरेट के पूंजीगत कार्य-प्रगति और निर्माण अवधि के दौरान आकस्मिक व्यय के रूप में माना जाता है, जब स्वामित्व स्थानांतरित और

पूँजीकृत किया जाता है तो जमा कार्य में आनुपातिक रूप से जोड़ा जाता है।

01.14 हितलाभ

- ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 और कंपनी की स्वयं की ग्रेच्युटी योजना के अंतर्गत ग्रेच्युटी का प्रावधान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सेवारत सभी कर्मचारियों के संबंध में अधिनियमिक मूल्यांकन के अनुसार किया जाता है।
- अर्जित छुट्टी/अर्ध वेतन छुट्टी इत्यादि का प्रावधान जिसे किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर भुनाया जा सकता है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सेवा में कर्मचारियों के संबंध में कार्य मूल्य निर्धारण के अनुसार किया जाता है।
- बोनस के लिए देयता बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के प्रावधानों के अनुसार इकाईवार आधार पर प्रदान की जाती है न कि पूरे कॉर्पोरेट के रूप में। कॉर्पोरेट कार्यालय के लिए बोनस की देयता उस दर पर प्रदान की जाती है जो उन दरों का औसत है जिन पर अन्य ईकाइयों के लिए बोनस प्रदान किया जाता है।

01.15 ऋणपत्रों के मोचन पर प्रीमियम

डिबेंचरों के मोचन पर देय प्रीमियम का प्रभार लाभ-हानि/आईडीसी लेखे के विवरण को ऐसी समान किस्तों में लगाया जाता है जो उस वर्ष से शुरू होने वाले डिबेंचरों की अवधि के रूप में है जिसमें डिबेंचर आबंटित किए जाते हैं।

01.16 पूर्व-प्रदत्त व्यय

चालू वर्ष से पहले किए गए प्रत्येक मामले में रुपए 10,000/- या उससे कम का व्यय चालू वर्ष के व्यय के रूप में लिया जाता है।

01.17 बट्टे खाते और संदिग्ध प्राप्य/ऋण/अग्रिम आदि का लेखांकन

- संदिग्ध प्राप्यों/ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान किया जाता है जब इसे वसूली के लिए का संदिग्ध माना जाता है लेकिन वसूली की संभावना होती है।
- राशियों को जब वसूली के प्रयास कानूनी प्रक्रिया के कारण या जहाँ इसे मुकदमेबाजी माना जाता है, वह सफल नहीं होगा और वसूली संभव नहीं है, बट्टेखाते डाला जाता है।

01.18 अंतर-इकाई / जोन / कॉर्पोरेट कार्यालय अंतरण

- (i) ईकाइयों द्वारा हस्तांतरित तैयार माल को प्रारंभ में परेशान योजना दरों पर आंका जाता है और बेची गई मात्रा को जोन द्वारा वास्तविक निवल वसूली योग्य मूल्य पर निपटाना होता है।
- (ii) अचल परिसंपत्तियों इत्यादि के अंतर इकाई / जोन / कॉर्पोरेट कार्यालय अंतरणों का मूल्य बही मूल्य पर रखा जाता है।
- (iii) क्लिंकर का अंतर इकाई अंतरण इसकी वसूली योग्य दरों (सीमेंट से कार्य वापस विधि द्वारा) पर होता है और पारगमन में इसकी हानियों को प्राप्त करने वाली इकाई द्वारा लागत में अवशोषित कर लिया जाता है।
- (iv) अंतर इकाई / जोन / कॉर्पोरेट कार्यालय शेष राशि का नियमित रूप से मिलान किया जाता है और शेष की पुष्टि प्राप्त की जाती है।

01.19 व्यय का वर्गीकरण

- (i) नीचे (ii) में दिए गए अनुसार, भंडारों और पुर्जों की लागत सहित स्थिर परिसंपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव पर किए गए व्यय को लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित किया जाता है।
- (ii) भंडारों और पुर्जों की लागत सहित स्थिर परिसंपत्तियों

की मरम्मत और रखरखाव पर किया गया व्यय जो अपने पहले के मूल्यांकन किए गए निष्पादन मानक से परे मौजूदा परिसंपत्तियों से भविष्य के लाभों को बढ़ाता है, पूंजीकृत किया जाता है जैसे कि क्षमता में वृद्धि।

- (iii) वेतन और मजदूरी: संयंत्र और मशीनरी, भवनों आदि की मरम्मत और रखरखाव पर किए गए वेतन और मजदूरी व्यय को सीधे वेतन और मजदूरी लेखों में प्रभारित किया जाता है।
- (iv) अन्य विविध व्यय: पार्कों पर व्यय, पेड़ों के रोपण और टेंट की खरीद और तिरपालों आदि की खरीद राजस्व व्यय के रूप में बट्टेखाते डाली जाती है।

01.20 मौजूदा संयंत्र से सटी विस्तार परियोजनाओं/नई परियोजनाओं पर अप्रत्यक्ष व्यय

मौजूदा संयंत्रों द्वारा किए गए प्रशासन, पर्यवेक्षण आदि पर होने वाले सामान्य व्यय को मौजूदा संयंत्रों से सटी विस्तार परियोजना / नई परियोजनाओं से प्रभारित नहीं किया जाता है।

01.21 कॉर्पोरेट कार्यालय व्यय का आबंटन

कॉर्पोरेट कार्यालय का निवल राजस्व व्यय / आय सभी ईकाइयों और निर्माणाधीन परियोजनाओं में संभावित लाभों के आधार पर अथवा विभिन्न ईकाइयों या परियोजनाओं के लिए संबंधित अनुमानों के आधार पर प्रबंधन द्वारा उनके सर्वोत्तम मूल्यांकन और निर्णय के अनुसार आबंटित किया जाता है।

31 मार्च, 2019 के अंत में वित्तीय सांख्यिकी के लिए अधिसूचनाएँ

(₹ लाखों में)



विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
प्राधिकृत		
प्रत्येक ₹ 1000/- के 5,00,00,00 साम्या अंश (गत वर्ष 5,00,00,00)	5,00,00	5,00,00
प्रत्येक ₹ 1000/- के 4,00,00,00 (गत वर्ष 4,00,00,00) गैर संचयी मोचन हेतु अधिमानी अंश	4,00,00	4,00,00
	9,00,00	9,00,00
निर्गमित, अभिदत्त तथा प्रदत्त		
प्रत्येक ₹ 1000/- के 4,55,97,49 साम्या अंश पूर्ण प्रदत्त (गत वर्ष 4,55,97,49)	4,55,98	4,55,98
प्रत्येक ₹ 1000/- के 3,55,43,25 (गत वर्ष 3,55,43,25) गैर संचयी मोचन हेतु अधिमानी अंश	3,55,43	3,55,43
योग	8,11,41	8,11,41

02.1 शेयरों के प्रत्येक वर्ग के संबंध में अधिकार, प्राथमिकताएं और प्रतिबंध

कंपनी के शेयरों के दो वर्ग हैं जिन्हें इक्विटी शेयर और वरीयता शेयरों के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिनका प्रति शेयर 1000/- रुपये का मूल्य होता है। इक्विटी शेयर का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है। वरीयता शेयरधारक केवल अपने पसंद के शेयरों से जुड़े अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रस्तावों पर वोट देने के लिए पात्र है।

02.2 बकाया शेयरों की संख्या का सामंजस्य

	31 मार्च 2019		मार्च 31, 2018	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
इक्विटी शेयर				
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	4,559,749	45,598	4,559,749	45,598
जोड़ें: जारी किए गए शेयरों की संख्या	—	—	—	—
वर्ष के अंत में शेष राशि	4,559,749	45,598	4,559,749	45,598
0.01% गैर संचयी रिडीमेबल वरीय शेयर				
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	3,554,325	35,543	3,554,325	35,543
जोड़ें: जारी किए गए शेयरों की संख्या	—	—	—	—
वर्ष के अंत में शेष राशि	3,554,325	35,543	3,554,325	35,543

02.3 निगम में 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा रखे गए शेयरों का विवरण:

शेयर धारक का नाम	31 मार्च 2019		मार्च 31, 2018	
	शेयरों की संख्या	शेयरधारण का %	शेयरों की संख्या	शेयरधारण का %
सामान्य शेयर:				
भारत सरकार	4,559,749	100%	4,559,749	100%
0.01% गैर संचयी रिडीमेबल वरीयता शेयर				
भारत सरकार	3,554,325	100%	3,554,325	100%

31 मार्च, 2019 के अंत में वित्तीय सांख्यिकी के लिए अधिसूचनाएँ

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
03 भंडार और अधिशेष संपत्ति कोष		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	45	0
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्तियां / (उपयोग)	(45)	45
(क)	0	45
लाभ / हानि विवरण में अधिशेष / (कमी)		
पिछले वर्ष के तुलन-पत्र के अनुसार	(78,891)	(80,690)
घटा : वर्ष के दौरान लाभ	635	1,799
(ख)	(78,256)	(78,891)
वर्ष के अंत में शेष राशि (क+ख)	(78,256)	(78,846)
अंतिम शेष	(8,06,90)	(8,49,23)
04 दीर्घकालिक ऋण अप्रतिभूत ऋण*		
भारत सरकार से ऋण	1,50,90	1,50,90
अन्तर निगमित उधार	0	0
योग	15,090	15,090

ऋण एवं अन्तर निर्गमित उधार का ब्यौरा :

(₹ लाखों में)

क्रम सं.	विवरण	ऋण राशि	कब से चूक	2018-19		2017-18	
				मूल	ब्याज	मूल	ब्याज
1.	मै. गोवा शिपयार्ड लि.	21,25	1995	0	0	6,25	0
3.	भारत सरकार	1,50,90	1975 से	1,50,90	0	1,50,90	0
4.	भारत सरकार	0	2011 से	0	1,23,85	0	1,23,85
	योग			1,50,90	1,23,85	1,57,15	1,23,85

* मंजूरशुदा योजना के अनुसार, उपरोक्त योजनागत ऋण एवं निगमित उधार का भुगतान, गैर प्रचलन ईकाइयों की बिक्री से किया जाएगा

05 अन्य दीर्घ-कालिक दायित्व

व्यापार देय

एम.एस.एम.ई.	80	80
अन्य	2,481	2,445
प्रतिभूति एवं पेशगी से प्राप्त राशी	2,270	1,988
ग्राहकों से अग्रिम	620	401
बिक्री कर देय	209	646
विद्युत	1,059	1,285
रायल्टी देय	252	777
भारत सरकार से ऋण पर प्रोदभूत एवं देय ब्याज	12,385	12,385
अन्य देय	4,737	5,548
योग	24,093	25,555

31 मार्च, 2019 के अंत में वित्तीय सांख्यिकी के लिए अधिसूचनाएँ

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
06 दीर्घ-कालिक प्रावधान		
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
उपदान (ग्रेच्युटी)	2,652	2,897
अर्जित अवकाश	1,392	1,484
निर्माणधीन पूंजीगत कार्य	11	11
अन्य	799	2,757
योग	4,854	7,149
07 अल्प-कालिक उधार		
बैंकों से	-	-
अन्य	-	625
योग	-	625
08 व्यापार देय		
एम.एस.एम.ई.	45	71
जमा	2,004	1,938
अन्य	0	0
योग	2,049	2,009
09 अन्य चालू दायित्व		
ग्राहकों से अग्रिम	1,558	1,010
प्रतिभूति एवं पेशगी से प्राप्त राशि	1,285	1,107
बिक्री कर देय	1,083	682
विद्युत बकाया	1,018	1,497
कर्मचारियों को देय	570	555
रॉयल्टी देय	41	38
अन्य देय	970	840
योग	6,525	5,729
10 अल्प-कालिक प्रावधान		
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
उपदान (ग्रेच्युटी)	730	993
अर्जित अवकाश दायित्व	309	434
अन्य प्रावधान	1,073	1,904
बोनस	11	11
योग	2,123	3,342



31 मार्च, 2019 के अंत में वित्तीय सांख्यिकी के लिए अधिसूचनाएँ

11 : स्थायी परिसम्पत्तियां

(₹ लाखों में)

विवरण	सकल ब्लाक				मूल्यहास				शुद्ध ब्लाक	
	1 अप्रैल, 2018 को	परिवर्धन/समायोजन	कटौतियां/समायोजन	31 मार्च 2019 को	01 अप्रैल 2018 को	परिवर्धन/समायोजन	कटौतियां/समायोजन	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
वर्क्स										
फ्री होल्ड भूमि										
पट्टे की भूमि	1,294	44	0	1,338	146	0	0	146	1,192	1,148
सड़कें एवं पुलिया	162	0	0	162	158	0	0	158	4	4
संयंत्र भवन	633	271	0	904	602	10	0	612	292	31
गैर संयंत्र भवन	8,087	0	0	8,087	7,516	72	0	7,588	499	571
जल प्रदाय, मल निकास व व्ययन	856	0	0	856	601	8	0	609	247	255
रेलवे साइडिंग	1,081	0	0	1,081	939	2	0	941	140	142
विद्युत संस्थापन	2,095	1,200	0	3,295	1,633	27	0	1,660	1,635	462
संयंत्र एवं मशीनरी	1,850	0	0	1,850	1,767	1	0	1,768	82	83
हवाई रज्जु मार्ग (रोपवे)	45,679	1,434	0	47,113	39,005	543	0	39,548	7,565	6,674
रेलवे रोलिंग स्टॉक	706	0	0	706	672	0	0	672	34	34
खदान उपकरण	423	0	0	423	406	0	0	406	17	17
वाहन	2,519	0	0	2,519	2,378	5	0	2,383	136	141
फर्नीचर, जुड़नार	427	0	0	427	400	3	0	403	24	27
कार्यालय उपकरण	264	1	0	265	247	3	0	250	15	17
विविध उपकरण	485	9	0	494	440	12	0	452	42	45
₹ 5,000/- लागत तक प्रभारित परिसम्पत्तियां	903	8	0	911	787	9	0	796	115	116
	50	5	0	55	50	5	0	55	0	0
वर्क्स योग	67,514	2,972	0	70,486	57,747	700	0	58,447	12,039	9,767

(₹ लाखों में)

विवरण	सकल ब्लाक				मूल्यहास				शुद्ध ब्लाक	
	1 अप्रैल, 2018 को	परिवर्धन/समायोजन	कटौतियां/समायोजन	31 मार्च 2019 को	01 अप्रैल 2018 को	परिवर्धन/समायोजन	कटौतियां/समायोजन	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
टाउनशिप										
फ्री होल्ड भूमि	15	0	0	15	0	0	0	0	15	15
पट्टे की भूमि	32	0	0	32	0	0	0	0	32	32
सड़कें एवं पुलिया	39	0	0	39	37	0	0	37	2	2
आवासीय एवं कल्याण भवन	1,751	0	0	1,751	1,167	20	0	1,187	564	584
जल प्रदाय, मल निकास तथा व्ययन	158	27	0	185	152	0	0	152	33	6
विद्युत संस्थापन	42	0	0	42	40	0	0	40	2	2
वाहन	122	0	0	122	116	0	0	116	6	6
फर्नीचर, जुड़नार	19	0	0	19	17	0	0	17	2	2
कार्यालय उपकरण	4	0	0	4	4	0	0	4	0	0
विविध उपकरण	20	0	0	20	18	0	0	18	2	2
टाउनशिप योग	2,202	27	0	2,229	1,551	20	0	1,571	658	651
वर्क्स एवं टाउनशिप का योग	69,716	2,999	0	72,715	59,298	720	0	60,018	12,697	10,418
गत वर्ष	72,452	116	2,852	69,716	61,003	608	2,313	59,298	10,418	

31 मार्च, 2019 के अंत में वित्तीय सांख्यिकी के लिए अधिसूचनाएँ

(₹ लाखों में)



विवरण	31 मार्च 2018 तक	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान पूंजीगत	31 मार्च 2019 तक
12 निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य				
यांत्रिक परामर्श	131	3	1	133
सिविल इंजीनियरिंग कार्य	2,247	42	269	2,019
संयंत्र एवं मशीनरी—प्रतिस्थापन के अधीन सहित	5,668	704	2,582	3,790
संयंत्र एवं मशीनरी प्रतिस्थापन व्यय	1	0	0	1
प्रासंगिक व्यय जिनका आवंटन करना है। (संलग्न संदर्भित)	136	0	0	136
पूँजीगत भंडार	12	0	3	9
अन्य	160	0	0	160
योग	8,355	748	2,855	6,248
प्रावधान	238	198	0	436
योग	8,117	550	2,855	5,812
13 निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य (अमूर्त सम्पत्ति)				
सॉफ्टवेयर विकसित करना	2	.	.	2
योग	2	.	.	2
प्रावधान	2	.	.	2
योग	0	-	-	0
कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं हित सुविधाएं				
वेतन, मजदूरी एवं भत्ते	0			0
कुल पारिश्रमिक	0			0
विविध व्यय	1			1
विधिक व्यय	0			4
सुरक्षा व्यय	22			23
योग	23			28
स्थानांतरण	23			28
वर्ष के दौरान वृद्धि	0			0
योग	0			0
आई. ई. डी. सी. खाते का सारांश				
वर्ष के दौरान आरम्भिक शेष	1,36			1,36
वर्ष के दौरान वृद्धि	0			0
घटाएँ:				
वर्ष के दौरान पूंजीगत किया गया	0			0
वर्ष के दौरान समायोजन किया गया	0			0
समाप्ति के समय अन्तिम शेष	1,36			1,36

31 मार्च, 2019 के अंत में वित्तीय सांख्यिकी के लिए अधिसूचनाएँ

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को बाजार मूल्य	31 मार्च, 2019 को खाता मूल्य	31 मार्च, 2018 को बाजार मूल्य	31 मार्च, 2018 को खाता मूल्य
14 : गैर चालू निवेश				
लंबी अवधि के निवेश				
लागत पर उद्धरित शेयर (पूर्ण प्रदत्त)				
(i) आन्ध्र सीमेंट कंपनी लि. के ₹ 10 प्रत्येक के 31 इक्विटी शेयर @ ₹ 9.00 (गत वर्ष ₹ 8.20)	#	#	#	#
(ii) ए.सी.सी.लि. के ₹ 10 के प्रत्येक मूल्य के 280 इक्विटी शेयर (जिसमें 180 बोनस शेयर सम्मिलित हैं) जोकि ₹ 100 मूल्य के 28 शेयरों से बदले गये हैं जिनका बाजार मूल्य बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से ₹ 1446.05 प्रति शेयर है। (गत वर्ष ₹ 1380.30)	5	#	4	#
लागत पर अनुद्धरित शेयर (पूर्ण प्रदत्त)				
(i) असम बंगाल सीमेंट कंपनी लि. का ₹10 का 1 इक्विटी शेयर *	-	#	-	#
(ii) जयपुर उद्योग लि. के ₹ 10 प्रत्येक के 79 इक्विटी शेयर	-	#	-	#
(iii) सोन वैली सीमेंट कंपनी लि. के ₹ 5 प्रत्येक के 40 इक्विटी शेयर	-	#	-	#
(iv) आन्ध्र प्रदेश गैस पावर कारपोरेशन के ₹ 10 मूल्य के 55,31,520 इक्विटी शेयर (23,15,520 बोनस शेयर सहित) 16,10,680 शेयर बेच दिए गए, जिसमें 1,34,000 बोनस शेयर सम्मिलित है। ₹ 10 मूल्य के 39,20,840 शेयर शेष बचे हैं (21,81,520 बोनस शेयर सहित)	3,22 94	- -	3,22 94	- -
	<u> </u>	2,28	<u> </u>	2,28
निवेश का योग		2,28		2,28
उद्धरित निवेशों का योगफल				
लागत	-	#	-	#
बाजार मूल्य	4	-	4	-
अनुद्धरित निवेशों का योगफल				
लागत	—	2,28		2,28
गैर चालू निवेश का योग		2,28		2,28

(1) 100 रुपये के 28 शेयरों से परिवर्तित नए शेयर प्रमाणपत्रों का इंतजार है।

(2) शेयर अभी निगम के नाम हस्तांतरित किए जाने हैं।

राशि 1 लाख रुपये से कम है

31 मार्च, 2019 के अंत में वित्तीय सांख्यिकी के लिए अधिसूचनाएँ

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
15 दीर्घ-कालिक ऋण और अग्रिम		
पूँजीगत अग्रिम		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	-	-
असुरक्षित, उत्तम माने गए	207	252
संदिग्ध	19	19
घटाएँ: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	19	19
उपयोग	207	252
जमा केन्द्रीय उत्पादक शुल्क		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	-	-
असुरक्षित, उत्तम माने गए	8	8
संदिग्ध	0	0
घटाएँ: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	0	0
उपयोग	8	8
अन्य जमा		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	158	158
असुरक्षित, उत्तम माने गए	1,393	1,402
संदिग्ध	54	54
घटाएँ: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	54	54
उपयोग	1,551	1,560
ठेकेदार एवम् पूर्तिकर्ता		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	-	61
असुरक्षित, उत्तम माने गए	22	22
संदिग्ध	471	471
घटाएँ: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	471	471
उपयोग	22	83
सरकारी विभाग के साथ शेष		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	119	99
असुरक्षित, उत्तम माने गए	183	226
संदिग्ध	151	151
घटाएँ: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	151	151
उपयोग	302	325
बीमा व अन्य दावे		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	-	-
असुरक्षित, उत्तम माने गए	5	5
संदिग्ध	134	134
घटाएँ: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	134	134
उपयोग	5	5



31 मार्च, 2019 के अंत में वित्तीय सांख्यिकी के लिए अधिसूचनाएँ

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
कर्मचारियों को अग्रिम व ऋण		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	3	3
असुरक्षित, उत्तम माने गए	1	1
संदिग्ध	-	-
घटाए: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	-	-
उपयोग	4	4
वसूली योग्य दावे-रेलवे		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	-	-
असुरक्षित, उत्तम माने गए	13	13
संदिग्ध	406	406
घटाए: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	406	406
उपयोग	13	13
वसूली योग्य उत्पाद शुल्क राहत		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	-	-
असुरक्षित, उत्तम माने गए	28	28
संदिग्ध	80	80
घटाए: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	80	80
उपयोग	28	28
कर्मचारियों से वसूली योग्य		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	1
असुरक्षित, उत्तम माने गए	0	1
संदिग्ध	7	7
घटाए: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	7	7
उपयोग	0	2
बाह्य पार्टियों से वसूली योग्य		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	-	-
असुरक्षित, उत्तम माने गए	1,113	453
संदिग्ध	617	617
घटाए: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	617	617
उपयोग	1,113	453
जाँच होने तक कमियाँ-हानियाँ		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	-	-
असुरक्षित, उत्तम माने गए	-	-
संदिग्ध	590	590
घटाए: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	590	590
उपयोग	-	-
कुल योग	3,253	2,733

31 मार्च, 2019 के अंत में वित्तीय सांख्यिकी के लिए अधिसूचनाएँ

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
16 अन्य गैर चालू सम्पत्तियाँ		
क) दीर्घ-कालिक व्यापार प्राप्य		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
असुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
संदिग्ध	15,01	15,02
घटाए: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए	15,01	15,02
उप योग	0	0
ख) ऋणों एवं अग्रिमों पर देय व प्रोदभूत		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	1	1
असुरक्षित, उत्तम माने गए	38	38
संदिग्ध	0	0
घटाए: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए	0	0
उप योग	39	39
योग	39	39
17 व्यय- अपरिशोधित व्यय		
खनन् विकास व्यय		
आरम्भिक शेष	1,931	1,833
वर्ष के दौरान वृद्धि	418	322
	2,349	2,155
घटाए: समायोजित/पूँजीगत	323	224
योग	2,026	1,931
18 चालू निवेश		
गैर व्यापार निवेश	0	0
योग	0	0



31 मार्च, 2019 के अंत में वित्तीय सांख्यिकी के लिए अधिसूचनाएँ

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	
19 वस्तु सूचियाँ (प्रबंधन द्वारा बनाई गई, मूल्यांकित एवं प्रमाणित)				
क) भंडार व अतिरिक्त पुर्जे				
—स्टाक में	6,414		6,523	
—मार्गस्थ में	101	6,515	20	6,543
ख) कार्य प्रगति में				
—स्टाक में	4,122		3,641	
—मार्गस्थ में	-	4,122	-	3,641
ग) तैयार माल				
—स्टाक में	274		1,109	
—मार्गस्थ में	7	281	88	1,197
घ) कच्ची सामग्रियाँ				
—स्टाक में	1,012		884	
—मार्गस्थ में	8	1,020	3	887
ड) खुले औजार एवं उपकरण				
—स्टाक में	1		0	
—मार्गस्थ में	-	1	-	0
च) पैकिंग सामग्री				
—स्टाक में	87		166	
—मार्गस्थ में	-	87	-	166
छ) कोयला				
—स्टाक में	1,237		1,250	
—मार्गस्थ में	-	1,237	-	1,250
ज) स्क़ैप				
—स्टाक में	288		282	
—मार्गस्थ में	-	288	-	282
उपयोग		13,551		13,966
घटाएँ: अप्राप्य वस्तु सूची का प्रावधान		11		11
कुल		13,540		13,955
20 व्यापार प्राप्य				
क) व्यापार प्राप्य जो छह माह से अधिक की अवधि से बकाया है				
—सुरक्षित, उत्तम माने गए	0		0	
—असुरक्षित, उत्तम माने गए	455		166	
—संदिग्ध	0		0	
घटाएँ: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	0	465	0	166
ख) अन्य व्यापार प्राप्य:				
—सुरक्षित, उत्तम माने गए	194		76	
—असुरक्षित उत्तम माने गए	521		935	
—संदिग्ध	0		0	
घटाएँ: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	0	715	0	1,011
कुल		1,180		1,177

31 मार्च, 2019 के अंत में वित्तीय सांख्यिकी के लिए अधिसूचनाएँ

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
21 नगद और बैंक शेष		
हाथ में नगदी	1	2
चैक / डी.डी. हाथ में	2	-
बैंक शेष—चालू खाता	662	917
बैंक में जमा		
ग्रहणाधिकार के तहत नहीं	12,076	15,035
ग्रहणाधिकार के तहत	2,157	1,872
योग	14,898	17,826

* बैंकों में जमा राशि में, ₹ 200.00 लाख (गत वर्ष ₹ 673-97 लाख) की जमा जिसकी मैच्युरटी तारीख 12 महीनों से ज्यादा है, भी सम्मिलित है।

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
22 अल्पकालिक ऋण और अग्रिम		
a) पूँजीगत अग्रिम		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	-	-
असुरक्षित, उत्तम माने गए	-	-
संदिग्ध	-	-
घटाएँ: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	-	-
उपयोग	-	-
b) जमा : केन्द्रीय उत्पाद शुल्क		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	74	26
असुरक्षित, उत्तम माने गए	18	18
संदिग्ध	-	-
घटाएँ: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	-	-
उप कुल	92	44
c) जमा : अन्य		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	-	-
असुरक्षित, उत्तम माने गए	541	446
संदिग्ध	-	-
घटाएँ: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	-	-
उप कुल	541	446
d) ठेकेदार एवं आपूर्तिकर्ता		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	-	-
असुरक्षित, उत्तम माने गए	640	838
संदिग्ध	-	-
घटाएँ: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	-	-
उप कुल	640	838
e) सरकारी विभागों के साथ शेष		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	292	322
असुरक्षित, उत्तम माने गए	808	358
संदिग्ध	-	-
घटाएँ: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	-	-
उप कुल	1,100	680

31 मार्च, 2019 के अंत में वित्तीय सांख्यिकी के लिए अधिसूचनाएँ

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
f) बीमा एवं अन्य क्लेम		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	5	4
असुरक्षित, उत्तम माने गए	54	109
संदिग्ध	0	0
घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	-	-
उप कुल	59	113
g) कर्मचारियों के ऋण व अग्रिम		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	8	8
असुरक्षित, उत्तम माने गए	-	-
संदिग्ध	-	-
घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	-	-
उप कुल	8	8
h) वसूली योग्य दावे-रेलवे		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	-	-
असुरक्षित, उत्तम माने गए	-	-
संदिग्ध	-	-
घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	-	-
उप कुल	0	0
i) उत्पाद शुल्क वसूली योग्य राहत		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	-	-
असुरक्षित, उत्तम माने गए	52	52
संदिग्ध	-	-
घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	-	-
उप कुल	52	52
j) कर्मचारियों से वसूली योग्य		
सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	32	30
असुरक्षित, माना अच्छा	6	7
संदिग्ध	0	0
कम: खराब और संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता	0	0
उप कुल	38	37
k) बाहरी पार्टियों से वसूली योग्य		
सुरक्षित, अच्छा माना	-	-
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	741	2,366
संदिग्ध	57	57
कम: खराब और संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते	57	57
उप कुल	741	2,366
l) कमी, नुकसान की जांच पड़ताल		
सुरक्षित, अच्छा माना	-	-
असुरक्षित, माना अच्छा	-	-
संदिग्ध	-	-
कम: खराब और संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते	-	-
उप कुल	-	-
कुल	3271	4584

31 मार्च, 2019 के अंत में वित्तीय सांख्यिकी के लिए अधिसूचनाएँ

(₹ लाखों में)



विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
23 अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ		
मियादी जमा पर प्रोदभूत ब्याज	675	786
योग	675	786
24 अन्य आय		
सम्पत्ति से किराया	439	313
कर्मचारियों के ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज	2,779	1,892
टाउनशिप से प्राप्तियाँ	1,071	1,341
विगत वर्षों से आय (शुद्ध) (नोट सं. 28 ख)	53	55
अधिक प्रावधान वापसी	46	41
बैंक ब्याज	2,431	1,792
विविध आय	237	360
योग	7,056	5,794
25 उपभुक्त कच्चे माल की लागत		
प्रारम्भिक शेष		
वर्ष के दौरान अर्जन	884	1,013
चूना पत्थर की खनन एवं परिवहन (*नीचे दी गई टिप्पणी को संदर्भित करें)	3,256	3,219
अन्य कच्चे माल की खरीद	901	878
कच्चे माल का समायोजन	0	(2)
घटाएं : अंतिम रहतिया	1,012	884
कुल उपभुक्त कच्चा माल	4,029	4,224
*टिप्पणी—चूना पत्थर की खनन तथा परिवहन		
चूना पत्थर की खनन तथा ठेकेदारों को किया गया भुगतान	874	742
कर्मचारियों को पारिश्रमिक तथा सुविधाएं		
वेतन, मजदूरी एवं बोनस	423	455
उपदान भुगतान	79	130
कर्मचारियों को सुविधाएं	27	34
भविष्य निधि में अंशदान	8	9
पेंशन निधि में अंशदान	26	40
छुट्टियों का नकदीकरण		
चिकित्सा खर्च	7	25
उपदान के लिए प्रावधान	-	-
अर्जित अवकाश के लिए प्रावधान	570	693
उपभुक्त भण्डार		
सकल राशि	218	204
घटाएं : मरम्मत में सम्मिलित	31	61
विद्युत	66	75
ईंधन	84	40
दर एवं कर	24	17
संविदा श्रमिकों का भुगतान	349	355

31 मार्च, 2019 के अंत में वित्तीय सांख्यिकी के लिए अधिसूचनाएँ

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	
रॉयल्टी एवं उपकर	1,088		1,172	
बट्टे खाते में डाला गया खदान विकास व्यय	323		224	
यात्रा व्यय	4		2	
अन्य व्यय	60		12	
मूल्यहास	14	2,012	5	1,902
मरम्मत मशीनरी	20		57	
भवन	0		0	
अन्य	11	31	4	61
उपयोग		3,674		3,541
घटाएं : खदान विकास व्यय		418		322
योग		3,256		3,219
26 तैयार माल, व्यापार स्टॉक और चालू सकर्म की सूचियों में परिवर्तन				
अर्द्ध तैयार माल				
अंतिम रहतिया	3,641		2,793	
प्रारम्भिक रहतिया	4,122	(481)	3,641	(848)
तैयार माल				
अंतिम रहतिया	1,109		897	
प्रारम्भिक रहतिया	274	835	1,109	(212)
तैयार माल मार्गस्थ				
अंतिम रहतिया	88		209	
प्रारम्भिक रहतिया	7	81	88	121
स्क्रेप रहतिया				
अंतिम रहतिया	282		291	
प्रारम्भिक रहतिया	288	(6)	282	9
योग-उपचय / (अनुपचय)		429		(930)
27 कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं हित लाभ				
वेतन, मजदूरी एवं बोनस			4,005	4,749
उपदान भुगतान		749	705	
कर्मचारियों को हितलाभ		9	10	
अर्जित अवकाश के लिए प्रावधान			408	405
भविष्य निधि में अंशदान		292	306	
पेंशन निधि में अंशदान		70	68	
चिकित्सा खर्च		240	262	
छुट्टियों का नकदीकरण		1	11	
उपदान के लिए प्रावधान			43	20
कर्मचारी कल्याण व्यय		253	311	
योग			6,070	6,847

31 मार्च, 2019 के अंत में वित्तीय सांख्यिकी के लिए अधिसूचनाएँ

(₹ लाखों में)



विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	
26 अन्य व्यय				
विद्युत	5,975		6,549	
कोयला	8,551		9,276	
ईंधन तथा तेल	7		22	
किराया	20		22	
उत्पाद शुल्क	0		0	
दर एवं कर	100		183	
बीमा	22	14,675	26	16,078
मरम्मत एवं रख रखाव				
संयंत्र एवं मशीनरी	1,472		1,179	
भवन	161		196	
अन्य	276	1,909	247	1,622
अन्य उत्पादन व्यय	795		804	
बट्टे खाते में डाले गये औजार एवं उपकरण		0		0
यात्रा व्यय		126		128
बिक्री व्यय				
सीमेंट का भाड़ा	2,400		3,003	
चढ़ाई-उतराई खर्चे	132		230	
द्वितीयक परिवहन	91		165	
गोदाम व्यय	23		23	
बिक्री संवर्धन एवं प्रचार	1	2,647	8	3,429
अन्य बिक्री व्यय		35		33
वाहनों का परिचालन व्यय				
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक				
लेखा परीक्षा शुल्क	8		6	
खर्चों की प्रतिपूर्ति	0		1	
अन्य क्षमता में	4	12	2	9
लागत लेखा परीक्षा फीस	1		1	
लागत लेखा परीक्षा व्यय	0	1	0	1
सी. आर. आई तथा अन्यो को अंशदान		11		8
स्थायी सम्पत्ति के निपटान से हानि		0		2
संचार व्यय		28		30
मुद्रण तथा लेखन सामग्री व्यय		29		31
डाटा प्रोसेसिंग पर भाड़ा प्रभार		3		3
विधिक एवं व्यावसायिक व्यय		196		118
सुरक्षा व्यय		666		685
कर्मचारियों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण व्यय		116		261

31 मार्च, 2019 के अंत में वित्तीय सांख्यिकी के लिए अधिसूचनाएँ

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
*विविध व्यय	3	3
संविदा श्रमिकों को भुगतान	423	258
बन्द योजना पर व्यय	1,291	1,239
बटटे खाते का प्रावधान	28	23
विगत वर्षों का व्यय (शुद्ध) (नोट सं. 28 ख के संदर्भित)	0	292
निगमित सामाजिक दयित्व	84	7
भंडार एवं पुर्जों की खपत	3	9
उप योग	1,756	1,620
घटाएं : मरम्मत तथा रख रखाव के अधीन सम्मिलित	1,227	1,048
पैकिंग सामग्री	943	1,046
योग	24,553	26,691
*सम्मिलित :		
—मनोरंजन व्यय	0	0
—निदेशक उपस्थिति फीस	1	2
29 वित्त संबंधी लागतें		
—स्टाकिस्टों से जमा पर	-	-
—अन्य	-	-
योग	.	.
30 मूल्यहास और परिशोधन व्यय		
मूर्त संपत्ति का मूल्यहास / परिशोधन	720	608
कम: खदान विकास के लिए आवंटित	14	5
कम: पूर्व अवधि के लिए प्रभारित राशि	71	0
योग	635	603
31 आपवादिक, असाधारण एवं विगत वर्षों से सम्बन्धित समायोजन		
31ए आपवादिक मदें		
आय		
ब्याज एवं अन्य की छूट	1,512	537
पूंजी विक्रय से लाभ	0	602
ब्याज	71	0
योग A:	1,512	1,139
व्यय		
योग B:	0	0
शुद्ध असाधारण आय / (व्यय)	1,512	1,139

31 मार्च, 2019 के अंत में वित्तीय सांख्यिकी के लिए अधिसूचनाएँ

(₹ लाखों में)



विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	
31B विगत वर्षों के मद				
आय				
a) भण्डार एवं पुर्जे	0		0	
b) अन्य	3	3	0	0
व्यय				
a) मरम्मत एवं रख रखाव	3		2	
b) भण्डार एवं पैकिंग सामग्री	1		1	
c) कर्मचारियों की पारिश्रमिक एवं हितलाभ	0		1	
d) दर एवं कर	4		0	
e) रॉयल्टी	0		2	
f) विद्युत एवं ईंधन	0		0	
g) बिक्रीकर	0		0	
h) बोनस	1		0	
i) मूल्यहास	71		0	
j) अन्य	7	87	1	7
शुद्ध पूर्वावधि आय/व्यय (i-ii)		(84)		(7)

31 मार्च, 2019 के अंत में वित्तीय सांख्यिकी के लिए अधिसूचनाएँ

31.3.2019 को समाप्त वर्ष का प्रचालन एवं गैर-प्रचालन के आय और व्यय का विवरण

(₹ लाखों में)

विवरण	प्रचालित		गैर-प्रचालित		योग	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
क) आय:-						
बिक्री (शुद्ध)	27,666	32,145	0	0	27,666	32,145
अन्य प्रचालित आय	117	156	0	0	117	156
अर्द्ध तैयार तथा तैयारमाल की उपचय (अनुपचय)	(429)	967	0	(37)	(429)	930
कुल आय	27,354	33,268	0	(37)	27,354	33,231
ख) व्यय:-						
प्रचालित व्यय	35,084	36,113	203	2,252	35,287	38,365
खराब हानि	0	0	0	0	0	0
कुल व्यय	35,084	36,113	203	2,252	35,287	38,365
ग) प्रचालन गतिविधियों से एवम् ब्याज व कर पूर्व लाभ	(7,730)	(2,845)	(203)	(2,289)	(7,933)	(5,134)
ब्याज खर्च	0	0	0	0	0	0
घ) कर पूर्व लाभ / (हानि)	(7,730)	(2,845)	(203)	(2,289)	(7,933)	(5,134)
ड) आय कर	0	0	0	0	0	0
च) कर पश्चात्, प्रचालन गतिविधियों से लाभ / (हानि)	(7,730)	(2,845)	(203)	(2,289)	(7,933)	(5,134)
छ) अन्य आय	5,300	4,472	1,756	1,322	7,056	5,794
ज) आपवादिक मर्दे-आय / (व्यय)	1,118	0	394	1,139	1,512	1,139
झ) आसाधरण मर्दे-आय / (व्यय)	0	0	0	0	0	0
ञ) परिचालन गतिविधियों से शुद्ध लाभ / (हानि)	(1,312)	1,627	1,947	172	635	1,799

31 मार्च, 2019 के अंत में वित्तीय सांख्यिकी के लिए अधिसूचनाएँ

(₹ लाखों में)



विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
32 आकस्मिक दायित्वों और प्रतिबद्धताएँ (उस सीमा तक जिस तक उपबंध नहीं किया है।)		
अ) आकस्मिक दायित्वः		
क) कंपनी के विरुद्ध ऐसे दावे, जिन्हें उधार के रूप में अभी स्वीकार नहीं किया गया है		
1 कर निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिए अधिनियम 271 (1)(C) के अन्तर्गत आयकर की मांग	32	49
2 तादूर व बोकाजन ईकाई हेतु बिक्रीकर मांग	814	1,959
3 राजबन सर्दीर्भित, रेलवे जमीन लाइसेंस शुल्क (अप्रैल 10 से मार्च 15)	11,200	11,200
4 मध्यस्था मामला-नोरटन पोलीमर लि.	751	799
5 मण्डार एवं अकलतरा हेतु टी.एम.सी.	1,152	1,152
6 तादूर हेतु विद्युत व्हीलिंग प्रभार	14,386	9,831
7 अन्य, विविध मामले	9,456	9,038
ख) ऐसे अन्य धन, जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है।	0	0
योग (अ)	37,791	34,028
ब) प्रतिबद्धताएँ:-		
क) पूँजीगत लेखा निष्पादित किए जाने के लिए शेष सभी सविदाओं की अनुमानित रकम जिनके लिए उपबंध नहीं किया गया है।	11,640	15,837
ख) अन्य प्रतिबद्धताएं (विनिर्दिष्ट प्रकृति)	0	0
योग (ब)	11,640	15,837
योग (अ+ब)	49,431	49,865

(क) कर्मचारियों के सेवा मामले आदि के लिए क्षतिपूर्ति/पदोन्नति/दावों के लिए विभिन्न अदालतों में लंबित(अनिर्णीत) मामलों के प्रभाव को खातों में नहीं दिया गया है क्योंकि राशि अभी निश्चित नहीं है।

31 मार्च, 2019 के अंत में वित्तीय सांख्यिकी के लिए अधिसूचनाएँ

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	
33 मात्रात्मक विवरणी				
1. वास्तविक उत्पादन				
1.1 पोर्टलैंड सीमेंट				
साधारण	526,057	मी. टन	683,475	मी. टन
पोजोलाना	108,265	मी. टन	69,600	मी. टन
योग	634,322	मी. टन	753,075	मी. टन
2 क्लिंकर (सीमेंट तैयार होने से पूर्व की सामग्री न कि अतिरिक्त उत्पादन)	603,890	मी. टन	753,011	मी. टन
2.1 क्लिंकर क्रय	0	मी. टन	0	मी. टन
3. सीमेन्ट प्रेषण	650,537	मी. टन	747,166	मी. टन
4. आरम्भिक रहतिया कारखाने में रहतिया				
सीमेंट- साधारण	16,784	617	12,082	473
सीमेंट- पोजोलाना	3,533	140	2,223	86
डम्प में रहतिया				
सीमेंट- साधारण	9,200	352	4,273	336
सीमेंट- पोजोलाना	0	0	0	0
मार्गस्थ				
सीमेंट- साधारण	2,787	88	8,719	207
सीमेंट- पोजोलाना	4,08	19	4,32	22
सैट सीमेंट / क्षतिग्रस्त सीमेंट				
सीमेंट- साधारण	4,888	0	6,634	2
सीमेंट- पोजोलाना	3,016	0	3,016	0
योग	40,208	1,197	36,995	1,106
क्लिंकर	161,324	3,169	133,209	2,154
क्लींकर (क्रय)	0	0	0	0
योग	161,324	3,169	133,209	2,154
5. बिक्री स्वयं उपभोग / अन्तरण सहित				
क) सीमेंट - साधारण	549,695	27,330	679,348	32,127
ख) पोजोलाना	109,988	0	68,338	0
ग) स्वयं उपभोग - साधारण	0	0	0	0
घ) - पोजोलाना	40	0	199	0
ड) सीमेंट - निर्यात	193	11	333	18
vi) Self Consumption PPC 8 0	0	0		
योग	659,924	27,341	748,218	32,145
च) क्लिंकर	11,646	325	0	0
योग	0	0	0	0
6. क. अंतिम रहतिया कारखाने में रहतिया				
सीमेंट - साधारण	2,300	99	16,784	617
सीमेंट - पोजोलाना	1,803	70	3,533	140
डम्प में रहतिया				
सीमेंट - साधारण	2,238	98	9,200	352
सीमेंट - पोजोलाना	0	0	0	0
मार्गस्थ				

31 मार्च, 2019 के अंत में वित्तीय सांख्यिकी के लिए अधिसूचनाएँ

(₹ लाखों में)



विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	
सीमेंट – साधारण	160	7	2,787	88
सीमेंट – पोजोलाना	0	0	0	0
सैट/क्षतिग्रस्त सीमेंट				
सीमेंट – साधारण	5,089	7	4,888	0
सीमेंट – पोजोलाना	3,016	0	3,016	0
योग	14,606	281	40,208	1,197
ख. अन्तिम रहतिया				
विलंकर	160,235	3,258	161,325	3,169
Sub Total	160,235	3,258	161,325	3,169
क्लींकर (खरीद)	0	0	0	0
ग. सीमेंट –परीक्षण, मार्गस्थ में कमी इत्यादि				
परीक्षण में प्रयुक्त	0	0	0	0
इकाई को अन्तरण	0	0	1,644	0
मार्गस्थ इत्यादि में कमी – पोजोलाना	0	0	4,002	0
गोदाम में कमी (हैंडलिंग एजेंट)	0	0	8,08	0
योग	0	0	5,646	0
7. विलंकर : सीमेंट ग्राइडिंग में प्रयुक्त	593,333	19,730	720,893	21,239
8. उपभुक्त कच्चा माल				
चूना पत्थर	881,561	2,974	1,113,966	3,337
लैटराइट	3,739	17	5,877	26
लौह अयस्क	16,667	491	23,999	423
जिप्सम	11,108	260	13,280	290
शैल	33,344	104	25,634	45
फलाई ऐश	26,941	152	16,426	75
जली हुई मिट्टी	329	2	0	0
अन्य	22,539	29	22,137	28
उपभुक्त कच्चे माल का योग		4,029		4,224
9. आयातित माल का मूल्य जिसको सी.आई.एफ. आधार पर गुणित किया गया				
क) कच्चा माल	0	0	0	0
ख) संघटक एवं अतिरिक्त पुर्जे	0	0	0	0
ग) पूंजीगत माल	0	0	0	0
	0	0	0	0
10. वर्ष के दौरान उपभुक्त सभी आयातित कच्चे माल अतिरिक्त पुर्जे एवं संघटकों का मूल्य तथा इसी प्रकार वर्ष के दौरान उपभुक्त सभी देशी कच्चे माल, संघटकों का मूल्य तथा प्रत्येक का कुल उपभाग का%				
आयातित	1%	47	0%	16
स्वदेशी	99%	5,738	100%	6,465
योग	100%	5,785	100%	6,481

34 वित्तीय विवरणियों का भाग बनाने वाली टिप्पणियाँ

34.01 कॉर्पोरेट द्वारा रुपए 104461.43 लाख (पूर्व वर्ष रुपए 7313.99 लाख) के लिए किए गए दावे/प्रति-दावे न्यायालयों/मध्यस्थता में लंबित हैं, और उनके परिणाम पंचाट/डिग्री के आने पर ही ज्ञात हो पाएंगे, अतः लेखों में उनका प्रभाव नहीं दर्शाया गया है।

34.02 i) तुलन-पत्र की तारीख तक 'ग', 'घ' और च/ख-II फार्मों आदि की प्राप्ति न होने के कारण बिक्री कर देयता शून्य (पिछली वर्ष 17.97 लाख) थी, जिसे अंतिम निर्धारण पूरा होने और/या अपीलों को अंतिम रूप दिए जाने से पहले प्राप्त होने की संभावना है, अतः कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

ii) निर्धारण अधिकारी, आयकर विभाग के आदेश के अनुसार मूल्यांकन वर्ष 2006-07 और 2007-08 के लिए, मूल्यांकन अधिकारी ने क्रमश रुपए 885,00,87,850 और रुपए 87,98,64,000 की आय का मूल्यांकन किया और कंपनी की अग्रेषित हानि के साथ इसे समायोजित किया। इसे ध्यान में रखते हुए कंपनी के निर्धारित हानियों में रुपए 9,72,99,51,850 की कमी की गई है। कंपनी ने अपील दायर की है और अपीलीय प्राधिकारियों ने मूल्यांकन अधिकारी को मामले को वापस कर दिया है और निर्धारित कंपनी की कुल आय के प्रत्यक्ष में गैर-प्रचालन ईकाइयों की संयंत्र और मशीनरी पर मूल्यह्रास के गैर-अनुमत के सन्दर्भ में वृद्धि के कारण एओ ने रुपए 88,52,21,550 की राशि पुनः परिकल्पित की है जिसके फलस्वरूप कंपनी की निर्धारित हानियों रुपए 53,57,552 घटकर रुपए 9,73,53,09,402 हो गई है और अब इसके लिए अपील अपील प्राधिकारियों के पास लंबित है।

iii) बोकोजन सीमेंट फैक्टरी का ठेका मैसर्स प्रोमेक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर को वर्ष 2010 में रुपए 142.40 करोड़ में दिया गया था। मैसर्स प्रोमेक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कार्य आदेश के अनुसार मध्यस्थता का मार्ग अपनाया है। संविदा की शर्तों के अनुसार मध्यस्थ की नियुक्ति की गई है और मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। सीसीआई ने रुपए 112 करोड़ के प्रोमेक दावे के विरुद्ध रुपए 925 करोड़ के बोकोजन विस्तार कार्य का निष्पादन न किए जाने के कारण हुए नुकसान/क्षति के लिए प्रति दावा भी किया है।

34.03 1.06 एकड़ (मंढर), 0.146 हेक्टेयर (नयागांव), 495.75 एकड़ (अकालरा), 10.12 एकड़ (भटिंडा ग्राइंडिंग इकाई) और 155.83 एकड़ (नायगो) और 58.81 एकड़ (आदिलाबाद) के लिए पट्टे के स्वत्वाधिकार प्रलेखों का निष्पादन अभी किया जाना है। डीआई ने गैर-प्रचालन ईकाइयों के विनिवेश के लिए निदेश दिए हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने ग्राइंडिंग इकाई और रेलवे साइडिंग की स्थापना के लिए सीसीआई को 20.94 एकड़ भूमि पट्टे पर आवंटित की थी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिनांक 11.04.2017 के पत्र द्वारा दक्षिणी दिल्ली नगर कॉर्पोरेट (एसडीएमसी) को ग्राइंडिंग की इकाई स्थापित करने के लिए दी गई 14.20 एकड़ भूमि का एसडीएमसी को स्वतः ही हस्तांतरण कर दिया है। 14.20 एकड़ भूमि की लागत जो दक्षिणी दिल्ली नगर पालिका से वसूलनीय है को 'बाह्य पक्षकारों से वसूलनीय' में अंतरित किया गया है। डी एच आई ने 2018 में अपने पत्र द्वारा सीसीआई को धनराशि के रूप में मुआवजे के लिए एसडीएमसी के साथ बातचीत करने का निर्देश दिया। इस मामले पर नीति आयोग में दिनांक 16.05.2019 की बैठक में भी चर्चा की गई थी। शेष 6.74 एकड़ भूमि अभी भी कॉर्पोरेट के कब्जे में है।

34.04 सभी सरकारी कंपनियों को खनन पट्टा दिनांक 03-12-2015 के खनिज (सरकारी कंपनी द्वारा खनन) नियम 2015 के अनुसार दिया गया माना जाता है। तदनुसार सीसीआई को दिए गए खनन पट्टे अभी भी वैध हैं।

- 34.05 सीसीआई, आदिलाबाद टाउनशिप के बाहर सरकारी भूमि का अधिग्रहण जिसका पम्प हाउस से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 तक सड़क के रूप में उपयोग किया जाता है और जिसका माप 32 गुंटा है जिसके लिए राजस्व विभाग से अलगाव के आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है। इसके लिए लेखों में कोई प्रावधान, यदि कोई हो, नहीं किया गया है।
- 34.06 उपकर के लिए रूपए शून्य की राशि (पिछली वर्ष: 0.06 लाख) की देता का 31-03-2019 को 0.00 मीट्रिक टन के सीमेंट स्टॉक (विगत वर्ष: 8604.618 मीट्रिक टन) के रूप में प्रावधान किया गया है।
- 34.07 स्वर्गीय श्री आर.के. डालमिया द्वारा धारित विभिन्न कंपनियों के शेयरों (अंकित मूल्य 37.79 लाख) और के साथ उनके द्वारा लिए गए 214.00 लाख के ऋण के विरुद्ध तत्कालीन डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड के पास प्रतिभूति के रूप में धारित शेयरों को पूर्व के वर्षों में अपने कब्जे में लिया गया है। हालांकि, इन शेयरों का मूल्य 2.80 लाख (वसूली योग्य मूल्य पर) था, लेकिन उन्हें संदिग्ध माना गया था और तदनुसार पहले के वर्षों में प्रावधान किया गया था।
- 34.08 स्कोप कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में कार्यालय भवन, रूपए 5.70 लाख की विद्युत स्थापना को छोड़कर रूपए 266.58 लाख की लागत का मूल्यहास के माध्यम से अनंतिम रूप से परिशोधन किया जा रहा है। एक मानद स्वामी के रूप में विचार किया गया है। हालांकि, कॉर्पोरेट के पक्ष में पट्टा प्रलेख का निष्पादन लंबित है।
- 34.09 रुग्ण औद्योगिक कंपनी (एसपी) अधिनियम, 1985 की धारा 15(1) के अंतर्गत औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को दिनांक 25.04.96 के पत्र संख्या एसईसी/84/96/513 डी.टी. द्वारा सूचित किया गया था। माननीय बीआईएफआर ने अपने दिनांक 8-8-96 के पत्र संख्या 501/96 द्वारा कंपनी को रुग्ण घोषित किया। माननीय बीआईएफआर ने 21.03.2006 को अपनी सुनवाई में मैसर्स आईएफसीआई (ओए) द्वारा तैयार और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पुनर्वास योजना को अनुमोदित कर दिया है। स्वीकृत योजना को माननीय बीआईएफआर द्वारा 03.05.2006 को परिचालित किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों के निपटान और 3 प्रचालन संयंत्रों के विस्तार/तकनीकी उन्नयन और शेष 7 गैर-प्रचालन संयंत्रों के बंद/बिक्री की परिकल्पना की गई थी। माननीय बीआईएफआर के निर्देशानुसार संयंत्रों को बंद होने के बाद, डीआईपीएम दिशानिर्देशों के अनुसार डीआईडी के माध्यम से गैर-प्रचालन इकाई की बिक्री की जाती है। निर्देशों के अनुसार, गैर-प्रचालन इकाइयों की बिक्री दो चरणों में की जानी अपेक्षित है जिसके लिए परिसंपत्ति मूल्यांकक, लेनदेन सलाहकार और कानूनी सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। पांच इकाइयों के लिए पीआईएम (प्रारंभिक सूचना ज्ञापन) तैयार किया गया है। नयागांव इकाई के लिए रुचि अभिव्यक्ति का प्रकाशन किया गया है।
- 34.10 i) लेनदारों/राज्य सरकारों/अन्य सरकारी विभागों/एजेंसियों आदि के संबंध में राहतों और रियायतों पर तब उचित विचार किया जाएगा जब कभी इसके साथ कोई आकस्मिकता न जुड़ी होने के कारण या इसके लिए अनुमोदन प्राप्त हो जाने पर जैसे भी मामला हो, ऐसी रियायतें/राहतें देना निश्चित हो जाए।
- ii) माननीय वी. आई एफ. आर. की दिनांक 3.5.2006 की मंजूर योजना के अनुसार भारत सरकार के ऋण जिसमें ₹ 150.90 करोड़ (गत वर्ष ₹ 150.90 करोड़) ब्याज रहित ऋण भी सम्मिलित हैं की अदायगी सात गैर प्रचलनरत इकाइयों की बिक्री से की जाएगी। जबकि 1.4.2011 से भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए गैर योजनागत ऋण पर प्रोदभूत ब्याज ₹ 123.85 करोड़ की गणना रोक दी गई है एवं ब्याज की अदायगी गैर प्रचलनरत इकाइयों की बिक्री से की जाएगी।
- 34.11 निम्नलिखित इकाइयों का उत्पादन प्रत्येक इकाई के सामने दी गई तिथि से बन्द कर दिया गया है :-
- | | | |
|---|---|------------|
| 1) मंडार (छत्तीसगढ़) | — | 06.06.1996 |
| 2) चरखीदादरी (हरियाणा) | — | 14.08.1996 |
| 3) अकलतारा (छत्तीसगढ़) | — | 09.12.1996 |
| 4) नया गांव, नया गांव विस्तार (मध्य प्रदेश) | — | 30.06.1997 |

5)	कुर्कन्टा (कर्नाटक)	—	01.11.1998
6)	अदिलाबाद (तेलंगाना)	—	05.11.1998
7)	क. दिल्ली सीमेंट ग्राइडिंग यूनिट (दिल्ली)	—	08.02.1999
	ख. भटिंडा ग्राइडिंग यूनिट (पंजाब)	—	चालू नहीं किया गया

आई. एफ. सी. आई. (ओ. ए.) द्वारा तैयार की गई मसौदा पुनर्वास योजना (डी.आर.एस) को माननीय बी.आई.एफ.आर. द्वारा 21.3.06 को हुई अपनी सुनवाई में अनुमोदित किया गया है और मंजूर की गई योजना को 03.05.06 को परिचालित किया गया है। जिसमें प्रतिभूत और अप्रतिभूत लेनदारों का समाधान करने तथा उक्त सात गैर परिचालित इकाईयों को बन्द करने/उनकी बिक्री करने की परिकल्पना की गई थी। उक्त सात इकाईयों की परिसम्पत्तियों के बाजार मूल्य उनकी पुस्तक से अधिक है का उल्लेख उक्त योजना में किया गया है। इसी प्रकार बोकाजन, राजबन, व तांदूर ईकाई की परिसम्पत्तियों के बाजार मूल्य, उनकी पुस्तक मूल्य से कही अधिक है। अतः सम्भावित अनर्जक हानि के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। अतः अनर्जक हानि के लिए लेखों में कोई प्रावधान करने पर विचार नहीं किया गया है।

- 34.12 येरागुटंला के बारे एम. ओ. यु./बिक्री करार के अनुसार एस. बी. आई. कैप्स, मर्चेन्ट बैंकर्स द्वारा नियुक्त विशेष लेखा परिक्षक ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, इण्डिया सीमेंट लिमिटेड के साथ लम्बित (रुका हुआ) मिलान तथा पुष्ठीकरण, यद्यपि बिक्री के समय पाई गई जरूरी देयताओं का पहले से ही खातों में समावेश किया जा चुका है।
- 34.13 पुर्नवास योजना के क्रियान्वन के दौरान, 22.03.2007 को ₹ 355.43 करोड़ की राशि के गैर संचयी अधिमानी शेयर 7 वर्ष के लिए जारी किए थे। प्राथमिकता शेयर को पुनः जारी करने की आगे की कार्यवाई शुरु करने के संबंध में मंत्रिमण्डल/बी. आई. एफ. आर. के निर्देशानुसार, मंत्रालय से अनुमति मांगी है।
- 34.14 आय कर अधिनियम के तहत अनुमेय अवधि के अन्तर्गत आस्थगित कर परिसम्पत्तियों की वसूली की वास्तविक निश्चितता की अनुपस्थिति में आस्थगित कर-निर्धारण को मान्यता नहीं दी जाती है।
- 34.15 चालू देयताओं के अन्तर्गत, चालू एवं गैर चालू शेषों को वर्गीकृत करते हुए, मंजूर शुदा योजना में इनकी प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर समाविष्ट किया गया है।
- 34.16 निगम की भौगोलिक एवं व्यापार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, लेखा मानक – 17 के अंतर्गत सेगमेंट रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।
- 34.17 ₹ 55.41 लाख (गत वर्ष ₹ 83.65 लाख) राशि के असमायोजित/बैदावों (लावारिस) अग्रिमों को जो कि दशकों से अधिक से खातों में है को चालू वर्ष में वापस लिया गया और खातों में (नोट-24) में विविध प्राप्ति में दर्शाया गया है।
- 34.18. लेखा मानक 29 के अनुसार, प्रावधानों का ब्यौरा नोट 6 व 10 के संदर्भ में

(₹ करोड़ों में)

विवरण	वर्ष के आरंभ में शेष		वर्ष के दौरान भुगतान एवं समायोजन		वर्ष के दौरान वृद्धि		वर्ष के अंत में शेष	
	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
उपदान	38.90	46.23	5.51	16.09	0.43	8.76	33.82	38.90
बोनस	0.11	0.11	0.03	0.03	0.03	0.03	0.11	0.11
निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11
अर्जित अवकाश दायित्व	19.18	22.12	2.20	5.47	0.03	2.53	17.01	19.18
अन्य	46.61	43.86	38.36	39.19	10.47	41.94	18.72	46.61

34.19. सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम एम. एस. एम. ई. उद्यमों को देय ब्याज का विवरण।

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	गतवर्ष
1.	वर्ष के अंत में विक्रेताओं (पूर्तिकारों) को अप्रदत्त बकाया मूल्य	125	150
2.	वर्ष के अंत में उस पर अप्रदत्त बकाया ब्याज	339	325
3.	विक्रेताओं (पूर्तिकारों) को वर्ष के दौरान, धारा 16 के अन्तर्गत, निश्चित अवधि के उपरान्त राशि सहित, ब्याज का भुगतान	0	0
4.	विलम्ब अवधि के लिये भुगतान योग्य राशि पर देय ब्याज जिसमें नियम के तहत निश्चित ब्याज राशि नहीं छोड़ी गई है। (जिसका भुगतान वर्ष के दौरान, निश्चित दिवस के बाद किया जा चुका है।)	0	0
5.	वर्ष के दौरान, प्रोदभूत ब्याज और वर्ष के अंत में बकाया अप्रदत्त ब्याज	14	14
6.	लघु उद्यमों को ब्याज की देय राशि तथा अगले वर्ष में की जाने वाली भुगतान अथवा देय ब्याज का भुगतान उस तिथि तक, धारा 23 के अन्तर्गत अयोग्य राशि का निर्धारण होना बाकी है।	339	325

34.20 लेखा मानक 15 के अनुसार कर्मचारी हित

निगम ने लेखा मानक-15 को अपनाया है- कर्मचारी हित निम्नानुसार हैं

(i) भविष्य निधि

निगम पूर्व निधारित दर से, भविष्यनिधि का अंशदान अलग से न्यास (ट्रस्ट) को भुगतान करता है, और न्यास धन को अनुमति प्राप्त प्रतिभूति में निवेश करता है। न्यास (ट्रस्ट) को, सहभागियों के किये गये अंशदान पर न्यूनतम दर से ब्याज भुगतान करना आवश्यक है। यदि भविष्य निधि न्यास को कोई हानि होती है, तो उसे निगम द्वारा सहन किया जाता है।

(ii) उपदान

निगम की एक निश्चित (परिभाषित) योजना है। प्रत्येक कर्मचारी, उपदान नियम के अनुसार, उपदान पाने का हकदार है। उपदान की देयता, मान्यता प्राप्त बीमांकक मूल्यांकनकर्ता के आधार पर की जाती है।

(iii) छुट्टी नकदीकरण

जिन कर्मचारियों की संचित ई.एल. एच.पी.एल. आदि हैं और वह देय छुट्टी नकदीकरण के योग्य हैं। छुट्टी नकदीकरण की देयता मान्यता प्राप्त बीमांकक मूल्यांकनकर्ता के आधार पर की जाती है।

(iv) अन्य निश्चित सेवानिवृति हित

कर्मचारी के सेवा निवृत्त होने पर, कर्मचारी व उनके आश्रितों को गृह प्रदेश में व्यवस्थापन हेतु निगम की एक योजना है। बीमांक मूल्यांक के आधार पर लाभ हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

विभिन्न निश्चित हित की संक्षिप्त स्थितियों को, निम्नानुसार लाभ हानि खाते व तुलन पत्रा में मान्यता दी जाती है।

(क) लाभ हानि खाते में खर्चों की मान्यता

(₹ लाखों में)

		उपदान		छुट्टी नकदी करण		सेवा निवृत्ति पर अन्य निश्चित हित	
		31.3.2019	31.3.2018	31.3.2019	31.3.2018	31.3.2019	31.3.2018
क	वर्तमान सेवा लागत	143.37	154.95	115.26	131.75	0.77	0.82
ख	ब्याज लागत	290.80	338.22	146.59	164.84	1.52	1.86
ग	अवधि में शुद्ध (वृद्धि) हानि की बीमांकक मान्यता	(156.71)	(414.49)	(80.78)	(162.21)	(0.72)	(4.43)
घ	लाभ हानि विवरण में मान्यता प्राप्त खर्च	277.47	78.68	181.07	134.38	1.58	(1.74)

(ख) तुलन पत्र में रकम की मान्यता

(₹ लाखों में)

		उपदान		छुट्टी नकदी करण		सेवा निवृत्ति पर अन्य निश्चित हित	
		31-03-19	31-03-18	31-03-19	31-03-18	31-03-19	31-03-18
क	अवधि के अन्त में वर्तमान मूल्य बाध्यता	3268.70	3776.74	1685.54	1903.77	17.04	19.74
ख	निधि स्थिति / अन्तर	(3,268.70)	(3,776.74)	(1,685.54)	(1,903.77)	(17.04)	(19.74)
ग	तुलनपत्र में शुद्ध परिसप्तियों/ (देयताओं) की मान्यता	(3,268.70)	(3,776.74)	(1,685.54)	(1,903.77)	(17.04)	(19.74)

(ग) वर्तमान मूल्य की बाध्यता में परिवर्तन

(₹ लाखों में)

		उपदान		छुट्टी नकदी करण		सेवा निवृत्ति पर अन्य निश्चित हित	
		31-03-19	31-03-18	31-03-19	31-03-18	31-03-19	31-03-18
क	अवधि के प्रारम्भ में वर्तमान मूल्य बाध्यता	3776.74	4509.66	1903.77	2197.84	19.74	24.83
ख	ब्याज लागत	290.81	338.22	146.59	164.84	1.52	1.86
ग	प्रचलित सेवा लागत	143.37	154.95	115.26	131.75	0.77	0.82
घ	हित भुगतान	(785.50)	(811.61)	(399.31)	(428.44)	(4.27)	(3.35)
ङ	बीमांकक (वृद्धि) हानि पर बाध्यता	(156.71)	(414.49)	(80.78)	(162.21)	(0.72)	(4.43)
च	अवधि के अन्त में वर्तमान मूल्य बाध्यता	3268.70	3776.74	1685.54	1903.77	17.04	19.74

(घ) वर्तमान अवधि के लिए राशि

(₹ लाखों में)

		उपदान		छुट्टी नकदी करण		सेवा निवृत्ति पर अन्य निश्चित हित	
		31-03-19	31-03-18	31-03-19	31-03-18	31-03-19	31-03-18
क	अवधि के अन्त में वर्तमान मूल्य बाध्यता	3268.70	3776.74	1685.54	1903.77	17.04	19.74
ख	ब्याज लागत	(3,268.70)	(3,776.74)	(1,685.54)	(1,903.77)	(17.04)	(19.74)

(ड) बीमांकक कल्पना

क्र. सं.	विवरण	31-03-2019 को
क ख	सेवानिवृति आयु आयु	60 वर्ष वापसी दर : % 30 वर्ष तक - 00.00 31 वर्ष से 44 वर्ष - 1% 44 वर्ष से उपर - 1%
ग	स्थिति दर	7.59%
घ	भविष्य वेतन वृद्धि	6.00%
ड.	योजनागत परिसम्पतियों पर संभावित प्रतिलाभ	शून्य

34.21 अग्रिमों, देनदारों एवं लेनदारों आदि के अन्तर्गत दर्शाई गई बकाया राशि पुष्टि/पुनर्मिलान के अध्यक्षीन है। इनमें कुछ पुरानी बकाया राशियाँ, लम्बित जाँच और समायोजन शामिल हैं। इसके पूरे होने पर इनकी आवश्यक गणना की जाएगी।

34.22 कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार निगमित समाजिक दायित्वों (सी.एस.आर.) के तहत विभिन्न गतिविधियों हेतु किये गए निम्नलिखित व्यय को संक्षिप्त विवरणी व खातों को नोट संख्या 26 में दिखाया गया है।

(₹ लाखों में)

क्रम सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
(क)	निगम का पिछले तीन वर्षों का औसत लाभ हानि	3794.33	4530.67
(ख)	निर्धारित सी.एस.आर. व्यय (कम्पनी अधिनियम 2013 के अधीन उपरोक्त का 2%)	75.89	90.61
(ग)	नीचे दिये अनुसार वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	2.50	8.93
(घ)	खर्च नहीं की गई राशि (ख-ग)	73.39	81.68

(₹ लाखों में)

क्रम सं.	विवरण	नगद		अभी तक नगद में किया गया भुगतान		जोड	
		वर्तमान	गतवर्ष	वर्तमान	गतवर्ष	वर्तमान	गतवर्ष
क)	किसी भी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बी)	उपरोक्त के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00
i)	स्कूल में वाटर पंप	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00	1.41
ii)	हिडिप्पी में स्कूल का रेनोवेशन	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
iii)	वाटर कूलर और आरओ सिस्टम	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00	1.41
iv)	सेप्टिक टैंक और सोख पिट	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
v)	शौचालय- एसबीएम के तहत	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00	2.96
vi)	जल आपूर्ति के लिए पाइपलाइन	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00	1.65
vii)	स्वास्थ्य (चिकित्सा) शिविर	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00	1.91
	कुल	2.50	8.93	0.00	0.00	2.50	8.93

34.23 "कम्पनी (लेखा मानक) नियम 2006 में "सम्बन्धित पार्टी खुलासा" लेखा मानक 18 के अनुसार प्रबंधन यह प्रमाणित करता है कि वर्ष के दौरान कोई भी सम्बन्धित लेनदेन नहीं हुआ है। संबंधित पार्टी का ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्रम. सं.	मुख्य व्यक्ति का नाम	पद	₹ लाखों में	
			वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
1.	श्री मनोज मिश्रा*	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	31.62	33.63
3.	श्री बी.वी.एन. प्रसाद	निदेशक (एच आर)	31.32	29.51
4.	श्री शे. शक्तिमनी	निदेशक (वित्त)	27.94	26.26
5.	श्री अजय कुमार शर्मा	कंपनी सचिव	15.08	14.49

* 30.09.2018 को सेवानिवृत्त

34.24 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 20 के अनुसार कम्पनी का प्रतिर्जन शेयर (अंश) निम्नलिखित है।

क्रम.	विवरण	31.03.2019	31.03.2018
क)	वर्ष के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ (लाख)	635.09	1799.46
ख)	कम: असाधारण/अपवाद आइटम (लाख) तक	1512.01	1139.08
ग)	कम: गैर-संचयी वरीयता शेयरों (लाख) पर लाभांश	3.55	3.55
घ)	इक्विटी शेयर धारकों (लाख) के कारण कर के बाद शुद्ध लाभ	(880.55)	656.82
ङ)	वर्ष के दौरान बकाया शेयर की संख्या	4559749.00	4559749.00
च)	इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य (₹)	1000.00	1000.00
छ)	मूल और पतला आय प्रति शेयर (₹)	(19.31)	14.40

34.25 पिछले वर्ष के आंकड़ों को विभाजित किया गया है और चालू वर्ष के आंकड़ों के अनुरूप जहां भी आवश्यक हो, फिर से इकट्ठा किया गया है।

यह हमारी तारीख की रिपोर्ट में संदर्भित बैलेंस शीट है

हमारी संलग्न सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते कपूर भूषण एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 001676 एन

ह0
(सी ए पी. बी. कपूर)
भागीदार
मेम्बरशिप नं. 010858

नई दिल्ली
दिनांक : 07.08.2019

ह0
(बी वी एन प्रसाद)
निदेशक (मानव संसाधन)

ह0
(अजय कुमार शर्मा)
कंपनी सचिव

ह0
(शे. शक्तिमणि)
निदेशक (वित्त)/सीएफओ

ह0
(मनोज कुमार पात्रा)
वित्त प्रमुख



संख्या / No.: 74116-D/2018-19/101-12/2018-19/23
 भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग
 कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
 एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड-II
 नई दिल्ली

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
 OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF
 COMMERCIAL AUDIT & EX-OFFICIO MEMBER,
 AUDIT BOARD-II, NEW DELHI

दिनांक / DATE 26-09-2019

सेवा में,

निदेशक,

सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

कोर 5 स्कोप काम्पलेक्स 7,

लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

विषय- कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6)(b) के अधीन 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6)(b) के अधीन 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित करती हूँ। इन टिप्पणियों को कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाए।

भवदीया,

(प्राची पाण्डेय)

प्रधाननिदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
 एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड-II

नई दिल्ली

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लेखों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे के अनुसार **सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.** के 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष से संबंधित वित्तीय विवरण तैयार करने का दायित्व कम्पनी के प्रबन्धन का है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अधीन व्यावसायिक निकाय द्वारा विद्वित लेखा परीक्षा एवं आश्वासन मानकों जो धारा 143 (10) के अनुरूप स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। उनकी दिनांक 07 अगस्त, 2018 की लेखा परीक्षा की रिपोर्ट के माध्यम से उनके द्वारा यह बताया गया है।

मैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से धारा 143(6) (ए) के अन्तर्गत **सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड** के दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा की हैं। पूरक लेखा परीक्षा का निष्पादन सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यकरण संबंधी दस्तावेजों को देखे बिना की गई है और यह मुख्यतः सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा कंपनी कार्मिकों द्वारा की गई पूछताछ और कुछेक लेखांकन अभिलेखों की चयनात्मक परीक्षा तक सीमित हैं। मेरी पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर मुझे ऐसी कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिली है जिसके आधार पर कम्पनी अधिनियम, के अन्तर्गत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर **कोई टिप्पणी** की जा सके अथवा जोड़ी जा सके।

वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में किए गए संशोधनों के मद्देनजर, अनुपूरक लेखा परीक्षा के दौरान उठाए गए मेरे छह ऑडिट अवलोकनों को प्रभावी करने के लिए, मेरे पास धारा 143 (6) (बी) अधिनियम के तहत वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर प्रस्तुत करने या पूरक करने के लिए कोई और टिप्पणी नहीं है।

भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की ओर से

न. मुथी

(प्राची पाण्डे)

महानिदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड II
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26.09.2019

हमारे कर्मचारी— हमारी सबसे बड़ी परिसंपत्तियां

मानव संसाधन

CCI के पास पूरे भारत में 500 से अधिक कर्मचारियों की एक समर्पित टीम है, जो कंपनी के लिए बेहतर उत्पादकता के लिए चौबीसों घंटे काम करती है। CCI ने टीम की वैज्ञानिक योजना, अधिग्रहण, उपयोग, प्रशिक्षण और प्रेरणा में प्रगतिशील नीतियों को अपनाया है। सीसीआई में, हर कोई मायने रखता है; प्रत्येक व्यक्ति कंपनी की सफलता में कुछ न कुछ जोड़ता है।

हमारे कर्मचारी हमारे संगठन की रीढ़ हैं। CCI का मानना है कि लोगों में निवेश संगठन के प्रदर्शन को बेहतर बनाता है और कर्मचारियों को विकसित करना उन्हें बनाए रखने के लिए सबसे प्रभावी प्रेरक में से एक है।

CCI को लगता है कि कर्मचारी संतुष्टि और कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन के बीच हमेशा एक आर्थिक संबंध है। एक खुश कार्यस्थल संस्कृति बेहतर स्टॉक रिटर्न में अनुवाद करती है।

CCI में HR नीतियां एक उच्च प्रेरित, जीवंत और स्व-संचालित टीम बनाने के मूल सिद्धांत के इर्द-गिर्द घूमती हैं। कंपनी प्रत्येक कर्मचारी की देखभाल करती है और समय-समय पर उन्हें पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए इन-बिल्ट सिस्टम है। चूंकि, सीसीआई समानता में विश्वास करता है, महिला कर्मचारियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और कर्मचारियों के लिए विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है जिसमें लिंग संवेदीकरण और लैंगिक समानता पर कार्यक्रम शामिल हैं।

“मानव संसाधन” एक उद्यम के लिए महत्वपूर्ण महत्व और महत्व रखते हैं और आयोजित कुल संसाधनों का एक प्राथमिक खंड बनाते हैं। “मानव संसाधन” का एक अजीब पहलू यह है कि जबकि इनमें असीम संभावनाएं हैं, लेकिन इस संसाधन से जो भी महसूस किया जाता है वह आम तौर पर हिमशैल के टिप के समान होता है जो शेष पूरे बहुत से डूबे हुए होते हैं। इसलिए, जानबूझकर किए गए प्रयासों को ‘वास्तविक’ और ‘संभावित’ ‘मानव संसाधन’ के बीच के अंतर को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, जिसे अन्य संसाधनों के माध्यम से “मातृ संसाधन” के रूप में ब्रांड किया जा सकता है। मशीनें, सामग्री, धन व्यवस्थित, समन्वित, निर्देशित और नियंत्रित हैं। एक उद्यम की सफलता के लिए इस “मातृ संसाधन” की क्षमता का अधिकतम बोध महत्वपूर्ण है। इन-हाउस प्रबंधन और नेतृत्व शैली, सहभागी, सहयोगी और सहायक जलवायु, प्रेरक वातावरण, देखभाल की चिंता और एक-दूसरे के लिए साथी भावनाओं, संगठनात्मक लक्ष्यों और उद्देश्यों उत्पादकता उन्मुख प्रदर्शन यार्ड लाठी के दिए गए फ्रेम-वर्क के भीतर काम करने की स्वतंत्रता और लचीलापन। और प्रशिक्षण और विकास के प्रयासों के लिए प्रबंधन की सकारात्मक जागरूकता को बे पर मानव अप्रचलन के खतरे को बनाए रखने के लिए मानव संपत्ति के इस संसाधन के दोहन के लिए कुछ आवश्यक इनपुट हैं। इसके अलावा, मानव संसाधन, जब तक वे प्रभावी रूप से और सार्थक रूप से लगातार उपयोग करने के लिए नहीं डालते हैं, तब तक केवल समय के अत्यधिक खराब होते हैं।

मौजूदा मानव क्षमता में एक अच्छी अंतर्दृष्टि को मानव शक्ति वितरित पेशे की समझ के अनुसार अच्छी तरह से समझा जा सकता है और सीसीआई के कुल कर्मचारियों की संख्या का 54.25% बुद्धिमान और पेशेवर योग्य, डिग्री / डिप्लोमा धारकों का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कि संगठन की कुल शक्ति का 41.77% 26-50 वर्ष के आयु वर्ग में है। हालांकि, हमारे कर्मचारियों की औसत आयु 47 वर्ष है। CCI के मानव बल का व्यापक वितरण निम्नानुसार है:

पेशेवर प्रोफाइल			
क्र.सं.	विवरण	कर्मचारियों की संख्या	
		31.03.2019 की स्थिति के अनुसार	31.03.2018 की स्थिति के अनुसार
1	पीएचडी	1	2
2	पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर्स	1	2
3	स्नातक अभियंता	78	75
4	एमबीए	26	30
5	प्रोफेशनल डिप्लोमा धारक	16	16
6	स्नातकोत्तर	24	26
7	सीए / आईसीडब्ल्यूए / एसएसएस / एसीएस	12	13
8	अभियंता डिप्लोमा धारक	58	70
9	स्नातक	79	90
10	आईटीआई प्रमाणपत्र धारक	109	131
1 1	अन्य लोग	149	186
	कुल	553	640

31.03.2019 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों के आयु वर्ग और श्रेणीवार वितरण

पंक्ति सूचक	वर्ष						कुल योग	औसत आयु
	<30	30.35	36.41	42.47	48.53	54.60		
कार्यपालक अधिकारी	4	32	15	13	25	60	149	47
पर्यवेक्षक	16	20	5	1	17	98	157	49
गैर पर्यवेक्षक	9	51	34	5	47	101	247	47
कुल	29	103	54	19	89	259	553	47

सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड														
एससी / एसटी / ओबीसी का प्रतिनिधित्व					कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या									
समूह	01.01.2019 की स्थिति के अनुसार)				सीधी भर्ती द्वारा			पदोन्नति द्वारा			प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा			
	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	ओबीसी	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	ओबीसी	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
समूह क-टीओटी	155	19	2	26	12	1	8	5	19	4	1	0	0	0
समूह ख-टीओटी	166	21	9	32	0	0	0	0	37	5	1	0	0	0
समूह ग-टीओटी	104	15	22	32	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0
समूह घ-टीओटी	149	33	19	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	574	88	52	117	12	1	8	5	60	10	2	0	0	0

यूनिट का नाम सीसीआई लिमिटेड																		
01.01.2019 की स्थिति के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग जनशक्ति																		
01.01.2019 की स्थिति के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों की समूहवार जनशक्ति																		
समूह	कर्मचारियों की संख्या							सीधी भर्ती (कैलेंडर वर्ष के दौरान)							पदोन्नति			
	(01.01.2019 की स्थिति के अनुसार)							आरक्षित रिक्तियों की संख्या				बनाई गई रिक्तियों (नियुक्त किए गए)			आरक्षित रिक्तियों की संख्या			बनाई गई रिक्तियों की संख्या (नियुक्त किए गए)
	कुल	वीएच	एचएच	ओह	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच
समूह क	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
समूह ख	166	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
समूह ग	104	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
समूह घ	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	574	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

हमारी यूनिटों की प्रमुख विशेषताएं:

मंधार (जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़)

यह कार्पोरेशन की पहली यूनिट है, जिसमें जुलाई 1970 में उत्पादन शुरू किया गया। उत्पादन के लिए गीली प्रक्रिया को अपनाया गया और नवम्बर 1978 से स्लैग सीमेंट का उत्पादन शुरू करने के लिए इसका विस्तार किया गया। स्लैग की आवश्यकता को भिलाई स्टील प्लांट से पूरी की जाती है।

	2018-19	2017-18	2016-17
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	3.80	3.80	3.80
उत्पादन (लाख टन में)	—	—	—
उत्पादन का मूल्य (₹ लाख में)	—	—	—
लाभ/(हानि) (₹ लाख में)	(37)	(1,08)	3,25

यूनिट के अव्यवहार्य हो जाने के कारण उत्पादन बंद पड़ा हुआ है।

कुरकुंटा (जिला-गुलबर्ग, कर्नाटक)

यह गीली प्रक्रिया से सीमेंट का उत्पादन करने की दूसरी यूनिट है, जहां उत्पादन 1972 से शुरू किया गया।

	2018-19	2017-18	2016-17
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	1.98	1.98	1.98
उत्पादन (लाख टन में)	—	—	—
उत्पादन का मूल्य (₹ लाख में)	—	—	—
लाभ/(हानि) (₹ लाख में)	7	(2,17)	3,67

बोकाजन (जिला-कारबी अंगलोंग, असम)

यह यूनिट असम के कारबी अंगलोंग जिले के दुर्गम क्षेत्र में स्थित है, जिसकी स्थापना महज सामान्य आर्थिक लाभ को ध्यान में न रखते हुए आसपास के पड़ोसी क्षेत्रों को सीमेंट और सम्बन्धित सेवाएं उपलब्ध करने के सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए की गई थी। इस यूनिट के लिए 10 किलोमीटर लम्बे रोपवे के माध्यम से चुना-पत्थर लाया जाता है जो दुर्गम क्षेत्रों से होकर गुजरता है। इस यूनिट में 1 अप्रैल 1977 से उत्पादन शुरू किया गया।

	2018-19	2017-18	2016-17
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	1.98	1.98	1.98
उत्पादन (लाख टन में)	0.84	1.12	0.80
उत्पादन का मूल्य (₹ लाख में)	4761	56,39	37,52
लाभ/(हानि) (₹ लाख में)	(1092)	(6,86)	(19,75)

राजबन (जिला-सिरमौर, हिमाचल प्रदेश)

यह पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्र में स्थित दुसरी यूनिट है। सामान्य संचार कठिन होने के अलावा इस यूनिट में काफी बड़े पैमाने पर सामग्री के आंतरिक आवागमन और तैयार उत्पाद का बहिर्गमन सड़क मार्ग द्वारा किया जाता है क्योंकि यूनिट के नजदीक कोई रेल सम्पर्क नहीं है। इस फैक्ट्री के पूरे उत्पादन का वितरण सड़क मार्ग द्वारा ही किया जाता है। पहाड़ों में स्थित खदानों से 9 किलोमीटर लम्बे रोप-वे के माध्यम से चूना पत्थर यहां लाया जाता है। यह यूनिट अप्रैल, 1980 से अपना कमर्शियल उत्पादन कर रही है।

	2018-19	2017-18	2016-17
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	2.48	2.48	2.48
उत्पादन (लाख टन में)	1.44	1.35	1.69
उत्पादन का मूल्य (₹ लाख में)	5872	74,67	90,97
लाभ / (हानि) (₹ लाख में)	(965)	2.21	10.22

नया गांव (जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश)

4 लाख टन की वार्षिक संस्थापित क्षमता वाली इस यूनिट में 1 मार्च 1982 से कमर्शियल उत्पादन शुरू किया गया।

	2018-19	2017-18	2016-17
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	4.00	4.00	4.00
उत्पादन (लाख टन में)	—	—	—
उत्पादन का मूल्य (₹ लाख में)	—	—	—
लाभ / (हानि) (₹ लाख में)	44	15	3,36

स्थल विभाजन अर्थात् नयागांव में किलंकर स्टेशन और दिल्ली तथा भटिंडा में किलंकर की ग्राइंडिंग की संकल्पना के साथ यूनिट की उत्पादन क्षमता और 10 लाख टन बढ़ाकर परियोजना का विस्तार किया गया। नयागांव में किलंकर स्टेशन और दिल्ली में ग्राइंडिंग यूनिट में वाणिज्यिक उत्पादन 01.05.1990 से शुरू किया गया।

नयागांव यूनिट का विस्तार डीजीयू और बीजीयू सहित

	2018-19	2017-18	2016-17
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	5.00	5.00	5.00
उत्पादन (लाख टन में)	—	—	—
उत्पादन का मूल्य (₹ लाख में)	—	—	—
लाभ / (हानि) (₹ लाख में)	433	231	300

अकलतरा (जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़)

इस यूनिट में वाणिज्यिक उत्पादन 1 अप्रैल, 1981 से शुरू किया गया।

	2018-19	2017-18	2016-17
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	4.00	4.00	4.00
उत्पादन (लाख टन में)	—	—	—
उत्पादन का मूल्य (₹ लाख में)	—	—	—
लाभ/(हानि) (₹ लाख में)	1174	292	789

यूनिट के अव्यवहार्य हो जाने के कारण उत्पादन बन्द पड़ा हुआ है।

चरखी दादरी (जिला-भिवानी, हरियाणा)

यह भारत सरकार द्वारा अधिग्रहीत की गई एक रुग्ण यूनिट थी और जून, 1981 में इसे सीसीआई के नियंत्राधीन किया गया। अल्पावधि के भीतर पुनरुद्धार के पश्चात सीमेंट की ग्राइंडिंग का कार्य सितम्बर 1981 में शुरू किया गया और तत्पश्चात क्लिंकर उत्पादन शुरू किया गया। दो स्ट्रीम में से केवल एक ही स्ट्रीम इस लायक थी, जिसका पुनरुद्धार किया जा सका।

	2018-19	2017-18	2016-17
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	1.74	1.74	1.74
उत्पादन (लाख टन में)	—	—	—
उत्पादन का मूल्य (₹ लाख में)	—	—	—
लाभ/(हानि) (₹ लाख में)	37	(278)	(360)

यूनिट के अव्यवहार्य हो जाने के कारण उत्पादन बन्द पड़ा हुआ है।

आदिलाबाद (जिला-आदिलाबाद, तेलंगाना)

इस यूनिट में वाणिज्यिक उत्पादन अप्रैल, 1984 से शुरू किया गया।

	2018-19	2017-18	2016-17
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	4.00	4.00	4.00
उत्पादन (लाख टन में)	—	—	—
उत्पादन का मूल्य (₹ लाख में)	—	—	—
लाभ/(हानि) (₹ लाख में)	288	238	98

तांदूर (जिला-के.वी. रंगारेड्डी, तेलंगाना)

इस यूनिट में वाणिज्यिक उत्पादन 1 जुलाई, 1987 से शुरू किया गया।

	2018-19	2017-18	2016-17
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	10.00	10.00	10.00
उत्पादन (लाख टन में)	4.07	5.06	5.42
उत्पादन का मूल्य (₹ लाख में)	16604	20007	20468
लाभ/(हानि) (₹ लाख में)	746	2092	2611

NOTES





NOTES

55^{वीं} वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

VISION

To emerge as a leading cement company committed to contribute to the economy and to enhance value for the stakeholders.

MISSION

To augment the wealth creation for the company, deliver superior product and sustain market value.



A view of Bokajan's Quarry



सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

CEMENT CORPORATION OF INDIA LTD.
(A Govt. Of India Enterprise)